वार्षिक रिपोर्ट

2011–12

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय संख्या	अध्याय शीर्ष	पृष्ठ सं॰
1	प्रस्तावना	1–5
2	प्रशासन और संगठन	6–17
3	सतर्कता कार्यकलाप	15
योजनाएं और कार्यक्रम		
4	शहरी विकास	19–41
5	शहरी जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था	42–44
6	दिल्ली और शहरी क्षेत्र में विविध प्रयास	45–51
7	शहरी परिवहन	52–76
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी विकास	77–79
सम्बद्ध कार्यालय		
9	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	80–127
10	मुद्रण निदेशालय	128–129
11	सम्पदा निदेशालय	130–141
12	भूमि तथा विकास कार्यालय	142–147
अधीनस्थ कार्यालय		
13	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	148–149
14	भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय तथा प्रकाशन विभाग	150–153
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
15	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	154–188
स्वायत्त और सांविधिक निकाय		
16	स्वायत्त और सांविधिक निकाय	189–207
17	शहरी विकास मंत्रालय के प्रकाशनों की कुछ झलक	208–211
परिशिष्ट		212–225

संक्षिप्तियां

ए॰यू॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
सी॰पी॰एच॰ई॰ई॰ओ॰	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन
सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
डी॰यू॰ए॰सी॰	दिल्ली नगर कला आयोग
एच॰बी॰ए॰	गृह निर्माण अग्रिम
एच॰यू॰डी॰सी॰ओ॰(हुडको)	आवास तथा नगर विकास निगम लि॰
आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰	छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास की योजना
जे॰सी॰एम॰	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र
जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
एल॰ एण्ड डी॰ओ॰	भूमि तथा विकास कार्यालय
एल॰सी॰एस॰	कम लागत का सफाई प्रबंध
एन॰बी॰सी॰सी॰	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि॰
एन॰सी॰आर॰पी॰बी॰	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एन॰ई॰आर॰यू॰डी॰पी॰	पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम
एन॰आई॰यू॰ए॰	राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
पी॰ई॰ए॰आर॰एल॰	पीअर एक्सपिएरेन्स एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग
पी॰एच॰ई॰	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
यू॰डी॰	शहरी विकास
यू॰ई॰पी॰ए॰	शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन
यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰टी॰	सैटेलाइट टाउन के लिए अवस्थापना विकास स्कीम
यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰	छोटे व मझोले कस्बों के लिए अवस्थापना विकास स्कीम
यू॰आई॰जी॰	शहरी अवस्थापना और शासन

1

प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व व्यापक नीति निर्देश तैयार करना तथा शहरी विकास, जल आपूर्ति और सफाई के क्षेत्रों में कार्यक्रमों की निगरानी करना है। ये राज्य के विषय हैं लेकिन भारत सरकार समन्वयन तथा निगरानी की भूमिका निभाती है और केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के जरिए इन कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाती है। शहरी विकास मंत्रालय नीतिगत, दिशानिर्देशों, कानूनी मार्गदर्शन और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के जरिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न मामलों का कार्य देखता है।

1.2 भारत में शहरीकरण एक महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है और राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी को कम करने का महत्वपूर्ण निर्धारक है। बड़े शहरों की संख्या में बड़े नाटकीय ढंग से वृद्धि होना शहरीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। हालांकि भारत के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह ग्रामीण बहुल समाज से अर्द्ध शहरी समाज में बदलने के दौर से गुजर रहा है।

1.3 जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर से, भारत में शहरी जनसंख्या 2030 ईसवी तक आश्चर्यजनक रूप से 575 मिलियन हो जाएगी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 35 शहरों की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक थी। बाद के दशकों में शहरी क्षेत्रों और कस्बों की संख्या में निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार वृद्धि हुई है—

वर्ष	भारत में निम्नलिखित दशकों में शहरी क्षेत्रों/कस्बों की संख्या
1951	2843
1961	2363
1971	2590
1981	3378
1991	3768
2001	5161
2011	7935

1.4 यह स्वीकार किया जाता है कि अर्द्ध शहरी सोसाइटी में इस परिवर्तन के साथ-साथ जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क जैसी बुनियादी शहरी सेवाओं, कचरा निपटान सुविधाओं, शहर की सड़कों, सार्वजनिक परिवहन तथा स्ट्रीट लाइटिंग और पैदल चलने के रास्तों जैसी सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भूमि और मकानों की आपूर्ति में वृद्धि नहीं हुई है।

1.5 हाल के वर्षों में, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर रुख और संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 में निर्दिष्ट विकेन्द्रीकरण की वजह से भारत के शहरी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यह अधिनियम पहली जून, 1993 से लागू हुआ है। वर्ष 1990-2000 के दशक में भी आर्थिक विकास तथा गरीबी में को कम करने के संबंध में शहर और उनकी भूमिका के प्रति सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरी शासन के महत्व तथा स्थानीय स्व:शासनों की लोगों के प्रति जिम्मेवारी और जवाबदेही की चुनौतियों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है तथा इस परिप्रेक्ष्य में, इन स्थानीय स्व:शासनों की आत्मनिर्भरता और साख महत्व रखती है। इसलिए, शहरी सेवाओं की मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि जब सभी को निम्न लागत पर अव्यवस्थित रूप से सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं तो उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता है।

1.6 **दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किये गये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)** में 65 चुने गए शहरों में शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था सहित आवास, जलापूर्ति, सफाई, स्लम सुधार, सामुदायिक शौचालय आदि पर जोर देकर शहरी अवस्थापना और सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करना अपेक्षित है। मिशन में वर्ष 2005-06 से आरम्भ 7 वर्षों की मिशन अवधि के दौरान सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। छोटे कस्बों और शहरों की इसी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उप घटक भी हैं। मिशन ने दिसम्बर, 2011 में छः वर्ष पूरे किए हैं।

1.7 मिशन (जेएनएनयूआरएम) का उद्देश्य नगर प्रशासन के ऐसे उपायों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनसे मौजूदा सेवाओं के स्तर में सतत वित्तीय तरीके से सुधार आए। मिशन में राज्यों/शहरों को राजकोषीय, वित्तीय और संस्थानिक परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है जो सक्षम और उचित शहरी केन्द्र बनाने के लिए अपेक्षित है तथा मिशन सुधार आधारित है जो बड़ी मात्रा में शासन की चुनौतियों को पूरा करेगा।

1.8 वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अंतर्गत शहरी गरीबों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर एवं किफायती सफाई सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी नागरिकों के लिए सुस्थिर अच्छे लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भारत के शहरों और नगरों को पूर्ण रूप से स्वच्छ, स्वस्थ और जीने योग्य बनाने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इनमें सफाई के संबंध में नगरों तथा शहरों की रेटिंग शामिल है। म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए सर्विस लेबल बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय शासन, वित्तीय प्रबंधन और सेवा अदायगी से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों और राज्य कार्मिकों सहित विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण हेतु सहायता दे रहा है। मंत्रालय ने देश भर में 14 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें से 9 शहरी विकास और 4 शहरी परिवहन और एक ई-गवर्नेंस के क्षेत्र हेतु हैं।

1.9 शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्र स्तर पर शहरी परिवहन के योजना एवं समन्वय मामलों में नोडल (संपर्क) मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तय की थी जिसका उद्देश्य सभी को आसान, सुगम, सुरक्षित, वहनीय, त्वरित, आरामदायक, भरोसेमंद तथा निर्वाह योग्य गति शीलता प्रदान करना है। देश में सभी मैट्रो रेल परियोजनाओं को एक विधायी एकरूपता प्रदान करने के लिए रेलवे संशोधन अधिनियम सितम्बर, 2009 में प्रभावी हो गया।

1.10 शहरी विकास मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु विधेयक रख रहा है। विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् संसदीय स्थाई समिति द्वारा इसकी पहले ही जांच कर ली गई है और इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है।

1.11 शहरी विकास मंत्रालय ने दो नयी योजनाएं सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना योजना तथा 2009-10 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू किए गए ''शहरी विकास कार्यक्रम'' का सफलता पूर्वक निष्पादन किया।

1.12 शहरी विकास मंत्रालय के दूसरे प्रकार के दायित्वों का संबंध रिहायशी आवासों सहित केन्द्र सरकार के भवनों के निर्माण और अनुरक्षण से है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले भवन शामिल नहीं है। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार की भूमि/सम्पत्ति, जो अधिकांशतः दिल्ली में और कुछ अन्य महानगरों में है, की भी देखभाल करता है। ये कार्य **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग** और **भूमि और विकास कार्यालय** के माध्यम से निष्पादित किये जाते हैं। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की मुद्रण तथा लेखन सामग्री संबंधी आवश्यकताओं के साथ-साथ सरकारी प्रकाशनों के भण्डारण तथा बिक्री संबंधी कार्य क्रमशः मुद्रण निदेशालय **भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय,** के जरिए करता है और **प्रकाशन विभाग** सरकारी प्रकाशनों के भंडारण तथा बिक्री का कार्य करता है।

1.13 शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चार सम्बद्ध और तीन अधीनस्थ कार्यालय, एक सरकारी उपक्रम तथा एक गैर सांविधिक पंजीकृत सोसाइटी सहित पांच सांविधिक/स्वायत्तशासी निकाय हों।

1.14 **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग** इनमें से सबसे बड़ा संगठन है। इसने वर्ष 2011-2012 के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक 5568 करोड़ रुपए का कार्य प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल कार्य भार 8944 करोड़ रु॰ होने की संभावना है। **मुद्रण निदेशालय** देशभर में अपने प्रेसों की मार्फत केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों की मुद्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। **सम्पदा निदेशालय** मुख्यतः सरकारी सम्पदाओं और होस्टलों के प्रशासन की जिम्मेदारी निभाता है। **भूमि और विकास कार्यालय** दिल्ली में केन्द्र सरकार की जमीनों के प्रबंध के अलावा दिल्ली नजूल तथा पुनर्वास पट्टों के प्रशासन का कार्य करता है।

1.15 **नगर और ग्राम नियोजन संगठन** नगर नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन और नगर विकास कार्यों के मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कन्ध है।

1.16 **नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि॰ (एन बी सी सी)** जो कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सिविल निर्माण अभिकरण है, अनुसूची ''ए'' में शामिल एवं आई एस ओ-9001 प्रमाणित कम्पनी है तथा इसके क्रिया-कलाप देश-विदेश में फैले हुए हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि॰ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हस्ताक्षरित कम्पनी है तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मापदण्डों के मूल्यांकन के आधार पर पर्ष 2003-04 से 2008-09 और 2010-11 के दौरान इसका निष्पादन निरन्तर श्रेष्ठ रहा है।

1.17 **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)** का कानूनी क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी प्रकार के विकास कार्य और भू-उपयोग है। **दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी)** के कानूनी दायरे में दिल्ली की सौंदर्यपरक-गुणवत्ता और पर्यावरण रख-रखाव के कार्य आते हैं। **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना** बोर्ड जिसका गठन, एन॰सी॰आर॰ प्लानिंग बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत मार्च, 1985 में किया गया था और मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग नियंत्रण तथा अवस्थापना विकास के लिए युक्ति संगत नीतियां बनाना है ताकि इस क्षेत्र में अनाप-शनाप वृद्धि से बचा जा सके। **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन॰आई॰यू॰ए॰)** की स्थापना स्वायत्तशासी गैर-सांविधिक निकाय के रूप में सन् 1976 में की गई थी। इसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत देश में शहरी अनुसंधान करने के लिए किया गया। यह शहरी स्थानीय निकायों से उनके कार्यकरण, प्रबन्धन, वित्त, विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण संबंधित सूचना के संग्रह, विवेचन, भंडारण और प्रसारण संबंधी कार्य भी करता है। **राजघाट समाधि समिति का गठन,** राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 के अनुसार 1951 में राजघाट यानि महात्मा गांधी की समाधि की देखभाल के लिए किया गया था।

1.18 वर्ष 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण क्रमिक घटनाओं एवं नीतिगत निर्णय की सूची अनुलग्नक 1.1 में दी गई है।

अनुबंध 1.1

वर्ष 2011-12 में महत्वपूर्ण आयोजन और नीति निर्णय

1. सरकार 12वीं योजनावधि के दौरान कुल जीडीपी के 0.25 प्रतिशत के परिव्यय, जो लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए बनता है, के साथ जे एन एन यू आर एम-II का अगला चरण आरंभ करेगी। जे एन एन यू आर एम-II के अंतर्गत श्रेणी के नगरों और मध्यम नगरों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

2. 103.05 किमी. दिल्ली मैट्रो का चरण-III का भी अनुमोदन हो गया है। इसकी कुल लागत 35,242 करोड़ रुपए होगी और इसे 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसको मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

3. सरकार ने अद्वितीय जयपुर मैट्रो परियोजना चरण-1 का भी अनुमोदन कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार और इसके अभिकरण 100% वित्त मुहैया कराएंगे।

4. सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने 6 दिसम्बर, 2011 को कामन मोबिलिटि कार्ड का ब्रांड नाम, लोगो और डिजाइन को लांच किया यह कार्ड सभी भारतीय शहरों में पार्किंग सहित सभी साधनों के सभी प्रकार के संचालनों में प्रयोग किया जा सकेगा।

5. भारत सरकार ने बंगलौर मैट्रो रेल निगम लि॰ (बीएमआरसीएल) की 42.3 किमी लम्बी बंगलौर रेल परियोजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। यह परियोजना 20 जनवरी, 2007 को शुरू हुई थी और इस परियोजना को 31 मार्च, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 कि॰मी॰ के पहले चरण को 20 अक्तूबर, 2011 को शुरू कर दिया गया है।

6. भारत सरकार ने कोलकाता मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (केएमआरसीएल) की कोलकाता में 14.67 कि.मी. लम्बी पूर्वी-पश्चिमी मैट्रो कोरीडोर के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया था। इस परियोजना को 31 जनवरी, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

7. भारत सरकार ने चैन्नई मैट्रो रेल लि. (सीएमआरएल) की 46.5 किमी लम्बी चैन्नई मैट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन का भी अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना को 31 मार्च, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

8. इसके अतिरिक्त, वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर (11.07 कि.मी.) चरकोप से मनखुर्द बाया बांद्रा (31.87 कि.मी.) के लिए मुम्बई में और हैदराबाद मैट्रो (71.16 कि.मी.) में पीपीपी आधार पर मैट्रो रेल परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। इसके लिए भारत सरकार से आत्मनिर्भरता अंतर निधिकरण (बीजीएफ) सहायता प्रदान की जाएगी।

9. सबसे बड़ी सरकारी निजी भागीदारी परियोजना हैदराबाद मैट्रो रेल परियोजना का सरलीकरण शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिससे मैसर्स लारसन एंड टयूबरों के साथ सरकारी सुविधा करार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

2

संगठन और प्रशासन

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को दिनांक 27-5-2004 की राष्ट्रपति अधिसूचना सं॰ सीडी-160/2004 के तहत दो मंत्रालयों अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में विभाजित कर दिया गया था। बाद में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को दिनांक 1.6.2006 के डीओसी. सीडी-299/2006 के तहत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के रूप मे पुन: नामित किया गया था। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय कैडर नियंत्रण मंत्रालय भी है।

2.2 श्री कमल नाथ ने 20-1-2011 को शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य संभाला। श्री सौगत राय 28-5-2009 से शहरी विकास राज्य मंत्री हैं।

2.3 डा॰ सुधीर कृष्णा, भा.प्र.से. (कर्नाटक: 77) शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं।

2.4 वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय में एक पद अपर सचिव, तीन पद संयुक्त सचिवों के, एक पद संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएसएंडएफए), एक पद ओ एस डी (शहरी परिवहन) तथा एक पद आर्थिक सलाहकार का है जो संयुक्त सचिव के स्तर का होता है। संयुक्त सचिव-सह-मिशन निदेशक (जे एन एन यू आर एम) के पद का सृजन विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के लिए किया गया था। संयुक्त सचिव(यूटी) का एक अतिरिक्त पद नितान्त रूप से शहरी परिवहन प्रभाग के लिए सृजित किया गया है। मंत्रालय में अपर सचिव तथा संयुक्त सचिवों के बीच कार्यों का बंटवारा संगठनात्मक चार्ट के **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

2.5 ई-सेवा पंजी तथा ई-वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) से संबंधित कार्य पर कार्रवाई मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध रूप से की जा रही है।

2.6 शहरी विकास मंत्रालय को आबंटित विषय **परिशिष्ट-II** में हैं।

2.7 शहरी विकास मंत्रालय के अधीन विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के नाम **परिशिष्ट-III** में हैं।

2.8 मंत्रालय, उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणीवार स्टाफ संख्या **परिशिष्ट-IV** में है।

2.9 मंत्रालय, उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सूचना **परिशिष्ट-V तथा IX** में दी गई है।

II. बजट

2.10 बजट अनुभाग मंत्रालय की अनुदान मांग, आउटकम बजट तथा निष्पादन बजट को तैयार करने, इन दस्तावेजों की छपाई करने तथा इन्हें संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह अनुभाग लोक लेखा समिति (पीएसी), ऑडिट पैराओं तथा संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य भी देखता है। यह अनुभाग मुख्य लेखा नियंत्रक तथा संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार के समग्र नियंत्रण के तहत कार्य करता है।

2.11 शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित तीन अनुदान मांगें हैं। बजट अनुभाग द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 में संचालित की जा रही तीन अनुदान मांगें हैं: अर्थात मांग सं॰ 101-शहरी विकास, मांग सं. 102-लोक निर्माण और मांग सं. 103-लेखन सामग्री एवं मुद्रण।

2.12 मांग-वार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2011-12 (योजना) और (गैर-योजना) तथा वास्तविक व्यय इस प्रकार हो:

(₹ करोड़ में॰)

	बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			वास्तविक व्यय 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक)		
मांग सं॰ एवं नाम	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग सं॰ 101 शहरी विकास मंत्रालय									
(क) राजस्व	**623.13**	**647.85**	**1270.98**	**436.42**	**707.70**	**1144.12**	**244.29**	**514.98**	**759.27**
(ख) पूंजी	**5445.63**	**138.62**	**5584.25**	**5591.54**	**138.60**	**5730.14**	**4081.78**	**85.42**	**4167.20**
	6068.76	786.47	6855.23	6027.96	846.30	6874.26	4326.07	600.40	4926.47
मांग सं॰ 102 लोक निर्माण									
(क) राजस्व	**12.00**	**1093.21**	**1105.21**	**12.00**	**1201.88**	**1213.88**	**7.63**	**950.50**	**958.13**
(ख) पूंजी	**198.99**	**284.80**	**483.79**	**156.49**	**308.80**	**465.29**	**86.31**	**207.03**	**293.34**
	210.99	1378.01	1589.00	168.49	1510.68	1679.17	93.94	1157.53	1251.47
मांग सं॰ 103 लेखन सामग्री एवं मुद्रण									
(क) राजस्व	**0.00**	**97.10**	**97.10**	**0.00**	**92.62**	**92.62**	**0.00**	**73.17**	**73.17**
(ख) पूंजी	**0.00**	**0.13**	**0.13**	**0.00**	**3.68**	**3.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0.00	97.23	97.23	0.00	96.30	96.30	0.00	73.17	73.17

III. लेखा

2.13 मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय के लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा मॉनीटरिंग कार्य की देख-रख करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा आय प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति/वसूली तथा ऋण पूंजी प्राप्ति की जाती है। उनकी सहायता के लिए एक उप सचिव, दो लेखा नियंत्रक, वेतन तथा लेखा अधिकारी, प्रधान लेखा अधिकारी व सहायक स्टाफ है।

IV. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

2.14 मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान ठोस प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय में एक राजभाषा प्रभाग है, जो दोनों मंत्रालयों, अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की समस्त अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा दोनों मंत्रालयों के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी भी करता है। दोनों मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुवाद संबंधी समुचित व्यवस्थाएं हैं।

2.15 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने का वातावरण तैयार करने के लिए दोनों मंत्रालयों में हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास सितम्बर, 2011 संयुक्त रूप से मनाया गया। माह के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

2.16 संयुक्त सचिव (प्रशा.), शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ.एल.आई.सी.) है।

यह समिति दोनों मंत्रालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से की गईं।

2.17 शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें भी नियमित अंतराल पर आयोजित की गई तथा संबंधित कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इन बैठकों में भाग लिया।

2.18 मंत्रालय चरणबद्ध रूप से हिन्दीत्तर भाषी कार्मिकों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिलाने तथा टंककों और आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दस सहायकों और तीन अवर श्रेणी लिपिकों ने हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 8 कार्यालयों का निरीक्षण किया।

2.19 हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों ने मंत्रालय के अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों के निरीक्षण-सह-संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दौरा किया जिसमें सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उनकी प्रगति की समीक्षा की गई तथा राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों की उन्हें जानकारी भी दी गई।

V. संसद अनुभाग

2.20 मंत्रालय का संसद अनुभाग शहरी विकास मंत्रालय के सभी संसदीय मामले देखता है। वर्ष 2010 में संसद के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विषयों पर 553 (42 तारांकित और 511 अतारांकित) संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

2.21 2011 के दौरान, शहरी विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकें 14-02-2011, 14-07-2011 और 28-10-2011 को आयोजित की गयी। प्रथम और द्वितीय बैठकों के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ:—

(i) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत सुधार

(ii) शहरी परिवहन

(iii) छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना

2.22 निम्नलिखित प्रत्येक संगठनों के आगे उल्लिखित वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों को संसद के शीतकालीन सत्र 2011 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखा गया:—

(i) कोलकाता मैट्रो रेल कार॰ लि॰ (2009-10 एवं 2010-11)

(ii) चैन्नई मैट्रो रेल कार॰ लि॰ (2009-10 एवं 2010-11)

(iii) बंगलूरू मेट्रो रेल कारपोरेशन लि॰ (2009-10)

(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना मंडल (2009-10 एवं 2010-11)

(v) दिल्ली शहरी कला अयोग (2009-10 एवं 2010-11)

(vi) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि॰ (2009-10 एवं 2010-11)

(vii) राजघाट समाधि समिति (2009-10 और 2010-11)

(viii) दिल्ली विकास प्राधिकरण (2009-10)

(ix) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली (2009-10 एवं 2010-11)

(x) भारत सरकार (एमओयूडी) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि॰ के बीच समझौता ज्ञापन (2011-12)

(xi) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि॰ (2010-11)

VI. कल्याण

2.23 मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी कल्याण गतिविधियों पर लगातार सक्रिय ध्यान और प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। इस प्रयोजन हेतु 8 मनोरंजन क्लब चल रहे हैं। इन मनोरंजन क्लबों के संरक्षण के तहत मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के खिलाड़ियों ने केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (सीसीएससीएसबी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भाग लिया।

2.24 वर्ष 2011-12 के दौरान, मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों में से चयनित इस मंत्रालय की टीमों ने केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड द्वारा आयोजित एथलेटिक्स, कैरम, चैस, क्रिकेट, क्रिकेट (वेटरन), फुटबाल, कबड्डी और लघु नाटकों, पावर लिफ्टिंग, टेबिल टेनिस, तथा वालीबाल और भारोत्तोलन में अंतर-मंत्रालयी टूर्नामेंटों/चैम्पियनशिपों/प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बड़ी संख्या में इस मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनेक खिलाड़ियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंटों/चैम्पियनशिपों में खेलने के लिए केन्द्रीय सचिवालय की टीमों के लिए भी चुना गया है।

VII. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

2.25 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम स्कीम का लक्ष्य अपने आवास/फ्लैट के निर्माण/अर्जन/नवीकरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को सहायता मुहैया कराना है। यह स्कीम एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर वर्ष 1956 में शुरू की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय इस स्कीम के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

2.26 गृह निर्माण अग्रिम केन्द्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य हैं, जिन्होंने दस वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। मंत्रालय/विभागों को गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी देने के लिए शक्तियां प्रत्योजित की गयी हैं।

2.27 गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर 5% से 9.5% के बीच है जो गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृत राशि पर निर्भर करती है। इसके संबंध में स्लैब-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्रम संख्या	सरकारी कर्मचारी के लिए स्वीकृत अग्रिम की राशि	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)
1	50,000/- रुपए तक	5%
2	1,50,000/- रुपए तक	6.5%
3	5,00,000/- रुपए तक	8.5%
4	7,50,000/- रुपए तक	9.5%

2.28 गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम स्वीकार्य राशि तथा नए घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण के बारे में लागत सीलिंग सीमा निम्न प्रकार से हैं:—

(i) अब गृह निर्माण अग्रिम अधिकतम 7.5 लाख रुपये या आवास/फ्लैट के निर्माण/अर्जन की लागत या भुगतान क्षमता, इनमें से जो भी कम हो, के अध्यधीन वेतन बैंड में 34 माह के वेतन के बराबर अनुमेय है। मौजूदा आवास के विस्तार के लिए गृह निर्माण अग्रिम देने की अधिकतम सीमा 1.8 लाख रुपये या विस्तार की लागत या पुन:भुगतान क्षमता, इनमें से जो भी कम हो, के अध्यधीन वेतन बैंड में 34 माह के वेतन के बराबर अनुमेय है।

(ii) नये आवास/फ्लैट के क्रय/निर्माण के लिए अधिकतम लागत सीमा न्यूनतम 7.5 तथा अधिकतम 30 लाख के अध्यधीन वेतन बैंड में वेतन के 34 गुणा के बराबर है।

VIII. भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

2.29 मंत्रालय व इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति से संबंधित आंकड़े **परिशिष्ट-V** में हैं।

IX. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

2.30 मंत्रालय में समन्वय अनुभाग सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बाबत सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन की, इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियतकालिक विवरण के मार्फत समन्वय करता है। मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों हेतु किये गये आरक्षण की बाबत कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों एवं संगठनों को भी निदेश जारी किए हैं। यह मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कार्यालयों में अन॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के प्रतिनिधित्व के आंकड़े **परिशिष्ट-VI-IX में हैं**।

X. नागरिक चार्टर और परिणामी रूपरेखा दस्तावेज

2.31 मंत्रालय के शहरी विकास प्रभाग ने विकासमूलक उद्देश्यों में प्राथमिकताओं वाले निर्धारित समग्र परिणामी रूप रेखा दस्तावेज (आरएफडी) को हाल ही में तैयार किया है। इस कार्यवाही के भाग के रूप में समन्वय अनुभाग ने निर्धारित फार्मेट में शहरी विकास मंत्रालय के लिए एक सर्वोत्तम अनुपालन नागरिक चार्टर तैयार किया है।

XI. लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीसैल)

2.32 लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का प्रभावी और तत्परता से निपटान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव (प्रशा॰) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है,जो शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय,'' उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के लिए शिकायत निदेशक भी हैं।

2.33 विभिन्न स्रोतों से अर्थात् डीपीजी, डीएआरपीजी, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सचिवालय, डीओपीपीडब्ल्यू, सीपीजीआरएएमएस, जी-मेल और डाक द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं। गत एक वर्ष के दौरान 1.2.2011 से 31.12.2011 तक प्राप्त शिकायतों तथा शिकायतों के स्रोतों के साथ निपटायी गयी शिकायतों का निम्नलिखित चार्ट में सारांश दिया गया है।

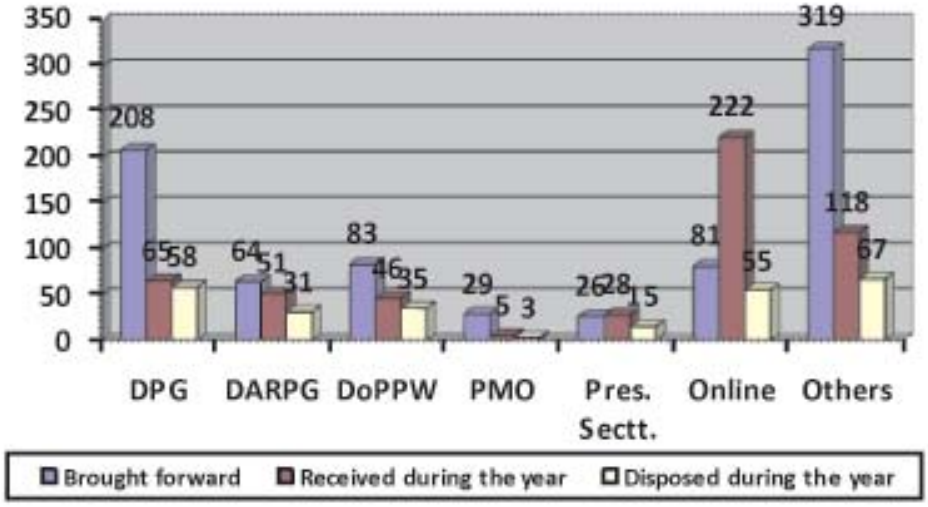

2.34 शिकायतें सामान्यत: नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत के कारण उत्पन्न होती हैं। शिकायतों के वास्तविक निपटान की जानकारी बुनियादी स्तर पर कार्य कर रही एजेंसियों से प्राप्त होती हैं क्योंकि उन्हें अपने संबंधित कार्य क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के मामलों की पूरी जानकारी होती है। लोक शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिकायतें समयबद्ध तरीके से आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यालयों को भेजी जाती हैं। शिकायत याचिकाओं में उठाए गए विषयों की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, मंत्रालय द्वारा शिकायत याचिकाओं पर तब तक कार्रवाई की जाती रहती है जब तक कि तर्क सहित मामले को अंतिम रूप से नहीं निपटाया जाता तथा संबंधित संगठन/मंत्रालय को समुचित उत्तर नहीं दिया जाता।

2.35 दिनांक 31.12.2011 तक प्राप्त और निपटाई गई लोक शिकायतों की समग्र स्थिति इस प्रकार है:—

शिकायतों की सं. 01.1.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित	810 (हूपा के मामलों को छोड़कर)
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	534
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	266
31.12.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की सं.	1078

2.36 मंत्रालय शिकायतों का वास्तव में प्रभावी, तत्पर तथा शीघ्र निपटान सुनिश्चित कर रहा है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें और डीएआर एण्ड पीजी के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में लोक शिकायतों का निवारण एवं मॉनीटरिंग करने के लिए एक सेवोत्तम कम्पलाएंट शिकायत निवारण तंत्र का सृजन किया गया है।

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों के लोक शिकायत अधिकारी

क्र सं॰	संगठन का नाम	लोक शिकायत अधिकारी	दूरभाष सं॰ तथा ई–मेल पता
1	2	3	4
1	मंत्रालय (सचिवालय)	श्री वी॰के॰ शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रशासन)	कमरा नं. 235 ''सी'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23061979 ई मेल: directorgrievanceud@gmail.com
		श्री जय प्रकाश अग्रवाल, निदेशक (समन्वय एवं लोक शिकायत)	कमरा नं. 313 ''सी'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23061425 ई मेल: grievanceud@gmail.com वेबसाइट: www.urbanindia.nic.in
2	के॰लो॰नि॰वि॰	श्री बी॰ बी॰ ठाकुर, उप महानिदेशक (निर्माण)	कमना नं. 118 ''एं'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23061506
		श्री दिवान चन्द्र, निदेशक (प्रशासन)	कमरा नं. 125 ''ए'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23061128 वेबसाइट: www.cpwd.nic.in
3	भूमि तथा विकास कार्यालय	श्री महमूद अहमद, भूमि तथा विकास अधिकारी	कमरा नं. 611 ''विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23062871 वेबसाइट: www.ido.nic.in
4	सम्पदा निदेशालय	श्री मुनीश गर्ग, संपदा निदेशक	कमरा नं. 442 ''सी'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23062005 वेबसाइट: www.estates.nic.in
5	मुद्रण निदेशालय	श्री पी के कैलाशा बाबू अपर निदेशक (प्रशा॰)	कमरा नं. 105 ''बी'' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली। दूरभाष: 23062475 वेबसाइट: www.dop.nic.in

1.	2	3	4
6	दिल्ली विकास प्राधिकरण	श्रीमती नीमो धर, आयुक्त (पीआर/पीजी)	विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली दूरभाष सं. 24616526 वेबसाइट: www.dda.org
7	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि॰	श्री एस॰ के॰ खुराना, कार्यकारी निदेशक(एफ)	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाष सं. 24367316 वेबसाइट: www.nbccindia.gov.in
8	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	श्री के॰ के॰ जोद्दर, अवर नगर एवं ग्राम नियोजक	टीसीपीओ, ई–ब्लॉक विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 वेबसाइट: www.tcpomud.gov.in
9	प्रकाशन विभाग	श्री सी॰ एस॰ मेहरा प्रकाशन नियंत्रक	प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली – 110054 दूरभाष: सं 23812527 वेबसाइट: www.teptpub.nic.in
10	भारत सरकार का लेखन सामग्री कार्यालय	श्री आर॰ के॰ रॉय, लेखन सामग्री नियंत्रक	जी आई एस ओ, 3, चर्च लेन, कोलकाता–700001 दूरभाष: सं. 2485454 वेबसाइट: www.giso.gov.in
11	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	श्रीमती नैनी जयासीलन, सदस्य सचिव	एन सी आर पी बी, कोर–4बी, प्रथम तल, इण्डिया हेबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाष: सं 24642284 वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in

XII. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

2.37 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों/अपील पर कार्रवाई करने के लिए इस मंत्रालय में स्थापित मौजूदा प्रक्रिया पूरी तरह से लागू है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को उसके मूल रूप में प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय के सचिवालय में किए गए कुछ उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

की गई सांविधिक कार्रवाई

(i) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) और (ग) के तहत सामग्री/सूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे अद्यतन किया जा रहा है। मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों ने भी अपनी वेबसाइट विकसित की है। मंत्रालय की वेबसाइट में लिंक्स उपलब्ध कराए गए हैं।

(ii) मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के सचिवालयों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों की सूची और उनसे संपर्क स्थापित करने के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

स्थापित तंत्र

(i) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोगों से आवेदन–पत्र शुल्क तथा लागत प्राप्त करने तथा प्राप्त आवेदनों के निपटान की स्थिति की निगरानी के उद्देश्य से मंत्रालय में एक लोक–सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। मंत्रालय के सचिवालय में अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और उप सचिव/निदेशक स्तर के उच्चतर अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

(ii) सभी केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की अधिकारिक ई-मेल आईडी है ताकि लोक सूचना के अधिकार अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिये आवेदन किए जा सकें। लोगों को आसानी से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर बल दिया जाता है।

2.38 वित्त वर्ष 2011 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय में प्राप्त और निपटान किए गए सूचना के अधिकार मामलों की समग्र स्थिति इस प्रकार है:—

(i)	वर्ष के प्रारंभ में अर्थात् 1.1.2011 को लंबित मामलों की संख्या	:	22
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	:	1105
(iii)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या [(i) में दिए गए आगे ले जाए गए मामलों को मिलाकर]	:	1099
(iv)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	:	28

XIII. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

2.39 विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1997) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में कार्य स्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की जांच करने के लिए मंत्रालय में एक शिकायत समिति बनाई गई है जिसका गठन इस प्रकार है:—

1.	श्रीमती सुधा कृष्णन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेम नारायणन, निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती स्वर्णाश्री राव राजशेखर, निदेशक आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
4.	सुश्री राधा रानी, अवर सचिव	सदस्य
5.	श्रीमती शोभना मैथ्यू, अवर सचिव	सदस्य
6.	सुश्री ललिता सेन जोशुआ (वाईडब्ल्यूसीए की प्रतिनिधि)	सदस्य

2.40 शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास तथा शहरी आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए एक ही समिति है।

2.41 जहां तक शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, वर्ष 2011-12 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत समिति को मिली थी। समिति ने उपयुक्त विचार विमर्श के बाद मामले को अस्वीकार कर दिया ।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की संक्षिप्त विशेषताएं:—

मंत्रालय की अपनी वेबसाइट है। अधिकतर संगठन जो इसके नियंत्रण में हैं, उनकी भी अपनी-अपनी वेबसाइट हैं। निम्नलिखित वेबसाइटों को उक्त अवधि के दौरान नियमित रूप से अद्यतन किया गया:

	संगठन	वेबसाइट पते
	1	2
क	शहरी विकास मंत्रालय	www.urbanindia.nic.in
ख	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	www.cpwd.gov.in
ग	सम्पदा निदेशालय	www.estates.nic.in

1		2
घ	भूमि तथा विकास कार्यालय	www.Ido.nic.in
ङ	मुद्रण निदेशालय	www.dop.gov.in
च	प्रकाशन विभाग	www.deptpub.gov.in
छ	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ)	www.cpheeo.nic.in
ज	मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय	www.ccamoud.nic.in
झ	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	www.jnnurm.nic.in
ञ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	www.ncrpb.nic.in

2. निर्माण भवन स्थित मंत्रालय और इसके संगठनों में सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट पहुंच के साथ एलएएन की व्यवस्था है।

3. एनआईसी ई-मेल लेखों का सरकारी पत्र व्यवहार के लिए अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

4. जीआईजीडब्ल्यू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट का फिर से डिजाइन करने का कार्य एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से प्रारंभ किया गया था।

5. सीपीडब्ल्यूडी वेबसाइट में और अधिक सुधार किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को इसके साथ एकीकृत किया गया है।

6. सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहन विचार-विमर्श के पश्चात् सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का प्रबंधन और निगरानी अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए सीपीडब्ल्यू सेवा में कई सुधार किए गए थे। वर्ष के दौरान जीपीआरए के आबंटियों से सेवा संबंधी अनुरोध प्राप्त करने के लिए काल सेंटर और अलर्ट के माध्यम से एसएमएस सूचना का कार्यान्वयन किया गया था। सिस्टम द्वारा बनाई गई आवधिक एमआईएस रिपोर्टें सिस्टम द्वारा ई-मेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थीं। दिल्ली में गैर-आवासीय भवनों में इसका विस्तार करने के लिए इस सिस्टम में वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी के लिए पैन इंडिया आधार पर इसके कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन कर दिया है।

7. सतर्कता प्रबोधन प्रणाली का पुन-विकास (बीआईजीएमआईएस) प्रारंभ किया गया है और उसे पूरा किया गया।

8. मंत्रालय के विभागीय पुस्तकालय में ई-ग्रंथालय के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया गया था और पूरा किया गया।

9. मंत्रालय के लिए इंट्रागव पोर्टल के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया गया था और मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस पोर्टल को यूआरएल http:moud.eoffice.gov.in से प्रारंभ किया गया है।

10. निर्माण भवन में स्थित मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफटीएस) का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है।

11. मंत्रालय, सम्पदा निदेशालय और एलएंडडीओ द्वारा संयुक्त पेरोल प्रणाली कोम्पडीडीओ का प्रयोग किया जा रहा है।

12. पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की दृष्टि से, सम्पदा निदेशालय ने दिल्ली में जीपीआरए के लिए आबंटन की स्वचालित प्रणाली प्रारंभ की है, ताकि शीघ्रतापूर्वक आबंटन किया जा सके व कब्जे वाले आवास की संख्या में वृद्धि की जा सके और आवेदक अपनी पंसद का आवास प्राप्त कर सकें। यह प्रणाली आवास, टाइप, 1, 2, 3, 4, 4 स्पेशल, 5ए, 5बी,, 6ए तथा होस्टल आवास के लिए कार्यान्वित की गयी है। एसएमएस और ई-मेल सुविधा सामयिक सम्प्रेषण के लिए आबंटन की स्वचालित प्रणाली के साथ एकीकृत की गई है। इसे ई-आवास के साथ एकीकृत किया गया है। इस प्रणाली से आवेदकों के संतोष के स्तर में सुधार लाने में मदद मिली है और साथ ही संपदा निदेशालय की छवि में भी सुधार हुआ है। यह संपदा निदेशालय के कार्य करने के तरीके में एक युगांतकारी कदम है।

13. एनआईसी द्वारा संपदा निदेशालय के लिए विकसित और कार्यान्वित ई-आवास-सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जीएएमएस) को

''सरकारी प्रक्रिया रि इंजीनियरिंग में श्रेष्ठता'' के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2011-12 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ई-गवनर्नेंस पहल को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। श्रीमुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे, माननीय उड़ीसा के राज्यपाल ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में 9-10 फरवरी, 2012 तक आयोजित 15वीं ई-गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया। माननीय मंत्री, राज्य मंत्री (शहरी विकास) और सचिव, शहरी विकास मंत्रालय ने उपलब्धियों के संबंध में सराहना की थी।

14. सरकारी आवास के आबंटितों के वेतन से मासिक लाइसेंस शुल्क की ऑन-लाइन वसूली, आबंटितों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने और आबंटितों के किराया कार्ड को अद्यतन करने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा वास्तविक समय ऑन-लाइन इंदराज के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा ऑन लाइन लाइसेंस की रिकवरी पोस्टिंग एंड मोनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया।

15. भूमि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे परिवर्तन, स्थानापन, दाखिल-खारिज, बिक्री अनुमति, गिरवी रखने की अनुमति, उपहार अनुमति, निरीक्षण, मांग गणना भुगतान और वापसियों में एलएंडडीओ द्वारा ई-धरती और न्यायालय मामलों की प्रबोधन प्रणाली का प्रयोग किया गया।

16. ई-गजट वेबसाइट से ई-गजट को डाउनलोड करना सीआईसी के अनुरोध पर सरकार द्वारा निशुल्क बनाया गया है।

17. विभिन्न मंचों से महत्वपूर्ण संबोधन करने के लिए मंत्रालय के सचिव द्वारा ईबीसीएस का प्रयोग किया गया।

18. मंत्रालय ने अपने ई-गवर्नेंस गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता में सुधार के लिए एनआईसी से सम्बद्ध आईटीडेस्क की स्थापना की है। इसके साइबर सुरक्षा के लिए मंत्रालय में क्राइसिस प्रबंधन सैल के सृजन के संबंध में पहल की है।

3

सतर्कता कार्यकलाप

शहरी विकास मंत्रालय की प्रशासनिक सतर्कता यूनिट अपर सचिव के नियंत्रण में है जो मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को निदेशक अथवा उप सचिव स्तर के एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, तीन अवर सचिवों (सतर्कता) तथा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के सतर्कता अधिकारी तथा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त शासी निकायों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। यह सतर्कता एकक शहरी विकास मंत्रालय तथा इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों के सतर्कता से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

3.2 सतर्कता कार्यों में निरोधक उपाय, निगरानी, खोज तथा प्रतिवादक दण्डात्मक कार्यवाही शामिल है। निरोधक कार्यवाही के अंतर्गत नियमों तथा प्रक्रियाओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा इस मंत्रालय के अधीन संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक निरीक्षण की कार्रवाई लगातार की जाती है। निगरानी तथा खोज के प्रसंग में राजपत्रित स्तर के उन अधिकारियों, जिनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है, की सूची केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के परामर्श से तैयार की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमों में विहित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और दंड लगाए जाते हैं।

3.3 समूह ''क'' अधिकारियों को चार्जशीट देने, जांच करने, अंतिम निर्णय लेने, अपील और समीक्षा करने से संबंधित सभी सतर्कता/अनुशासनिक मामले मंत्रालय में तैनात समूह ''ख'' अधिकारियों के संबंध में मामलों पर सतर्कता एकक में कार्रवाई की जाती हैं।

3.4 ये आरोप सामान्यत: भवनों के निर्माण कार्य तथा रख-रखाव में घटिया निष्पादन, ठेकेदारों को अधिक अदायगी, टेंडरों/कोटेशनों को मंगाने में तथा ठेका देने में अनियमितताएं, अनुचित परिसम्पत्तियां, अवैध पारितोषण, सरकारी आवास/दुकानों की उप किरायेदारी तथा सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के उल्लंघन पर आधारित होते हैं।

3.5 शिकायतों तथा जांच रिपोर्टों की विभागीय जांच के अतिरिक्त मंत्रालय उन अधिकारियों के आचरण के बारे में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोग की स्वीकृति जारी करने के लिए या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी रिपोर्ट प्राप्त करता है।

3.6 सरकारी उपक्रमों के बारे में यह मंत्रालय केवल बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध चलने वाले मामलों पर कार्रवाई करता है। स्वायत्तशासी निकाय अपने अधिकारियों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार से इन निकायों में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में कार्रवाई इस मंत्रालय द्वारा की जाती है।

3.7 अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान 35 अचानक एवं नियमित निरीक्षण किए गए। 86 अधिकारियों को आरोप पत्र दिए गए, 12 अधिकारियों को निलंबित किया, 34 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति तथा 46 अधिकारियों पर छोटी शास्ति लगाई गई।

4

शहरी विकास

शहरी विकास मंत्रालय तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण की चुनौती से निपटने में राज्यों की सहायता करने हेतु अनेक केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। स्कीमों का संक्षिप्त विवरण तथा वर्ष 2010-11 के दौरान की गई प्रगति का ब्यौरा बाद के पैराओं में दिया गया है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

प्रस्तावना

4.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) समग्र देश के शहरों के सुधार आधारित और नियोजित विकास के उद्देश्य से 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था जिसमें शहरी अवस्थापना, सेवा आपूर्ति तंत्रों, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों और पैरा स्टेटलों की जवाबदेही में कुशलता लाने में ध्यान केन्द्रित किया गया है।

4.3 शहरी विकास मंत्रालय को 65 मिशन शहरों में जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक को कार्यान्वयन सौंपा गया है। मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों/शहरी समूहों/कस्बों की पूर्ण सूची **अनुलग्नक 4.1** में दी गई है। इन शहरों द्वारा विकास के दीर्घकालीन विजन के लिए अपनी शहरी विकास योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। 65 मिशन शहरों ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थिर शहरी परिवर्तन प्राप्त करने के समयबद्ध सुधार एजेंडा की प्रतिबद्धता है।

मिशन की अवधि

4.4 मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू होकर 2012-13 तक सात वर्ष है। अवधि के दौरान मिशन का उद्देश्य चुनिंदा शहरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चित करना है।

मिशन कार्यनीति

4.5 मिशन कार्यनीति इस प्रकार है:—

i. प्रत्येक चुने गए नगर के लिए 20-25 वर्ष के लिए नियोजित शहरी परिप्रेक्ष्य ढांचा (जो प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा) तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि की आवश्यकता पूरी करने की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं का विवरण दिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य योजना के बाद विकास योजना तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष की योजनावधि के लिए सेवाओं सहित भू-उपयोग को शहरी परिवहन तथा पर्यावरण प्रबंध के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. शहरी/शहरी समूहों/पैरा स्टेटलों द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

iii. शहरी अवसंरचना के विकास, प्रबंध और वित्त प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाएगा।

iv. चुने गए शहरों के लिए धनराशि नामित राज्य नोडल एजेंसी को जारी की जाएगी, जो बदले में व्यवहार्य सीमा तक, वित्तीय संस्थानों/निजी क्षेत्र/पूंजी बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी।

v. केन्द्र तथा राज्य सरकार से धनराशि अनुदान के तौर पर सीधे राज्य द्वारा नामित नोडल एजेंसी को मिलेगी। नोडल एजेंसी शहरी स्थानीय निकायों या पैरा स्टेटल एजेंसियों, इनमें से जो भी हो, को उदार ऋण या अनुदान के तौर पर केन्द्रीय सहायता देगी।

vi. मिशन के अधीन सृजित परिसंपत्तियों की प्रचालनात्मक और रख-रखाव लागतों को पूरा करने के लिए आवर्ती निधि सृजित की जाएगी।

1. शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी)

4.6 अवस्थापना का उन्नयन करने, औद्योगिक/वाणिज्यिक स्थापनाओं को संगत क्षेत्रों में स्थानांतरित करने इत्यादि के उद्देश्य से शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप मिशन का मुख्य जोर सफाई सहित जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन तथा अंदरूनी (पुराने) शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास से संबंधित मुख्य अवस्थापना परियोजनाओं पर होगा।

निम्नलिखित संबंधित परियोजनाएं अस्वीकार्य घटक हैं:—

(i) विद्युत

(ii) दूरसंचार

(iii) स्वास्थ्य

(iv) शिक्षा

(v) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं स्टाफ घटक

4.7 शहरों की आबादी, भौगोलिक स्थिति तथा शहर की श्रेणी पर निर्भर करते हुए, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसार धनराशि मुहैया कराई जाती है:—

(i) परियोजनाओं की लागत का 35%/50%/80%/90% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा 100%, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जरिए किया जाएगा और

(ii) 65%/50%/20%/10% वित्तपोषण राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

(iii) धनराशि चार किस्तों में दी जाएगी।

- पहली किस्त करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तथा शहर विकास योजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद दी जाएगी।
- शेष राशि सुधार/लक्ष्य प्राप्त करने और परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर अनुवर्ती किश्तों में जारी की जाएगी।

4.8 मिशन के तहत जनसंख्या मापदंड के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधियां आबंटित की गई हैं। शहरी अवसंरचना तथा शासन घटक के लिए आवंटन का मापदंड, मिशन शहरों की शहरी जनसंख्या पर आधारित है। योजना आयोग ने जेएनएनयूआरएम के सभी घटकों के लिए समग्र मिशन अवधि अर्थात 2005-2012 के लिए 31,500 करोड़ रु॰ आबंटित किए हैं तथा मिशन अवधि के लिए जेएनएनयूआरएम के यूआईजी हेतु 31,500 करोड़ रुपए (फरवरी, 2009 में 6000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन सहित) आबंटित किए हैं।

राष्ट्रीय संचालन समूह

4.9 शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की सह-अध्यक्षता में मिशन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय संचालन समूह का गठन किया गया है। राष्ट्रीय संचालन समूह राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर चिन्हित सुधारों में अतिरिक्त सुधार जोड़ सकता है अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर श्रेणी ग के तहत शहरों/कस्बों (राज्य की राजधानियों के अलावा) को शामिल या हटा सकता है। तथापि मिशन के अन्तर्गत शहरों की संख्या 60 के आसपास ही रही।

4.10 अब तक राष्ट्रीय संचालन समूह की छह बैठकें हो चुकी हैं। छठी बैठक 24.11.2009 को आयोजित की गई थी।

शहरी सुधार

4.11 शहरी नवीकरण की संशोधित कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य शहरी प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना है ताकि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो सके तथा सृजित परिसंपत्तियों का उचित प्रकार से रखरखाव किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुधारों की कार्यसूची का कार्यान्वयन स्वीकृत करना अपेक्षित है। प्रस्तावित सुधारों की मुख्यत: दो श्रेणियां हैं:

(i) अनिवार्य सुधार

(ii) ऐच्छिक सुधार

4.12 सभी अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों को मिशन अवधि के अंदर राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

क्षमता विकास प्रयास — पहल

4.13 मूलभूत शहरी सुधारों और अवस्थापना परियोजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के साथ-साथ म्युनिसिपल स्टाफ और चुने गए प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण को शहरी अनिवार्यता माना जाता है। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं।

क. तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी)

4.14 मिशन शहरों में शहर स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों तथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल संगठनों के स्टाफ की क्षमता निर्माण को मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन के कार्य को करने के लिए प्राथमिकता के रूप में माना जाता है। इसके भाग के रूप में, मिशन निदेशालय ने तीन प्राथमिकता मोडयूल्स नामत: शासन और सुधार, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी का पर्यवेक्षण तथा परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन पर तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी) शुरू किया। 6 राष्ट्र स्तरीय संस्थानों को मोबाइल दलों का उपयोग करके शहरों में इन प्रशिक्षणों को आयोजित करने के कार्य में लगाया गया है। विभिन्न शहरों में 97 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह सूचित किया गया है कि मिशन शहरों से लगभग 1800 शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा स्टेटल स्टाफ और 2000 से अधिक चुने गए प्रतिनिधियों ने आरटीपी में सहभागिता की।

4.15 आर टी पी के अन्तर्गत कार्यान्वयन अनुभव और सीखे गये पाठों के आधार पर, शहरी विकास मंत्रालय ने, शेष मिशन अवधि के लिए समय में क्षमता निर्माण के द्वितीय चरण के लिए कार्यनीति तय की है। मिशन शहरों में क्षमता निर्माण के विकेन्द्रिकृत ढांचे को क्षेत्रीय हबों तथा जुड़े संस्थानों के साथ साझेदारी में, अभियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। आठ क्षेत्रों के लिए पारदर्शी निविदा पद्धति के आधार पर आठ (आर सी बी एच) क्षेत्रिय निर्माण संस्थान होंगे। आठों क्षेत्रों में से प्रत्येक की आवश्यकता के आधार पर (आर सी बी एच) का कार्य करने वाले संगठन, विशेषज्ञ संगठनों (नेटवर्क संगठनों) के साथ साझेदारी में अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे। जब, आर॰ सी॰ बी॰ एच॰, एक विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान को भी सहयोगी बनायेंगे, जिससे कि ए॰टी॰आई॰ में शहरी प्रबंधन और प्रशिक्षण की योग्यता विकसित हो सके।

ख. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

4.16 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन का प्रभावी रूप से समन्वयन करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु मिशन निदेशालय राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए सहायता दे रहा है।

4.17 पीएमयू स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता जून, 2007 में शुरू की गई थी। राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर मिशन निदेशालय ने 21 कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां अनुमोदित की हैं, जिसमें से, 13 राज्यों ने कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां स्थापित कर ली हैं तथा उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है।

ग. परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (पीआईयू)

4.18 मिशन निदेशालय नगरपालिका स्तर पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं एवं सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों (पीआईयू) की स्थापना के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। पीआईयू पर्यवेक्षणीय निकाय के स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों की मौजूदा दक्षता को बढ़ाने तथा पूरक प्रचालन यूनिट का कार्य करेगी। अवस्थित दक्षताओं के वृद्धि के लिए संचालन इकाई होगी।

4.19 मिशन निदेशालय ने 51 पीआईयू की स्वीकृति दी है जिनमें से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 41 पीआईयू स्थापित की जा चुकी है और इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है।

घ. टूल किटों का विकास और प्रसार

4.20 शहरी स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को प्रसार करने हेतु निम्नलिखित से संबंधित टूलकिटें तैयार की गई हैं:—

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीडीआर) तैयार करना
ii. हेरीटेज क्षेत्रों का विकास
iii. सामुदायिक भागीदारी कोष (सीपीएफ)
iv. सीडीपी और डीपीआर तैयार करने की लागत की पुनर्अदायगी।
v. परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति।
vi. कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू)
vii. परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू)
viii. नगरपालिकाओं में ई-गर्वेनेन्स पर नेशनल मोड परियोजना।
ix. शहरी विकास योजनाएं तैयार करने संबंधी संशोधित टूलकिट।

4.21 ये टूलकिटें मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं तथा अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करती हैं।

ङ पीयर एक्सपीरिएंस एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग (पर्ल)

4.22 ''पीयर एक्पीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग'' (पर्ल) कार्यक्रम मिशन शहरों के बीच नेटवर्किंग द्वारा परस्पर सीखने एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए प्रारंभ किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिशन ने समान सामाजिक-आर्थिक रूप रेखा एवं शहरी मुद्दों के साथ-साथ पीयर हेतु समरूप संबंधों वाले जे एन एन यू आर एम शहरों में समूह/नेटवर्क तैयार करने में सहायता की है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) को नेटवर्कों की स्वतंत्र स्वचालित प्रकृति को बनाए रखते हुए सभी नेटवर्कों के समन्वयन के लिए पर्ल कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयनकर्ता नियुक्त किया गया है और यह कार्यक्रम की सहायता तथा निगरानी में मिशन निदेशालय का सहयोग कर रहा है।

4.23 कार्यक्रम के अंतर्गत हेरीटेज शहरों के नेटवर्क में जानकारी के आदान-प्रदान से संबंधित कार्यशाला आयोजित की है। नेटवर्किंग तथा जानकारी आदान-प्रदान में टूल मुहैया कराने हेतु एक वेबसाइट संचालित की गई है। एलआईयूए ने शहरों के नेटवर्क के साथ जानकारी के आदान-प्रदान हेतु अनेक कार्यशाला आयोजित की है तथा ''पर्ल अपडेट'' नामक न्यूजलेटर प्रकाशित किया है।

च. जेएनएनयूआरएम शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग

4.24 शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए 69 शहरी स्थानीय निकायों (63 जेएनएनयूआरएम शहरों से) में क्रेडिट रेटिंग शुरू की गयी थी। इस प्रक्रिया में, क्रेडिट योग्यता का आकलन संभावित उधारदाताओं को संकेत देने के साथ,

शहरी स्थानीय निकायों की सापेक्ष क्षमता और वित्तीय प्रतिबद्धताओं जैसे ब्याज भुगतान, मूलराशि का पुनः भुगतान, दायित्वों आदि पर भी एक राय प्रदान करता है। इस समय तक, 65 शहरी स्थानीय निकायों को क्रेडिट रेटिंग दे दी गयी हैं, जिनमें से 38 यूएलबी को निवेश ग्रेड रेटिंग से सम्मानित किया गया। कुल 64 रेटिड शहरी स्थानीय निकायों में से, 43 यूएलबी को निगरानी रेटिंग्स तथा 41 यूएलबी का सक्षम रेटिंग्स दी गयी।

4.25 रेटिंग के प्रचार तथा शहरी स्थानीय निकायों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संपर्क में लाने हेतु चार कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

छ. नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना

4.26 इस मंत्रालय ने शहरी शासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट तैयार किया है। चूंकि स्थानीय सरकार नागरिकों एवं सरकार के मध्य प्रथम कड़ी होती है अतः यह पहल तीव्र शहरीकरण के कारण कस्बों एवं शहरों में लोगों को होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करेगी। यह सुधरी हुई सेवा देने, विकेन्द्रीकरण, उत्तम सूचना प्रबंधन एवं पारदर्शिता, सरकार में नागरिकों का जुड़ाव, स्थानीय सरकारों एवं नागरिकों के बीच अच्छी अंतक्रिया के साथ-साथ अन्य रुचि रखने वाले समूहों जैसे एनजीओ, सीबीओ, आरडब्ल्यूए आदि की सहायता करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि 35 शहरों, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, के लिए यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का भाग होगी।

4.27 तदनुसार, नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर एनएमएमपी पर दिशानिर्देश तैयार किया गया है और डीपीआर के प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यों/यूएलबी में वितरित की गई है। तब से विजयवाड़ा, हैदराबाद, पटना, नागपुर, कोच्चि, पिम्परी-चिंचवाड़, नवी मुंबई, उल्हासनगर, चेन्नई, धनबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा और तिरूवनंतपुरम शहरों हेतु नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस पर चौदह परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक-4.11 पर है।

परियोजनाओं और सुधारों की निगरानी

4.28 मिशन निदेशालय, परियोनजनाओं के कार्यान्वयन और सुधारों पर लगातार निगरानी रखेगा। इसके लिए निम्न कदम उठाये गये हैं:—

i. परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं सुधारों की निगरानी के लिए त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू॰पी॰आर॰) का सिस्टम तैयार किया गया है।

ii. केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति, प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी। चूने हुए राज्य/यूटी के प्रतिनिधियों को मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा और तेजी लाने के दृष्टिकोण से बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

iii. परियोजनाओं एवं सुधारों की प्रगति की समीक्षा शहरी सचिव (यूडी) द्वारा राज्यों के सचिव/प्रधान सचिवों (शहरी विकास) के साथ वार्षिक बैठक में की जाती है।

iv. सचिव (यूडी) द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्रिय समीक्षा बैठकें होती हैं।

v. सचिव (यूडी) द्वारा राज्यों/यूटी के मुख्य सचिवों को प्रतिमाह तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता के मुद्दों को नोटिस में लाने के अर्धशासकीय पत्र लिखे जायेंगे।

vi. मिशन निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों के कर्मियों को क्षमता निर्माण के लिए, जैसे तीव्र ट्रेनिंग प्रोग्राम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाईयों (पीएमयू) और यूएलबी स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (पीआईयू) की सहायता और राज्य स्तरीय स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) और सीडीपी और डीपीआर तैयार करने की लागत पुर्नअदायगी की टूलकिटें देना और तैयार करना आदि।

vii. सुधार मूल्यांकन एजेंसीयों को राज्य/यूएलबी क्रम में सुधार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सहायता देने के लिए कहा गया है।

viii. मिशन निदेशालय द्वारा सुधार प्रवेशिका तैयार की गयी और राज्य/यूएलबी सुधारों की समझ के लिए प्रसार किया गया है।

4.29 सीएसएमसी द्वारा नयी परियोजना या कोई दूसरी या निधि के लिए अगली किस्तों की स्वीकृति के समय, राज्य/यूटी के पहले से ही अनुमोदित योजनाओं के सुधारों और परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति को देखा जाता है।

स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए)

4.30 आईआरएमए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए राज्यों द्वारा नियुक्त की जाने वाली एजेंसियां हैं, ताकि जारी की गई धनराशि का उद्देश्यपूर्ण और समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सके। आईआरएमए की नियुक्ति के लिए केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के प्रस्ताव सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, नागालैंड, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान में आईआरएमए स्थापित कर दी गयी हैं। बिहार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आईआरएमए की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

सामुदायिक भागीदारी का विकास

(i) सिटी वालंटरी टेक्नीकल कॉर्प्स (सीवीटीसी) की स्थापना

4.31 सिटी वालंटरी टेक्नीकल कॉर्प्स (सीवीटीसी) शहरों क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों का स्वैच्छिक समूह है। यूएलबी के अनुरोध पर, राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजी) उनकी स्थापना में सहायता कर रहा था।

4.32 मंत्रालय ने सभी मिशन शहरों में सात क्षेत्रों—शहरी अभियांत्रिकी, शहरी योजना, शहरी गरीबी, शहरी शासन, शहरी पर्यावरण, शहरी विरासत और वित्तीय सेवाओं में व्यावसायिकों द्वारा सीवीटीसी के निर्माण में सहायता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं:—

जेएनएनयूआरएम की संपूर्ण योजना में सीवीटीसी की अपेक्षित भूमिका में निम्न शामिल हैं:—

(क) सेवा प्रदान करने में सामुदायिक भागीदार को सूचीबद्ध करने पर शहरी शासन एवं प्रबंधन दल को परामर्श देना;

(ख) निर्धनता निवारण कार्यक्रम बनाना;

(ग) जेएनएनयूआरएम के कार्यक्रम कार्यान्वयन में नागरिकों की जवाबदेयता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना; और

(घ) वार्ड समितियों, क्षेत्रीय सभाओं इत्यादि द्वारा निम्न स्तर पर नागरिकों को शामिल किए जाने को सूचीबद्ध करने में सहायता करना।

(ii) सामुदायिक सहभागिता कोष

4.33 मिशन निदेशालय द्वारा 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक संग्रह के साथ 4.6.2007 को सामुदायिक सहभागिता कोष (सीपीएफ) स्थापित किया गया है जिसमें मिशन अवधि के शेष वर्षों के दौरान परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक सीपीएफ के अंतर्गत 48 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

4.34 मिशन शहर, सुधार एजेंडा के भाग के रूप में, उचित नीतियों एवं परियोजनाओं के जरिए पीपीपी के प्रोत्साहन को सम्मिलित करने के लिए सहमत हो गए हैं। बहुत से राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल एवं गुजरात ने पीपीपी नीति को स्वीकार कर लिया है। असम एवं पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों में अवस्थापना परियोजनाओं के लिए पीपीपी के प्रोत्साहन हेतु पीपीपी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है। इंदौर, वडोदरा, पुणे एवं अहमदाबाद ने सिटी बस सेवाओं की स्थापना के लिए पीपीपी की पहल की है। परियोजनाओं का अनुमोदन करते समय उन क्षेत्रों में जहां पर यह व्यावहारिक हो, में सरकारी निजी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रारंभ से यूआईजी के अंतर्गत प्रगति

4.35 जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत 61156.98 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित लागत की कुल 546 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जहां वचनबद्ध एसीए 28299.30 करोड़ रुपए है। 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-

क्षेत्रों के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं एसीए के रूप में 16042.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और बसों का वित्त पोषण, सामुदायिक भागीदारी एवं ई-गवर्नेंस और सीडीपी और डीपीआर की लागत के पुनर्भुगतान के लिए कुल 17341.49 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गयी। राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या का विवरण एवं अन्य विवरण **अनुलग्नक-4.III** में है। विभिन्न मिशन शहरों की परियोजनाओं के लिए यूआईजी आवंटन का 90% (31,500 करोड़ रुपये) से अधिक निर्धारित किया गया है। बसों को खरीदने के लिए अनुमोदित राशि जोड़ने पर, तो यूआईजी का प्रतिबद्ध सीए 95% हो जायेगा। इस तिथि तक 126 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं।

सुधारों की प्रगति

4.36 राज्यों एवं शहरों के लिए राज्य स्तर तथा यूएलबी स्तर पर अनेक अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधार करना अपेक्षित है। सभी वैकल्पिक सुधार किये जाने हैं ये सुधार इस अर्थ में तभी वैकल्पिक हैं जब इन्हें राज्य अथवा शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा किये जाएं। ये सभी सुधार मिशन अवधि के भीतर पूरे किए जाने हैं।

बसों का वित्तपोषण

4.37 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 4723.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15260 बसों की खरीद की मंजूरी प्रदान की गई है। 2088.90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वचनबद्धता की गई है जिसमें से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1238.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

1.04.2011 से 31.01.2012 तक स्थिति

4.38 वर्ष 2011-12 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति निम्न प्रकार थीं:—

1. 672.75 करोड़ रुपए की लागत की 14 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध एसीए 370.76 करोड़ रुपए है।
2. जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए एसीए के रूप में उपर्युक्त अवधि के लिए 2900.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
3. आइजोल के लिए 12.00 लाख रु॰ की लागत से एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
4. 1103.09 करोड़ रु॰ की अनुमोदित लागत से 21 परियोजनाएं [जल आपूर्ति क्षेत्र की 4 परियोजनाएं, सीवरेज-1 परियोजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-1, जल निकास-4 और एम आर टी एस+आर ओ बी+ओ टी-11 परियोजनाएं] के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना है।
5. 23.78 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वचनबद्धता के साथ 43.29 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 5 ई-गवर्नेंस से संबंधित परियोजना मंजूर की गई है।

राजकोट गुजरात ठोस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र

राजकोट गुजरात ठोस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पूरक प्रयासों के लिए अन्य पहल

(i) सेवा स्तर के बैंच मार्क:

4.39 यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलापूर्ति, अपशिष्ट जल, अपवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-शासन, और शहरी परिवहन जैसी कुछ मूलभूत सेवाओं में सेवा डिलीवरी के समान रूप से स्वीकार्य मानकों को शहर पूरा करें, शहरी विकास मंत्रालय ने सेवा स्तर के बैंच मार्क स्थापित किए हैं, जो उपर्युक्त मूलभूत सेवाओं में सेवा डिलीवरी के मानकों का निर्धारण करते हैं। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के बैंच मार्क सेट की दिशा में बढ़ने की संभावना है।

(ii) राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति:

4.40 पूरे देश में एकरूपता की दृष्टि से, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति जारी की गई है और राज्य स्तरीय रणनीति और शहरी स्वच्छता योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(iii) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति:

4.41 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की गई है और सभी राज्यों को परिचालित की गई है और शहरों को व्यापक मोविलिटी योजना तैयार करनी होगी। राज्यों को भी यूनीफाइड मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी (यूएमटीए) की स्थापना करनी होगी।

4.42 शहरी अवसंरचना सेवाओं के लिए विनियोग जरूरतों के अनुमान के लिए मई, 2008 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) ने अपनी रिपोर्ट में विशिष्टीकृत सेवाओं के अनुरूप लोक सेवाएं उपलब्ध कराने और विकास प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए बड़े पैमाने पर विनियोग जरूरतों का अनुमान लगाया गया था। इन विनियोगों के वित्तदायी चुनौतियों को भारत के शहरों और नगरों के विनियमन की चुनौतियों के साथ जटिलता से जोड़ा गया है। समिति ने विनियमन और वित्तीयन के लिए एक ढांचे का प्रस्ताव किया है, जिससे नगर निगम, म्यूनिसिपलिटि, नगर पंचायत गरीबों सहित सभी को विशिष्टीकृत मानकों की लोक सेवाओं की डिलीवरी का उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सकेंगी। ऐसा करते समय, वे जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को इसे कार्य रूप देने में अपनी प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

4.43 जेएनएनयूआरएम के लिए मध्यावधि अभिकरण के रूप में ग्रांट थोरनटल इंडिया को नियुक्त किया गया था। इस मूल्यांकन में यूआरजी शहरों और यूआईडीएसएसएमटी नगरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यूआईजी के अंतर्गत 30 राज्यों के 41 शहरों और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 18 राज्यों के 25 नगरों का एक नमूना दोनों और मूल्यांकन के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए चयन किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम होना चाहिए। साफ्ट लोन अथवा अनुदान के रूप में दी जा रही वित्तीय शुरूआत की जरूरतों पर निर्णय किया जाना चाहिए और जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की शर्तों का पालन होना चाहिए।

- दोनों मंत्रालयों के लिए एक ही मिशन निदेशालय पर विचार किया जाना चाहिए।
- केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) तथा निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) जैसे अभिकरणों में स्टाफ की कमी है और मिशन की अवधि के दौरान तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इनके सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- शहरी विकास योजना (सीडीपी), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीडीपी और डीपीआर का मूल्यांकन, परियोजनाओं की मंजूरी, परियोजना कार्यान्वयन की पुनरीक्षा और निगरानी की तैयारी करने के समय से ही निरूपित प्रणालियां और प्रक्रियाएं भलीभांति परिभाषित हैं और राज्यों के विभिन्न पहलुओं तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में जेएनएनयूआरएम के लिए टूल किटों में दर्ज है।
- सीडीपी को संशोधित करने के लिए केवल कुछ ही शहरों में कदम उठाए हैं। बहुत से राज्यों में संस्थात्मक क्षमता के अभाव के कारण सीडीपी और डीपीआर तैयार करने में यूएलबी की भागीदारी न्यूनतम रही है।
- अधिकतर डीपीआर को प्रारंभिक पर्यावरणीय अध्ययनों (आईईएस) और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) से समर्थन नहीं मिलता है। हितधारियों के साथ परामर्श सीमित रहा और ज्यादातर तो संबंधित विभागों और पारसटाटल अभिकरणों तक ही सीमित रहा।
- अधिकांश राज्यों के पास अधिप्राप्ति की नीति नहीं है अथवा अधिप्राप्ति मैन्युअल नहीं है। राष्ट्र स्तरीय अधिप्राप्ति मैन्युअल तैयार किए जाने चाहिएं। जिनका जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के लिए सभी प्रकार की अधिप्राप्तियों के लिए पालन किया जाना चाहिए।
- परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया दो चरणों में विभक्त होनी चाहिए, सिद्धांत रूप में अनुमोदन का चरण और प्रस्तावित परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करने की विद्यमान प्रक्रिया के प्रति सैद्धान्तिक अनुमोदन चरण और अंतिम अनुमोदन चरण। शहरी विकास मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं करेगा, जहां भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जब तक राज्य इस बात की पुष्टि न कर दे।
- सुधार प्राइमरों को तैयार करने के लिए प्रारम्भिक तैयारी की अवधि जो मिशन अवधि में शामिल हो गई है और जिसमें और बहुत से प्राइमर बाद में भी जोड़े जा रहे हैं। चूंकि 23 सुधारों के कार्यान्वयन के लिए कोई निधि आरक्षित नहीं रखी गई है, इसलिए बहुत से यूएलसी कई सुधारों के कार्यान्वयन निधियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- सम्पत्ति कर ढांचा या तो क्षेत्रफल आधारित प्रणाली के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए या फिर पूंजी मूल्य आधारित प्रणाली के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।
- पूल वित्त दायी तंत्र प्रणाली, शहरी विकास निधियां और लिवरेजिंग जरूरतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- क्षमता निर्माण के प्रबोधन पर किसी ऐसे अभिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जो सुधारों और परियोजनाओं से संबंधित मूल्यांकन और प्रबोधन अभिकरणों के समरूप हों, क्योंकि ज्यादातर यूएलबी के पास परियोजना तैयार करने का कार्य करने के लिए कोई तंत्र प्रणाली और अपेक्षित कौशल नहीं है।
- राज्य स्तर पर म्यूनिसीपल और व्यावसायिक संवर्ग का निरूपण आवश्यक है। महत्वूपर्ण स्टाफ के लिए कालावधि के स्थामित्व कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राज्यों द्वारा राज्य में प्रारंभ की जा रही पीपीपी परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय पीपीपी नीति तैयार करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य के लिए डाटा केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिए।

(iv) शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण के संबंध में ब्रीफ (सीबीयूडी) परियोजना

4.44 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत राज्यों और शहरों द्वारा प्रारंभ की गई सुधार शुरूआतों में अधिक गति लाने के लिए, शहरी विकास और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों ने यूएस डालर 60 मिलियन रुपए की राशि आईडीए ऋण के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) नामक एक नई परियोजना प्रारंभ की है। यह ऋण शहरी विकास मंत्रालय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच 60:40 के अनुपात में बांटा जाएगा।

4.45 सीबीयूडी परियोजना का लक्ष्य शहरी विकास की प्रमुख बाधाओं के समाधान में मदद करना है और सफल शहरी प्रबंधन और गरीबी को कम करने के लिए क्षमता निर्माण जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना है। यह परियोजना भारत सरकार के आर्थिक दृष्टि से उत्पादक, दक्ष, समान स्वरूप के और प्रतिक्रियाशील शहरों के निर्माण के उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में सहयोग करना है:

- शहरी सुधार एजेंडा को प्रचालनात्मक और संस्थात्मक बनाना;
- नीति, संस्थात्मक सुधार और सुधार प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण; और
- गवर्नेंस, आयोजना, सेवा डिलीवरी और म्यूनिसीपल वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल सुधार।

4.46 शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना पांच वर्षों अर्थात पहली नवम्बर, 2011 से 30 जून, 2016 के बीच कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का लक्ष्य शहरी प्रबंधन और गरीबी में कमी लाने से संबंधित सहायता के व्यापक पैकेज के लिए लगभग 27 यूएलबी हैं। इस परियोजना के दो घटक हैं:

(क) सुदृढ़ीकृत शहरी प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण: इस घटक के अंतर्गत कई शहरी प्रबंधन सुधार क्षेत्रों में यूएलबी को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस घटक का कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर शहरी विकास मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित सुधार क्षेत्रों के अंतर्गत सहायता प्रदान भी जाएगी:

- वित्तीय प्रबंधन सुधार: लेखांकन बजटिंग, व्यय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रक, जिसमें राजस्व प्राप्ति और सम्पत्ति प्रबंधन सम्मिलित है;
- शहरी आयोजना: शहरी आयोजना प्रक्रिया, भूमि प्रबंधन, जिसमें गरीबी आयोजना पश्च दृष्टिकोण सम्मिलित है;
- सेवा डिलीवरी: पूंजी बाजार पहुंच, सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) निष्पादन आयोजना और बैंच मार्किंग; और
- गवर्नेंस: यूएलबी और नागरिकों के बीच अंत:क्रियाओं में सुधार और कौशल विकास।

(ख) प्रभावी शहरी गरीबी निगरानी और उपशमन के लिए क्षमता निर्माण: घटक के अंतर्गत निर्मित सूचना प्रणालियां, अनुभवों का आदान-प्रदान और शहरी गरीबी उपशमन से संबंधित नीतियों से अभिकल्पन के कार्य में सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। यह घटक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्य के अधीन होगा। इस परियोजना के निम्नलिखित उप घटक होंगे:—

- चैलेंज निधियों का प्रचालन: मान्यता प्रदान करने, शहरी गरीबी उपशमन में रैप्लीकेटिंग और अच्छी पद्धतियों के उप स्केलिंग में यू एल बी की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- प्रेक्टिशनर्स नेटवर्क का सृजन: सूचना बंटवारे और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेक्टिशनर्स के नेटवर्क का गठन करने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- शहरी प्रबंधन शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण: शहरी गरीबी में कमी और सेवा डिलीवरी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- सामुदायिक विकास नेटवर्क का विकास: पडौस समूहों के सृजन सहित सामुदायिक विकास नेटवर्क का विकास करने के लिए शहरों को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ताकि ग्रांउड स्तर पर आर ए वाई गतिविधियों के कार्यान्वयन का सरलीकरण किया जा सके।
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का सुदृढ़ीकरण: आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और यूएलबी में नीति विश्लेषण और विकास तथा व्यापक एम एंड ई प्रणाली के निर्माण के लिए सहायता।

2. छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी)

4.47 पूर्ववर्ती छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) स्कीम एवं त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

को सम्मिलित करके दिसंबर, 2005 में जेएनएनयूआरएम के उप घटक के रूप में छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) की शुरूआत की गई। इस स्कीम के उद्देश्य निम्न हैं:—

(क) अवस्थापना सुविधाओं में सुधार एवं शहरों तथा कस्बों में स्थायी सरकारी परिसम्पत्ति एवं गुणवत्ता आधारित सेवाओं के निर्माण में सहायता करना।

(ख) अवस्थापना विकास में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ाना।

(ग) कस्बों/शहरों के नियोजित एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देना।

4.48 यह योजना 2005-06 शुरू होकर सात वर्षों के लिए है। 2001 की जनगणना के अनुसार, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शामिल शहरों /कस्बों के अलावा सभी शहर/कस्बे इस योजना में शामिल किए जाने योग्य हैं। योजना के अंतर्गत सहयोग के लिए घटकों में जलापूर्ति, स्वच्छता सहित शहरी अवस्थापना विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सात वर्षीय मिशन अवधि (2005-12) के लिए 6400.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है जिसमें 2008-09 के दौरान 5,000.00 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं।

4.49 योजना के प्रारंभ से लेकर 31.12.2011 तक 660 कस्बों में धनराशि जारी करने के लिए 13567.55 करोड़ रु॰ की अनुमोदित लागत से 787 परियोजनाएं अनुमोदित कि गई है और 10886.52 करोड़ रु॰ के केन्द्रीय अंश की वचनबद्धता की गई है जिसके लिए 7808.13 करोड़ रु॰ की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय प्रावधान अनुबंध-1 पर दिया गया है।

4.50 कुल अनुमोदित परियोजना में से सूची में सबसे उपर जलापूर्ति की परियोजनाएं हैं। उसके बाद सड़क, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन आदि की परियोजनाएं हैं। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार अंतर्गत लायी गई घटकवार परियोजनाओं की संख्या और एसीए निर्मुक्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:—

(रु॰ करोड़ में)

क्रम सं॰	घटक	परियोजनाओं की संख्या	कुल प्रतिशत	जारी ए सी ए
1	जलापूर्ति	437	62.32	5156.79
2	सीवरेज	97	21.44	1475.56
3	बरसाती जल निकास	64	5.41	439.53
4	जलाशयों का संरक्षण	10	0.24	16.07
5	ठोस कचरा प्रबंधन	56	2.53	161.93
6	शहरी नवीकरण/विरासत	10	0.31	18.99
7	मृदा अपरदन का उन्मूलन	1	0.01	1.51
8	पार्किंग	1	0.00	0.30
9	सड़क	111	7.73	537.46
	कुल	**787**	**100**	**7808.13**

4.51 जैसा कि योजना के अंतर्गत आवश्यक है, उन सभी राज्यों, जिन्हें एसीए उपलब्ध करायी गई है, ने राज्य/पैरास्टेटल/यूएलबी स्तरों पर शहरी क्षेत्र सुधारों के लिए भारत सरकार के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार, सुधार एजेंडे का कार्यान्वयन सहमत समय सीमा के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक प्रगति

1. 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश में 21, गुजरात में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 1, राजस्थान में 8, महाराष्ट्र में 1 और तमिलनाडु में 86, उत्तर प्रदेश में 4 और पश्चिम बंगाल में 3) में 142 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं।
2. 142 पूर्ण परियोजनाओं में से जलापूर्ति की 78, बरसाती जल निकास की 9, सड़कों की 52 और जल प्रबंधन, शहरी नवीकरण/विरासत तथा मृदा अपरदन उन्मूलन की एक-एक परियोजनाएं है।
3. 645 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
4. 26 राज्यों से 3644.19 करोड़ रु॰ राशि के 553 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 375 परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त के रूप में 2337.26 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।
5. अब तक कुल 787 अनुमोदित परियोजनाओं में से अल्प संख्यक आबादी वाले कस्बों के लिए 2620.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 108 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। अल्पसंख्यक आबादी वाले कस्बों के लिए परियोजना लागत का प्रतिशत कुल परियोजना लागत की तुलना में 20.27 प्रतिशत बनता है।

वर्षा जल अपवहन प्रणाली, भुवनेश्वर

1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक की प्रगति का पूर्वानुमान

1. चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 की शेष अवधि के दौरान चल रही परियोजनाओं पर कार्य जारी रहेगा।
2. यू आई डी एस एस एम से योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित।
3. चूंकि अधिकांश राज्यों के लिए आबंटन समाप्त हो चुका है अत: इसके बाद बिहार, नागालैण्ड, हरियाणा और झारखंड जिनके लिए शेष आबंटन उपलब्ध है, को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2011-12 की शेष अवधि के दौरान कोई नई परियोजना शामिल नहीं की जाएगी।
4. चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम तिमाही के दौरान 268 उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने की आशा है।
5. चालू वित्तीय वर्ष अंतिम तिमाही के दौरान, यह संभावना है, कि 6वें वर्ष तक वचनबद्ध सभी सुधार राज्यों द्वारा प्राप्त कर लिए जायेंगे, जो परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयोग प्रमाण पत्र भेजने में समर्थ होंगे और दूसरी किस्त का उपयोग कर सकेंगे।

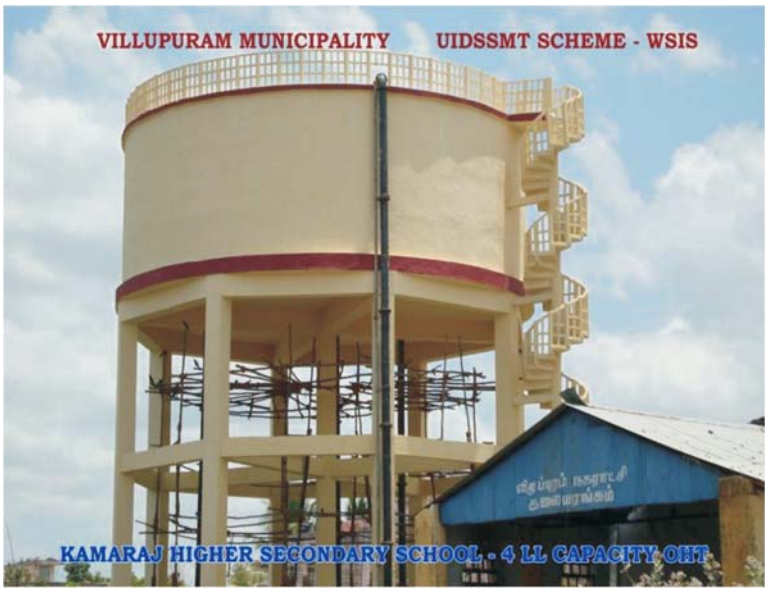

3 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)

4.52 शहरी विकास मंत्रालय ने देश में 152 कस्बों/शहरों के लिए दो मापों यथा 1:10000 तथा 1:2000 में प्रायोगिक आधार पर जीआईएस डाटा बेस तैयार करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) शुरू की है। इसके अतिरिक्त, 22 नगरों के लिए 1:1000 स्केल पर उपयोगिता मानचित्रण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

4.53 एनयूआईएस स्कीम में मोटे तौर पर दो घटक अर्थात् शहरी सांस्थानिक सूचना प्रणाली घटक और राष्ट्रीय शहरी डाटाबेस एवं संकेतक शामिल है। इस प्रकार सृजित स्थानिक एवं विशेष डाटाबेस मास्टर/विकास योजनाएं, विस्तृत शहरी योजना स्कीमें तैयार करने में मदद मिलेगी और ई-गर्वनेंस के लिए निर्णय सहायता के रूप में कार्य करेगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:— (क) शहरी आयोजन के विभिन्न स्तरों के लिए स्थानिक एवं विशेष डाटाबेस तैयार करना, (ख) आधुनिक आंकड़ा स्रोतों का उपयोग, (ग) मानक विकसित करना, (घ) शहरी सूचकांक तैयार करना और (ङ) क्षमता निर्माण।

4.54 इस स्कीम का कुल परिव्यय 66.28 करोड़ रु० है जिसमें से 75 प्रतिशत की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और 25 प्रतिशत की राशि समान अंश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। सांस्थानिक आंकड़ों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून, द्वारा किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, भारतीय सर्वेक्षण के बीच डाटा सृजन हेतू एक समझौता ज्ञापन पर 13 मार्च 2006 को हस्ताक्षर हुए। मानचित्रण एवं जी आई एस डाटा बेस सृजन हेतु भारतीय सर्वेक्षण को केन्द्रीय अंश की 16.24 करोड़ एवं 7.94 करोड़ रु० की दो किस्तें जारी की गई हैं।

4.55 इस तिथि तक 32 राज्यों (5 केन्द्रशासित प्रदेशों सहित) ने मानचित्रण एवं जीआईएस डाटाबेस के सृजन के लिए भारतीय सर्वेक्षण को राज्य का हिस्सा जारी कर दिया है। तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं उत्तराखण्ड को इस स्कीम से हटा दिया गया है। एक राज्य के लिए एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू एवं 2 राज्यों के लिए एनयूडीबी एवं आई केंद्रीय अंश की द्वितीय किस्त चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में जारी की गई है।

4.56 भारतीय सर्वेक्षण ने 1 : 10000 माप के मानचित्रण के लिए सभी 152 कस्बों के लिए सेटेलाइट के चित्र प्राप्त किए हैं। विशेष डाटा बेस सृजन 1 : 10000 के पैमाने पर 125 कस्बों के लिए पूरा किया गया है और वित्तीय वर्ष के दौरान 92 कस्बों के आंकड़े एसएनओ को जांच हेतु भेजे गए हैं। 133 कस्बों के लिए आसमान से लिए गए चित्र प्राप्त हुए हैं। 99 कस्बों के लिए 1 : 2000 के पैमाने पर डाटा-बेस तैयार कर जांच हेतु एसएनओ को भेजे गए हैं। एनयूडीबी एण्ड ए आंकड़ों का संग्रहण 23 राज्यों, 113 कस्बों के लिए तैयार किया गया है।

इस स्कीम के संबंध में संचयी व्यय नीचे दिया गया है :—

(रु॰ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	संचयी वास्तविक व्यय
2005–06	25.00	–	16.24
2006–07	24.00	–	18.53
2007–08	9.00	–	26.46
2008–09	0.50	2.0	28.45
2009–10	1.00	–	29.45
2010–11	4.46		33.73
2011–12	2.00*	–	34.00
कुल (एनयूआईएस स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय अंश)			**34.00**

** चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान अभी तक 2.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है और 26.60 लाख रुपए व्यय किए गए है। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आबंटित 200 करोड़ रुपये में से 1.50 करोड़ रुपए वापिस किए गए। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित निधि 0.50 करोड़ रुपए होगी।*

4. सात बड़े शहरों में सेटेलाइट टाउन में शहरी अवस्थापना हेतु योजना

4.57 शहरी विकास मंत्रालय सात मेगा शहरों के आसपास सेटेलाइट कस्बों में शहरी बुनियादी सुविधाओं की एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

1. सात मेगा शहरों के आसपास सेटेलाइट कस्बों/काउन्टर मेगनेट में शहरी बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवरेज, जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन आदि का विकास करना और उनके भावी विकास का मार्ग प्रशस्त करना ताकि मेगा शहरों पर उनके दबाव को कम किया जा सके;
2. राष्ट्रीय भवन संहिता, जल एवं गंदा जल उपयोगी सेवाओं का जल एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा के अनुपालन में ई-शासन, संपत्ति कर, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि, निर्वाध वातावरण का सृजन जैसे सुधारों का कार्यान्वयन एवं सर्विस लेवल बैंच मार्क का कार्यान्वयन करना;
3. सुधारों के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण जैसे उचित उपभोक्ता प्रभार का अधिभार, आधारभूत सुविधाओं हेतु बजट का निर्धारण एवं शहरी गरीबों के लिए आवासीय स्थल का कम से कम 10–15%, आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपनियम तैयार करना, जल पुनर्भरण, अपशिष्ट जल का पुन:उपयोग एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

4.58 इसके अतिरिक्त, इस स्कीम में शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर निम्न सुधारों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया गया है:

- लेखा की आधुनिक, अक्रूअल आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपनाना।
- विभिन्न शहरी सेवाओं के लिए आईटी आवेदनों का प्रयोग करते हुए एक सिस्टम, भौगोलिक सूचना सिस्टम (जीआईएस) और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का आरम्भ एवं नागरिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- वसूली क्षमता को 85 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से संपत्ति कर में सुधार एवं इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंध।

- उपभोक्ता प्रभारों की तर्कसंगत उगाही, इस उद्देश्य को लेकर की सात वर्ष में परिचालन एवं रखरखाव की पूरी कीमत वसूली जाएगी।
- शहरी गरीबी के लिए आधारभूत सेवाओं के लिए बजट का आंतरिक निर्धारण।
- शहरी गरीबों के लिए आवासीय स्थलों का निर्धारण।
- उप नियम तैयार करना, जिनमें आपदा प्रबंध, वर्षा के पानी का उपयोग, गंदे पानी का पुन:उपयोग खुला पर्यावरण एवं संरचनात्मक सुरक्षा समाविष्ट होंगे एवं राष्ट्रीय भवन कोड का सख्ती से अनुपालना भी होगी।
- सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का कार्यान्वयन।
- सामुदायिक भागीदारी कानून का कार्यान्वयन।

4.59 सैटेलाइट टाउन का चयन, शहरी सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। प्रथम चरण में सात महानगर को शामिल किया जा रहा है और जल आपर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता एवं योजना के अंतर्गत चिन्हित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कस्बों को अभिज्ञात किया गया है:—

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	सेटलाइट शहर
1.	आन्ध्र प्रदेश	विकाराबाद
2.	गुजरात	सानन्द
3.	हरियाणा	सोनीपत
4.	कर्नाटक	होस्कोट
5.	महाराष्ट्र	वसाई-विरार
6.	तमिलनाडु	श्रीपेरूमबुदुर
7.	उत्तर प्रदेश	पिलखुआ
8.	पश्चिम बंगाल	न्यू टाउन

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि
1.	वसाई विरार के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3172.64
2.	सोनीपत शहर के लिए म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	2496.00
3.	रैनी वैल द्वारा जल आपूर्ति में वृद्धि, सोनीपत	6958.00
4.	भूमिगत अपवहन प्रणाली, विकाराबाद	6474
5.	जल आपूर्ति सुधार योजना, विकाराबाद	7009
6.	पिलखुआ सिवरेज योजना	3687.51
7.	पिलखुआ शहर के लिए म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	897.7
8.	पिलखुआ शहर के लिए जल आपूर्ति का पुन: संगठन	2167.55
9.	सानंद नगर पालिका की सीवरेज प्रणाली	5848.68
10.	सानंद नगर पालिका के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	213.62
11.	सानंद नगर पालिका की जलापूर्ति प्रणाली	3320.86

6. साझा वित्त विकास निधि स्कीम

4.60 केन्द्र सरकार द्वारा एक साझा वित्त विकास निधि स्कीम (पीएफडीएफ) का गठन किया गया है जिसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य स्तरीय पूल वित्त तंत्र के माध्यम से उनकी ऋण साख के आधार पर बाजार ऋण मुहैया कराया जा सकेगा। पीएफडीएफ के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

* उपयुक्त क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की वित्तीय संरचना के जरिए भरोसेमंद शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना। भरोसेमंद परियोजनाओं का पीएफडीएफ के संबंध में आशय उन परियोजनाओं से है, जो उपयुक्त साख संवर्धन उपायों से इस प्रकार संरचित की गई हैं, जिससे वे योग्यता निर्धारक एजेंसियों और क्षमतावान निवेशकों की संतोषजनक बाजार ऋण सेवाओं के लिए क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

* चिन्हित शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक अथवा अधिक अभिज्ञात शहरी स्थानीय निकायों की ओर से पूल वित्तीय बाण्डों के जरिए पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए राज्य पूल वित्त एजेंसियों को ऋण संवर्धन अनुदान प्रदान कर महत्वपूर्ण नगर अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजी और वित्तीय बाजारों तक शहरी स्थानीय निकायों की पहुंच सुविधाजनक बनाना।

* उपयुक्त ऋण संवर्धन उपायों से और मौजूदा मंहगे ऋणों की पुनर्संरचना के जरिए स्थानीय निकायों को उधार देने की लागत को कम करना।

* नगर बाण्ड बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाना।

4.61 2011-12 के दौरान, इस योजना के लिए 0.01 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई राशि व्यय नहीं की गई थी। 12वीं योजना के लिए 2500.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

शहरी विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

शहरी विकास संबंधी भारत-जापानी कार्यदल

4.62 जापान और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिसम्बर, 2006 में घोषित जापान-भारत नीति व ग्लोबल भागीदारी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों द्वारा शहरी विकास के क्षेत्र में कार्यदल का गठन किया जाना था, के अनुसरण में भारत और जापान के मध्य शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई दिल्ली में दिनांक 1.5.2007 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री तथा जापान सरकार की ओर से जापान सरकार के भूमि, अवस्थापना तथा परिवहन मंत्री ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य दल की बैठक वर्ष में एक बार होगी और इसकी पहली बैठक जापान में होगी तथा दूसरी व बाद की बैठकें विकल्पत: भारत और जापान में होंगी। कार्यदल के सह-अध्यक्ष सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा उप मंत्री इंजीनियरिंग अफेयर्स, भूमि, अवस्थापना तथा परिवहन मंत्रालय, जापान सरकार होंगे। जल पर्यावरण, शहरी विकास तथा शहरी परिवहन संबंधी अलग-अलग उप कार्य दल होंगे। प्रत्येक उप कार्य दल द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित कार्य किए जाएंगे:-

(1) **जल पर्यावरण संबंधी उप कार्यदल**
*शहरी बाढ़ नियंत्रण, सीवरेज तथा गंदा पानी प्रबंधन।

(2) **शहरी विकास संबंधी उप कार्यदल**
*शहरी नवीकरण तथा आपदा राहत (इसमें जल पर्यावरण संबंधी उप कार्य दल से संबंधित विषय शामिल नहीं होंगे)।

(3) **शहरी परिवहन संबंधी उप कार्यदल**
*शहरी परिवहन आयोजना, सार्वजनिक शहरी परिवहन का विकास, सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली।

4.63 भारत–जापान संयुक्त कार्यदल की पांच बैठकें अब तक टोक्यो में तीन बार और नई दिल्ली में दो बार हुई हैं। भारत–जापान संयुक्त कार्यकारी दल की 5वीं बैठक टोक्यो में 15–09–2011 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में भारत एवं जापान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया शहरी विकास के क्षेत्र में आगे और घनिष्ठ सहयोग करने का संकल्प किया गया। आईटीएस पर एक सम्मेलन फरवरी, 2012 में बंगालूरू में आयोजित किया गया और सर्वेक्षण मिशन ने स्वच्छता और शहरी अवसंरचना में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का दौरा किया। भारत–जापान संयुक्त कार्यकारी समूह की छठी बैठक नई दिल्ली में 2012 में आयोजित होगी।

अनुलग्नक–4.1

जेएनएनयूआरएम में शामिल शहरों की सूची

क्र॰ सं॰	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना अनुसार आबादी (लाख में)
(क)	4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
(ख)	मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर (एक मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर/शहरी समूह)		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयमबटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04

क्र॰ सं॰	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना अनुसार आबादी (लाख में)
23.	आसनसोल	पश्चम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
(ग)	चुनिंदा शहर/शहरी समूह (यूए) (राज्य राजधानियां और धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के अन्य शहर और शहरी समूह (यूए)		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरुवनंतपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलाँग	मेघालय	2.68
11.	आईजोल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर–पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तराखण्ड	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23

क्र॰ सं॰	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना अनुसार आबादी (लाख में)
27.	हरिद्वार	उत्तराखण्ड	2.21
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31
29.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	2.28
30.	पोरबंदर	गुजरात	1.58

अनुलग्नक–4.11

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं की सूची

(` लाख में)

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र सं॰	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी हेतु प्रस्तावित एसीए
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	नगरपालिकाओं में ई–शासन	06–फरवरी–09	402.76	201.38	50.35
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन में ई–शासन अनुप्रयोग का कार्यान्वयन	21–जून–11	1,271.16	444.90	111.23
3.	बिहार	पटना	एनएमएमपी के अंतर्गत ई–शासन परियोजना	08–नव॰–11	1,369.50	684.75	171.19
4.	महाराष्ट्र	नागपुर	नगर पालिकाओं में ई–शासन	06–फरवरी–09	1,345.25	672.63	336.30
5.	केरल	कोच्चि	कोच्चि नगर पालिकाओं में ई–शासन	29–मई–09	870.50	435.52	108.80
6.	महाराष्ट्र	पीसीएमसी	पुणे, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र पुणे) नगर पालिकाओं में ई–शासन	29–मई–09	924.50	462.25	231.12
7.	महाराष्ट्र	नवी मुम्बई	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत नवी मुम्बई नगर पालिकाओं में ई–शासन	26–जनवरी–09	1,511.10	528.89	132.22
8.	महाराष्ट्र	उल्हासनगर	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उल्हास नगर नगर पालिकाओं में ई–शासन	26–जनवरी–09	562.19	196.77	49.19
9.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई कारपोरेशन में ई–शासन	22–जनवरी–10	1,206.69	422.34	105.59
10.	झारखंड	धनबाद	धनबाद नगर परिषद में पायलेट सहित झारखण्ड में ई–नगर पालिका का कार्यान्वयन	23–जुलाई–10	2,006.59	1,003.00	250.82
11.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	राज्य–वाइड कम्प्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एंटीटीज (यूपीस्केल)	20–दिस॰–10	2,361.79	1,180.90	295.22
12.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	एनएमएमपी के अंतर्गत ई–शासन परियोजना	08–नव॰–11	145.18	72.59	18.15
13.	उत्तर प्रदेश	आगरा	नगर निगम में ई–शासन	03–जन॰–12	195.80	97.90	–
14.	केरल	तिरुवनंतपुरम	केरल नगर पालिकाओं में ई–शासन तिरुवनंतपुरम के सहयोग में पायलट सहित	07–सित॰–11	1,347.55	1,078.04	269.51
कुल 14					**15,520.56**	**7,481.86**	**2,129.69**

अनुलग्नक–4–III

यूआईजी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु संचयी जारी धनराशि

(₹ लाख में)

क्र सं॰	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	स्वीकार्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	दी गई स्वीकार्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	50	488,153.01	205,346.38	143,025.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	18,048.20	16,243.38	8,504.30
3.	असम	2	31,610.71	28,449.64	24,813.27
4.	बिहार	8	71,181.41	39,475.73	9,858.94
5.	चंडीगढ़	3	19,119.60	15,297.68	2,684.64
6.	छत्तीसगढ़	1	30,364.00	24,291.20	21,862.08
7.	दिल्ली	28	719,708.00	251,896.90	62,977.58
8.	गोवा	2	7,484.08	5,987.26	72.45
9.	गुजरात	71	549,323.60	238,574.60	178,778.20
10.	हरियाणा	4	69,720.70	34,860.35	17,788.48
11.	हिमाचल प्रदेश	4	15,323.06	11,759.25	3,262.71
12.	जम्मू एवं कश्मीर	4	53,152.00	46,946.80	18,778.73
13.	झारखंड	5	79,485,72	49,936.58	18,688.73
14.	कर्नाटक	47	369,374.80	145,402.11	91,871.86
15.	केरल	11	99,789.00	64,554.60	20,025.20
16.	मध्य प्रदेश	23	245,921.54	125,920.25	66,880.35
17.	महाराष्ट्र	80	1,160,078.32	517,117.42	378,953.15
18.	मणिपुर	3	15,395.66	13,856.10	5,542.45
19.	मेघालय	2	21,795.72	19,616.15	12,200.15
20.	मिजोरम	4	12,772.16	11,494.94	1,135.23
21.	नागालैंड	3	11,594.13	10,434.72	3,517.90
22.	उड़ीसा	5	81,197.66	63,712.53	22,927.57
23.	पंजाब	6	72,539.00	36,269.50	14,672.88
24.	पुडुचेरी	2	25,306.00	20,244.80	7,250.20
25.	राजस्थान	13	122,773.11	76,555.00	42,493.38
26.	सिक्किम	2	9,653.67	8,688.30	4,013.51
27.	तमिलनाडु	48	530,128.28	212,676.48	115,690.11
28.	त्रिपुरा	2	18,047.00	16,043.40	6,417.36
29.	उत्तर प्रदेश	33	536,361.94	269,660.51	178,491.90
30.	उत्तराखंड	14	40,256.22	31,809.10	17,237.67
31.	पश्चिम बंगाल	63	590,039.42	216,808.82	103,876.31
	कुल	546	6,115,697.72	2,829,930.47	1,604,292.44

5

शहरी जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था

जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था महत्वपूर्ण मूल आवश्यकताएं हैं जो लोगों के जीवन स्तर और उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती हैं। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय, समुचित आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं रखरखाव के जरिए इन सेवाओं को मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी हैं। शहरी विकास मंत्रालय प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण के लिए और जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2011-2012 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रम और क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

5.2 मंत्रालय द्वारा शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम और क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:—

नेम्मेली, चैन्नई में समुद्री जल विपर्यस्त ओसमोसिस लवणमुक्त संयंत्र

5.3 भारत सरकार ने 2008-09 के दौरान, 871.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चैन्नई के समीप 100 एम एल डी समुद्री जल विपर्यस्त ओसमोसिस लवणमुक्त संयंत्र की स्थापना के लिए एक परियोजना का अनुमोदन किया था। संयुक्त सचिव (श०वि०) की अध्यक्षता में 20.12.2011 को आयोजित संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) की बैठक के दौरान, सीएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा इस बात से अवगत कराया गया था कि परियोजना के विभिन्न घटकों की टेंडर लागत के आधार पर संभावित कुल व्यय 674.40 करोड़ रुपए होगा। संयंत्र का निर्माण जून, 2012 तक पूरा होने की संभावना है और लागतों में यदि कोई वृद्धि होगी, तो वह तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

5.4 परियोजना निम्नलिखित के संबंध में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है; (i) 100 एमएलडी लवणमुक्त संयंत्र का निर्माण, (ii) संयंत्र के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) और (iii) प्रवहण प्रणाली।

5.5 इस योजना के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति पर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति और संयुक्त सचिव (श०वि०), शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली संयुक्त निगरानी समिति द्वारा निगरानी रखी जा रही है। 31.12.2011 तक, वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमश: 81.75% और 46.32% थी।

मुंबई में वृहन मुंबई बरसाती जल निकास (ब्रिम्सटोवाड) परियोजना

5.6 सरकार ने जुलाई, 2007 में 1200.53 करोड़ रु० की लागत की वृहन मुंबई बरसाती जल निकास (ब्रिम्स्टोवाड) परियोजना हेतु अनुमोदन दिया था। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 23 अगस्त, 2007 को प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ रु० तथा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को द्वितीय किस्त के रूप में 100 करोड़ रु० और 31.03.2010 को तीसरी किश्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किये। इस प्रकार परियोजना के लिए कुल 1000 करोड़ रु० जारी किए गए हैं। ब्रिम्सटोवाड के कार्य की समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव (यूडी) शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में 20 अगस्त 2007 को एक संयुक्त निगरानी समिति गठित की गई। नवीनतम पुनरीक्षा बैठक मुम्बई में 29.10.10 को आयोजित हुई थी। सचिव (श०वि०) ने भी 06.06.2010 को नई दिल्ली में इस परियोजना की समीक्षा की थी। चरण-I के 20 कार्यों में से 12 पूरे हो चुके हैं और 8 पर कार्य चल रहा है। चरण-II के 38 कार्यों में से 4 पूरे हो चुके हैं, 24 पर कार्य चल रहा है और 7 के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा अनुमोदन के लिए भेजी गई हैं और 3 के संबंध में निविदाओं को अभी पूरा किया जाना है। ये सभी कार्य 2013 तक पूरे होने की संभावना है।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी (पीएचई) में प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.7 इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों आदि

के सेवारत इंजीनियरों और पैरा-इंजीनियरी स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी/पर्यावरणीय इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

यह प्रशिक्षण निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों पर दिया जाता है:

1. ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता
2. वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, मुम्बई
3. अन्ना यूनीवर्सिटी, चैन्नई
4. विश्वेसरैया नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर
5. मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
6. श्री जयाचामाराजेन्द्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर
7. जी॰एस॰ इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इंदौर
8. आई॰आई॰टी॰ पवई, बाम्बे, मुम्बई
9. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
10. आई॰आई॰टी॰ खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
11. आई॰आई॰टी॰, दिल्ली, नई दिल्ली
12. जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

5.8 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि चौबीस महीने की है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संशोधित वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत इस समय बाहर से आए हुए प्रशिक्षुओं के लिए 24 माह के लिए 4000 रुपए प्रतिमाह की दर से वजीफे तथा सभी प्रशिक्षुओं के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता बढ़ायी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4 सैमिस्टरों के लिए 2,500 रुपए प्रति सेमिस्टर प्रति अभ्यर्थी की दर से आकस्मिकता अनुदान स्वीकार्य है तथा एक प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर हेतु स्टाफ सहयोग भी संस्थान को प्रदान किया जाता है।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में अल्प अवधि पाठ्यक्रम

5.9 इस कार्यक्रम को इस प्रकार चलाया गया है कि राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों/जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों/शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के सूक्ष्म मुद्दों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकें ताकि वे क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकें। यह पाठ्यक्रम 3 महीने की अवधि का है। वजीफा, ट्यूशन शुल्क तथा फील्ड दौरों पर हुए व्यय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार व्यय के बड़े भाग में हिस्सेदारी की जाती है। इस समय अल्प अवधि पाठ्यक्रम दो संस्थानों में आयोजित किया जाता है अर्थात् (1) अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई और (2) श्री जयाचामराजेन्द्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

5.10 विभिन्न राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों, जल-आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों तथा शहरी स्थानीय निकायों आदि में कनिष्ठ, माध्यमिक और वरिष्ठ स्तरों पर कार्य कर रहे सेवा कालीन इंजीनियरों और पैरा इंजीनियरी स्टाफ के हित के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न विशेषज्ञताओं पर अनेक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रायोजित और विभिन्न शैक्षणिक, अनुसंधान और व्यवसायिक संस्थानों तथा राज्य विभागों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थानों के व्याख्याताओं के लिए मानदेय, क्षेत्र दौरों पर खर्च तथा व्याख्यान सामग्री तैयार करने इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

5.11 संबंधित संस्थानों को दिसंबर, 2011 तक 18.59 लाख रु॰ की राशि जारी की गई। चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए और अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ इंजीनियरी कालेजों/संस्थानों से देय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं।

6

दिल्ली तथा शहरी क्षेत्र में विविध पहल प्रयास

क. दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली विधान सभा सहित एक केन्द्र शासित राज्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए भारत के संविधान की राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। केवल राज्य सूची की प्रविष्टियों 1, 2 तथा 18 और राज्य सूची की प्रविष्टियां 64, 65 और 66 को छोड़कर जो भूमि अर्थात् भूमि पर अधिकार, मकान मालिक तथा किराएदार सहित भूस्वामित्व, कृषि योग्य भूमि का किराया संग्रहण, अंतरण और हस्तांतरण, भूमि सुधार तथा कृषि ऋण, कालोनाइजेशन से संबंधित है।

1. दिल्ली 2021 के लिए मास्टर प्लान

6.2 वर्ष 2021 के लिए संदर्श युक्त दिल्ली का मास्टर प्लान (एमपीडी) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 7.2.2007 को अधिसूचित किया गया था। एमपीडी के अनुसार, दिल्ली को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें से दो क्षेत्रों अर्थात् के और पी क्षेत्र को भी दो-दो उप क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी क्षेत्रों [क्षेत्र-घ (नई दिल्ली) को छोड़कर] की क्षेत्रीय योजनाओं का अनुमोदन हो गया है और मंत्रालय द्वारा अधिप्रमाणित कर दिया गया है तथा, तत्पश्चात्, उन क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009

6.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजना प्रक्रिया मास्टर प्लान 1962 के साथ शुरू हुई। आयोजना प्रक्रिया में अनेक कमियां होने के कारण दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हुई। इसके फलस्वरूप परिसरों के वाणिज्यिक उपयोग होने/गैर कानूनी प्रयोग किए जाने पर उन्हें सीलबंद करने के मुद्दे से संबंधित न्यायिक मामले उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। सरकार ने वर्ष 2006 से नागरिकों को अस्थायी रूप से राहत देने तथा उन्हें अनावश्यक परेशानी व अपूरणीय हानि से बचाने के लिए कानून बनाए हैं जिनमें अनधिकृत निर्माण की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं।

6.4 इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2011 अधिनियमित किया गया जो 01.01.2012 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार निम्नलिखित कुछ श्रेणियों को सुरक्षा दी गई है:—

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 और दिल्ली 2021 के लिए मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार, सतत, सुनियोजित और मानवोचित ढंग से इसके विकास के सुनिश्चयन के लिए दिल्ली में स्लम निवासियों और झुग्गी झोपड़ी समूहों के पुन: आबंटन और पुनर्स्थापना के लिए क्रमिक व्यवस्था।

(ख) दिल्ली 2021 के लिए मास्टर प्लान में किए गए प्रावधान के अनुसार शहरी स्ट्रीट वेंडरों और हाकरों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप शहरी स्ट्रीट वेंडरों के नियमन के लिए स्कीम और क्रमिक व्यवस्था।

(ग) अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी वाले क्षेत्र (जिसमें शहरी गांव सम्मिलित हैं) और उनके विस्तार जैसाकि 31 मार्च, 2002 की विद्यमानता के अनुसार और जहां 8 फरवरी, 2007 के बाद और इस तारीख तक निर्माण किए गए हैं, को नियमित करने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों विनियमों का क्रमिक व्यवस्था का अनुसरण।

(घ) स्वीकार्य निर्माण सीमाओं के बाद निर्माण सहित विद्यमान फार्म हाऊसों के संबंध में नीति।

(ङ) कृषि भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्रों में औषधालयों, धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों, भण्डारणों, गोदामों, कृषि निवेशों अथवा उपज के लिए प्रयोग में आ रहे, (डेयरी और पोल्ट्री सहित) के बारे में नीति अथवा योजना के लिए कृमिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित विद्यमान कलस्टर (गैर-कृषि वस्तुओं के भण्डारण सहित) के पुनर्विकास के मार्गदर्शी सिद्धांत।

(च) प्रवृत्त मास्टर प्लान की समग्र क्षेत्र के भीतर विशेष क्षेत्र, अनधिकृत विनियमित कालोनियों और गांव आबादी, 2010 के लिए निर्माण विनियमन के अनुरूप विशेष क्षेत्रों के संबंध में कृमिक व्यवस्था।

(छ) मास्टर योजना के अनुरूप इसकी समीक्षा पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी गोदाम अन्य क्षेत्रों में क्रमिक व्यवस्था के लिए नीति अथवा योजना।

6.5 यह अधिनियम 31.12.2014 तक वैध रहेगा। नीति और सुव्यवस्था के लिए जीएनसीटीडी और डीडीए द्वारा पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। सैनिक फार्म, आत्मा राम डेयरी, महेन्दरू एन्कलेव में समाज के समृद्ध वर्गों के कब्जे वाली अनधिकृत बस्तियों के संबंध में जीएनसीटीडी ने सर्वेक्षण करने और उसे 30.04.2012 तक पूरा करने का अनुरोध किया है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

6.6 वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान 12 नई अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 542.60 करोड़ रु॰ का ऋण तथा लगभग 723.46 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया। नई एवं चालू परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2011 तक कुल 477.38 करोड़ रु॰ का ऋण वितरित किया गया।

4. दिल्ली नगर कला आयोग

6.7 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान आयोग ने 136 प्रस्तावों पर विचार किया, जिसमें से 80 अनुमोदित किए गए और 7 प्रस्तावों के मामले में आयोग द्वारा अपनी बैठकों में प्रस्तावों की यथोचित जांच के बाद टिप्पणियां की गईं। 48 मामलों में पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए। शेष प्रस्तावों को अपर्याप्त सूचना के कारण आस्थागित कर दिया गया।

ख. शहरी क्षेत्र में विविध पहल—प्रयास

1. माडल नगरपालिका कानून

6.8 यद्यपि संविधान (74वां संशोधन अधिनियम) 1992 को लागू हुए पूरा एक दशक बीत चुका है और शहरी स्थानीय निकायों को विशिष्ट दायित्व और कार्य सौंपे गए हैं, फिर भी शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। परिणामस्वरूप वे अपने निर्धारित कार्य कुशलना पूर्वक और प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अत: राज्य सरकारों से शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार कार्यात्मक और आर्थिक स्वायत्तता देने के लिए राज्य नगरपालिका कानूनों में अपेक्षित संशोधन करने की अपेक्षा की गयी थी।

6.9 इसे देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने एक ''माडल नगरपालिका कानून'' तैयार करके परिचालित किया है जिसका उद्देश्य लेखा सुधार संसाधन जुटाने, उपभोक्ता प्रभार लगाने और निजी क्षेत्र की साझेदारी शुरू करने जैसे क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की मदद करना है। माडल नगरपालिका कानून का उद्देश्य अन्य के साथ-साथ नगरपालिका उप नियमों को सरल बनाना, अधिक ऋण की व्यवस्था करना, निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति देना और शुल्क का भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को दंडित करने के लिए ग्राहियों को प्राधिकृत करना है। इस प्रयास से शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक निधि का प्रयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे वातावरण का सृजन करना है जिसमें शहरी स्थानीय निकाय अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और बेहतर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

6.10 तदनुसार राज्यों ने या तो एक नया म्युनिसिपल कानून बनाकर अथवा मौजूदा म्युनिसिपल कानून के प्रावधानों में संशोधन करके माडल म्युनिसिपल कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु उपाय किए हैं। शहरी क्षेत्र में अवसंरचना और गवर्नेंस दोनों की दृष्टि से हो रही तेजी से परिवर्तन के कारण माडल म्यूनिसिपल कानून की समीक्षा करने की जरूरत है और इस मामले में मंत्रालय ने संगत कार्रवाई की पहल की है।

2. शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद-243टी का संशोधन

6.11 आबादी में महिलाओं के लगभग 50 प्रतिशत होने को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण तथा निर्णय में महिलाओं की भागीदारी से लाभ होगा। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बढ़ने से आगे चल कर विभिन्न निकायों में जमीनी स्तर पर उनकी भागीदारी और शासन में लिंग अनुपात को सुव्यवस्थित बनाना तथा जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी नगरपालिका की बुनियादी सेवाओं से संबंधित मुद्दों सहित निर्णय लेना सुनिश्चित होगा।

6.12 इस बात को समझते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों के संबोधन में बताया गया कि सरकार द्वारा पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक लाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के वृद्धित प्रतिनिधित्व से विभिन्न निकायों में निम्न स्तर पर भागीदारी और गवर्नेंस में महिलाओं को मुख्य धारा में सम्मिलित करना तथा निर्णय करना, जिसमें आधारभूत म्यूनिसिपल सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित हैं, का सुनिश्चय करने से आने वाले समय में लाभ होगा। शहरी विकास मंत्रालय से अनुच्छेद 243टी में संशोधन माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के विद्यमान एक-तिहायी प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव की पहल की गई है। तद्नुसार, 24.11.2009 को लोक सभा में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से संबंधित संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने इस विधेयक को 29.12.2009 को शहरी विकास से संबंधित स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया। समिति ने अपनी 09.08.2010 की अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की कि (i) अध्यक्ष सहित महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का रोटेशन चक्र दो कालावधि तक बढ़ाया जाए ताकि सभी राज्यों में एकरूपता को बनाए रखा जा सके और उसके द्वारा उन्हें विकासात्मक कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। (ii) अध्यक्ष के कार्यालय के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण उनकी शहरी आबादी के अनुपात में हो न कि राज्य की आबादी के अनुपात में, जैसा कि इस समय विद्यमान है। इसके अनुसरण में, समिति के सुझावों को सम्मिलित करते हुए विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

3. म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

6.13 शहरी विकास मंत्रालय, मुम्बई, हैदराबाद, लखनऊ में स्थित तीन क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र, (आर सी यू ई एस) तथा शहरी अध्ययन केन्द्र आईआईपीए, नई दिल्ली के माध्यम से शहरी विकास तथा स्थानीय स्व शासन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। ये केन्द्र स्थानीय स्व शासन, शहरी विकास, शहरी प्रबन्धन, जल आपूर्ति और सफाई, सम्पदा कर, नगर निगम लेखापरीक्षा और लेखा, पब्लिक हाउसिंग और कम लागत सफाई और शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर अनुसंधान गतिविधियां तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करते हैं। बजट अनुमान 2011-12 में उनके लिए 700,00 लाख रु॰ की धनराशि निर्धारित की गई है।

6.14 इन क्षेत्रीय केन्द्रों ने दिसंबर, 2011 तक 57 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित किए और 14 अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं आरंभ की और जनवरी, 2012-मार्च, 2012 की अवधि के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 20 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4. 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

6.15 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11 से 2010-15 तक की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान का अंतरण करने के बारे में लीक से हटकर कुछ सिफारिशें की हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23,111 करोड़ रु॰ की राशि की सिफारिश की है। इन अनुदान के दो संघटक हैं: (1) मूल संघटक और (2) कार्य निष्पादन आधारित संघटक। 23,111 करोड़ रु॰ में से कार्य निष्पादन के अनुदान की राशि लगभग 8000 करोड़ रु॰ है। जबकि राज्यों के प्रमाणन के आधार पर सामान्य मूल अनुदान जारी किया जा सकता है और इसके लिए किसी शर्त को पूरा करना आवश्यक नहीं है, फिर भी कार्य निष्पादन संबद्ध अनुदान नौ शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। ये शर्तें हैं (i) बजटीय दस्तावेज का अनुपूरक, (ii) सभी स्थानीय निकायों के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली, (iii) स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकायुक्त, (iv) केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर स्थानीय निकाय को अनुदान का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, (v) राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की अर्हता का निर्धारण, (vi) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अड़चन बिना

संपत्ति कर लगाना, (vii) संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना, (viii) जल और सफाई व्यवस्था के क्षेत्र आदि के संबंध में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित सेवा मानकों का प्रकटन तथा (ix) एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अग्नि के खतरे को कम करने की योजना। राज्य सरकारों को इन शर्तों को पूरा करना होगा ताकि वे वर्ष 2011-12 से निष्पादन अनुदान प्राप्त कर सकें। निष्पादन आधारित अनुदानों की संस्तुति 13वें सीएफसी द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य समुदाय सहभागिता, नागरिकों आदि के प्रति यूएलबी/पारास्टाटल अभिकरणों को उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ और पारदर्शिता में वृद्धिक एक उपाय के रूप में शहरी अवसंरचना तथा सेवा प्रदाय तंत्र के कौशल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरों का सुनियोजित विकास में तीव्र गति से सुधार को प्रेरित करना है। 13वें सीएफसी द्वारा विनिर्धारित अनुदानों की निर्मुक्ति से संबंधित शर्तों के बहुमुखी स्वरूप के कारण, राज्य सरकारों को उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि वे निष्पादन आधारित अनुदान आहरित करने के साथ-साथ सार्थक प्रतिफलों और परिणामों के लिए अपने व्ययों की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम हो सकें। मंत्रालय की इस पहल के परिणाम स्वरूप 14 राज्यों से अनुपालन के संकेत प्राप्त हुए हैं और निम्नलिखित 13 राज्यों को सामान्य निष्पादन अनुदान की निर्मुक्ति के लिए व्यय विभाग को संस्तुति की गई है:

	राज्य	राशि (करोड़ रु॰ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	70.75
2.	केरल	26.50
3.	महाराष्ट्र	85.91
4.	राजस्थान	50.82
5.	छत्तीसगढ़	20.68
6.	गुजरात	35.99
7.	कर्नाटक	64.32
8.	त्रिपुरा	3.46
9.	उत्तर प्रदेश	126.17
10.	असम	18.13
11.	मिजोरम	2.92
12.	हिमाचल प्रदेश	6.33
13.	मध्य प्रदेश	55.52
	कुल	567.54

5. शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण

6.16 क्षमता निर्माण किसी भी ऐसे कार्यक्रम का एक अनिवार्य संघटक होता है जिसका लक्ष्य उन्नति और विकास करना है। यह कुशल जनशक्ति द्वारा नीति/कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने का एक आवश्यक भाग और आवश्यक उपकरण है। प्रत्याशित सही दिशा में नीति अथवा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कुशल जनशक्ति पूर्वापेक्षा है। 11वीं योजना में शहरी विकास के लिए एक प्रमुख कार्य नीति के रूप में क्षमता निर्माण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया अभिज्ञात की गई है। इस योजना में मुख्य चिंता कुशल जन शक्ति की कमी के बारे में है और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक शीर्ष एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी शहरी गवर्नेंस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है ताकि शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता अंतराल को दूर किया जा सके।

6.17 शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम उन म्यूनिसिपल निकायों की क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिन्हें जेएमएमयूआरएम अथवा यू आईडीएसएसएमटी जैसी अन्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। जब तक कि स्वीकृति समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वित्तीय सहायता के लिए शुरू किए गए क्रियाकलापों के दो वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट क्षमता निर्माण के लिए अभिज्ञात किए संस्थानों/शहरों/राज्यों को प्रदान की जाती है:—

(क) शहरी योजना: शहरी विकास योजनाएं/अवस्थापना योजनाएं बनाना, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण विषयक योजना बनाना।

(ख) परियोजना क्रियान्वयन और प्रबंधन।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाना।

(घ) नगरपालिका सेवा आपूर्ति जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज और सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन शामिल हैं।

(ङ) वित्तीय प्रबंधन।

(च) लागत वसूली और ओएंडएम/प्रयोक्ता प्रभार आदि।

(छ) राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति का क्रियान्वयन।

(ज) सम्पत्ति कर सुधार, लेखांकन सुधार-गवर्नेंस और पीपीपी को प्रोत्साहन देने सहित नगरपालिका सुधारों का क्रियान्वयन।

(झ) दूरसंचार और आउटरीच क्रियाकलाप।

(ञ) निगरानी और मूल्यांकन।

(ट) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना।

6.18 शहरी विकास मंत्रालय ने चौदह श्रेष्ठता केन्द्र खोले हैं, जिनमें से नौ केन्द्र शहरी विकास के क्षेत्र में है, चार शहरी परिवहन के क्षेत्र में है और एक क्षेत्र ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में है। शहरी विकास के अन्तर्गत नौ श्रेष्ठता केन्द्रों का लक्ष्य शहरी विकास और प्रबंधन के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में क्षमता निर्माण उपाय, जागरुकता, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करता है। श्रेष्ठता केन्द्रों में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर शहरी विकास समस्याओं का समाधान होगा और शहरी विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य और स्थानीय सरकार को सहायता मिलेगी। ये नौ केन्द्र हैं: भारत का प्रशासनिक स्टाफ कालेज (एएससीआई), हैदराबाद, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई), नई दिल्ली, पर्यावरण और विकास केन्द्र (सीईडी), त्रिवेन्द्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम), चैन्नई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएस), मसूरी, एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्य (आईआरएडीई), नई दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान-बंगलौर (आईआईएमबी), बंगलूरू। शहरी परिवहन के क्षेत्र में चार श्रेष्टता केन्द्र हैं: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (आईआईटीएम), चैन्नई सीईपीटी अहमदाबाद और एनआईटी, वारंगल। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक श्रेष्ठता केन्द्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे विश्वविद्यालय है।

6.19 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 11वीं योजना अवधि के लिए क्षमता निर्माण योजना की कुल आबंटन राशि 87.00 करोड़ रुपये है इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिसा को क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दो क्षमता निर्माण परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध करायी गई थी, जिसमें राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की निर्वासित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित था, जिसके लिए 3173 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल अनुदान में से 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 49.84 लाख रुपए की राशि से 3874 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की थी। उन्होंने अनुमानित लागत के आधे से भी कम लागत पर अपेक्षित संख्या से भी अधिक संख्या में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया था। इस स्कीम के अंतर्गत इस समय हैदराबाद, गुंटूर और नासिक के शहरों के लिए सूचना तंत्र सुधार योजनाओं (आईएसआईपी) के क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं। बजट अनुमान 2011-12 के इस घटक के अंतर्गत 17.50 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित रखी गई है।

6. विकलांगों और वृद्धों के लिए बाधामुक्त वातावरण का विकास

6.20 विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण विकसित करें। राज्य और अन्य स्थानीय प्राधिकरण कस्बों और शहरों में बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। बाधामुक्त वातावरण के सृजन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार बाधामुक्त वातावरण विकसित करने में एक सलाहकार और उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

6.21 शहरी विकास मंत्रालय ने विकलांगों और वृद्धों के लिए बाधामुक्त वातावरण विकसित करने के लिए दिशानिर्देश और समय संबंधी मानक तैयार करके उन्हें संदर्भ और मार्गनिर्देशन के लिए सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों को परिचालित किया है। मंत्रालय द्वारा बनाए गए मॉडल भवन उप-नियमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। मंत्रालय इस मामले को राज्यों के साथ उठा रहा है और अभी तक 28 राज्यों ने इनको अपनाया है तथा शेष राज्य मॉडल भवन संबंधी उप-नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में कार्यरत हैं। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-अनुपालन के मामलों को संबंधित प्राधिकरणों के ध्यान में लाने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। गोवा और लक्षद्वीप, केरल, नागालैंड, मिजोरम, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, मेघालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने ऐसे नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर लिया है।

6.22 मंत्रालय ने भी बाधामुक्त वातावरण विकसित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है जिसमें भवन संबंधी उप-नियमों में संशोधन करने, बाधामुक्त वातावरण विकसित करने के दिशानिर्देशों को अद्यतन करने, क्षमता निर्माण और निगरानी संबंधी मामलों को राज्यों के साथ उठाने पर विशेष ध्यान संकेद्रित है। मंत्रालय ने वर्ष के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली 45 भवनों की सुविधाओं की पहुंच का अनुशीलन किया। इन रिपोर्टों की पुनरीक्षा की गई और कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित विभागों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया। 2011 में अहमदाबाद, मुंबई, बंगलौर, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित केन्द्र सरकारी भवनों का पहुंच निरीक्षण किया गया। मंत्रालय ने संबंधित विभागों के लिए क्षमता निर्माण और जागरुकता पैदा करने विषयक कार्यशाला का भी आयोजन किया।

7

शहरी परिवहन

एक उत्पादक शहर होने के लिए अति आवश्यक है कि ऐसे शहरों में बहुत ही सुदृढ़ अवसंरचना और सेवाएं उपलब्ध हों। शहरी अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक शहरी परिवहन है। इससे अवसरों की सुलभता आसान बनती है, शहरी आर्थिक गतिविधियों को सहायता मिलती है और सामाजिक अंत:क्रिया सरल हो जाती है। सड़कों का एक व्यवस्थित जाल और एक कुशल सामूहिक परिवहन प्रणाली शहर की कार्यकारी दक्षता और इसके वातावरण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करती है। एक अपर्याप्त शहरी परिवहन प्रणाली न केवल शहरी आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है बल्कि संकुलता, प्रदूषण, दुर्घटनाओं आदि के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। भारतीय शहरी आर्थिक निष्पादन को किस सीमा तक अधिकतम कर सकते हैं और गरीबी को किस सीमा तक कम कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन शहरों की परिवहन प्रणाली कितनी कुशलता से लोगों के आवागमन और वस्तुओं की ढुलाई जिस पर उनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां निर्भर होती हैं, सुलभ बनाती हैं। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी से शहरी परिवहन प्रणाली पर दबाव बढ़ता है। शहरी परिवहन प्रणाली में इसके परिणामस्वरूप होने वाली गिरावट निम्न आर्थिक उत्पादकता में परिलक्षित होती है। इसलिए, इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता होती है।

7.2 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% योगदान शहरी आबादी का होता है। परिणामस्वरुप, आबादी में वृद्धि, उच्च ट्रिप लेंथ और प्रति व्यक्ति ट्रिप दर के कारण आबादी की वृद्धि दर से काफी अधिक शहरी परिवहन की मांग में वृद्धि होती है। मिलियन-प्लस शहरों में, जिसका अनुमान 1994 में 67 मिलियन लगाया गया था, में वाहन के साधनों द्वारा रोजाना लगाए जाने वाले ट्रिपों की कुल संख्या 2001 तक लगभग 92 मिलियन तक बढ़ने का आकलन किया गया था और 2021 तक यह आकलन 216 मिलियन लगाया गया है।

7.3 महानगरों में दुपहिया और कार के स्वामित्व स्तरों का औसत जो वर्ष 1994 में क्रमश: 112 और 14 प्रति एक हजार व्यक्ति था, वर्ष 2021 तक बढ़कर क्रमश: 393 और 48 होने की संभावना है। इसका तात्पर्य है कि महानगरों में अगले 20 वर्षों में 53 मिलियन दुपहिया वाहन और 6 मिलियन कारें होंगी। इन शहरों में पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता युक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव में निजी मोटर वाहनों का उपयोग अधिक संख्या में होगा, जिससे पहले से ही भीड़ भरी सड़कों पर आवागमन अवरुद्ध होगा, यातायात दुर्घटनाओं की दर में वृद्धि होगी और वातावरणीय प्रदूषण असहनीय स्तर पर बढ़ेगा।

7.4 वर्ष 1986 से, शहरी विकास मंत्रालय शहरी परिवहन मामलों की योजना बनाने और समन्वय के लिए केन्द्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है। तथापि, रेल परिवहन की तकनीकी योजना का कार्य रेल मंत्रालय के पास है। इसी तरह सड़क परिवहन की जिम्मेदारी भूतल परिवहन मंत्रालय की है। तथापि, शहरी परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवा सुपुर्दगी की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की है।

वर्तमान स्थिति

7.5 यातायात और परिवहन अध्ययन/डीपीआर तैयार करने (डीपीआर के मामले में मेट्रो परियोजना के 50% तक सीमित) हेतु अगस्त, 2008 से परिवहन नियोजन के लिए 80% केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु एक नई स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम में व्यापक और एकीकृत शहरी परिवहन आयोजना, एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन आयोजना, व्यापक गतिशील योजनाओं डीपीआर की तैयारी, स्वच्छ विकास प्रक्रिया (सीडीएम), बेहतर परिवहन व्यवस्था (आईटीएस) को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के अनुरूप जागरुक अभियान शुरू करने के लिए शहरी परिवहन मामलों का व्यापक क्षेत्र शामिल किया गया है।

7.6 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) का अनुमोदन सरकार द्वारा अप्रैल, 2006 में किया गया था। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन आयोजनाओं को प्रोत्साहन, सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटरचालित यात्रा के साधनों का

अधिकाधिक उपयोग, सुधार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें सार्वजनिक परिवहन में विनियोग, गैर-मोटरचालित साधनों के अधिकाधिक प्रयोग के अवसंरचना और पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, जिसमें प्रदर्शनकारी पायलट परियोजनाएं सम्मिलित हैं, के लिए केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है। इसमें संस्थात्मक और व्यक्ति के स्तर पर क्षमता निर्माण, नवप्रवर्तनीय वित्तदायी तंत्रों, संस्थात्मक समन्वय, निजी क्षेत्र का सहयोग और लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत तथा सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है।

7.7 इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर के साथ सांस्थानिक स्तर पर सुस्थिर शहरी परिवहन नियोजन में क्षमता निर्माण हेतु भी एक नई स्कीम स्वीकृत की है ताकि एक समन्वित और एकीकृत परिवहन व्यवस्था तैयार की जा सके।

राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी): ''मोर''

7.8 शहरी परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां भली-भांति समन्वित हैं और उपयोगकर्ताओं को निर्बाध प्रणाली की पेशकश करती हैं, के अनुसार पब्लिक परिवहन के लिए अंतर्प्रचालनीय स्वत: किराया संग्रहण (एएफसी) प्रणालियों के राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्पीयर हेडिंग बना रही है। यह एकीकरण न केवल वास्तविक स्तर पर आवश्यक है बल्कि किराया संग्रहण के स्तर पर भी आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता गंतव्य तक पहुंचने के लिए सभी अपेक्षित साधनों का एक बार ही किराया देकर यात्रा कर सकेगा। एएफसी प्रणालियों को प्रथम चरण (2012-13) 63 मिशन शहरों में लागू किया जा रहा है और वर्ष 2018 तक भारत के 260 शहरों में ये प्रणालियां उपलब्ध हो जाएंगी। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, शहरी विकास मंत्रालय का एएफसी प्रणालियों के लिए कॉन इंटरफेस के राष्ट्रीय मानकों का विकास करने का विचार है। इसका तात्पर्य है कि शहरों के बीच और परिवहन के विभिन्न साधनों में एक की सीएमसी कार्ड प्रयोग किया जा सकता है। इनके कार्यान्वयन के लिए जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से निधि प्रदान की जाएगी।

7.9 माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने 06 दिसंबर, 2011 को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का बांड नाम, लोगों और डिजाइन को लांच किया है। इस कार्ड का नाम ''मोर'' रखा गया है। यह एक हिन्दी शब्द है जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी ''मोर'' के नाम पर रखा गया है। अंग्रेजी में ''मोर'' ब्रांड नाम का शाब्दिक अर्थ है आप एक प्रचालक और उपयोगकर्ता के रूप में इस कार्ड का जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना अधिक पाएंगे। इस कार्ड का ब्रांड नाम, डिजाइन और लोगो मंत्रालय की वेबसाइट http://www.urbanindia.nic.in// पर उपलब्ध है।

शहरी बस विशिष्टियां

7.10 शहरवासियों की यात्रा के तरीके को बदलने के उद्देश्य से शहरी बस विशिष्टियां तैयार की गई हैं। शहरी बस विशिष्टियों से संबंधित एक बुकलेट भी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/नगर निगमों (65 जेएनएनयूआरएम शहरों) राज्य सड़कें परिवहन निगमों आदि को परिचालित की गई हैं। जेएनएनयूआरएम बसों जिन्हें इन विशिष्टियों के अनुसार खरीदा गया है, की व्यापक स्वीकार्यता का विचार करते हुए एसटीयू द्वारा और बसों की खरीद इन विशिष्टियों के अनुरूप ही की जा रही हैं।

सेवा स्तरीय बेंच मार्क

7.11 सेवा स्तरीय बेंचमार्क से संबंधित एक बुकलेट को अंतिम रूप दिया गया है तथा उसका विमोचन 3 दिसम्बर को अर्बन मोबिलिटी इंडिया, 2009 से संबंधित वार्षिक सम्मेलन के दौरान माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि शहरी परिवहन से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजते समय शहर बुकलेट में चिन्हित संकेतकों के क्षेत्र में शहरी परिवहन में सेवा स्तरीय बेंच मार्कों को दर्शाते हुए तथा अनुमानित सुधार (प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात) शहरों का उल्लेख करें। हाल ही में 2 अनुसंधान प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जो दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हुबली-धारवाड़, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, मैसूर, नांदेड़, पटना, सूरत और विजयवाड़ा शहरों के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्किंग को कवर करेंगे।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन हेतु बसों के लिए वित्त पोषण

7.12 सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2009 को घोषित द्वितीय प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत राज्यों को एक बार के उपाय के रूप में, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उनकी शहरी परिवहन व्यवस्था हेतु बसों की खरीद हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। सभी 65 मिशन शहरों के लिए वित्तपोषण नितांत रूप से शहरी बस सेवा और द्रुतगामी बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) के लिए किया गया है।

7.13 शहरी विकास मंत्रालय ने इस स्कीम के अंन्तर्गत 4723.94 करोड़ रुपए की कुल लागत से 15260 बसों की स्वीकृति प्रदान की जिसमें से स्वीकार्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लगभग 2089 करोड़ रुपए है। दिसम्बर, 2010 तक राज्यों/शहरों द्वारा 12000 आधुनिक आईटीएस बसों की आपूर्ति प्राप्त की गई है। स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सभी बसें मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 900 मि॰मी॰ तक की फर्शी ऊचाई के लिए एक बार के परिवर्तन के शहरी बस विशिष्टीकरण के अनुरूप होंगी। क्योंकि अल्प अवधि के भीतर 400 मि॰मी॰ और 650 मि॰मी॰ फ्लोर ऊँचाई वाली बसों की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं थी।

शहरी परिवहन में सुधार

7.14 जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति की शर्तों के भाग के रूप में शहरी परिवहन के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधारों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है:—

राज्य स्तर पर

(i) शहरी परिवहन और उनके एकीकृत प्रबन्धन से सम्बन्धित परियोजनाओं के समन्वित नियोजन और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विधिवत कानून के साथ सभी एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए एक राज्य स्तरीय एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन।

(ii) राज्य स्तर पर एक समर्पित शहरी परिवहन कोष की स्थापना।

(iii) भूमि उपयोग के लिए एमआरटीएस कोरीडोरों के साथ-साथ स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों के सघनीकरण द्वारा भू-उपयोग के साथ परिवहन का एकीकरण करने के लिए शहरों के उप-नियमों और मास्टर प्लान में परिवर्तन करना।

(iv) सभी शहरी परिवहन मामलों का समाधान करने के लिए वर्तमान में राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के स्थान पर एक विभाग नामित करना।

(v) सभी सार्वजनिक और अन्तर्वर्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के किराए के आवधिक संशोधन करने के लिए नियामक/सांस्थानिक तंत्र गठित करना।

(vi) राज्य और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी बस सेवा/बीआरटीएस पर अपने सभी करों को हटाना/प्रतिपूर्ति करना।

शहरी स्तर पर

(i) शहरी स्तर पर एक समर्पित शहरी परिवहन निधि का गठन करना।

(ii) एक विज्ञापन नीति जो संगत कानूनों के अध्यधीन सार्वजनिक परिवहन, अन्तर्वर्ती सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जन सुविधाओं पर विज्ञापन के जरिए राजस्व जुटाती है।

(iii) पार्किंग नीति जिसमें कब्जे वाली भूमि की सही कीमत दर्शाने वाले पार्किंग शुल्क का उल्लेख हो जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया जाए, आंतरिक/रिंग रोड पर पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने, पार्क और बस में चढ़ने की सुविधा आदि सहित शहरी केन्द्रों में बहुस्तरीय पार्किंग केन्द्रों आदि का उल्लेख हो।

(iv) सुगठित संविदा के अन्तर्गत बस सेवाओं के लिए शहरी-विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के जरिए विशेषरूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा आईटीएस का प्रयोग करके एक सुव्यवस्थित और कारगर शहर बस सेवा प्रणाली, जहां व्यवसायिक तौर पर सरकार के शीर्ष संस्थान नियोजन, समन्वय, संविदा, निगरानी, पर्यवेक्षण के साथ-साथ सामान्य अवस्थापना और सेवाओं इत्यादि की भूमिका निभाते हैं।

(v) क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी और निर्बाध यात्रा करने के लिए एकल टिकट मुहैया कराने के लिए उपनगर रेल (रेल मंत्रालय को शामिल करके) सहित मल्टीमोडल एकीकरण।

(vi) यातायात की कारगर निगरानी और प्रवर्त्तन के साथ भविष्य की योजनाओं के लिए आंकड़ों के सृजन और आंकड़े एकत्र करने के लिए यातायात सूचना प्रबन्धन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना।

7.15 इस मिशन अवधि के भीतर इन सभी सुधारों के कार्यान्वयन हेतु एक समयबद्ध योजना होगी।

3 से 6 दिसंबर, 2011 तक शहरी परिवहन पर वार्षिक सम्मेलन तथा प्रदर्शनी

7.16 शहरी परिवहन में सांस्थानिक क्षमता निर्माण प्रयास के रूप में, छठे क्षेत्रीय पर्यावरणीय सतत् परिवहन (ईएसटी) मंच के सहयोग से 3-6 दिसम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में ''अर्बन मोबिलिटी इंडिया: 2011'' से संबंधित चौथा वार्षिक सम्मेलन तथा प्रदर्शनी

आयोजित की गई। इस सम्मेलन से पूर्व एक अनुसंधान संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 36 अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किए गए। अनुसंधान संगोष्ठी के समापन सत्र के रूप में शहरी परिवहन में अनुसंधान संबंधी भावी कार्य सूची पर एक पैनल विचार-विमर्श हुआ।

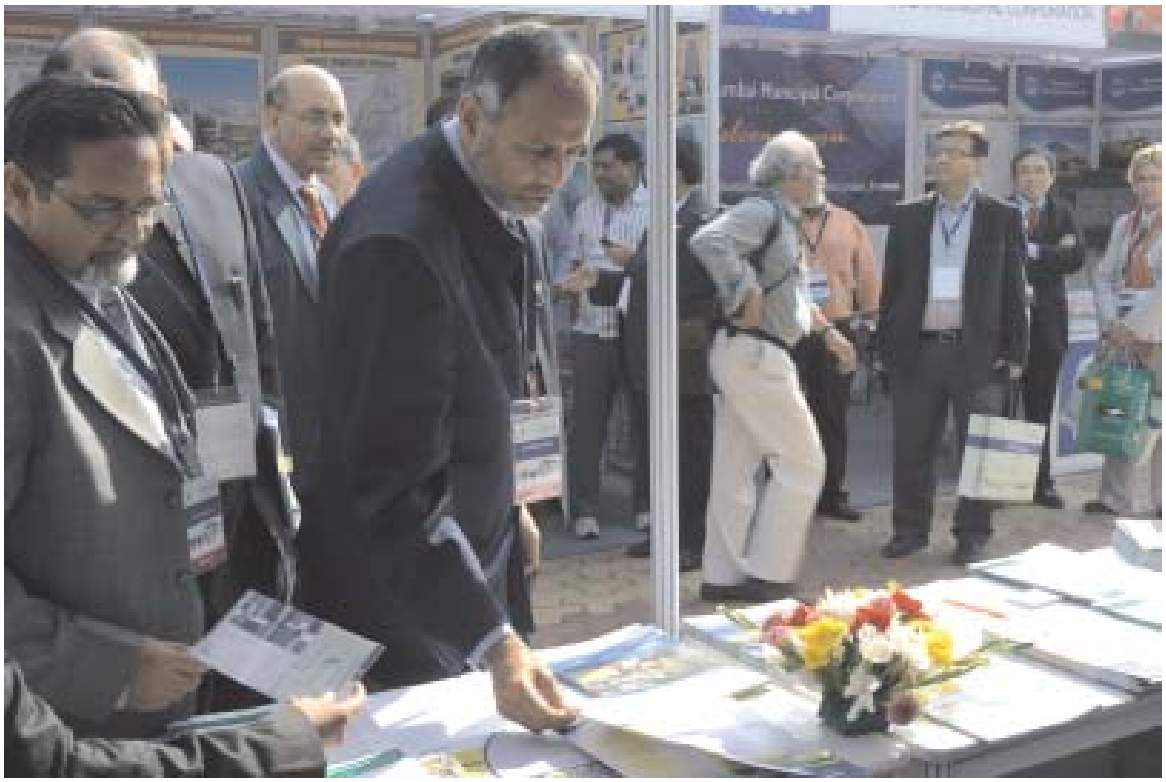

7.17 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केन्द्र (यूएनसीआरडी) के तत्वावधान में एशिया में छठा क्षेत्रीय पर्यावरणीय सतत् परिवहन मंच, पारस्परिक रूप से आयोजित किया गया, जिसमें एशिया के 23 देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कार्मिकों, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, भारत की केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, राज्यों/शहरों के, राज्य मंत्रिमंडल स्तर के अधिकारियों, मुख्य सचिव (शहरी विकास), मेयर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्तों के साथ-साथ शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7.18 इस सम्मेलन-एवं-प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी और भारत और विदेशों से आए शहरी परिवहन के विभिन्न साधनों के सेवा प्रदाता एक साथ उपस्थित हुए; पैदल यात्री, गैर मोटरचालित परिवहन, बस प्रचालन, बीआरटी, एलआरटी, मेट्रो रेल, पर्यावरण एवं यातायात प्रबंधन, भीड़भाड़ प्रबंधन, रेलवे, पार्किंग और आईटीएस आदि तथा नीतिनिर्माता, व्यवसायी और अधिकारी सभी एक मंच पर उपस्थित हुए।

गोल मेज विचार-विमर्श

7.19 विभिन्न तकनीकी सत्रों से गोल मेज विचार-विमर्श हुआ। ये विमर्श सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कब और कहाँ प्रयोग करें? विषय पर थे। कारों और दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या पर कैसे नियंत्रण करें, क्या रेल ट्रांजिट को बस आधारित साधनों से अधिक प्राथमिकता दी जाए, बीआरटी के लिए किस प्रकार की बसों का प्रयोग किया जाए, सतत् मोबिलिटी और बड़ी आवास परियोजनाएं, राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन-मानकों का विकास, क्या शहरों में बस सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अथवा मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए? परियोजनाओं में निर्धारित अवधि से अधिक लगने वाला समय और लागत-कारण और समाधन तथा साइकिल शेयरिंग। विषय-वस्तु वर्ष 2011 के लिए सम्मेलन की विषय-वस्तु 'सस्टेनबल मोबिलिटी'।

7.20 अर्बन मोबिलिटी इंडिया: 2011 से संबंधित सम्मेलन के दौरान शहरी परिवहन में श्रेष्ठता के लिए निम्नलिखित को पुरस्कार दिए गए:—

क्र सं॰	श्रेणी	परियोजना का नाम/ब्यौरा	शहर/राज्य/संगठन
i	शहरी परिवहन में सर्वोत्तम सार्वजनिक-निजी भागीदार पहल-प्रयास	भोपाल के लिए आधुनिक लो फ्लोर बसों की खरीद	भोपाल/मध्य प्रदेश/भोपाल नगर निगम
ii	सर्वोत्तम गैर मोटरचालित परिवहन परियोजना	फाजिल्का इको-कैब्स डायल-ए-रिक्शा	ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन, फाजिल्का, पंजाब
iii	माडल शिफ्ट के लिए सर्वोत्तम स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना	मेट्रो दिल्ली	दिल्ली/दिल्ली/दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड
iv	(क) सर्वोत्तम दक्ष परिवहन प्रणाली परियोजना।	दक्ष परिवहन प्रणाली का प्रयोग, अहमदाबाद बीआरटीएस	अहमदाबाद/गुजरात/जनमार्ग
	(ख) सर्वोत्तम दक्ष परिवहन प्रणाली परियोजना। (द्वितीय)	सीजीआरपीएस, आईटीएस परियोजना, पुणे	पुणे/महाराष्ट्र/पुणे नगर निगम
v	यातायात और अभियांत्रिकी में नए पहल-प्रयास (संयुक्त विजेता)	(क) प्रवर्तन के लिए यातायात पुलिस (ख) बंगलुरू यातायात उन्नयन परियोजना (बीटीआरएसी के)	पुणे/महाराष्ट्र/पुलिस आयुक्त पुणे बंगलुरू/कर्नाटक/पुलिस आयुक्त, बंगलुरू
vi	(क) उभरते हुए प्रहल-प्रयास की प्रशंसनीय श्रेणी	दिल्ली में निजी स्टेज कैरिज बसों का सहयोग	दिल्ली/दिल्ली/डीआईएमटीएस
	(ख) उभरते हुए पहल-प्रयास की प्रशंसनीय श्रेणी	मुंबई हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली	वृहन् मुंबई/महाराष्ट्र/वृहन मुंबई नगर निगम

मेट्रो रेल परियोजनाएं

1. दिल्ली एम आर टी एस परियोजना फेज-I

7.21 भारत सरकार ने अप्रैल 1996 की कीमतों पर दिनांक 17 सितम्बर, 1996 को 4859.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिल्ली द्रुत गामी जन परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) परियोजना के फेज-I हेतु निवेश प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसमें भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समान अनुपात में इक्विटी अंशदान, जापान सरकार से दीर्घ अवधि ऋण और परियोजना लागत का बकाया सम्पत्ति विकास से प्राप्त राजस्व के जरिए अंशदान किया जाना है।

वित्तपोषण योजना

7.22 बचत के बाद संशोधित वित्तपोषण योजना निम्नलिखित है:

(करोड़ रु॰ में)

सरकारी इक्विटी (भारत सरकार और जीएनसीटीडी से समान अनुपात में)	2928	28%
भूमि लागत के लिए अनुषंगी ऋण (भारत सरकार और जीएनसीटीडी से समान अनुपात में)	504	5%
जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऋण	6839	64%
संपत्ति विकास से आमदनी	300	03%
कुल	10571*	100%

* करों और शुल्कों को छोड़कर

कॉरीडोर

7.25 परियोजना के पहले फेज में निम्नलिखित कॉरीडोर शामिल हैं:

लाइन संख्या	कॉरीडोर	स्टेशनों की संख्या	एट ग्रेड (कि॰मी॰)	भूमोपरि (कि॰मी॰)	भूमिगत (कि॰मी॰)		कुल
1.	शाहदरा-रिठाला	18	4.5	17.56	0		22.06
2.	विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय	10	0	0	10.84		10.84
3.	इन्द्रप्रस्थ-द्वारका	25	0	23.48	2.17		25.65
	कुल	53	4.5	41.04	13.01		58.55
	द्वारका उप-नगर (द्वारका-द्वारका VI)	6	0	6.50	0		06.50
	सकल योग (द्वारका उप-नगर सहित)	59	4.5	47.54	13.01		65.05

दिनांक 31.12.2010 तक संचयी व्यय 10571.00 करोड़ रुपए हुआ।

संचयी वास्तविक प्रगति 100% है। इस परियोजना को पूरा कर दिया गया है और चालू किया जा चुका है।

2. दिल्ली एम आर टी एस परियोजना फेज-II

7.24 भारत सरकार ने आरम्भ में 8118 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिनांक 30.8.2005 को दिल्ली एम आर टी एस परियोजना फेज-II के लिए निवेश प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और इसके अलावा 558 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत अर्थात 54.675 कि॰मी॰

तक विस्तार हेतु 8676 करोड़ रुपए की कुल लागत दिनांक 17.10.2006 को आई आई टी से कुतुबमीनार तक एलाइनमेंट को संशोधित किया। इंदरलोक मुंडका कॉरीडोर पर मानक गेज (एसजी-1435 मी.मी.) [पूर्व में ब्राड गेज (बीजी-1676 मी.मी.) स्वीकृत की गई थी] की स्वीकृति के बाद, लागत में 70.64 करोड़ रुपए की बचत करते हुए, लागत को दिनांक 7.3.2008 को पुन:संशोधित करके 8605.36 करोड़ किया गया। फेज-II के लिए भी करों और शुल्कों से छूट दी गई थी।

कारीडोर

7.25 फेज-II के अंतर्गत लिए गए कॉरीडोर निम्नवत् हैं:—

क्र॰ सं॰	कॉरीडोर	लम्बाई (कि॰मी॰)				स्टेशनों की संख्या	लक्ष्य/पूर्णता की तारीख
		भूमिगत	भूमोपरि	एट ग्रेड	कुल		
(1)	विश्वविद्यालय-जहांगीर पुरी	0.94	5.42	0.00	6.36	5	4.2.2009
(2)	केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार	11.76	0.77	0.00	12.53	10	30.9.2010
(3)	शाहदरा-दिलशाद गार्डन	0.00	3.09	0.00	3.09	3	4.6.2008
(4)	इन्द्रप्रस्थ-न्यू अशोक नगर	0.00	6.07	2.00	8.07	5	10.5.2009
(5)	यमुना बैंक-आनन्द विहार आई एस बी टी	0.00	6.17	0.00	6.17	5	7.1.2010
(6) (क)	कीर्ति नगर-अशोक पार्क (बी॰जी॰)		3.31				27.08.2011
(ख)	इन्द्रलोक-मुण्डका (एस॰जी॰)	0.00	15.15	0.00	18.46	16	30.04.2010
	कुल	12.70	39.99	2.00	54.68		

वित्तपोषण योजना

बचत के बाद संशोधित वित्तपोषण योजना निम्नलिखित है:—

(करोड़ रु॰ में)

मद	मूल वित्तपोषण योजना	संशोधित वित्तपोषण योजना
इक्विटी	2435	2388.39 (28%)
भूमि के लिए अनुषंगी ऋण	350	350.00 (4%)
पास थ्रू सहायता पीटीए	5081	5056.97 (59%)
संपत्ति विकास	405	405.00 (4.5%)
आंतरिक प्राप्ति	405	405.00 (4.5%)
कुल	8676*	8605.36* (100%)

* करों और शुल्कों को छोड़कर

(i) गुडगांव तक दिल्ली मेट्रो फेज-II का विस्तार

7.26 भारत सरकार द्वारा दिनांक 4.12.2006 को अम्बेडकर कालोनी से सुशांत लोक गुड़गांव (14.47 कि॰मी॰—दिल्ली का भाग-7.42 कि॰मी॰, हरियाणा का भाग-7.05 कि॰मी॰) तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसको पूरा किए जाने का

लक्ष्य 30.6.2010 तक रखा गया था जिसे संशोधित कर 31.3.2010 कर दिया गया। यह मार्ग पूर्णतया भूमोपरि है। केन्द्रीय करों और शुल्कों को शामिल करते हुए अनुमानित पूर्णता लागत 1581.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गुड़गांव में मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश करने और बाहर जाने के द्वार बनाने और सीढ़ियां बनाने के लिए दिनांक 4.3.2009 को 8.44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार, संशोधित लागत 1589.44 करोड़ रुपए है।

वित्तपोषण योजना

हरियाणा का भाग

क्र॰सं॰	मदों का विवरण	राशि (करोड़ रु॰ में)	वित्तपोषण एजेंसी
1.	भूमि की लागत	20	हरियाणा सरकार
2.	नेटवर्क की पूंजीगत लागत	570	80:20 के अनुपात में अनुदान के रूप में हरियाणा सरकार और भारत सरकार की भागीदार होगी।
3.	रोलिंग स्टॉक की लागत	98	डी एम आर सी द्वारा वहन किया जाएगा।
	कुल लागत	688	(करों और शुल्कों को छोड़कर)

दिल्ली का भाग **(करोड़ रु॰)**

क्र॰सं॰	मदों का विवरण	राशि	वित्तपोषण एजेंसी
1.	भूमि की लागत	49	अनुषंगी ऋण के रूप में भारत सरकार और रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार की समान रूप से भागीदारी होगी।
2.	परियोजना के दिल्ली भाग की शेष लागत	685	● जे॰बी॰ आई॰ सी से ऋण के रूप में 352 करोड़ रु॰ ● भारत सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में 111 करोड़ रु॰ ● रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में 111 करोड़ रु॰ ● हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 111 करोड़ रु॰
	कुल लागत		734 (करों और शुल्कों को छोड़कर)

हरियाणा भाग के लिए कर

क्र॰सं॰	कर और शुल्क	राशि (करोड़ रु॰ में)	भागीदारी की राशि
1.	केन्द्र	55	80:20 के अनुपात में भारत सरकार और रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा 1 केन्द्र की हिस्सेदारी बिना ब्याज अनुषंगी ऋण के रूप में है।
2.	राज्य	20	हरियाणा सरकार, जिसके लिए छूट होगी या जिसकी प्रतिपूर्ति होगी।

दिल्ली भाग के लिए कर

क्र सं॰	कर और शुल्क	राशि (करोड़ रु में)	भागीदारी की राशि
1.	केन्द्र	60	ब्याज मुक्त अनुषंगी ऋण के रूप में भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा बराबर अनुपात में।
2.	राज्य	24	रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी या प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.27 दिल्ली से गुडगांव तक मेट्रो विस्तार करने हेतु कुल पूर्णता लागत 1581 करोड़ रुपए (763 करोड़ रुपए हरियाणा का भाग + 818 करोड़ रुपए दिल्ली का भाग) + गुड़गांव में मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश द्वारा और बाहर जाने के द्वार और एस्क्लेटेर हेतु 8.44 करोड़ रुपए है जो 1589.44 करोड़ रुपए बैठता है।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय बदरपुर कॉरीडोर

7.28 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तथा तुगलकाबाद में डा॰ कर्णी सिंह सूटिंग रेंज तक संपर्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 17.5.2007 को 4012.00 करोड़ रुपए (केन्द्रीय करों सहित) अनुमानित पूर्णता लागत से 20.16 कि॰मी॰ की लम्बाई वाली केन्द्रीय सचिवालय–बदरपुर कॉरीडोर को स्वीकृति दी। इस परियोजना से खेलों के बाद कॉरीडोर के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण रिहायशी एवं वाणिज्यिक केन्द्रों को लाभ मिलेगा तथा भविष्य में फरीदाबाद से संपर्क स्थापित होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य 30.6.2010 था जिसे संशोधित कर 30.9.2010 किया गया। केन्द्रीय सचिवालय से सरिता विहार तक राष्ट्रमंडल खेलों से पहले 3.10.2010 को चालू किया गया और सरिता विहार से बदरपुर 14.1.2011 को चालू किया गया।

एलाइनमेंट

7.29 परियोजना का एलाइनमेंट केन्द्रीय सचिवालय से वाया खान मार्किट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लाजपत नगर, मूलचन्द, कैलाश कॉलोनी, नेहरू प्लेस, कालका जी, ओखला, जसोला, सरिता विहार, मोहन कॉपरेटिव इन्ड्रस्ट्रियल एस्टेट, तुगलकाबाद से बदरपुर तक होगा।

वित्तपोषण योजना

7.30 अनुमोदित वित्तपोषण योजना इस प्रकार है:—

	(करोड़ रु में)
भारत सरकार द्वारा इक्विटी (17%)	612.50
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इक्विटी (17%)	612.50
भूमि लागत के लिए सरकार द्वारा अनुषंगी ऋण (3.26%)	117.50
भूमि लागत के लिए रा॰ रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा अनुषंगी ऋण (3.26%)	117.50
जे बी आई सी ऋण (भारत सरकार द्वारा डी एम आर सी को सहायता के रूप में दिया जाएगा) (59.48%)	2143.00
केन्द्रीय कर—भारत सरकार	165.00
केन्द्रीय कर—रा॰रा॰क्षेत्र दिल्ली सरकार	165.00
रा॰रा॰क्षेत्र दिल्ली सरकार छूट देने/प्रतिपूर्ति किए जाने वाले राज्य कर	79.00
कुल	**4012.00**

7.31 केन्द्रीय करों और शुल्कों की अतिरिक्त लागत की भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रा॰रा॰क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुषंगी ऋण के रूप में बराबर-बराबर भागीदारी की जाएगी।

(iii) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे तक हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक

7.32 भारत सरकार ने 3076 करोड़ रुपए (करों समेत) की अनुमानित समापन लागत पर 17 मई, 2007 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे तक 19.2 कि॰मी॰ की कुल लम्बाई के हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक स्वीकृत किया है। 19.2 कि॰मी॰ की कुल लम्बाई में से 11.63 कि॰मी॰ भूमिगत है और बाकी 7.57 कि॰मी॰ भूमियोपरि रेम्प है जिसमें कुल पांच मेट्रो स्टेशन होंगे। यह दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि॰ और मैसर्स रिलाइंस एनर्जी एंड सी ए एफ प्रा॰लि॰ के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अनुबंध है। सिविल निर्माण कार्य डीएमआरसी के पास है और सिस्टम संबंधी निर्माण कार्य मैसर्स रिलाइंस एनर्जी के पास है। इस परियोजना को 30 जून, 2010 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य था लेकिन इसे बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2010 कर दिया गया। तथापि, मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली फायर सर्विस तथा सरकार से सुरक्षा अनुमोदनों के अभाव में तब तक इस लाईन को नहीं खोला जा सका। इस लाईन को 105 कि॰मी॰ प्रति घंटे की प्रचालन रफ्तार के साथ 23.2.2011 को चालू किया गया है जिससे यात्रियों को हड़बड़ी रहित तथा आरामदायक यात्रा के साथ-साथ विमानपत्तन से तेजी से निकासी सुनिश्चित हो पाएगी।

अलाइनमेंट

7.33 इसका संशोधित अलाइनमेंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाया बाबा खड़क सिंह मार्ग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, रिज, धौला कुंआ और राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 से होते हुए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम स्टेशनों पर सामान की जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पार्किंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर एक बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा की भी व्यवस्था की जाएगी।

वित्तपोषण योजना

7.34 अनुमोदित रियायतग्राही दृष्टिकोण के तहत, हवाई अड्डे के बाहर के सिविल निर्माण कार्य जैसे भूमि की लागत, अलाइनमेंट, स्टेशनों के लिए इक्विटी अंशदान के रूप में भारत और रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा बराबर-बराबर भागीदारी की जाएगी। हवाई अड्डे के अंदर सिविल निर्माण कार्य की लागत (350 करोड़ रु॰) डी एम आर सी को अनुदान के रूप में हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा वहन की जाएगी।

रोलिंग स्टॉक सहित शेष लागत कंशेसनेयर द्वारा वहन की जाएगी। वित्तपोषण योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड रु में)

विवरण	करों सहित	
हवाई अड्डे के अंदर सिविल कार्यों के लिए डी एम आर सी को हवाई अड्डा आपरेटर द्वारा दिया जाने वाला अनुदान (सीधे ही दिया जाएगा)	350	(12%)
हवाई अड्डे से बाहर सिविल कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली इक्विटी	599	(19%)
हवाई अड्डे से बाहर सिविल कार्यों के लिए रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली इक्विटी	599	(19%)
7:3 के इक्विटी अनुपात में ऋण को बनाए रखने के लिए कंशेसनेयर द्वारा इक्विटी	461	(15%)
कंशेसनेयर द्वारा 10% की दर से घरेलू ऋण	1067	(45%)
कुल	3076	(100%)

(iv) इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से द्वारका सैक्टर-21 तक एक्सप्रेस लिंक का विस्तार

7.35 इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से द्वाराका सैक्टर-21 तक एक्सप्रेस लिंक का विस्तार (पूर्णत: भूमिगत और केवल एक स्टेशन) दिनांक 29.1.2009 को स्वीकृत किया गया जिसकी लंबाई 3.50 कि॰ मि॰ और अनुमानित समापन लागत 793 करोड़ रु॰ (केन्द्रीय करों सहित) है। इस परियोजना को 30.9.2010 तक पूरा करने का लक्ष्य था परंतु मेट्रो सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली फायर सर्विस तथा सरकार से सुरक्षा अनुमोदनों के अभाव में इसे खोला नही जा सका। लाइन को 23.2.2011 को चालू कर दिया गया है।

वित्तपोषण योजना

7.36 अनुमोदित वित्तपोषण योजना इस प्रकार है:—

क्र॰ सं॰	विवरण	करोड़ रु॰ में	प्रतिशतता
1.	सिविल कार्यों के लिए सरकार द्वारा इक्विटी	158.60	20
2.	सिविल कार्यों के लिए रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा इक्विटी	158.60	20
3.	दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा अनुदान	217.40	27.42
4.	कंशेसनेयर का निवेश	77.50	9.77
5.	कंशेसनेयर द्वारा घरेलू ऋण	180.90	22.81
	कुल	793.00	100

(v) दिल्ली मेट्रो फेज-II का नोएडा तक विस्तार

7.37 दिल्ली में न्यू अशोक नगर से सेक्टर-32, नोएडा, उत्तर प्रदेश तक (7 किमी॰) के दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए करों और शुल्कों सहित 827 करोड़ रु॰ की अनुमानित समापन लागत की स्वीकृति दिनांक 19.3.2008 को दी गई थी। यह लाईन पूरी तरह से भूमोपरि है तथा इसके कुल 6 मेट्रो स्टेशन हैं। परियोजना पूरी हो चुकी है तथा दिनांक 12.11.2009 को प्रारंभ हो चुकी है।

एलाइनमेंट:— न्यू अशोक नगर से सेक्टर-32 नोएडा।

7.38 अनुमादित वित्तपोषण योजना निम्न प्रकार है:—

क्र॰ सं॰	मदों का विवरण	राशि (करोड़ रु॰ में)	वित्तपोषण एजेंसी
1.	भूमि की लागत	32	नोएडा
2.	नेटवर्क की पूंजीगत लागत	611	80:20 अनुपात में उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
3.	रोलिंग स्टाक की लागत	93	डीएमआरसी द्वारा वहन की जाएगी।
4	कुल	736*	

*शुल्क और करों को छोड़कर

सरकार द्वारा यथा अनुमोदित करों और शुल्कों को निम्न प्रकार वहन किया जाएगा:—

क्र॰ सं॰	कर और शुल्क	राशि (करोड़ रु॰ में)	राशि की भागीदारी
1.	केन्द्र	69	80:20 के अनुपात में सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। केन्द्र का शेयर ब्याज मुक्त अनुषंगी ऋण के रूप में मुहैया कराया जा रहा है।
2.	राज्य	22	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छूट दी जाएगी या प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.39 इस प्रकार, करों और शुल्कों सहित नोएडा तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए कुल समापन लागत 827 करोड़ रु॰ है।

(vi) द्वारका सेक्टर-9 से द्वारका सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक का विस्तार

7.40 द्वारका सेक्टर-9 से द्वारका सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक के 2.76 किमी॰ लंबे (पूरी तरह से भूमोपरि एवं केवल एक मेट्रो स्टेशन) विस्तार की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 25.4.2008 को 356.11 करोड़ रु॰ (केन्द्रीय करों सहित) की अुनमानित पूर्णता लागत से की गई है। परियोजना के दिनांक 31.12.2009 तक पूरा होने का लक्ष्य था जिसे 30.10.2010 को चालू किया गया है।

वित्तपोषण योजना

7.41 275 करोड़ रु॰ की पूंजीगत लागत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दी जाएगी। 81.11करोड़ रु॰ के रोलिंग स्टाक की पूर्ति डीएमआरसी द्वारा की जाएगी।

रोलिंग स्टाक हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि

7.42 सरकार ने इस घटक के लिए दिल्ली एमआरटीएस फेज-II तथा विशेष रूप से कामनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए राइडरशिप में वृद्धि करने के लिए जेआईसीए ऋण को 56 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम करने के आलोक में अतिरिक्त रोलिंग स्टाक की खरीद हेतु अपेक्षित संसाधनों में अंतराल के वित्तपोषण हेतु दिनांक 30.1.2009 को डीएमआरसी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

(i)	भारत सरकार द्वारा इक्विटी	—	1265.50 करोड़ रु॰
(ii)	रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार द्वारा इक्विटी	—	1265.50 करोड़ रु॰
(iii)	डीएमआरसी द्वारा संपत्ति विकास निधि	—	550.00 करोड़ रु॰
	कुल	—	3086.00 करोड़ रु॰

7.43 दिल्ली एमआरटीएस फेज-II हेतु तथा उपर्युक्त विस्तारों के लिए 31.12.2010 तक संचयी व्यय 17941.12 करोड़ रु॰ है। संचयी वास्तविक प्रगति 99.09 प्रतिशत है।

(vii) दिल्ली मेट्रो का वैशाली, गाजियाबाद तक विस्तार

7.44 भारत सरकार द्वारा 320 करोड़ रु॰ (केन्द्रीय करों समेत) की पूर्णता लागत पर 2.574 किमी॰ लंबे (पूर्णरूप से भूमोपरि और केवल 2 मेट्रो स्टेशन वाले) दिल्ली मेट्रो से वैशाली, गाजियाबाद के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना को 14.07.2011 तक पूर्ण/चालू करने का लक्ष्य है।

वित्तपोषण योजना

क्र॰ सं॰	मदों का विवरण	राशि (करोड़ रु॰ में)	वित्तपोषण एजेंसी
1.	भूमि की लागत	–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2.	नेटवर्क की पूंजीगत लागत	260.00	डीएमआरसी को अनुदान के रूप में 2 समान किस्तों में गाजियाबाद विकास प्राधिकारण द्वारा प्रदान की जाएगी।
3.	रोलिंग स्टॉक की लागत	60.00	डीएमआरसी द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से वहन की जाएगी।
	कुल लागत	320.00	

3. दिल्ली एमआरटीएस प्रोजेक्ट फेज III

7.45 भारत सरकार ने निम्नलिखित वित्त योजना के अंतर्गत 35,242 करोड़ रु॰ (केन्द्रीय कर सहित लेकिन राज्य करों को छूट/प्रतिपूर्ति सहित) की लागत वाले 103.05 कि॰मी॰ लंबे दिल्ली एमआरटीएस फेज III को अनुमोदित किया है:

वित्त का स्रोत	राशि (करोड़ रु॰ में)	प्रतिशत
भारत सरकार और जीएनसीटीडी द्वारा इक्विटी (प्रत्येक द्वारा 10.636 प्रतिशत)	7497.00	21.27
भूमि के लिए ब्याजमुक्त अनुषंगी ऋण तथा भारत सरकार और जीएनसीटीडी द्वारा केन्द्रीय कर (प्रत्येक द्वारा 7.235 प्रतिशत)	5100.00	14.47
उप-योग (भारत सरकार और जीएनसीटीडी)	**12597.00**	**35.74**
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान	1500.00	4.26
डीएमआरसी द्वारा संपत्ति का विकास	1586.00	4.50
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा 1.4 प्रतिशत की दर से ऋण	14097.00	40.00
आईआईएफसीएल और अथवा ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण	5462.00	15.50
कुल	**35242.00**	**100.00**

दिल्ली एमआरटीएस फेज-III के तहत निम्नलिखित कॉरीडोर शमिल हैं—

क्र॰ सं॰	रूट का नाम	भूमिगत (किमी॰)	भूमोपरि/एट ग्रेड (किमी॰)	कुल (किमी॰)	स्टेशनों की संख्या
1.	मुकुंदपुर से यमुना विहार	14.386	41.311	55.697	35
2.	जनकपुरी वेस्ट से कालिंदीकुंज	17.288	16.206	33.494	22
3.	केन्द्रीय सचिवालय से कश्मीरी गेट	9.370	0.000	9.37	7
4.	जहांगीरपुरी से बादली कॉरीडोर	0.000	4.489	4.489	3
	कुल	41.044	62.006	103.050	67

7.46 इन कॉरीडोरों का चयन मूलत: न केवल इन कॉरीडोरों में यातायात की संभावना के आधार पर बल्कि मौजूदा चरण-I और II कॉरीडोरों में, इन कॉरीडोरों की वजह से यात्रियों की अतिरिक्त संख्या और इस प्रकार समग्र रूप से मेट्रो नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई कवरेज को अधिकतम करते हुए विचार करके भी किया गया है।

7.47 चरण-III शुरू के होने के बाद कुल नेटवर्क पर सवारियों की अनुमानित संख्या (लाख में) निम्नलिखित अनुसार है:—

वर्ष चरण	2016	2021	2026	2031
चरण I	5.89	6.96	8.15	9.49
चरण II	15.05	18.36	21.46	24.72
चरण III	18.56	23.00	27.19	31.41
कुल	39.50	48.32	56.80	65.62

7.48 चरण-III परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 सिविल कांटैक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं। सिविल कार्यों के विस्तृत डिजाइन संबंधी एजेंसियां भी तैनात कर ली गई हैं। सिविल कार्यों को छोड़कर, कांट्रैक्ट के टेंडर दस्तावेज भी तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। केन्दीय सचिवालय-मंडी हाउस खंड का वास्तविक कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना की समग्र प्रगति 1.75 प्रतिशत है। फरीदाबाद एक्सटेंशन के लिए सिविल कांट्रैक्टों के टेंडर की प्रक्रिया भी जारी है।

7.49 डीएमआरसी का विचार उपर्युक्त कॉरीडोरों को अलग-अलग समय में खोलना है और संपूर्ण परियोजना पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा मार्च, 2016 है। कार्यान्वयन अनुसूची निम्नलिखित अनुसार है:—

कॉरीडोर संख्या	कॉरीडोर	खुलने का प्रस्तावित समय
एल-7	मुकुंदपुर-यमुना विहार	मार्च, 2016
एल-8	जनकपुरी-कालिंदी कुंज	फरवरी, 2016
एल-6 विस्तार	केन्द्रीय सचिवालय-कश्मीरी गेट	दिसंबर, 2015
एल-2 विस्तार	जहांगीरपुरी-बादली	दिसंबर, 2014

दिल्ली मेट्रो का वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद तक विस्तार

7.50 भारत सरकार द्वारा 2533 करोड़ रु॰ (केन्द्रीय करों समेत) की पूर्णता लागत पर 13.875 कि॰मी॰ लंबे (पूर्णरूप से भूमोपरि और केवल 9 मेट्रो स्टेशन वाले) दिल्ली मेट्रो से वाईएमसीए चौक, फरीदाबाद के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना को सितंबर, 2014 तक पूर्ण/चालू करने का लक्ष्य है।

वित्तपोषण योजना

(करोड़ रु॰ में)

क्र॰ सं॰	मदों का विवरण	राशि	वित्तपोषण एजेंसी
1.	भूमि की लागत	85	हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2.	नेटवर्क की पूंजीगत लागत	2048	1678 करोड़ रु॰ का अनुदान जिसमें कर शामिल नहीं है, का अंशदान हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा 80:20 के अनुदान में यानी हरियाणा सरकार द्वारा 1342.40 करोड़ रु॰ और भारत सरकार द्वारा 335.60 करोड़ रु॰, किया जाएगा।
3.	रोलिंग स्टॉक की लागत	400	डीएमआरसी द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से वहन की जाएगी।
	कुल लागत	2533 करोड़	

(x) प्रचालन के मामले में,डीएमआरसी ने 12 अगस्त, 2011 को यात्रियों का नया रिकार्ड कायम किया जब दिल्ली मेट्रों में 20 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की।

(xi) डीएमआरसी परियोजना को ''सर्वोत्तम सीडीएम परियोजना, 2011'' घोषित करते हुए शहरी परिवहन संस्थान द्वारा डीएमआरसी को पुरस्कृत किया गया।

(xii) डीएमआरसी सभी राज्यों को उनके शहरों में मेट्रो प्रणाली विकसित करने में भी मदद कर रही है।

4. बंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना

7.51 परियोजना में कुल 42.3 किमी॰ लंबे दो कोरिडोरों का विचार किया गया है। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर बैयापनहल्ली से मैसूर तक 18.10 किमी॰ तथा नार्थ-साउथ कारिडोर-यशवंतपुर से आर वी रोड अयनगर तक 14.9 किमी॰ है। नार्थ-साउथ कोरिडोर के उत्तरी तरफ के यशवंतपुर से हेसरघट्टा क्रास (5.6 किमी॰) तथा नार्थ-साउथ कारिडोर के दक्षिणी तरफ के आरवी टर्मिनल से पुट्टेनहल्ली क्रास (3.7 किमी॰) तक फेज-I का विस्तार 1 ट्रैक स्टैण्डर्ड गेज (1.435 मी॰) पर होगा। परियोजना की कुल पूर्णता लागत 8158.00 करोड़ है। इस परियोजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एसपीवी द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा इसे अब दिनांक 30.9.2013 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। 7 किमी॰ का प्रथम खंड अप्रैल, 2011 में वाणिज्यिक प्रचालन के लिए रखा गया है। वर्ष 2010-11 के लिए बजट प्रावधान इक्विटी-100.00 करोड़ रु॰, अनुषंगी ऋण 25.00 करोड़ रु॰ तथा पीटीए 451.21 करोड़ रु॰ है।

5. ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कोरिडोर, कोलकाता

7.52 साल्टलेक सेक्टर-V से हावड़ा तक 13.77 किमी॰ की लंबे और 4676 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना दिनांक 30.7.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। लगभग 900 मी॰ तक एलाइनमेंट का विस्तार करके तथा हावड़ा टर्मिनल प्वाइंट को हावड़ा मैदान तक स्थानांतरित करके तथा बहु बाजार स्टेशन को समाप्त करके सरकार द्वारा दिनांक 19.2.2009 को परियोजना लागत में संशोधन करके 4874.58 करोड़ रु॰ किया गया है। कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा वर्ष 2014-15 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। अब रेल मंत्रालय को अंतरित करने के बाद इसकी प्रगति प्रभावित हुई है।

वित्त पोषण योजना

(करोड़ रु॰ में)

इक्विटी—भारत सरकार	701.50
इक्विटी—प॰ बंगाल सरकार	701.50
अनुषंगी ऋण—भारत सरकार केन्द्रीय कर	467.50
अनुषंगी ऋण—प॰ बंगाल सरकार	751.14
जेआईसीए ऋण	2252.94
कुल	4874.58

6. चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना

7.38 केन्द्रीय करों सहित 14600 करोड़ रु॰ की अनुमानित पूर्णता लागत वाली 45.046 किमी॰ लंबी परियोजना भारत सरकार द्वारा 18.2.2009 को स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना में दो कोरिडोर अर्थात् वाशरमैनपेट से चेन्नई एअरपोर्ट (23.085 किमी॰) एवं चेन्नई सेन्ट्रल से सेंट थामस माउन्ट (21.961 किमी॰) है। कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा वर्ष 2014-15 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

वित्त पोषण योजना

(करोड़ रु॰ में)

इक्विटी—भारत सरकार	2190
इक्विटी—तमिलनाडु सरकार	2190
अनुषंगी ऋण—भारत सरकार केंद्रीय कर	730
अनुषंगी ऋण—तमिलनाडु सरकार	844
जेआईसीए ऋण	8646
कुल	14600

7. मुम्बई मेट्रो परियोजना लाईन-1

7.54 वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपार कॉरीडोर 11.40 किमी॰ है। यह सड़क के बीच में स्तम्भों से समर्थित भूमोपरि कॉरीडोर है। इससे पूर्वी तथा पश्चिमी उपनगर से पश्चिमी एवं केन्द्रीय रेलवे से जुड़ सकेंगे। घाटकोपार तथा अंधेरी में क्रमश: केन्द्रीय एवं पश्चिमी रेलवे के साथ परस्पर बदलाव की सुविधा प्रदान की भी व्यवस्था का प्रस्ताव है। कोरीडोर से वर्सोवा-घाटकोपार का यात्रा समय 71 मिनट से घटकर 21 मिनट हो जाएगा। यह परियोजना बीओटी/पीपीपी आधारित है। रियायत ग्राही मैसर्स रिलायंस एनर्जी के नेतृत्व वाला मैसर्स मेट्रो वन ग्रुप है। 7 मार्च, 2007 को राज्य सरकार तथा रियायत ग्राही के बीच रियायती करार तथा शेयर धारक के करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं और एसपीवी अब पूरी तरह से प्रचालन में है। निर्माण स्थल पर प्रगति के अनुसार परियोजना के दिसंबर, 2012 तक चालू होने की संभावना है। कतिपय शहरी परिवहन सुधारों के अध्यधीन वीजीएफ जारी करने के लिए अनुबंध किया गया है। वित्तपोषण की पद्धति निम्नलिखित है:—

(करोड़ रु॰ में)

ग्राही इक्विटी	380
एमएमआरडीए इक्विटी	134
ऋण	1192
वीजीएफ अनुदान भारत सरकार	471
वीजीएफ अनुदान महाराष्ट्र सरकार	179
योग	**2356**

भारत सरकार द्वारा वीजीएफ (471 करोड़ रु॰) जारी करना राज्य सरकार/मुंबई मेट्रो पालिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण/परियोजना को कार्यान्वित कर रहे स्पेशल परपज व्हीकल द्वारा किए जाने वाले कतिपय सुधारों के अध्यधीन है। इसमें से भारत सरकार द्वारा अब तक 235.5 करोड़ रु॰ जारी किए गए हैं। नवंबर, 2011 तक 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

8. मुम्बई मेट्रो रेल परियोजना लाईन-2

7.55 मुम्बई मेट्रो रेल लाईन-2 परियोजना बीओटी/पीपीपी प्रणाली द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। फेज-2 की कुल लंबाई 31.87 किमी॰ है तथा परियोजना की पूर्णता लागत 7660 करोड़ रु॰ है। केन्द्र सरकार से वीजीएफ अनुदान 1532 करोड़ रु॰ का है। 21.1.2010 को राज्य सरकार तथा रियायत ग्राही के बीच रियायती करार पर हस्ताक्षर हुए तथा इसके 2013-14 तक पूर्ण होने की आशा है। प्रणाली को स्टेण्डर्ड

गेज पर डिजायन किया गया है। यह पूर्ण रूप से भूमोपरि कोरीडोर है जिसमें 27 स्टेशन हैं। इसमें 25 केवी वातानुकूलित ट्रेक्शन के साथ उपरि केटीनरी होगा । इस प्रणाली को इस कॉरीडोर पर अधिकतम यातायात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। कोच 3.2 मीटर चौड़ी होगी जो पूर्ण रूप से वातानुकूलित होंगी। 4 कोच वाली ट्रेन की क्षमता 1178 होगी। 80 किमी॰ प्रति घंटे की डिजाइन की गई रफ्तार से ट्रेन 3 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। परियोजना के वित्तपोषण की पद्धति निम्नलिखित है:—

	(करोड़ रु॰)
ग्राही इक्विटी	1609
ऋण	3753
वीजीएफ भारत सरकार	1532
वीजीएफ महाराष्ट्र सरकार	766
योग	**7660**

9. हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना

7.56 मेट्रो रेल परियोजना 12132 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से 71.16 किमी॰ (66 स्टेशन) की दूरी के लिए शहर के अधिक घने तीन यातायात कॉरीडोरों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना डिजायन, निर्माण, वित्त, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तरीके से विकसित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार तथा एल एंड टी हैदराबाद मेट्रो रेल प्रा॰लि॰ जो डीबीएफओटी आधार पर परियोजना को विकसित करने हेतु एल एंड टी द्वारा स्थापित एसवीपी कंपनी है, ने 4 सितंबर, 2010 को रियायती करार पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उक्त परियोजना संबंधी वास्तविक कार्य अभी शुरू करना बाकी है क्योंकि डिपो के लिए भूमि पर मुकदमा चल रहा है।

10 जयपुर मेट्रो रेल परियोजना

7.57 केन्द्र सरकार ने 21 जनवरी, 2011 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के स्टेज-I का सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया। जयपुर मेट्रो का फेज-I 28.92 किमी॰ (लगभग) है जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 7531 करोड़ रु॰ है। कार्य को दो स्तरों अर्थात् स्टेज-I तथा स्टेज-II में विभाजित करने पर विचार किया गया है। चरण-I में 1250 करोड़ रु॰ की अनुमोदित लागत से मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किमी॰ लाइन का सिविल निर्माण कार्य शामिल है तथा स्टेज-I के शेष कार्य स्टेज-II में हैं। स्टेज-II पीपीपी प्रणाली पर है जिसमें शेष लाइनों का बकाया निर्माण कार्य, सिगनलिंग तथा दूरसंचार पद्धति तैयार करना एवं समग्र स्टेज-I पर रोलिंग स्टॉक (चरण-I पर निर्मित लाइन सहित) तथा संपूर्ण स्टेज-I का प्रचालन शामिल है। जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने डीएमआरसी के साथ निपेक्ष कार्य आधार पर स्टेज-I के भाग के विकास (सिगनलिंग, दूरसंचार तथा रोलिंग स्टाक के अधीन आने वाले कार्यों को छोड़कर) अर्थात् स्टेज-I हेतु करार संपन्न किया है। स्टेज-I के लिए वित्त व्यवस्था राजस्थान सरकार तथा उसके अभिकरणों/बैंकों आदि द्वारा वहन की जाएगी। स्टेज-I का कार्य 2013 तक पूरा हो जाएगा। मेट्रो फेज-I का संपूर्ण कार्य 2015 तक चालू होने के लिए विचार किया गया है। नवंबर, 2011 तक, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के चरण-I से संबंधित 35 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

विश्व बैक-जीईएफ-यूएनडीपी सहायता प्राप्त सतत् शहरी परिवहन

7.58 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) अपनाने के बाद भारत सरकार का मूल लक्ष्य हमारे शहरों को, निजी वाहनों की तुलना में सतत् शहरी परिवहन पर निर्भर होना बनाना है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और विकास बैंक की सहायता से सतत् शहरी परिवहन परियोजना शुरू की है ताकि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के सिद्धांतों के अनुरूप हरित पर्यावरण को समर्थन देते हुए शहरी परिवहन परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में भारत सरकार और राज्य/स्थानीय सरकारों के बीच दीर्घ अवधि भागीदारी हो सके। पर्यावरण संबंधी खतरों को कम अथवा नियंत्रित करने के प्रयास सतत् शहरी परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

7.59 शहरी विकास मंत्रालय मई, 2010 से शुरू होकर 30 नवंबर, 2014 तक चलने वाली इस 4 वर्षीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। परियोजना की कुल लागत 14,161.55 मिलियन रु॰ है जिसमें से आईबीआरडी (ऋण) 5,038.50 मिलियन रु॰ और जीईएफ (अनुदान) 986.20 मिलियन रु॰ है। परियोजना का विकास उद्देश्य (पीडीओ) भारत में पर्यावरणीय सतत् शहरी परिवहन को बढ़ावा देना और चुने हुए शहरों में प्रदर्शन परियोजनाओं के जरिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों के उपयोग को बेहतर बनाना है।

7.60 परियोजना का विकास उद्देश्य (पीडीओ) भारत में पर्यावरणीय सतत् शहरी परिवहन को बढ़ावा देना और चुने हुए शहरों में प्रदर्शन परियोजनाओं के जरिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों के उपयोग को बेहतर बनाना है।

7.61 यह अपनी तरह की एक बेजोड़ परियोजना है जिसमें परिवहन क्षेत्र में बहुपक्षीय एजेंसियां, एसयूटीपी में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक शहरों के लिए गतिमान ट्रेन अवधारणा वाला बहुशहरी कार्यक्रम, जटिल वित्त पोषण प्रबंध, लेखा परीक्षा प्रणालियां, प्रशिक्षण और दक्षता विकास के जरिए शहरी परिवहन क्षेत्र में क्षमता विकास, पुस्तिका और टूल किटें तैयार करना तथा सुधार कार्यक्रमों का प्रसार करना शामिल हैं।

7.62 परियोजना कार्य कलापों की निगरानी के लिए शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता में एक संचलन समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) जिन्हें राष्ट्रीय परियोजना निदेशक के रूप में भी पद नामित किया गया है, की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। इस समिति को शहरी परिवहन संस्थान में स्थापित परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) द्वारा सहायता दी जाती है। मेसर्स मॉट मैकडानल्ड को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में और मैसर्स खंडेलिया एंड शर्मा को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) और उनके कार्यालय द्वारा संबंधित राज्यों में वाह्य लेखा परीक्षा करेगा।

परियोजना की स्थिति:

7.63 उक्त परियोजना के 2 प्रमुख घटकों के मामले में अब तक हुई प्रगति निम्नलिखित अनुसार है:—

घटक 1: राष्ट्रीय क्षमता विकास पहल—प्रयास:

7.64 यह घटक शहरी परिवहन की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में पहले से लगी सरकारी एजेंसियों/संस्थानों जैसे कि शहरी विकास मंत्रालय, चयनित शहरों में राज्य निकाय, परिवहन विभाग, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा संस्थागत तथा निजी क्षमता विकास पर बल देने संबंधी कार्यों और निष्कर्षों का समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

- **शहरी परिवहन संस्थान (आईयूटी) को सुदृढ़ तथा राष्ट्र स्तरीय 'ज्ञान प्रबंधन केन्द्र' की स्थापना करना:** मेसर्स डिलायटी टची तोमात्सू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया और अब परियोजना पूर्ण है।
- **राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगभग 1000 शहरी परिवहन व्यावसायिकों का प्रशिक्षण और दक्षता विकास:** परामर्श के लिए ईएमबीएआरक्यू कंसोटियम, यूएमटीसी और जीआईजेड के साथ 16 सितंबर, 2011 को हस्ताक्षर किए गए हैं तथा अभी अंतिम आरंभ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- **शहरी परिवहन योजना की विभिन्न अवधारणाओं के कार्यान्वयन के लिए 'उपयोग के लिए तैयार' के रूप में इस्तेमाल करने हेतु 10 टूल किटें तैयार करना:** उपर्युक्त उपलब्ध कराने के लिए श्रेष्ठता केन्द्रों से संपर्क किया गया।
- **एसयूटीपी के प्रभावों के विस्तार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए संवर्धन, जागरूकता उत्पन्न करने, तथा प्रसार कार्यकलापों के लिए जीईएफ-एसयूटीपी समाचार पत्रिका के 4 अंक प्रकाशित किए गए,** www.sutpiindia.org **नामक वेबसाइट है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है:** एसयूटीपी के प्रभावों के संवर्धन, जागरूकता उत्पन्न करने, और विस्तार के लिए एसयूटीपी परियोजना से संबंधित प्रसार कार्यशाला का आयोजन मैसूर में किया गया जिसमें विभिन्न पक्षकारों जिनमें मैसूर शहर के नागरिक, एनजीओ और एसोसिएशन, मीडिया, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि शामिल हैं, ने भाग लिया। पक्षकारों को स्पष्ट किया गया कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से वे किस प्रकार लाभान्वित होंगे।

परियोजना प्रबंधन यूनिट द्वारा, परियोजना की प्रगति की समीक्षा और शहरों द्वारा परस्पर विचार-विमर्श करने और अपने अनुभव बांटने के अवसर के रूप में 11 नवंबर, 2011 को प्रथम वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।

पिम्परी में लागू की जा रही बीआरटीएस संबंधी सूचना के प्रसार के लिए 22 दिसंबर, 2011 को पिम्परी-चिंचवाड में एक और परियोजना प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विश्व बैंक:

- **एकीकृत मेट्रोपालिटन परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) और शहरी परिवहन निधि (यूटीएफ) के लिए प्रचालन दस्तावेज**

तैयार करना: अभिरुचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्रकाशित की गईं और मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। विश्व बैंक प्रस्ताव और चयनितों की समीक्षा कर रहा है।

- **राष्ट्रीय शहरी परिवहन हेल्पलाइन तथा यातायात प्रबंधन एंव सूचना नियंत्रण केन्द्र (टीआईएमसीसी) के लिए प्रचालन दस्तावेज तैयार करना:** अभिरूचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्रकाशित की गईं और मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। विश्व बैंक प्रस्ताव और चयनितों की समीक्षा कर रहा है।
- **गैर मोटरीकृत परिवहन (एनएमटी) योजना, बाइक शेयरिंग स्कीम तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी):** अभिरूचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्रकाशित की गई और मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। विश्व बैंक प्रस्ताव और चयनितों की समीक्षा कर रहा है।
- **शहरी परिवहन अनुसंधान:** सीईपीटी को अपना प्रस्ताव करने के लिए 26.1.2011 को आरएफपी भेजा गया है।
- **जीएचजी इमीशंस मूल्यांकन प्रणाली तैयार करना:** अभिरूचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) प्रकाशित की गईं और मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है।
- **युवा शहरी परिवहन व्यवसायिकों का समूह तैयार करना:** सीईपीटी, शहरी परिवहन योजना के क्षेत्र में युवा व्यवसायिकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव है कि इस प्रशिक्षण का लाभ, प्रशिक्षण देने और अग्रणी तैयार करने के लिए पीआई यूनिटों से चुनिंदा व्यक्तियों को नामित किया जाए।
- **एनयूआरएम के तहत बसों की खरीद के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन:** संदर्भ की शर्तें डब्ल्यूबी द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय से अनुमोदन हेतु अभिरुचित की अभिव्यक्ति तैयार की जा रही है।
- **शहरी बस निजी प्रचालन के लिए मॉडल कांट्रक्ट तैयार करना:** संदर्भ की शर्तें डब्ल्यूबी द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय से अनुमोदन हेतु अभिरूचित की अभिव्यक्ति तैयार की जा रही है।

घटक 2: प्रदर्शन परियोजनाएं

7.65 यह घटक चुनिंदा शहरों में हाई प्रोफाइल प्रदर्शन परियोजनाओं को उत्प्रेरित करेगा जो अन्य भारतीय शहरों को सतत् परिवहन विकल्पों के लिए मॉडल्स तैयार करेगा। वर्तमान प्रदर्शन शहरों की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है:—

नया रायपुर

7.66 इस परियोजना में शहर के सभी प्रमुख मार्गों के लिए बीआरटी प्रणाली के साथ-साथ साइकल मार्ग (लगभग 36 किमी॰) शामिल है। जीईएफ नया रायपुर में आरंभिक बीआरटी कॉरीडोरों और साइकल रास्तों के लिए वास्तविक पूंजी निवेश का समर्थन करता है तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास अध्ययन के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। लागू हो जाने के बाद इस परियोजना से एक ऐसी तीव्रगामी प्रणाली तैयार होगी जो रायपुर और नया रायपुर के यात्रियों को दक्षता से यात्रा करने तथा निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि और सीएचजी उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाने में मदद करेगी।

वित्तपोषण

7.67 कुल परियोजना लागत 1,791.93 मिलियन रु॰ है जिसमें से आईबीआरडी (ऋण) 669 मिलियन रु॰ और जीईएफ (अनुदान) 91.20 मिलियन रु॰ है।

वर्तमान स्थिति

* बीआरटीएस के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और विश्व बैंक की टिप्पणियों के मद्देनजर उसमें संशोधन किया जा रहा है।
* साइकल मार्ग और पैदल यात्री मार्ग तथा बस टर्मिनल, बस डिपो औस बस शेल्टर स्थापित करने संबंधी डिजाइन तैयार करने के लिए 2 प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। शेष तकनीकी परामर्शों के लिए खरीद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

इंदौर

7.68 प्रदर्शन परियोजना सार्वजनिक परिवहन तथा निर्माणाधीन बीआरटीएस के प्रयोग का समर्थन करती है। जीईएफएसयूटीपी के तहत

2 परियोजनाएं यानी यातायात सिग्नल प्राथमिकताकरण तथा स्वत: किराया एकत्रीकरण की परिकल्पना की गई है। लागू हो जाने के बाद इस परियोजना से दक्षता, सुरक्षा, लागत प्रभाविता और सार्वजनिक परिवहन पर विश्वसनीयता को सुधारने में मदद मिलेगी जिससे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तपोषण

7.69 कुल परियोजना लागत 479.40 मिलियन रु० है जिसमें से जीईएफ (अनुदान) 91.40 मिलियन रु० है।

वर्तमान स्थिति

* तीन कॉरीडोरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन अब केवल एक कॉरीडोर के लिए बीआरटीएस की योजना है इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन किया जा रहा है।
* शेष तकनीकी परामर्शों के लिए खरीद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

मैसूर

7.70 प्रदर्शन परियोजना मैसूर में सतत् शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सीडीपी का समर्थन करती है। उप परियोजनाओं में बस प्रचालन को बेहतर बनाने और यात्रियों को ''ऑन लाइन'' सूचना उपलब्ध कराने के लिए दक्ष परिवहन प्रणाली (आईटीएस) शामिल हैं।

7.71 लागू हो जाने के बाद इस परियोजना से दक्षता, सुरक्षा, लागत प्रभाविता और सार्वजनिक परिवहन पर विश्वसनीयता को सुधारने में मदद मिलेगी जिससे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तपोषण

7.72 कुल परियोजना लागत 302.86 मिलियन रु० है जिसमें से जीईएफ (अनुदान) 91.72 मिनियन रु० है।

वर्तमान स्थिति

* आईटीएस कार्यान्वयन वेंडर की नियुक्ति कर दी गई है और आईटीएस कार्यान्वयन संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
* मैसूर में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए दक्ष परिवहन प्रणालियों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शी एजेंसी की अब तैनाती की जा चुकी है।
* निगरानी और मूल्यांकन परामर्शदाता कर क्रय अंतिम चरणों में है।
* शेष तकनीकी परामर्शों के लिए खरीद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

पिम्परी-चिंचवाड

7.73 प्रदर्शन परियोजना 2 नए सड़क-सह-बीआरटी कॉरीडोरों (19 किमी०), बीआरटी स्टेशनों तक यात्रियों की पहुंच (भूमोपरि और भूमिगत रास्ते तथा बेहतर एट-ग्रेड क्रासिंग), बीआरटी प्रचालनों को बढ़ाने के लिए दक्ष परिवहन प्रणाली (आईटीएस), बस स्टेशनों जैसा बीआरटीएस बुनियादी ढॉचा उपलब्ध कराने, प्रस्तावित बीआरटी सेल की स्थापना तथा पीसीएमसी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता का समर्थन करती है।

वित्तपोषण

7.74 कुल परियोजना लागत 7063.98 मिलियन रु० है जिसमें से आईबीआरडी (ऋण) 2097.70 मिलियन रु० और जीईएफ (अनुदान) 91.20 मिलियन रु० है।

वर्तमान स्थिति

* 'पवाना नदी पर पुल समेत पुरानी मुंबई, पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर नासिक फाटा पर फलाईओवर और आरओबी का डिजाइन तथा निर्माण' परियोजना की प्रगति सितंबर, 2011 तक लगभग 47% है।
* कालवाडी फाटा से देहु आलंदी रोड पर संपर्क मार्गों तथा रैम्प्स समेत पवरना नदी पर पुल, फलाई ओवर और आरओबी का डिजाइन और निर्माण संबंधी परियोजना में अब कैम्प कार्यालय की स्थापन की गई है और डिजाइन संबंधी कार्य जारी है।
* शेष तकनीकी परामर्शों के लिए खरीद की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

8

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी विकास

भारत में कम विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होने के नाते पूर्वोत्तर क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में निवेश को सरल बनाने हेतु प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की दुर्गम और दूर-दराज स्थिति को देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के शहरी क्षेत्र भारत में इसी आकार के क्षेत्रों की तुलना में अधिक उच्च प्रकृति के कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करने के लिए इन कस्बों और शहरों की क्षमताओं का दोहन करने का उपाय शहरी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में निवेश करना है।

1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान

8.2 सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु 10% एकमुश्त प्रावधान की स्कीम वित्त वर्ष 2001-02 से शहरी विकास मंत्रालय में लागू है। अब इसका कार्यान्वयन नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सिज (एनएलसीपीआर) के दिशानिर्देशों और मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जा रहा है। पूल से जारी सहायता का उपयोग परियोजना के लिए किया जाता है और इस सहायता राशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाता है।

8.3 मंत्रालय के वार्षिक योजना बजट का 10 प्रतिशत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों की परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित है।

8.4 इस मंत्रालय ने अब तक 2079.60 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से कुल 240 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं जिसमें भारत सरकार का अंश 1934.06 करोड़ रु॰ है और इस मंत्रालय द्वारा 1419.69 करोड़ रु॰ की राशि जारी की गई है। राज्यों द्वारा यथा सूचित अनुसार इनमें से 124 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ये परियोजनाएं आठ राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश में 57 परियोजनाएं, असम में 35 परियोजनाएं, मणिपुर में 20 परियोजनाएं, मेघालय में 17 परियोजनाएं, मिजोरम में 19 परियोजनाएं, नागालैंड में 49 परियोजनाएं, सिक्किम में 25 परियोजनाएं और त्रिपुरा में 18 परियोजनाएं चल रही हैं।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)

8.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) फेज-I का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एशियन विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 5 राजधानी शहर अर्थात अगरतला (त्रिपुरा), आइजोल (मिजोरम), गंगटोक, (सिक्किम) एवं कोहिमा (नागालैंड) शामिल हैं। ये परियाजनाएं वर्ष 2009-2016 की अवधि में तीन चरणों में शुरू की जा रही है।

8.6 इन परियोजनाओं में प्राथमिक वाली शहरी सेवाएं अर्थात (i) जलापूर्ति, (ii) सीवरेज एवं सफाई व्यवस्था तथा (iii) कचरा प्रबंधन एवं सांस्थानिक तथा वित्तीय सुधार भी शामिल हैं।

8.7 वर्तमान में इन राज्यों में प्रथम चरण की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस चरण में आईजोल, कोहिमा, गंगटोक एवं अगरतला में जलापूर्ति की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ठोस कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं कोहिमा एवं शिलांग में शुरू की जा रही हैं।

8.8 इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

जलापूर्ति परियोजनाएं:

(i) अगरतला की जलापूर्ति परियोजना में शहर के दक्षिण एवं केन्द्रीय क्षेत्र शामिल हैं और इसके तहत 22 ट्यूबवेलों का पुन: निर्माण किया जाएगा। 6 ट्यूबवेलों खेप–1 के लिए कांट्रैक्ट दे दिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 16 ट्यूबवेलों के लिए खेप–2 और 3 संबंधी बोलियां दुबारा जारी की जा रही है क्योंकि पिछली बोलियां असफल रही थी।

(ii) गंगटोक में, चंदमारी एवं बर्टुक क्षेत्र में पंप हाउस का निर्माण एवं वितरण नेटवर्क शुरू किया गया है। इस परियोजना में 3 नए जलाशयों एवं मुख्य जलाशयों में 4 क्लोरीनेटर्स के निर्माण की योजना है। इसमें 31 किमी॰ लंबी प्राथमिक पाइप लाइनों एवं 38 किमी॰ लंबी द्वितीयक एवं तृतीयक पाइप लाइनों के निर्माण के साथ नेटवर्किंग प्रणाली भी होगी। कांट्रैक्ट दे दिया गया है।

(iii) कोहिमा में इस परियोजना में मौजूदा जल शोधन संयंत्र का सुधार, 8 क्षेत्रीय जलाशयों के स्थान पर नए क्षेत्रीय जलाशयों का निर्माण तथा 3 प्रमुख जलाशयों में क्लोरीनेटर्स के निर्माण की परिकल्पना की गई है। कांट्रैक्ट दे दिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(iv) आइजोल में, जलापूर्ति परियोजना में 7 जलाशयों का प्रतिस्थापन, 2 मुख्य जलाशयों में क्लोरिनेटर्स का निर्माण एवं 13,000 मीटरयुक्त कनेक्शन लगाना शामिल हैं। निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 12000 जल मीटर लगा दिए गए हैं।

(v) उपर्युक्त के अलावा, उपर्युक्त सभी शहरों में जल आपूर्ति योजना में गैर राजस्व जल में कमी करने संबंधी कार्यक्रम शामिल होगा।

ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाएं:

(i) शिलांग में एसडब्ल्यूएम परियोजना में मवलई के मौजूदा स्थल पर एक सफाई लैंडफिल स्थल के निर्माण एवं उसकी साज–सज्जा करके वर्ष 2014 तक 45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ठोस कचरा एकत्रीकरण की मौजूदा प्रणाली का सुधार करने की परिकल्पना की गई है। कांट्रैक्ट दे दिया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।

(ii) कोहिमा में, ठोस कचरा एकत्रीकरण की मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के अतिरिक्त, इस परियोजना में कम्पोस्ट संयंत्र, सफाई लैंडफिल स्थल का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन केन्द्र का निर्माण एवं उसकी साज–सज्जा और प्राथमिक एवं द्वितीयक कचरा एकत्रीकरण में सुधार करने की परिकल्पना की गई है। कांट्रैक्ट दे दिया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।

8.9 चरण–2 परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक, भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय) तथा 5 परियोजना राज्यों के बीच ऋण तथा परियोजना समझौते हुए। एशियाई विकास बैंक ने इस चरण के लिए 72 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। राज्य सरकारों द्वारा तैयारी के अपेक्षित स्तर पर पहुंचने पर ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

8.10 इस चरण में जल आपूर्ति परियोजनाओं का विस्तार अगरतला, आइजल, गंगटोक, कोहिमा तथा शिलांग स्थित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना तक किया जाएगा। गंगटोक स्थित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना तथा आइजोल स्थित मल–जल निकासी परियोजना को भी इस चरण में शामिल किया गया है। आइजोल संस्थागत विकास परामर्शी फर्म (आईडीसी) की तैनाती की गई है। कोहिमा में आईडीसी के लिए कांट्रैक्ट दे दिया गया है तथा गंगटोक में इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

लाल बाजार, सिक्किम

9

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रेलवे, रक्षा, संचार, परमाणु ऊर्जा, विमानपत्तन और आकाशवाणी से संबंधित परिसम्पत्तियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार की परिसम्पत्तियों के सृजन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। 157 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ ने स्मारकों, वास्तुकीय भव्य इमारतों और इंजीनियरी उत्कृष्टता से युक्त भवनों का निर्माण किया है। तेजी से उभरते भारत में के॰लो॰नि॰वि॰ ने पर्यावरणानुकूल और ढांचागत संरचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशभर में इसे अनेक प्रतिष्ठित इमारतों यथा राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, विज्ञान भवन और कई बहुमंजिला कार्यालय एवं रिहायशी भवनों के निर्माण का श्रेय जाता है।

9.2 के॰लो॰नि॰वि॰ एक ऐसा संगठन है जिसे निर्माण कार्य के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह संपूर्ण गुणता आश्वासन युक्त सभी इंजीनियरी परियोजनाओं के लिए योजना, अभिकल्पन, निर्माण और अनुरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें कार्यरत उच्च योग्यता प्राप्त वास्तुकों, सिविल इंजीनियरों, वैद्युत इंजीनियरों और उद्यान विशेषज्ञों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यार्थी विभागों द्वारा के॰लो॰नि॰वि॰ को सौंपी गई परियोजनाओं का निष्पादन समग्र रूप से किया जाए। यह संगठन लोक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सहकारी समितियों तथा विदेशों में स्थित परियोजनाओं के लिए कार्यों की योजना, अभिकल्पन और निष्पादन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। अभी तक इसने भारत से बाहर दस देशों में अनेक कार्यों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई है।

के॰लो॰नि॰वि॰ के कार्य

9.3 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आवास और कार्यालय परिसरों, अस्पतालों, कार्यशालाओं तथा कारखानों, हॉस्टलों एवं होटलों, खाद्यान्न भंडारों, सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और फ्लाई ओवरों, विमानपत्तनों, पर्यावरणीय और अन्य उपयोगी सेवाओं जैसी अनेक परियोजनाओं का निष्पादन करता है। यह विभाग कठिन भूभागों पर और प्रतिकूल स्थितियों वाले भारत–पाकिस्तान, भारत–बंगलादेश–सीमा और भारत चीन सीमा पर भी सीमा हदबंदी, पूर प्रकाश और सड़क परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

9.4 के॰लो॰नि॰वि॰ इस समय भारत सरकार के 21 मंत्रालयों यथा गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त, विदेश, मानव संसाधन विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि आदि के तहत 323 से अधिक विभागों/लोक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए 22294 करोड़ रु॰ से अधिक लागत की विभिन्न आयामों वाली 4376 परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है। यह अफगानिस्तान और चीन में गृह मंत्रालय के लिए भी कार्य कर रहा है।

9.5 के॰लो॰नि॰वि॰ प्रौद्योगिकी संचालित संगठन है। सक्षमता तथा पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए सकल यांत्रिकृत निर्माण एवं ई–गवर्नेंस के लिए निरंतर जोर दिया जा रहा है।

के॰लो॰नि॰वि॰ की आदर्शोक्ति और मिशन

9.6 के॰लो॰नि॰वि॰ की शक्ति इसकी लागत वसूली क्षमता, एकीकृत निर्माण सेवाएं उपलब्ध कराने तथा परियोजनाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने की प्रमाणित योग्यता में निहित है। लोक सेवा सुपुर्दगी में निर्धारित उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ ने 'लोक कार्यों में उत्कृष्टता' की आदर्शोक्ति और ठोस योजना और अभिकल्प, इंजीनियरीयुक्त निर्माण, प्रभावी अनुरक्षण, बेंचमार्किंग, क्षमता निर्माण, सार्वजनिक–निजी भागीदारी, जनशक्ति योजना, कार्यों के प्रबंधन में पारदर्शिता के मिशन को अपनाया है।

के॰लो॰नि॰वि॰ का संगठनात्मक ढांचा

9.7 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रधान महानिदेशक, के॰लो॰नि॰वि॰ हैं, जो भारत सरकार के प्रधान तकनीकी सलाहकार हैं। इसकी

स्टाफ संख्या में 11000 अनुसचिवीय स्टाफ तथा 21000 कामगारों के अतिरिक्त 4500 सिविल अभियंता, 17000 वैद्युत एवं यांत्रिक अभियंता, 450 वास्तुक तथा 200 उद्यानविद हैं। के॰लो॰नि॰वि॰ की कुल वर्तमान स्टाफ संख्या लगभग 38000 है।

9.8 इस विभाग का क्षेत्राधिकार सात नियमित क्षेत्रों में बंटा हैं। निर्माण कार्यों तथा प्रशासनिक मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक (निर्माण) करते हैं। देश भर में विभाग के क्षेत्रीय एकक देश के दूर-दराज के हिस्सों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए स्थापित किए गए हैं। विभाग में विकेन्द्रीकृत कार्य प्रणाली अपनाई गई है जोकि बेहतर और आसानी से उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध कराती हैं क्योंकि ये एकक कार्य स्थलों के पास स्थित हैं। अपर महानिदेशक की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय एककों को अधिकांश क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान की गई हैं। अपर महानिदेशक के॰लो॰नि॰वि॰ का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है:—

अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) के॰लो॰नि॰ विभाग की स्थापना और प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी हैं। कार्मिक मामलों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों में अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) की सहायता के लिए उप महानिदेशक (कार्मिक) और दो निदेशक हैं। निदेशक (एस एंड डी), प्रभारी प्रणाली एवं विकास यूनिट भी उनको रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) नई दिल्ली क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। इस क्षेत्र के अधीन दो सिविल अंचल और एक वैद्युत अंचल है। इन अंचलों को मुख्य वास्तुक (न॰दि॰क्षे॰) वास्तुकीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

अपर महानिदेशक (प्रौद्योगिकी विकास)(मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (प्रौद्योगिकी विकास) निदेशालय में सभी तकनीकी नीतियों, विभाग के विकास, परियोजनाओं की मॉनिटरी, बजट नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। इस निदेशालय का परामर्शी एकक इन्हें रिपोर्ट करता है। इन कार्यों को करने के अलावा वे दिल्ली क्षेत्र के प्रधान हैं। इस क्षेत्र में पांच सिविल अंचल और एक वैद्युत अंचल हैं।

अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी हैं तथा वे विभाग में तकनीकी और गैर तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने एवं उनकी व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे विभाग के कार्मिकों और अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के कार्यों को देखते हैं तथा मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। विभाग के पास दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ गाजियाबाद में एक पूर्ण विकसित प्रशिक्षण केन्द्र है। केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन और संविदा विनिर्देश एवं गुणवत्ता आश्वासन एकक भी इन्हें रिपोर्ट करते हैं।

अपर महानिदेशक (वास्तु॰) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (वास्तु॰) सभी चार मुख्य वास्तुकों पर तकनीकी नियंत्रण रखते हैं। वे देश के भीतर वास्तुकीय योजना संबंधी मामलों पर शहरी विकास मंत्रालय के तथा अन्य देशों में भारतीय दूतावासों के परामर्शदाता भी हैं।

अपर महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (उ॰ क्षे॰), उत्तरी क्षेत्र के अधीन कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। इस क्षेत्र में तीन मुख्य अभियंता (सिविल), एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, उत्तरांचल और जम्मू तथा कश्मीर के राज्यों में कार्यों की देख-रेख के लिए इनके अंचल कार्यालय चंडीगढ़, लखनऊ तथा जयपुर में स्थित हैं।

अपर महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) (मुख्यालय—मुम्बई)

अपर महानिदेशक (प॰क्षे॰), पश्चिमी क्षेत्र के अधीन कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इनके कार्यक्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात तथा दादर एवं नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र आते हैं। इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं।

अपर महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) (मुख्यालय—कोलकाता)

अपर महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) पूर्वी क्षेत्र के अधीन कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। इनके कार्यक्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं।

अपर महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) (मुख्यालय—चेन्नै)

अपर महानिदेशक (द॰ क्षे॰), दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के कार्यों के प्रभारी हैं। इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) तथा एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) हैं। मुख्य वास्तुक (प॰क्षे॰) दक्षिणी क्षेत्र के कार्यों की देखरेख करते हैं।

अपर महानिदेशक (सीमा)(मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (सीमा) भारत बंगलादेश, भारत पाकिस्तान सीमा तथा भारत-चीन सीमा के साथ-साथ सीमा हदबंदी, सड़क व प्रकाश व्यवस्था के कार्यों के प्रभारी हैं। तीन सिविल अंचल और दो वैद्युत अंचल सीधे ही इन कार्यों से जुड़े हुए हैं।

प्रमुख अभियंता (लोक निर्माण विभाग) (मुख्यालय—दिल्ली)

लो॰नि॰वि॰ दिल्ली में सात अंचल कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख अभियंता, लो॰नि॰वि॰ द्वारा रा॰रा॰ क्षेत्र दिल्ली के कार्यों की देखरेख की जाती है। प्रमुख अभियंता, लो॰नि॰वि॰ रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं।

कार्य निष्पादन

9.9 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की परियोजना से सम्बद्धता कार्यस्थल के चयन के साथ आरम्भ हो जाती है। यह विभाग-भू-तकनीकी अन्वेषण, फील्ड आंकड़ा संकलन, कार्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में सहायता देना, वास्तुकीय, संरचनात्मक, विद्युत, वातानुकूलन और भू-दृश्यों से संबंधित डिजाइन और नक्शे तैयार करता है, गुणता गारंटी सहित निर्माण प्रबन्धन संबंधी कार्य करता है और निर्माण के बाद अनुरक्षण प्रबंध आदि तक कार्यों में अपना दायित्व निभाता है।

9.10 यह विभाग अभिनव तकनीकों तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का विकास करके यंत्रीकरण के माध्यम से निर्माण के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है। नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, विनिर्देशों, संविदा दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में के॰लो॰नि॰वि॰ ने अग्रणी नेतृत्व और गति निर्धारक की भूमिका का निर्वहन किया है। विभाग के लिए यह प्रशंसा की बात है कि के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं अधिकांश सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा अपनाई जा रही हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास विनिर्देशों और मानकों के पूरे दस्तावेज और दर अनुसूची है जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकियों और बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप निश्चित गुणता गारंटी योजना के साथ कार्य किया जा सके।

विशेषज्ञता एकक

9.11केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यसंचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विशेषज्ञता एकक हैं:—

केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन

9.12 केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन (के॰अ॰सं॰) के॰लो॰नि॰वि॰ का एक विशेषज्ञता प्राप्त एकक है। इसका गठन वर्ष 1969 में हुआ था। के॰अभि॰सं॰ अपनी स्थापना के बाद से आधुनिक विकास, विशेषकर संरचनात्मक अभिकल्प, कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में, नवीन सामग्रियों एवं नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने, सामग्री परीक्षण, मृदा जांच, क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार तथा सॉफ्टवेयर आदि के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुआयामी कार्यों का निष्पादन कर रहा है। इस संगठन की दो यूनिटें हैं और प्रत्येक यूनिट के प्रधान अधीक्षण अभियंता हैं तो 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बड़ी परियानाओं के संरचनात्मक विश्लेषण तथा जटिल प्रकृति की संरचनाओं का कार्य देखते हैं और दूसरे यूनिट के अधीक्षण अभियंता विभाग के कंप्यूटर सेल के लिए ई-गवर्नेंस का कार्य देखते हैं।

9.13 वर्ष के दौरान केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन की उपलब्धियां अनुबंध-9.1 पर दर्शायी गई हैं।

संविदा, विनिर्देश एवं गुणता आश्वासन (सीएसक्यू) एकक

9.14 इस एकक की चार शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा की कार्य निम्नानुसार है:—

(i) संविदा एवं मैनुअल एकक:—यह एकक ठेकेदारों के पंजीकरण और पुनर्वैधीकरण, के॰लो॰नि॰वि॰ मैनुअल अद्यतनीकरण के लिए उत्तरदायी है। यह एकक के॰लो॰नि॰वि॰ के विभिन्न अधिकारियों को संविदा, मैनुअल तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में तकनीकी परिपत्र भी जारी करता है। कार्य प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए कार्यों को विनियमित करने के लिए संशोधित एवं अद्यतन के॰लो॰नि॰वि॰ कार्य नियम पुस्तिका, 2012 सचिव, शहरी विकास द्वारा 18.01.2012 को जारी की गई।

(ii) गुणता आश्वासन एकक:—यह एकक विभिन्न निर्माण और अनुरक्षण कार्यों का निरीक्षण करता है तथा निर्माण में गुणता आश्वासन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जारी करता है। इस एकक द्वारा बड़े निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

(iii) तकनीकी विधि प्रकोष्ठ—यह एकक माध्यस्थम् मामलों, अदालती मामलों के निपटान तथा माध्यस्थम् मामलों में तथ्यों के विवरण के प्रत्युत्तर के अनुमोदन, वाद संबंधी अन्य विषयों तथा उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से संबंधित परिपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(iv) मानक एवं विनिर्देश एकक:—यह एकक निर्माण कार्यों के विनिर्देशों को अद्यतन करने, समय-समय पर परिपत्रों को जारी करने, नई सामग्रियों के लिए विनिर्देश निर्धारित करने, मूल्य सूचकांक अनुमोदित करने, दर अनुसूची आदि को संशोधित तथा अद्यतन करने संबंधी कार्य देखता है। दिल्ली दर अनुसूची, 2012 खंड–1 (सिविल एवं बागवानी) तथा खंड–2(इलेक्ट्रीकल और मेकेनिकल) का नया संस्करण सचिव, शहरी विकास द्वारा 18.01.2012 को जारी किया गया। के॰लो॰नि॰वि॰ एवं लो॰नि॰वि॰, दिल्ली के अलावा अन्य इंजीनियरी संगठन, सार्वजनिक उपक्रम तथा स्वायत्त निकाय भी इन अनसूचियों, पर निर्भर करते हैं। इसका प्रयोग शैक्षिक पाठयक्रमों में संदर्भ के रूप में तथा पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में किया जाता है।

प्रशिक्षण संस्थान

9.15 गाजियाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है तथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै तथा गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा वर्कमैन प्रशिक्षण केन्द्र है। यह संस्थान सभी विद्याओं के अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

9.16 इस संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीधे भर्ती सहायक कार्यपालक अभियंताओं, उपवास्तुकों, कनिष्ठ अभियंताओं के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम, नव प्रोन्नत अधी॰ अभियंताओं व कार्यपालक अभियंताओं तथा अन्य स्टाफ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। सेवारत अधिकारियों को विभिन्न चरणों में सेवाकालिक प्रशिक्षण, स्टाफ के विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटर अनुप्रयोग में विशेषीकृत प्रशिक्षण, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों यथा परियोजना प्रबंधन, टीम बिल्डिंग, नीतिगत योजना, संविदा तथा पंचाट, पर्यावरण प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि भी इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

9.17 ग्रीन बिल्डिंग को प्रोन्नत करने में के॰लो॰नि॰वि॰ की भूमिका तथा के॰लो॰नि॰वि॰ प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने के॰लो॰नि॰वि॰ प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद को ग्रीन बिल्डिंग के लिए उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में नामोदिष्ट किया है।

9.18 गृह मंत्रालय द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ के प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में राज्य लो नि वि तथा सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी संगठनों के लिए प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी इसी संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियों अनुबंध–9॰II पर दर्शायी गई है।

परामर्श सेवा संगठन

9.19 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने परामर्श सेवा संगठन (सी॰एस॰ओ॰) के माध्यम से विभिन्न लोक क्षेत्र के संगठनों/स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों आदि को भवन निर्माण संबंधी बड़ी परियोजनाओं, ढांचागत बुनियादी कार्यों, जटिल संरचनाओं और विशेषीकृत योजनाओं तथा वातानुकूलन और वैद्युत अधिष्ठापन तथा परियोजना प्रबंधन आदि संबंधी कार्यों में योजना, अभिकल्पन, निष्पादन, परामर्श

सेवाएं मुहैया करता है। परामर्श सेवा संगठन वर्ष के दौरान परामर्श सेवा संगठन की उपलब्धियां अनुबंध-9°III पर दर्शायी गई है। के°लो°नि°वि° द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय और शुरू की गई नीतिगत पहल।

के°लो°नि°वि° में ई-गवर्नेंस

9.20 ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अनेक पहल की शुरुआत की गई है। परियोजनाओं की सभी संबंधित योजना एवं फील्ड यूनिटों का एकीकरण करके परियोजनाओं की अद्यतन ऑनलाइन मॉनिटरिंग और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में वेब आधारित परियोजनाओं की निगरानी प्रणाली तथा ठेकेदारों की ऑनलाइन सूचीयन प्रणाली को शुरू कर दिया गया है।

- 1 सितम्बर, 2010 से सभी प्रकार की निविदाओं के लिए ई-टेंडरिंग शुरू कर दी गई है। सीपीपी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है ताकि बोलीदाता निविदाओं को देख सके।
- सभी परियोजनाओं को एक ईआरपी पैकेज में एकीकृत करके केलोनिवि का समग्र रूप से ई-इनेबलमेंट शुरू कर दिया गया है।
- केलोनिवि की सभी परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऑन लाइन करने हेतु वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) शुरू की गई है।
- रा°रा°क्षे° दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चण्डीगढ़, गांधीनगर एवं मुम्बई में सीपीडब्ल्यू–सेवा शुरू की गई है। इस सेवा पेन-इंडिया को लागू करने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें सभी ईईएस की प्रविष्टि की जा सके।
- केलोनिवि के सभी कर्मचारियों के लिए कार्मिक सूचना तथा प्रबन्धन प्रणाली (पीआईएमएस) को कार्मिक का ऑन लाइन डाटा उपलब्ध कराकर पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया है। 2011-12 में वीआईपी संदर्भ और लोक शिकायतों की निगरानी के लिए एक नए माड्यूल, हिंदी फोर्मेट में रिपोर्टिंग सम्पत्ति विवरण का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, फेलोशिप विवरण जोड़ना, लागिंग ट्रेकिंग को इसमें शामिल किया गया है। प्रशिक्षण हेतु स्वनामांकन के लिए मॉड्यूल भी तैयार किया गया है।
- **ठेकेदारों का ऑन लाइन आवेदन पत्र/पंजीकरण:** इस समय सूचीयन के लिए अधिकांश आवेदन पत्र ऑन लाइन प्राप्त हो रहे हैं।

अनुरक्षण में किये गये सुधार

9.21 के°लो°नि°वि° ने अपने अनुरक्षण कार्यों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए हैं। सभी फील्ड अधिकारियों को और अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी जानकारी में लाई गई शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निदेश जारी किए गए हैं। केलोनिवि द्वारा लगभग एक लाख से अधिक रिहायशी इकाइयों तथा 14 लाख वर्ग फुट से अधिक के कार्यालय क्षेत्र का अनुरक्षण किया जा रहा है। केलोनिवि इन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का विशाल कार्य दक्षतापूर्वक एवं लाभार्थियों की संतुष्टि के अनुरूप कर रहा है।

9.22 नियमित अनुरक्षण के अलावा पुराने क्वार्टरों में सौंदर्यपरक सुधार और रिट्रोफिटिंग का कार्य शुरू किया गया है। इन कार्यों से पुराने क्वार्टरों की लुक में परिवर्तन आ गया है।

9.23 दिल्ली में प्रतिदिन 24 घंटे शिकायतें दर्ज करने तथा इनकी मॉनिटरिंग में सुधार के लिए एसएमएस सुविधायुक्त टॉल फ्री नम्बर का कॉल सेंटर चालू किया गया है और इसे सीपीडब्ल्यूडी सेवा से एकीकृत किया गया है। इससे अनुरक्षण संबंधी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराने में आबंटितियों को आने वाली दिक्कतों से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के आधार पर कार्यों का निष्पादन

9.24 बाह्य आर्थिक परिवेश में आमूल परिवर्तनों, ग्राहकों की बढ़ती मांगों तथा लोक कार्यों के लिए वित्त पोषण के नए-नए स्वरूपों के कारण के°लो°नि°वि° के लिए इस परिदृश्य में अपनी भूमिका के दायरे को विकसित करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत जहां सरकारी बजट कम हैं और लोक कार्यों का कार्य क्षेत्र विशाल है, ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली आधार पर परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि इन परियोजनाओं के निष्पादन में धन संबंधी जटिलताओं के बावजूद के°लो°नि°वि° की सफलता का दौर इसी प्रकार कायम रहे।

के॰लो॰नि॰वि॰ के विभिन्न संवर्गों की पुनर्संरचना

9.25 संगठन की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विभाग की कार्यात्मक जरुरतों और विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों की वैधानिक आकांक्षाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ की समूह 'क' की तीन सेवाओं अर्थात् सीईएस (सिविल), सीईऔर एमईएस एवं सीएएस के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। के॰लो॰नि॰वि॰ के अधीनस्थ इंजीनियरी/वास्तुकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग तथा कार्य प्रभारित स्थापना की संवर्ग समीक्षा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। ड्राइंग स्टाफ संवर्ग, अनुसचिवीय स्टाफ संवर्ग की संवर्ग समीक्षा भी विचाराधीन है। इससे विभाग की कार्यक्षमता और आउटपुट में वृद्धि होगी तथा अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

के॰लो॰नि॰वि॰ का परिणामोन्मुखी फ्रेमवर्क दस्तावेज (आर एफ डी)

9.26 सरकार की कार्य निष्पादन मॉनिटरिंग और मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को एक परिणामोन्मुखी फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है ताकि विभाग का ध्यान प्रक्रिया पद्धति से परिणामोन्मुखी पद्धति पर केन्द्रित हो तथा वर्ष के अंत तक समग्र कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक लक्ष्य और निष्पक्ष आधार पर मुहैया करा सके। वर्ष 2011-12 के लिए केलोनिवि का परिणामोन्मुखी फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 के लिए आरएफडी में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर 31.12.2011 तक की उपलब्धियों मंत्रालय को भेज दी गई हैं जिसे अनुबंध-9.IV में दर्शाया गया है।

सरकारी भवनों में बाधामुक्त (विकलांगों के अनुकूल) व्यवस्था

9.27 के॰लो॰नि॰वि॰ ने केन्द्रीय सरकार के भवनों के निर्माण और रखरखाव की प्रमुख एजेंसी होने के नाते बाधामुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने, निष्पादित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। के॰लो॰नि॰वि॰ ने 1998 में विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त पर्यावरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को अपनाने/लागू करने के लिए परिचालित किया गया था।

9.28 शहरी विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय होने के नाते भारत में बाधामुक्त पर्यावरण का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा अनुरक्षित सभी सरकारी भवनों को बाधामुक्त बनाया जाएगा। के॰लो॰नि॰वि॰ ने दिल्ली में स्थित 40 सरकारी भवनों का ऐक्सस ऑडिट किया है, जिसका अनुरक्षण के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा किया जाता हैं। इन भवनों में अनिवार्य बाधामुक्त घटक यथा-रैम्प की व्यवस्था, रैम्प तथा सीढ़ियों के दोनों तरफ हैंडरेल की व्यवस्था, संकेत चिन्हों सुलभ युनिसैक्स शौचालय, सुलभ प्रवेश मार्ग, लिफ्ट आदि की व्यवस्था की जा रही है।

महत्वपूर्ण आयोजन/शिलान्यास/उद्घाटन समारोह

9.29 इस वर्ष के दौरान 12.7.2011 को विज्ञान भवन में के॰लो॰नि॰वि॰ का 157वां वार्षिक स्थापना दिवस माननीय शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ पर एक फिल्म दिखाई गई जिसमें के॰लो॰नि॰वि॰ की स्थापना से लेकर अब तक की वृद्धि और गतिविधियों के विस्तार पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। इसी दिन बाद में तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया।

9.30 वर्ष के दौरान किए गए अन्य महत्वपूर्ण आयोजन इस प्रकार हैं:

- थाईलैंड के माननीय प्रधान मंत्री 5.4.2011 को राजघाट पधारे।
- 5.5.2011 को महानियंत्रक, लेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा (क) जीरो प्वाइंट, राजपुर के कार्यालय भवन तथा (ख) जीरो प्वाइंट राजपुर में एजी (सीएजी) के लिए 122 आवासीय मकानों का उद्घाटन।
- 7.5.2011 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक द्वारा गाजियाबाद फेज-2 में अकादमी का उद्घाटन।
- 1.7.2011 को केरल के माननीय मुख्य मंत्री श्री उम्मन चंडी द्वारा आकुलम, त्रिवेन्द्रम में एन॰ए॰टी॰पी॰ए॰सी॰ के लिए जीयो टेक्नीकल लैब बिल्डिंग का उद्घाटन।

- 4.7.2011 को श्री एम॰ हरिसेन वर्मा निदेशक, एस॰आई॰बी॰ द्वारा कोल्लम में एस॰आई॰बी॰ के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई।

- 31.7.2011 को माननीय केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जयसवाल ने माटी, अकबरपुर, रमाबाई नगर में केन्द्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया।

- 13.8.2011 को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा हिमाचल बिहार, मातीगारा, सिलिगुड़ी में आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों और अतिथिगृह का उद्घाटन।

- 17.8.2011 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा आई॰एन॰ए॰, नई दिल्ली में जी॰पी॰ओ॰ कॉम्पलैक्स के एफ॰ ब्लाक का उद्घाटन।

- 3.9.2011 को केरल के माननीय मुख्य मंत्री श्री उम्मन चंडी द्वारा विझिंजम में कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन के निर्माण का शिलान्यास।

- 18.9.2011 को केरल के माननीय मुख्य मंत्री श्री उम्मन चंडी द्वारा दस एकड़ भूमि पर आई॰एम॰यू॰ के कोचीन कैम्पस के ढांचागत विकास कार्य के लिए शिलान्यास।

- 18.9.2011 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री के॰ वी॰ थामस द्वारा 22 एकड़ भूमि पर आई॰एम॰यू॰ के कोचीन कैम्पस के सेमी परमानेंट होस्टल ब्लाक तथा अकादमिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन।

- 2.10.2011 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री तथा श्रीमती सोनिया गांधी ने विजयघाट का दौरा किया।

- 10.10.2011 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के उपकुलपति द्वारा वन्य जीव सड़क की लॉ फेकल्टी के साथ गर्ल्स होस्टल का निर्माण।

राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों का एकीकृत विकास:

9॰31 के॰लो॰नि॰वि॰ राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों का रखरखाव कर रहा है। दिसम्बर, 2004 से के॰लो॰नि॰वि॰ इन समाधियों पर आयोजित समारोहों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी कर रहा है। इस वर्ष के दौरान कई राज्यों के प्रमुखों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि दी।

वर्ष 2011-12 के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ का निष्पादन

निम्नलिखित तालिका के॰लो॰नि॰वि॰ के कार्यभार (2011-12) को दर्शाती है:

(रु॰ करोड़ में)

क्रम सं॰	विवरण	निक्षेप कार्य सहित निर्माण	निक्षेप कार्य सहित अनुरक्षण	कुल वित्तीय राशि	कुल कार्यभार
1.	2011-12 के दौरान दिस॰ 11 तक वास्तविक व्यय	4082.53	660.20	4742.73	5567.99
2.	01.01.2012 से 31.03.2012 तक संभावित व्यय	2462.19	361.85	2824.04	3276.35

9.32 2010-11 के दौरान 8360 करोड़ रुपये का कार्यभार प्राप्त हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान 31°12°2011 तक 5568 करोड़ रु° का समतुल्य कार्यभार प्राप्त कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-2012 में 8844 करोड़ रुपये का कार्यभार होने की संभावना है।

सामान्य पूल रिहाइशी आवास (सा°पू°रि°आ°) एवं सामान्य पूल कार्यालय आवास (सा°पू°का°आ°) का निर्माण

9.33 वर्ष 2011-12 में सा°पू°रि°आ° एवं सा°पू°का°आ° के निर्माण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

- चंडीगढ़ में कुल 44 आवासीय इकाइयों को पूरा कर लिया गया है। 305 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है और वर्ष के दौरान इसे पूरा कर लिया जाएगा। (अनुबंध-9.V)
- शाहदरा में 15886 वर्ग° मी° कुर्सी क्षेत्र के सा°पू°का°आ° का कार्य पूरा कर लिया गया है। आई°एन°ए° नई दिल्ली और कवाडीगुडा तथा हैदराबाद में 40155 वर्ग मी° के क्षेत्र में सा°पु°रि°आ° का कार्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। (अनुबंध-9°Vए)

मुख्य कार्य

9.34 मुख्य कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:—

- 1.4.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक 5 करोड़ रु° और इससे अधिक लागत के कुल 81 (इक्यासी) कार्य शुरू किए गए। (अनुबंध-9.VI)
- 1.1.2012 से 31.3.2012 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक 5 करोड़ रु° और इससे अधिक लागत के कुल 24 (चौबीस) शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। (अनुबंध-9.VIए)
- 1.4.2011 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक 5 करोड़ रु° एवं इससे अधिक लागत के कुल 50 (पचास) कार्य पूरे किए गए। (अनुबंध-9.VII)
- 1.1.2012 से 31.3.2012 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक 5 करोड़ रु° और इससे अधिक लागत के कुल 81(इक्यासी) कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। (अनुबंध-9.VIIए)
- 1.4.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक 5 करोड़ रु° तथा इससे अधिक लागत के कुल 49 (उनचास) कार्यों की नई संस्वीकृतियाँ प्राप्त हुई। (अनुबंध-9.VIII)

पूरी की गई मुख्य परियोजनाएं (गैर सा°पू°रि°आ°/सा°पू°का°आ°)

9.35 वर्ष 2011-12 के दौरान दिसम्बर 2011 तक पूरे किए गए मुख्य कार्य निम्नानुसार है:—

- बिजनौर, लखनऊ में के°रि°पु°ब° के लिए 250 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।
- बिजनौर, लखनऊ में जी°सी°के°रि°पु°ब° के लिए 224 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।
- सीमाद्वार देहरादून में भा°ति°सी°पु° के लिए एस°एफ°ए° उपशीर्ष: 144 टा° 2 क्वार्टरों का निर्माण।
- नीमच में सी°आर°पी°एफ° के लिए 501 फैमिली क्वार्टर्स।
- मोहाली पंजाब आई°आई°एस°ई°आर° के लिए 2 हॉस्टल ब्लाक का निर्माण।
- कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में एन°आई°टी° के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण।
- चंडीगढ़ (चरण I) के सैक्टर 12, पी°जी°आई° में एडवांस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण।
- एल°बी°एस°एन°ए°ए°, मसूरी में शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण।
- जानकीपुरम, लखनऊ में एन°आर°एल°सी° के लिए प्रशिक्षण संस्थान एवं वार्डन लॉज।

- बरेली में आयकर विभाग के मौजूदा कार्यालय भवन का विस्तार।
- सामंत्रापुर, भुवनेश्वर, में ए॰एस॰आई॰ के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।
- महाविहार, नालंदा में नव-नालंदा के लिए फैकल्टी बिल्डिंग (संकाय भवन) का निर्माण।
- शांतिर बाजार, त्रिपुरा में केन्द्रीय विद्यालय के लिए आवासीय क्वार्टरों से इतर ए-I टाईप स्कूल बिल्डिंग और टी-ii-6, टी-iii-4, और टी-5-1 का निर्माण।
- अम्बावाड़ी, अहमदाबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।
- नीमच में के॰रि॰पु॰ब॰, सी॰टी॰सी॰ 1 के लिए स्टोर ब्लॉक और प्रशासनिक ब्लॉक क्वार्टर गार्ड का निर्माण।
- एफ॰टी॰आई॰ बैंगलौर स्थित एपैक्स हाई-टैक इंस्टीट्यूट के लिए प्रयोगशाला-सह-प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण।
- शाहदरा, दिल्ली के सी बी डी में सा पूल कार्यालय आवास परिसर का निर्माण।
- अलीगंज, जोरबाग में 300 टाईप-2 (20 ब्लॉक जी + 3का निर्माण)।
- पोर्ट ब्लेयर में सामान्य पूल कार्यालय आवास भवन का निर्माण।

किए जा रहे मुख्य कार्य:—

सा॰पू॰रि॰आ॰ और सा॰पू॰का॰आ॰ का निर्माण

- दिल्ली, चंडीगढ़, कालीकट और बरेली में 812 सामान्य पूल रिहायशी आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- 44212 वर्ग मी॰ के सामान्य पूल कार्यालय आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मुख्य रिहायशी परियोजनाएं (सा॰पू॰रि॰आ॰ से इतर)

- सीमाद्वार, देहरादून में भा॰ति॰सी॰पु॰ के लिए रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण।
- बिजनौर में जी॰सी॰, के॰रि॰पु॰ब॰, के लिए 224 फेमिली क्वार्टरों (टा॰-2 के 208 और टा॰-3 के 6) का निर्माण।
- पटना, बिहार में ए॰जी॰, आई॰ए॰ एवं ए॰डी॰ में टा॰ 1,2,3,4, के रिहाइशी क्वार्टरों का निर्माण
- तालेगाँव, पुणे में जी॰सी॰, के॰रि॰पु॰ब॰, के 260 फेमिली क्वार्टरों का निर्माण।
- सी॰आर॰पी॰एफ॰ कैम्पस हैलोमाजरा, चंडीगढ़ में 528 फेमिली क्वार्टरों (टा॰ 2/512 एवं टा॰ 3/16) का निर्माण।
- सी॰आर॰पी॰एफ॰, नीमच में 501 टा॰ 2 के फेमिली क्वार्टर।
- जी॰सी॰ सी॰आर॰पी॰एफ॰, भुवनेश्वर में टा॰ II के 224 फेमिली क्वार्टर।

कार्यालय भवन परियोजनाएं (सा॰पू॰का॰आ॰ से इतर)

- विदेश मंत्रालय कार्यालय के लिए जवाहर लाल नेहरू भवन का निर्माण।
- महालेखाकार (ए॰ एंड ई॰) बंगलौर के कार्यालय के लिए एनेक्सी भवन का निर्माण।
- बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुम्बई में आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ के कार्यालय भवन का निर्माण।
- रायपुर (सी॰जी॰) में महालेखाकार के कार्यालय भवन का निर्माण।
- बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स मुम्बई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन का निर्माण।

- ई॰ एम॰ बी॰ पी॰, कोलकाता में आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक कार्यालय कंम्पयूटर केन्द्र, आर॰ टी॰ आई॰ हॉस्टल, ट्रांजिट आवास तथा चार मंजिला कार पार्किंग के लिए बहुमंजिला भवन (जी+ 10) का निर्माण।
- बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुम्बई के भूखंड सं॰ सी 9 पर पंजाब नैशनल बैंक के लिए बिल्डिंग का निर्माण।

संस्थागत भवन परियोजनाएं

- आई॰आई॰टी॰, नई दिल्ली में लड़कों के हॉस्टल का निर्माण।
- आई॰आई॰टी॰, नई दिल्ली में वेस्ट कॉम्पलैक्स में 96 फैक्ल्टी, फ्लैटों का निर्माण।
- ग्वालियर (म॰प्र॰) में ए॰बी॰वी॰ आई आई आई टी एम ग्वालियर (प्राथमिकता-2 निर्माण)।
- उज्जैन में एम॰एस॰आर॰ वी॰वी॰पी॰ के रिहायशी एवं गैर-रिहायशी भवन का निर्माण-वैदिक पाठशाला, लड़कों का हॉस्टल और आवासीय क्वार्टर।
- पी॰एम॰एस॰एस॰वाई॰ परियोजना के अंतर्गत जी॰एम॰सी॰ श्रीनगर के लिए ट्रामोटोलॉजी संस्थान का निर्माण।
- पी॰एम॰एस॰एस॰वाई॰ परियोजना के अंतर्गत जम्मू में जम्मू सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू का उन्नयन एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक का निर्माण।
- आई॰एस॰एम॰ धनबाद के लिए 800 कमरों वाले लड़कों के हॉस्टल का निर्माण।
- आई॰एस॰एम॰ धनबाद के लिए 1200 कमरों वाले लड़कों के हॉस्टल का निर्माण।
- एन॰ई॰एच॰यू॰ शिलांग में विशेष क्षेत्र के खेल केन्द्रों की स्थापना।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पवई, मुम्बई के लिए शैक्षणिक एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण।
- कोजीकोड, करेल में आई॰ आई॰ एम॰ के॰ में कैम्पस भवन-फेज-4 का निर्माण।
- सैनिक स्कूल, कोडागू के लिए स्कूल भवनों तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं।
- विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण।
- जलाहल्ली, बेंगलूरू में डी॰टी॰आर॰टी॰आई॰ कैम्पस।
- आई॰आई॰आई॰टी॰, इलाहाबाद में कंप्यूटर सेंटर-3 ।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, पवई, मुम्बई के लिए आधुनिक हॉस्टल भवन का निर्माण।
- रांची में पी॰एम॰एस॰एस॰वाई॰ के अंतर्गत आर॰आई॰एम॰एस॰ का उन्नयन।
- एन॰आई॰टी॰ जालंधर (फेज-1) में लड़कों के लिए 1600 सीटों वाला मेगा हॉस्टल उपशीर्ष; 835 सीटों वाला हॉस्टल।
- बी॰एच॰यू॰, वाराणसी (पैकेज-1) के अंतर्गत बिल्डिंग उपशीर्ष: विज्ञान; कानून तथा कला आदि संकाय के लिए न्यू बिल्डिंग, लैक्चर थियेटर का निर्माण।
- बी॰एच॰यू॰, वाराणसी (पैकेज-2) के अंतर्गत बिल्डिंग उपशीर्ष: विभिन्न संकायों आदि के लिए लड़कों, लड़कियों तथा विवाहित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल भवन का निर्माण।
- बी॰एच॰यू॰, वाराणसी (पैकेज-3) के अंतर्गत बिल्डिंग उपशीर्ष: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए लेक्चर थियेटर, हॉस्टल और प्रयोगशाला भवन आदि का निर्माण।
- उपर्युक्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जे॰ एन॰ वी॰ के विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

2010-11 के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में के॰लो॰नि॰वि॰ के कार्य

पूर्वोत्तर में के॰ लो॰ नि॰ वि॰ के कार्य

9.36 के॰ लो॰ नि॰ वि॰ पूर्वोत्तर में ढांचागत सुविधाओं के अनेक कार्यों का निष्पादन कर रहा है। के॰ लो॰ नि॰ वि॰ का मुख्यालय उत्तर पूर्व में शिलांग में स्थित है और इसके मंडल कार्यालय गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल, तेजपुर, सिलचर और अगरतला में स्थित है। के॰ लो॰ नि॰ वि॰ द्वारा किए गए कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों यथा शैक्षणिक भवनों, अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन उदाहरणार्थ एन॰ डब्ल्यू॰ -2 पर पांडू पोर्ट पर हाई लेवल जेट्टी का निर्माण, केन्द्रीय पुलिस संगठन अर्थात् के॰रि॰पु॰ब॰, सी॰सु॰ब॰, असम राइफल्स , सशस्त्र सीमा बल, ए॰आर॰सी॰ संबंधी भवन निर्माण कार्यों तथा भारत बंगला देश सीमा सड़क के अनुरक्षण कार्य आदि शामिल हैं।

सीमा सड़क, हदबंदी तथा पूर प्रकाश का कार्य

9.37 के॰लो॰नि॰वि॰ विभिन्न निष्पटान एजेंसियों के सभी प्रस्तावों की योजना बनाने उनकी तकनीकी जांच करने, सीमा हदबंदी पूर प्रकाश कार्यों संबंधी तकनीकी मामलों में गृह मंत्रालय को परामर्श देने और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सड़कों के निर्माण में शामिल है। के॰लो॰नि॰वि॰ अन्य निष्पादन एजेंसियों जैसे सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्माण कंपनी भारतीय इंजीनियरिंग परियोजना लिमिटेड और राज्य लो॰नि॰वि॰ आदि के साथ इन निर्माण कार्यों के उत्कृष्ट निष्पादन में भी शामिल है।

9.38 के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा भारत पाक सीमा और भारत बांगलादेश के साथ समग्र रूप में 3437 कि॰मी॰ की हदबंदी, 1886 कि॰मी॰ की सड़क और 2309 कि॰मी॰ का पूर-प्रकाश का कार्य पूरा किया गया है। आई॰बी॰बी॰ के साथ पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के निर्माण में विस्तृत यांत्रिकीकरण को अपनाया गया है।

9.39 के॰लो॰नि॰वि॰ को सीमा के साथ लगी सड़कों, पुलों, पूर-प्रकाश आदि के रूप में निर्मित ढांचागत सुविधाओं के रख-रखाव का कार्य भी सौंपा गया है। पूर्वोत्तर में निर्माण कार्यों के देख-रेख के लिए विशेष इकाइयां खोली गई हैं। सम्पूर्ण आई॰बी॰बी॰ के साथ लगभग 3159 कि॰मी॰ की सड़क का रखरखाव के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा किया जाता है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 553 कि॰मी॰ लम्बाई में पूर-प्रकाश कार्य का अनुरक्षण भी केलोनिवि द्वारा किया जाता है।

9.40 के॰लो॰नि॰वि॰ ने उत्तरांचल में 5 स्ट्रैटेजिक सड़कों और सिक्किम में 3 सड़कों के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इनके प्रसार का विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य	सड़क का विवरण	लम्बाई (कि॰मी॰ में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु॰ में)
उत्तरांचल	धमसाली से जेलडंग	24	62॰24
	सोनम से पी॰डी॰ए॰	13॰5	39॰97
	पी॰डी॰ए॰ से सुमला	4॰50	15॰51
	पी॰डी॰ए॰ से मैंडी	4॰00	8॰40
	न्यू सोबला-सेला-टेनडैंग	42॰3	114॰26
	कुल	**88॰33**	**240॰38**
सिक्किम	जियागैंग से केरंग	26	35॰54
	थांगू से मुगुथांग	31	63॰61
	डोमगैंग से गोरेला	46	131॰65
	कुल	**103**	**230॰80**

9.41 गृह मंत्रालय ने हाल ही में के॰लो॰नि॰वि॰ को 509 बी॰ओ॰पी॰ में से 255 बी॰ओ॰पी॰ तथा जम्मू क्षेत्र में आई॰पी॰बी॰ के साथ 179 कि॰मी॰ लम्बाई की सीमा पर मौजूदा सुरक्षा हदबंदी की भारतीय सीमा में 341 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मिट्टी के बांध, मेटल्ड सड़क व नाका सह मचान सह फाईटिंग बंकर के निर्माण का कार्य सौंपा हैं। सीमा हदबंदी कार्यों की उपलब्धियां अनुबंध-9॰1X पर दर्शाई हैं।

सी॰बी॰डी॰ शाहदरा में सा॰पू॰का॰आ॰

9.42 भवन को उत्कृष्ट विनिर्देशों जैसे कमरों में कांच की टाइलों का फर्श, ग्रेनाइट का फर्श, घुमाव में हाशिए, पत्थर आवरण, बहिमार्ग में संरचनात्मक कांचित रोगन, एल्यूमिनियम की खिड़की और दरवाजे, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, आंतरिक भाग के एक्रीलिक फिनिशिंग, 4 लिफ्टें, तहखाने में पार्किंग, केन्द्रीयकृत वातानुकूलन, डी॰जी॰ सेट के साथ पावर बैक-अप, सी॰सी॰टी॰वी॰ आदि जैसे उत्कृष्ट विनिर्देशों सहित आधुनिक सुविधाओं के साथ अभिकल्पित किया गया है। भवन में पर्यावरण-अनुकूल विशेषताओं जैसे फ्लाई ऐश ईंटों का प्रयोग, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली, समेकित भवन प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा संरक्षण द्वारा प्रकाश व्यवस्था शीतक आदि का प्रावधान होगा।

जी॰पी॰ओ॰ काम्प्लैक्स, आई॰ एन॰ ए॰, नई दिल्ली

9.43 दिल्ली के प्रमुख स्थान में 7 एकड़ के प्लॉट एरिया में निर्मित किए जा रहे इस भवन में कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् 250000 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान होगा। इसका डिजाइन श्रेष्ठतर विनिर्देशों अर्थात् कमरों में वर्टीफाइड टाइल फ्लोरिंग, गलियारों में ग्रेनाइट फ्लोरिंग/डाडो, बाहर में स्टोन क्लेडिंग स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, अल्यूमिनियम के दरवाजे तथा खिड़कियां, जंगरहित, स्टील रेलिंग, भवन के अंदर में एक्रिलिक फिनिशिंग, 10 लिफ्टों, भूमिगत पार्किंग, सेंट्रल एयर कंडिशनिंग, डी जी सेटों सहित पावर बैक अप, सी॰ सी॰ टी॰ वी॰ इत्यादि जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया हैं। भवन में पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं अर्थात् फ्लाई एश ईंटों का उपयोग, सौर ऊर्जा से पानी को गरम करने की प्रणाली, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा क्षम प्रकाश व्यवस्था, शीतक इत्यादि होंगे।

पर्यावरण भवन, नई दिल्ली

9.44 के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा नई दिल्ली में निर्मित की जा रही इंदिरा पर्यावरण भवन, परियोजना लीड़ प्रणाली के अंतर्गत प्लेटिनम रेटिंग तथा गृह प्रणाली के अंतर्गत फाइव स्टार रेटिंग के साथ हरित भवन होगा। इस भवन को अधिकतम ऊर्जा बचत प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा जो संचालन की लागत को कम करेगी। इस भवन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि ऊर्जा, जल और सामग्रियों जैसे संसाधनों का किफायती उपयोग किया जा सके और लागत निवेशों का अनुकूलतम उपयोग और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। भवन का नक्शा इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से भवन की स्थिति, ग्लेजिंग तथा निर्माण सामग्रियों का चयन किया गया है और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए भवन के अग्रभाग में पत्थर लगाए गए हैं।

आई॰डी॰बी॰आई॰ बैंक कार्यालय भवन, बांद्रा कुर्ला कम्पलैक्स, मुंबई

9.45 आई॰डी॰बी॰आई॰ बैंक के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुंबई में डबल बेसमेंट + भूतल+ 7 मंजिलों वाला 173 करोड़ रु॰ की लागत का कार्यालय भवन निर्मित किया जा रहा है। इस भवन का प्लिंथ एरिया लगभग 18562 वर्ग मीटर तथा बेसमेंट एरिया 13843 वर्गमीटर है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल

9.46 4404 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र वाला यह भवन भारत सरकार के अधीन समकक्ष विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के संस्थानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। यह आईसोलेटिड कॉलम फुटिंग के साथ आर॰सी॰सी॰ फ्रेम्ड ढांचा है। पूरा भवन चार भागों अर्थात् प्रत्येक मंजिल पर निर्बाध रूप से पहुंचने की सुविधा के साथ प्रशासनिक, शैक्षिक, प्रेक्षागृह तथा पुस्तकालय में विभाजित है। प्रेक्षागृह ब्लॉक दो मंजिला है, जिसमें भूतल पर हरित कक्षों सहित 234 व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल (एम.पी.) का दृश्य

सी आर पी एफ, नीमच के लिए टाइप-2 के 501 क्वार्टरों का निर्माण

9.47 पूरे सी आर पी एफ कैम्पस में आठ ब्लॉक हैं तथा चार मंजिला क्वार्टरों की दो लंबी कतारें हैं। 47 करोड़ रुपए की लागत से आर सी सी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वाले कुल 501 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। स्नानगृह एवं शौचालयों में फिसलनरोधी सेरामिक टाइल्स के फर्श को छोड़कर सभी कमरों में मोजाइक टाइल्स लगी हैं।

आयकर भवन
सेक्टर 17, चंडीगढ़

सेक्टर 17, चंडीगढ़ में आयकर भवन का निर्माण

9.48 सेक्टर–17, चंडीगढ़ में 17568 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र वाले आयकर भवन का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए है तथा यह भवन सौर गर्म जल, वर्षा जल संचयन प्रणाली सुविधायुक्त और केंद्रीयकृत वातानुकूलित भवन है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार का यह पहला भवन है जिसका अग्रभाग स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग युक्त है।

डॉपलर वैदर रडार बिल्डिंग बेगमपेट, हैदराबाद

9.49 डॉपलर वैदर रडार बिल्डिंग का निर्माण मौसम की पूरी जानकारी देने, वर्षा जल मापन तथा वायु यातायात प्रचालन को मौसम संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

आर एस वी वाई प्रोजेक्ट

9.50 योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा बिहार में 2385 करोड़ रुपए की लागत से 1705 किमी॰ लम्बे राजमार्ग के विकास का कार्य केलोनिवि को सौंपा गया है। बिहार राज्य के मौजूदा राजमार्गों को एक लेन से दो लेन में परिवर्तित करने तथा इन्हें चौड़ा एवं मजबूत करने का कार्य भी शामिल है। अभी तक 1092 किमी॰ लम्बी सड़क और 80 पुलों का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष सड़कों एवं पुलों का कार्य भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है।

(रिवर साइड से जेटी का पूरा दृश्य)

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए निर्माण कार्य

9.51 केलोनिवि भारत में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित कर रहा है ताकि और अधिक किफायती दरों पर सामान तथा लोगों के परिवहन के लिए इस नेटवर्क को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरूप ही विकसित किया जा सके। केलोनिवि ने भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए अनेक कार्य पूरे कर दिए हैं, जिनमें जेटी, टर्मिनल बिल्डिगों, संरक्षात्मक उपाय, विकास कार्य आदि शामिल हैं।

9.52 केरल में वायकोम, चेरथला, तिरूकुन्नापुझा, अलवा तथा मराडु, पटना में गायघाट, और गुवाहाटी में पांडु पर लो लेवल जेटी का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो गया है। गुवाहाटी में पांडु पर तथा पटना में गायघाट तथा अन्य विभिन्न स्थानों पर हाई लेवल जेटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट

9.53 के॰लो॰नि॰वि॰ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार के चार जिलों बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में ग्राम्य सड़कों का निर्माण कर रहा है। 1000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को भारत निर्माण योजना के अंतर्गत लिंक सड़कों का निर्माण करके मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है।

9.54 यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सड़कों का निर्माण दूरवर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। कई स्थान बाढ़ प्रभावित हैं और वर्षा के मौसम में प्रदेश के शेष भागों से कटे रहते हैं। पाईप पुलिया, स्लैब पुलिया, छोटे पुलों और कुछेक बड़े पुलों के जरिए भी पर्याप्त समुचित क्रॉस जल निकासी व्यवस्था की गई है।

के॰लो॰नि॰वि॰ सतर्कता एकक

9.55 के॰लो॰नि॰वि॰ के सतर्कता एकक के प्रधान मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो कि सेंट्रल स्टाफिंग पूल के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। सतर्कता एकक की गतिविधियों में शिकायतों की जांच करना, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच, सेवा मामलों के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, स्टोरों का औचक निरीक्षण तथा कार्यविधि में परिवर्तन संबंधी सुझाव देकर

प्रत्युपायक सतर्कता शामिल है। वर्ष के दौरान सतर्कता एकक की उपलब्धियां अनुबंध-9X में दर्शायी गई है।

के॰लो॰नि॰वि॰—शिकायत निवारण कार्यविधि

9.56 के॰लो॰नि॰वि॰ में शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निवारण कार्यविधि की स्थापना निम्नानुसार है:—

मूल कार्य

1॰ एक करोड़ से कम लागत के कार्यों के लिए—अंचल के अधीक्षण अभियंता (योजना) को शिकायत अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

2॰ एक करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए—क्षेत्र के निदेशक (निर्माण) को शिकायत अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। निदेशालय में अपर महानिदेशक (एस एंड पी) तथा अपर महानिदेशक (टी॰डी॰) के अधीन कार्यों के लिए निदेशक (पी एंड डब्ल्यू ए) तथा सीमा क्षेत्रों के कार्यों के लिए अधीक्षण अभियंता (यो॰) बीएफआर शिकायत अधिकारी हैं।

अनुरक्षण कार्य

9.57 अनुरक्षण से संबंधित सभी शिकायतों के लिए परिमंडल के सहायक अभियंता (मुख्यालय) को शिकायत अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। ऐसे सभी मामलों में अपीलीय प्राधिकारी अंचल के कार्यपालक अभियंता (एमआईएस)/नामोद्दिष्ट कार्यपालक अभियंता (यो॰) होंगे।

9.58 के॰लो॰नि॰वि॰ के निदेशालय में नामोद्दिष्ट जन शिकायत अधिकारी इस प्रकार हैं:—

श्री सुधीर कुमार,

उप महानिदेशक (निर्माण)
कक्ष सं॰ 117, ए विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दूरभाष : 23061506

के॰लो॰नि॰वि॰—नागरिक चार्टर

9.59 रिहाइशी और गैर-रिहाइशी भवनों तथा सर्विस संबंधी अन्य कार्यकलापों के निर्माण और रखरखाव में के॰लो॰नि॰वि॰ की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए के लो नि वि द्वारा सरकार की सर्वोत्तम पॉलिसी के अनुरूप के॰ लो नि वि द्वारा नया नागरिक चार्टर लागू किया गया है और इसे फीडबैक के लिए के॰ लो॰ नि॰ वि॰ की वेबसाइट http://cpwd.gov.in पर डाल दिया गया है।

के॰लो॰नि॰वि॰—सूचना अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन

9.60 के॰लो॰नि॰वि॰ में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा पहले ही स्थापित कर लिया गया है। केलोनिवि के जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों का विस्तृत विवरण के॰लो॰नि॰वि॰ की वेबसाइट www.cpwd.gov.in पर डाल दिया गया है।

अनुबंध-9°I

केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन

क्र° सं°	कार्यकलाप/कार्य	31°12°2011 तक कार्यों की प्रगति	1°12°2012 से 31°3°2012 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आईआईटी दिल्ली में लड़कों के हॉस्टल का निर्माण	सभी आरेख जारी किए गए।	–
2.	देवनगर पुनर्निर्माण परियोजना, नई दिल्ली, उपशीर्ष: टा°-III सामान्य पूल के 450 क्वार्टरों का निर्माण	सभी आरेख जारी किए किए।	–
3.	आई एस एम यू, धनबाद, झारखंड में 1200 कमरों के लड़कों का हॉस्टल	सभी आरेख जारी किए गए।	–
4.	संसद सौध एक्सटेंशन का निर्माण	राफ्ट व कॉलमों के टेरेस तक आरेख जारी किए गए।	प्रतिधारक दीवार, रैम्प व निचले तहखाने तक बीम के संरचनात्मक आरेख जारी किए जाने हैं।
5.	बी डी मार्ग, नई दिल्ली में सांसदों के फ्लैटों का निर्माण	सभी कॉलम, रिइनफोर्समेंट और प्रतिधारक दीवार सहित नींव के लिए आरेख जारी किए गए।	ब्लॉक क,ख,ग,घ,च,छ और ज के लिए सीढ़ियों सहित चतुर्थ तल तक के लिए सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए जाने हैं।
6.	जोर बाग, नई दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन का निर्माण	छठे तल तक सभी संरचनात्मक नक्शे जारी किए गए।	टैरेस तक आरेख जारी किए जाने हैं।
7.	चंडीगढ़ के सैक्टर-38 में श्रम ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	संरचनात्मक सलाह भेज दी गई है। हालांकि कार्यशील वास्तुकीय आरेख अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।	सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए जाने हैं।
8.	निर्माण भवन की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना	सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए गए।	लागू नहीं।
9.	नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के समीप फुट-ओवर ब्रिज का निर्माण	संरचनात्मक विश्लेषण के जांच के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।	लागू नहीं।
10.	नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में भूतल पार्किंग का निर्माण (क) संरचनात्मक आरेख	सभी आरेख जारी किए गए।	भूतल के लिए परिवर्धन तथा परिवर्तन आरेख।
11.	दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में सा°पू°का°आ° का निर्माण	संरचनात्मक सलाह भेज दी गई है।	वास्तुकीय आरेख प्राप्त नहीं हुए हैं।
12.	घिटोरनी, नई दिल्ली में सा°पू°का°आ° का निर्माण	संरचनात्मक आरेख के लिए आकार दिए जा चुके हैं।	वास्तुकीय आरेख प्राप्त नहीं हुए हैं।
13.	साऊथ ब्लॉक में भूतल पार्किंग	वास्तुकीय आरेख प्राप्त नहीं हुए हैं।	वास्तुकीय आरेख प्राप्त नहीं हुए हैं।
14.	एन°एस°जी° स्मालखा, नई दिल्ली में एस° ए°जी° 52 के लिए संयुक्त संरचना का निर्माण	संरचना का मॉडल तैयार किया गया है और प्रारम्भिक विश्लेषण किया जा चुका है।	नींव और प्लिंथ बीम (धरन) के संरचनात्मक आरेख जारी किए जाने हैं।
15.	काबुल में अफगान संसद भवन और इंडियन चांसरी काम्प्लैक्स का निर्माण	सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए जा चुके है।	कार्यस्थल की कोई विशिष्ट आवश्यकता होने पर।
16.	मिंटो रोड क्षेत्र का विकास उपशीर्ष: दी°द° उ°मार्ग, नई दिल्ली के पॉकेट-6 में टा° 5 के 140 और टा°-6 के 104 फ्लैटों का निर्माण	पानी की टंकी और भूमिगत हौदी को छोड़कर सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए जा चुके हैं।	पानी की टंकी और भूमिगत हौदी आदि के सभी संरचनात्मक आरेख जारी किए जाने हैं।

1	2	3	4
17.	नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय परिसर में नए कार्यालय भवन का निर्माण	शून्य, क्योंकि हाल ही में परियोजना के संरचनात्मक आरेख तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।	नींव के लिए आरेख जारी किए जाने हैं।
18.	गोमती नगर, लखनऊ, में महालेखाकार के कार्यालय भवन का निर्माण	तृतीय तल तक संरचनात्मक आरेख जारी किए जा चुके हैं।	चतुर्थ और पांचवें तल व टैरेस के शेष संरचनात्मक आरेख जारी किए जाएंगे।
19.	आर॰के॰पुरम, नई दिल्ली में लोक सभा सचिवालय आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	सभी ब्लॉकों के पाइल्स, पाइल कैप्स, कॉलम्स के लिए संरचनात्मक आरेख जारी किए जा चुके हैं।	भूमिगत पार्किंग और दूसरे तल तक सभी ब्लॉकों के लिए संरचनात्मक आरेख जारी किए जाएंगे।
20.	प्रगति मैदान, नई दिल्ली के समीपवर्ती भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय परिसर का निर्माण	शून्य, क्योंकि परियोजना के संरचनात्मक आरेख बनाने का कार्य अभी शुरू किया गया है।	खुदाई के लिए संरचनात्मक आरेख जारी किए जाएंगे।

अनुबंध-9॰II

2011-2012 के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ प्रशिक्षण संस्थान यूनिट की उपलब्धियां

क्रम सं॰	कार्य	2011-2012 के लिए लक्ष्य	दिस॰ 2011 तक उपलब्धियां
1.	समूह 'क' अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों की सं॰	83	54
	प्रतिभागियों की सं॰	1660	809
2.	अंतर्देशीय प्रायोजित पाठ्यक्रमों की सं॰	60	34
	अंतर्देशीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित प्रतिभागियों की सं॰	300	301
3.	बाह्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित प्रतिभागी	4/4	0
4.	समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों की सं॰	114	54
	प्रतिभागियों की सं॰	2850	993
5.	समूह 'घ' एवं कामगारों के लिए पाठ्यक्रमों की सं॰	59	35
	प्रतिभागियों की सं॰	1475	826
6.	सहा॰ कार्य॰ अभि॰ (सी एंड ई) एवं उप वास्तुकों के लिए पाठ्यक्रमों की संख्या	1	1
	प्रतिभागियों की सं॰	43	43
7.	टीईआरआई/एपीपीए के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संख्या	4	2
	प्रतिभागियों की सं॰	60	33

अनुबंध 9°III

परामर्श सेवा संगठन की प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक)

क्रम सं°	वर्ष के लिए चिन्हित कार्यों का नाम	कार्यार्थी का नाम	लागत (लाख रु में)	वर्ष के लिए लक्ष्य प्रतिशत में	वर्ष के दौरान उपलब्धियां प्रतिशत में	उपलब्धियों में कमी के कारण/ अभ्युक्तियां
1.	काबुल में न्यू चांसरी बिल्डिंग का निर्माण	विदेश मंत्रालय	24000	100%	99°50%	कोई कमी नहीं
2.	काबुल में अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण	विदेश मंत्रालय	71000	100%	98°50%	कोई कमी नहीं
3.	सवाई माधोपुर (राजस्थान) में रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का निर्माण	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (सीसीयू)	3264	100%	97%	कोई कमी नहीं
4.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास उप शीर्ष: फल्गू नदी पर पुल का निर्माण (पैकेज नं° 11)	बिहार सरकार	2021	100%	100%	कार्य प्रदान कर दिया गया। सभी संरचनात्मक आरेख जारी कर दिए गए हैं।
5.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास उप शीर्ष: सड़क संकेतकों का प्रावधान एवं लगाना	बिहार सरकार	835	100%	100%	सभी तीन परिमंडलों से संबंधित कार्य प्रदान कर दिए गए हैं।
6.	राष्ट्रीय सम विकास योजना आर एस वी वाई के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास उप शीर्ष: जिला कटिहार में टीकापट्टी-चांदपुर सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करना—पैकेज-8 ई	बिहार सरकार	617	100%	100%	कार्य प्रदान कर दिया गया।
7.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास उपशीर्ष: राज्य राजमार्ग 4 (गया-हुलासगंज), राज्य मार्ग 07 (गया-दाउदनगर), राज्य मार्ग 08 (हिसुआ-सिकंदरा), पर पुल तक पहुंच मार्ग	बिहार सरकार	1502	100%	100%	कार्य प्रदान कर दिया गया।
8.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास उपशीर्ष: जिला पूर्णिया, कटिहार, अरेरिया में पुलों तक पहुंच मार्ग, पैकेज 8 एफ	बिहार सरकार	526	100%	40%	कार्य प्रदान कर दिया गया।

क्रम सं॰	वर्ष के लिए चिन्हित कार्यों का नाम	कार्यार्थी का नाम	लागत (लाख रू॰ में)	वर्ष के लिए लक्ष्य प्रतिशत में	वर्ष के दौरान उपलब्धियां प्रतिशत में	उपलब्धियों में कमी के कारण/ अभ्युक्तियां
9.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के तहत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास पैकेज–8 जी (अरेरिया–गौरीचौक रोड, लम्बाई 4॰30 कि॰मी॰)	बिहार सरकार	735	100%	0॰00	कार्य प्रदान कर दिया गया।

अनुबंध-9 IV

2011-12 के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ की परिणामोन्मुखी फ्रेमवर्क दस्तावेज (आर एफ डी)

सौंपे गए कार्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	2011-12 के लिए लक्ष्य	दिस॰ 2011 तक की उपलब्धियां
सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण	विभिन्न स्थानों पर 359 सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण कार्य पूरा किया गया	पूरी की जाने वाली इकाइयों की संख्या		
	(i) सुनहरी बाग		2	90%
	(ii) 30-जीआरजी रोड		1	100%
	(iii) 2 जनपथ		1	90%
	(iv) देवनगर		200	58%
	(v) चडीगढ़		44	100%
	(vi) कलल्ई, कालीकट		58	85%
	(vii) बरेली (उ॰प्र॰)		53	75%
सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण	दिल्ली में सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण	क्षेत्रफल पूरा किया गया		
	(i) सीबीडी शाहदरा-15886 वर्ग मी॰		15886	100%
	(ii) आई॰एन॰ए॰ नई दिल्ली-14970 वर्ग मी॰		14970	99%
सा॰पू॰रि॰आ॰ के अतिरिक्त प्रमुख रिहायशी परियोजनाएं	केलोनिवि को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा रिहायशी परियोजनाओं का निर्माण कार्य सौंपा गया है	पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या	18	7
सा॰पू॰का॰आ॰ के अतिरिक्त मुख्य कार्यालय भवन/ संस्थागत परियोजनाएं	केलोनिवि को विभिन्न—द्वारा कार्यालय भवन/ संस्थागत भवन का निर्माण कार्य सौंपा गया है	पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या	53	23
आर॰एस॰वी॰वाई॰ परियोजनाएं	आर॰एस॰वी॰वाई॰ के अंतर्गत बिहार राज्य में राज्य राजमार्ग का विकास कार्य-250 किमी॰ लम्बाई का कार्य पूरा किया जाना है	250 किमी॰ 7॰0 मी॰ चौड़ी सड़क (सिंगल लेन से 500 किमी॰ के बराबर) का निर्माण कार्य किया जाना है।	250	415 किमी॰ 7॰0 मी॰ चौड़ी सड़क (सिंगल लेन से 830 किमी॰ के बराबर) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
	आर॰एस॰वी॰वाई॰ के अंतर्गत बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास	20 पुलों (12 मी॰ चौड़े) का लक्ष्य पूरा किया जाना है।	20	44 पुल पूरे किए गए।
क्षमता निर्माण	2200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है	प्रशिक्षण दिए जाने वाले लोगों की संख्या	2200	2973
केलोनिवि में ई-गवर्नेंस की शुरूआत-ई आर पी सॉल्यूशन का कार्यान्वयन	परामर्शदाताओं से आर॰एफ॰पी॰ और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्राप्ति	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्राप्ति	अप्रैल, 2011	दिनांक 5॰12॰2011 को आरएफपी का मसौदा प्राप्त हुआ।
	भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से डीपीआर को स्वीकृति	अनुमोदन के अनुरूप	जुलाई, 2011	दिनांक 30॰08॰2011 को डीपीआर प्राप्त हुआ।
	सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति	आशय पत्र	जनवरी, 2012	आर॰पी॰एफ-प्रस्ताव हेतु आवेदन।

अनुबंध-9 V

सामान्य पूल रिहायशी आवास का शहर-वार तथा टाईप-वार विवरण

क्र॰ सं॰	अंचल	कार्य का नाम	शहर/स्थान	क्वार्टरों की संख्या							क्वार्टरों की कुल संख्या
				I	II	III	IV	V	VI तथा उससे ऊपर	हॉस्टल	
			वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे किए गए								
1.	उ॰अं-I	सेक्टर-38, चण्डीगढ़ में सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण	चण्डीगढ़	–				41	3		44
			वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे किए जाने वाले								
2.	उ॰अं-II	सरकारी कर्मचारियों के लिए तुलेश्वरपुर, बरेली में सा॰पू॰रि॰आ॰ का निर्माण	बरेली	–	12	18	12	5	–	–	47
3.	उ॰अं-III	देवनगर का पुनर्विकास-देवनगर में टा॰ III के 400 क्वार्टरों का निर्माण				200					200
	द॰अं-III	कल्लई में सा॰पू॰रि॰आ॰ के लिए 58 क्वार्टरों का निर्माण			14	14	14	14	2		58

अनुबंध-9 Vक

सामान्य पूल कार्यालय आवास का शहर-वार तथा टाइप-वार विवरण

क्र॰सं॰	अंचल	कार्यालय का नाम	शहर	कार्य के अंतर्गत कुल कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गमी॰)	दिसंबर, 10 तक पूरा किया गया कुर्सी क्षेत्रफल
		(वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे किए गए)			
1॰	नदिअं-IV	सी बी डी (सा॰पू॰का॰आ॰) शाहदरा	दिल्ली	15886	15886
		(वर्ष 2010-11 के दौरान पूरे किए जाने वाले)			
1॰	नदिअं-IV	आईएएन, (सा॰पू॰का॰आ॰) ब्लाक बी	दिल्ली	19574	9787
2॰	दअं-II	कवादीगुडा, हैदराबाद में सा॰पू॰का॰आ॰ का निर्माण	हैदराबाद	30368	30368

अनुबंध-9 VI

वर्ष 2011-12 के दौरान आरम्भ किए गए 5 करोड़ तथा उससे ऊपर की लागत वाले कार्यों की सूची (अवधि 1°4°2011 से 31°12°2011)

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
1.	एनसीसीबीएम, बल्लभगढ़ के लिए प्रयोगशाला, प्रशिक्षण हॉस्टल का निर्माण तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं का विकास कार्य	फरीदाबाद	न॰दि॰अं॰-4	1010
2.	गाजियाबाद में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी (फेस 2) का निर्माण	गाजियाबाद	न॰दि॰अं॰-4	1432
3.	अ॰भा॰आ॰सं॰ फेज 2 के परिसर से अंसारी नगर की ओर जाने वाले नाले को ढकने का कार्य	नई दिल्ली	न॰दि॰अं॰-4	2486
4.	खजूरी खास में दिल्ली पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन बिल्डिंग व स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण	नई दिल्ली	न॰दि॰अं॰-4	581
5.	बिड़ला फार्म, रोपड़ (पंजाब) में आई आई टी के मुख्य कैम्पस की चारदीवारी का निर्माण, उपशीर्ष: शेष भाग में चारदीवारी का निर्माण	रोपड़ (पंजाब)	उ॰अं॰-1	734
6.	सैक्टर 32, चंडीगढ़ में भा॰ति॰सी॰पु॰ के लिए आंतरिक विद्युत संस्थापन सहित टा॰-4 के 32 क्वार्टरों (30 क्वार्टर और 2 गैरेज) का निर्माण	चंडीगढ़	उ॰अं॰-1	580
7.	हुसैनीवाला सीमा जिला फिरोजपुर (पंजाब) के रिट्रीट प्वाइंट में दर्शक दीर्धा का निर्माण; उपशीर्ष: जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और आंतरिक विद्युत संस्थापन आदि और विकास कार्यों सहित भवन कार्य	फिरोजपुर (पंजाब)	उ॰अं॰-1	1639
8.	एसएलआईटी, लोंगोवाल, संग्रूर (पंजाब) में कक्षा, प्रयोगशाला, यांत्रिकी जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और आंतरिक विद्युत संस्थापन आदि ब्लॉक सहित 24टा-4(टी/एस) और 12 टा-5 (एस॰एस॰) क्वार्टरों का निर्माण	लोंगोवाल (पंजाब)	उ॰अं॰-1	1639
9.	लोंगोवाल, संग्रूर में (जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और आंतरिक विद्युत संस्थापन सहित) अतिरिक्त डॉरमिटरी (0°50 लड़कों और 0°50 लड़कियों के लिए)	लोंगोवाल (पंजाब)	उ॰अं॰-1	215
10.	(नाबार्ड/जे॰के॰/2011/1) जम्मू (नाबार्ड) में क्षेत्रीय भवन का निर्माण	जम्मू	उ॰अं॰-1	3115
11.	भा॰ति॰सी॰पु॰/जे॰के॰/2010/3, के भा॰ति॰सी॰पु॰ लेह (लद्दाख) के बी॰सं॰ 24 पर टा॰ 2 के 36 क्वार्टरों का निर्माण	लेह	उ॰अं॰-1	852
12.	के॰रि॰पु॰ब॰/जे॰के॰/2009/51, जी॰सी॰के॰रि॰पु॰ब॰ कैम्पस, लेथपोरा (जे और के) में रसोईघर और भोजन कक्ष सहित 240 पुरूषों के लिए 2 बैरकों का निर्माण	लेथपोरा	उ॰अं॰-1	1944

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
13.	एच॰ए॰एफ॰डब्ल्यू॰/जे॰के॰/2007, 1 जम्मू में पी एम एस एस वाई के अंतर्गत सरकारी मेडीकल कॉलेज के लिए उत्कृष्ट विशिष्टता प्राप्त ब्लॉक का निर्माण और उसका उन्नयन	जम्मू	उ॰अं॰–1	5800
14.	एच ए एफ डब्ल्यू/जे॰के॰/2007/7, जी एम सी, जम्मू (नया) में उन्नयन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना	जम्मू	उ॰अं॰–1	3400
15.	एच ए एफ डब्ल्यू/जे॰के॰/2007/8, जी एम सी श्रीनगर (चिकित्सा सेवा) में उन्नयन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना	श्रीनगर	उ॰अं॰–1	3800
16.	मोहाली (पंजाब) में आई आई एस ई आर के लिए धारक दीवार और नाला के प्रशिक्षण का निर्माण	मोहाली	उ॰अं॰–1	1799
17.	मोहाली में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए 2 हॉस्टल ब्लॉकों (6 और 8) का निर्माण	आईआईएसईआर मोहाली, पंजाब	उ॰अं॰–1	3114
18.	विभिन्न प्रकार के 60 फैमिली क्वार्टरों का निर्माण टा॰ 3/22, टा॰4/24, टा॰5/12 तथा टा॰ 6/2 क्वाटर्स)	लेथपोरा	उ॰अं॰–1	1633
19.	भा॰ति॰पु॰ब॰, लेह 12वीं बटालियन 12 (अब बटालियन 5) में जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और जल निकासी सहित जी॰ओ॰ की मैस (भोजनालय) का निर्माण	लेह	उ॰अं॰–3	564
20.	अनंतपुर, बेहरोर में एम॰पी॰आर॰टी॰सी॰, सी॰आई॰एस॰ के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, विकास कार्य और विद्युत कार्य सहित एस॰ओ॰ की मैस का निर्माण	बेहरोर	उ॰अं॰–3	540
21.	अनंतपुर, बेहरोर, जिला अलवर में (पैकेज–1) एम आर टी सी के औ सु ब के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और विद्युत कार्य आदि सहित जी ओ मैस का निर्माण	बेहरोर	उ॰अं॰–3	652
22.	डुगरपुर में के वि के लिए ए–टाइप विद्यालय भवन, 9 स्टॉफ क्वार्टर, क्वार्टर (टा॰ 5/1, टा॰ 2/4 तथा टा॰ 3/4) (उपशीर्ष: मुख्य विद्यालय स्टॉफ क्वार्टर, साइकिल शेड + कैंटीन तथा संतरी कक्ष एवं विद्युत कक्ष और आतंरिक जलआपूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापन	डुंगरपुर	उ॰अं॰–3	948
23.	आई आई टी (राजस्थान) कैम्पस, नागौर रोड़, जोधपुर के लिए स्थायी चारदीवारी तथा चारदीवारी के बगल में बाह्य सड़क का निर्माण	जोधपुर	उ॰अं॰–3	1055
24.	मुजफ्फरपुर में आयकर विभाग के लिए 1996 कारपेट एरिया वाले कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर (टा॰ 4/8, टा॰ 5/2 तथा टा॰ 6/02 का निर्माण)	मुजफ्फरपुर, बिहार	पू॰अ॰–2	2162

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
25.	जमशेदपुर में आयकर विभाग के लिए कार्यालय तथा रिहायशी भवन के निर्माणार्थ भूमि के क्रय का प्रस्ताव	जमशेदपुर, झारखंड	पू॰अ॰–2	1349
26.	धनबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	धनबाद, झारखंड	पू॰अ॰–2	7234
27.	कटक में आयकर विभाग के लिए कार्यालय का निर्माण	कटक, बीबीएसआर	पू॰अ॰–2	1786
28.	पुरी में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन, अतिथि गृह, 42 बिस्तर वाले हॉस्टल एवं स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण	पुरी बीबीएसआर	पू॰अ॰–2	1109
29.	किमिन (एपी) में 10वीं बटालियन भा॰ति॰सी॰पु॰ के लिए 48 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	किमिन (एपी)	उ॰पू॰अं॰	756
30.	गृवाहाटी में बिरूबरी (आईटी) परिसर में विकलांग परिसर के लिए वी आर सी का निर्माण	बिरूबारी, गुवाहाटी	उ॰पू॰अं॰	1040
31.	गोकुल नगर में सीसुबल के लिए भंडारण आवास का निर्माण	गोकुलनगर	उ॰पू॰अं॰	634
32.	अगरतला आयकर कार्यालय भवन का निर्माण	अगरतला	उ॰पू॰अं॰	726
33.	शिलांग में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अतिथि गृह तथा प्लाजा का निर्माण	शिलांग	उ॰पू॰अं॰	637
34.	शिलांग में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के लिए शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण	शिलांग	उ॰पू॰अं॰	890
35.	उमसॉ, उमियम मेघालय, नेपा में प्रशिक्षण खंड/क्लास रूम का निर्माण	उमसॉ, बारापानी	उ॰पू॰अं॰	1384
36.	उमसां, उमियम में नेपा के लिए 50 बिस्तर वाली कॉन्सटेबल शयनशाला का निर्माण	उमसॉ,बारापानी	उ॰पू॰अं॰	550
37.	नेपा, शिलांग में बहुउदेशीय हॉल का निर्माण (इंडोर स्पोर्टस)	उमसॉ, बारापानी	उ॰पू॰अं॰	597
38.	जलापूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापन, विकास तथा वैद्युत संस्थान सहित उमसों, उमियम में नेपा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	उमसॉ, बारापानी	उ॰पू॰अं॰	745
39.	उमसॉ, शिलांग में राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रस्तावित अत्याधुनिक शैक्षिक तथा रिहायशी कैम्पस के लिए प्रतिधारक दीवार साइट ग्रेडिंग तैयारी सहित सड़क का निर्माण	शिलांग	उ॰पू॰अं॰	3481
40.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में आई पी॰जी॰टी॰ तथा आर॰ए॰ के लिए संस्थान भवन का निर्माण	जामनगर	प॰अं॰–1	1840
41.	बांद्रा कुर्ला परिसर, मुम्बई–400051 में आई॰ डी॰बी॰आई॰ बैंक के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	मुम्बई	प॰अं॰–1	18130

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
42.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए आर॰टी॰आई॰ एवं हॉस्टल का निर्माण	मुम्बई	प॰अं॰–1	4580
43.	वेजालपुर, अहमदाबाद में आयकर विभाग के लिए 80 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	अहमदाबाद	प॰अं॰–1	1419
44.	अम्बावाड़ी, अहमदाबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण प॰क्षे॰–1	अहमदाबाद	प॰क्षे॰–1	2244
45.	वादनगर, जिला मेहसाना में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण (चरण–क)	वादनगर	प॰क्षे॰–1	656
46.	वेजालपुर, पंचमहल (गुज॰) में ज॰न॰वि॰ का निर्माण (चरण क, उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति स्वच्छता संस्थापन, जल निकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित विद्यालय भवन, किचन डायनिंग खंड, लड़का एवं लड़की शयनशाला, वार्डन क्वार्टर्स प्राचार्य आवास, टा॰ 1 के 4, टा॰ 2 के 4, टा॰ 3 के 8 क्वार्टर्स का निर्माण) विकास कार्य	पंचमहल	प॰क्षे॰–1	690
47.	वेजालपुर, जिला पी॰एम॰एस॰ में ज॰न॰वि॰ का निर्माण उपशीर्ष: वेजालपुर जिला पी॰एम॰एस॰ में ज॰न॰वि॰ के लिए 17 मीटर ऊंची 1 लाख लीटर क्षमता की शिरोपरि टंकी का निर्माण	वेजालपुर	प॰क्षे॰–1	690
48.	गांधीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए 100 बिस्तर वाला हॉस्टल का निर्माण	गांधीनगर	प॰क्षे॰–1	705
49.	चितापुर जिला भंडारा में 206 कोबरा बटालियन के लिए 269 फैमिली क्वार्टरों, का निर्माण	भंडारा	प॰क्षे॰–1	2524
50.	बारामती जिला पुणे में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबिओटिक स्टेस मैनेजमेंट का निर्माण	बारामती	प॰क्षे॰–2	2093
51.	तमिलनाडु में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी उथंडी, कांचीपुरम के लिए प्रशासनिक भवन का निर्माण उपशीर्ष: प्रशासनिक भवन के बगल प्रवेश द्वार से डब्ल्यू बी॰एम॰ रेडियल बिल्डिंग टी॰डब्ल्यू॰एच॰बी॰ के लिए कार्यस्थल का विकास	चेन्नई	द॰क्षे॰–1	1406
52.	मेलाकोट्टैयुर, कांचीपुरम जिला में आई॰आई॰आई॰टी॰डी॰ एवं एम॰ कैम्पस के लिए स्थायी भवन का निर्माण, उपशीर्ष: खेल के मैदान क्षेत्र का निर्माण	मेलाकोटियार	द॰क्षे॰–1	1489
53.	मेलाकोट्टैयुर, कांचीपुरम जिला में आई॰आई॰आई॰टी॰डी॰ एवं एम कैम्पस के लिए स्थायी भवन का निर्माण, उपर्शीष: प्रवेश द्वारा से स्थायीवत् संरचना तथा खेल के मैदान क्षेत्र तक आंतरिक मार्ग सबग्रेड का निर्माण	मेलाकोटयार	द॰क्षे॰–1	1489

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
54.	सथानगडू, चेन्नै में आर॰आई॰एन॰एल॰ (विशाखापट्टनम) इस्पात संयंत्र स्टॉक यार्ड का नवीकरण उपशीर्ष: पेवमेंट, पुलिया, मुख्य द्वार तथा वेट ब्रिज (शेष कार्य) का सिविल कार्य	चेन्नई	द॰क्षे॰–1	566
55.	आई॰आई॰टी॰ मद्रास, चेन्नै, के लिए नए ब्वायज हॉस्टल 'ए' एवं 'बी' तथा गर्ल्स हॉस्टल (एक खंड) का निर्माण, उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जल निकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित भवन भाग 1	चेन्नई	द॰क्षे॰–1	6411
56.	एस॰ई॰आर॰सी॰, तारामती, चेन्नै के लिए प्रशिक्षण एवं विकसित परिसर का निर्माण उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जल निकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापन, स्थूना नीव सहित भवन भाग (अधिसंरचना)	चेन्नई	द॰क्षे॰–1	1006
57.	जिपमेर, पांडिचेरी में केन्द्रीय विद्यालय के अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति,स्वच्छता, संस्थापन, जल निकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित भवन भाग	पांडेचेरी	द॰क्षे॰–1	593
58.	अंकोस्ट, पोर्टब्लेयर में रिहायशी क्वार्टरों (टा॰2/6, टा॰3/6, टा॰4/6 तथा टा॰5/2) का निर्माण	पोर्टब्लेयर	द॰क्षे॰–1	1000
59.	तिरूवरूर में सी॰यू॰टी॰एन॰ के लिए लैब बेस्ड स्कूल बिल्डिंग फॉर सी॰यू॰टी॰टन॰ का निर्माण, उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जल निकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित भवन भाग	तिरूवरूर	द॰क्षे॰–1	1983
60.	(आई॰आई॰आई॰टी॰डी॰एम॰/एम॰ पी॰/2009/1)–पी॰डी॰पी॰एम॰ iii टी॰,डी॰ एवं एम॰ कैम्पस, जबलपुर (म॰प्र॰) के लिए व्याख्यान कक्ष तथा अनुवर्ग परिसर का निर्माण	जबलपुर	सीईसीएनजैड	2409
61.	(आई॰आई॰आई॰टी॰डी॰एम॰/एम॰पी॰/2010/6) पी॰डी॰पी॰एम॰, एवं आई॰आई॰आई॰टी॰डी॰एम॰ जबलपुर (म॰प्र॰) में नर्मदा रेजिडेंसी ii (50 फ्लैट) का निर्माण	जबलपुर	सीईसीएनजैड	1515
62.	कंकोर (छत्तीसगढ़, में के॰वि॰ के लिए स्कूल भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों, चारदीवारी आदि का निर्माण	कंकेर	सीईसीएनजैड	677
63.	सागर (म॰प्र॰) में केन्द्रीय विद्यालय संख्या–3 के लिए विद्यालय भवन (ए–टाइप) तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण, के॰वी॰एस/एम/पी/2008/3)	सागर	सीईसीएनजैड	674

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
64.	एम॰एन॰आई॰टी॰/एम॰पी॰/2010/11–मौलाना आजाद इस्टीट्यूट (मानित), कैम्पस, भोपाल (म॰प्र॰) में गोल्डन जुबली ब्वायज हॉस्टल के खंड–iii का निर्माण	भोपाल	सीईसीएनजैड	3071
65.	बिलासपुर में गुरूघासीदास विश्वविद्यालय के लिए चारदीवारी का निर्माण, यू॰एन॰आई॰वी॰/सी॰एच॰/2010/3	बिलासपुर	सीईसीएनजैड	1007
66.	एन॰पी॰टी॰टी॰ए॰/एम॰पी॰/2011/1) कंसैया, भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण (कैंट) के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय अकादमी के लिए प्रिफैब्रीकेटिड आवास का निर्माण	भोपाल	सीईसीएनजैड	761
67.	ग्वालियर में ए॰बी॰ वी–III टी एंड एम कैम्पस (चरण–4) उपशीर्ष: विभागीय खंड–5 का निर्माण	ग्वालियर	सीईसीएनजैड	884
68.	नजाराबाद, मैसूर में आयकर कार्यालय भवन का निर्माण	मैसूर	सीईएसजैड–3	1869
69.	सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (सी॰एम॰टी॰आई॰) में एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण	बंगलौर	सीईएसजैड–3	1575
70.	सोलदेवेवनाहल्ली बेंगलूर में एनिमल क्वैरनटाइन तथा सर्टिफिकेट स्टेशन का निर्माण	बंगलौर	सीईएसजैड–3	1029
71.	यू॰ए॰एस॰, कैम्पस्, हिब्बल में प्लांट क्वैरंटाइन स्टेशन के लिए कार्यालय तथा प्रयोगशाला भवन का निर्माण	बंगलौर	सीईएसजैड–3	573
72.	पेरिथलमन्ना, मालापुरम जिले में ए॰एम॰यू॰ कैम्पस का निर्माण उपशीर्ष: अहाता दीवार का निर्माण	मालापुरम्	सीईएसजैड–3	527
73.	पेरिंथलमन्ना, मालापुरम जिले में ए॰ एम॰ यू॰ कैम्पस के लिए कार्यस्थल का विकास तथा बल्क सेवाएं सहित स्थायीवत भवन का निर्माण	मालापुरम	सीईएसजैड–3	1311
74.	इंडियन मैरिन यूनिवर्सिटी कैम्पस वेलिंगटन आइलैंड, कोचीन के लिए प्रशासनिक तथा शैक्षिक भवन का निर्माण	कोचीन	सीईएसजैड–3	1618
75.	एच॰बी॰आर॰ ले आउट, बेंगलूर में डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस जोनल यूनिट के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	बंगलौर	सीईएसजैड–3	989
76.	एन॰आई॰टी॰ कालीकट के लिए मेगा हॉस्टल–II का निर्माण	कालीकट	सीईएसजैड–3	16523
77.	कोट्टयम में एम जी यूनिवर्सिटी के लिए बुनियादी विज्ञान में गहन अनुसंधान के लिए विद्यालय का निर्माण उपशीर्ष: संस्थान भवन, कैंटीन पुरुष एवं महिला हॉस्टल, भवनों का निर्माण	कोट्टयम	सीईएसजैड–3	863
78.	कुसट, कोचीन में विद्यार्थी सुविधा केन्द्र का निर्माण	कोचीन	सीईएसजैड–3	884

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
79.	फ्रंटियर मुख्यालय, सी॰सु॰ब॰, बेंगलूर के लिए प्रशासनिक खंड का निर्माण	बैंगलूर	सीईएसजैड-3	1086
80.	पश्चिम बंगाल सेक्टर के उत्तर दीनाजपुर जिले में भा॰बं॰सी॰ के बगल से सी॰कं॰ पेवमेंट पैट्रूलिंग टैंक सहित चरण-III सुरक्षा हदबंदी निर्माण उपशीर्ष: सी॰ चौकी सं॰ 374/1-एस से 375/1- एस (पकुरिया गांव) (लम्बाई 3॰30 किमी॰)	पकुरिया	आईबीबीजैड	2732
81.	भवानीपुर नाला पर सीमा चौकी सं॰ 226/4-एस॰ से 227/4-एस॰ (लम्बाई 0॰620 किमी॰) तक पश्चिम बंगाल सेक्टर के माल्दा जिले में भवानीपुर तथा आगरा सीमा चौकी के बीच सड़क (भा॰बं॰ सीमा सड़क को जोड़ने के लिए बॉक्स कलवर्ट) का निर्माण	माल्दा	आईबीबीजैड	532
82.	पश्चिम बंगाल राज्य में भारत बंगलादेश सीमा के बगल में सीमा सुरक्षा बल के लिए सीमा चौकियों का निर्माण	उत्तर दीनाजपुर	आईबीबीजैड	6213

अनुबंध 9 VI(क)

वर्ष 2011-12 (अवधि 1°01°2012 से 31°3°2012 तक) के दौरान आरंभ किए जाने वाले 5 करोड़ रुपयों तथा इससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की सूची

क्र सं°	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	शेड्यूल 'बी' प्रेसीडेंट एस्टेट में ऑडिटोरियम के पास सेरेमोनियल हॉल का निर्माण	शेडयूल 'बी' प्रेसीडेंट एस्टेट	पीसी डब्ल्यू अं	2359
2.	शेड्युयूल 'बी' प्रेसीडेंट एस्टेट ब्लॉक 10 में टाइप II के 22 तथा टाइप II के 28 क्वार्टरों का निर्माण	शेडयूल 'बी' प्रेसीडेंट एस्टेट	पीसी डब्ल्यू अं	561
3.	11-12 के दौरान के°जी° मार्ग, नई दिल्ली में एम°एस° अपार्टमेंट तथा हॉस्टल का उन्नयन तथा असाधारण विशेष मरम्मत (उपशीर्ष: सिंगल एवं डबल स्यूट का नवीकरण तथा असाधारण विशेष कार्य, ए ब्लॉक से एस ब्लॉक तथा सर्वेंट क्वार्टरों में)	के जी मार्ग	न दि अं-II	696
4.	आई°एन°ए° नई दिल्ली में सापूका आ° के ब्लॉक ई (भूतल+4)का आंतरिक कार्य	नई दिल्ली	न दि अं-IV	516
5.	(एच ए एफ डब्ल्यू/जेके/2007/1) पीएमएसवाई के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू का उन्नयन तथा सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण (भवन कार्य)	जम्मू	ऊअं-I	5800
6.	(एच ए एफ डब्ल्यू/जेके/2007/8) जी°एम°सी° श्रीनगर में उन्नयन के लिए उपकरणों की खरीद (मेडिकल सेवाएं)	श्रीनगर	ऊअं-I	3800
7.	कमंद में आई°आई°टी° मंडी के लिए फेज I साउथ के अंतर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण	मंडी	ऊअं-I	3062
8.	पी°जी°आई°एम°ई°आर° से° 12, चंडीगढ़ में नेहरू अस्पताल का विस्तार तथा आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन सहित एन°आई°पी°एस° का निर्माण	पीजीआईएम ईआर से°12 चंडीगढ़	ऊअं-I	11156
9.	जी°सी°सी°आर°पी°एफ° लेथपोरा, श्रीनगर में विकास कार्य/बल्क सेवाएं मुहैया कराना	लेथपोरा	ऊअं-I	2059
10.	ग्राम परमार, लखनऊ में सी सु°बू° के लिए जलापूर्ति,स्वच्छता संस्थापन, विकास कार्य, आंतरिक विद्युत संस्थापन सहित क्वार्टर गार्ड, एस ओ मैस, (4 सूइट) जी°ओ° मैस का निर्माण	लखनऊ	ऊअं-II	612
11.	लखनऊ में इग्नू, रीजनल सेंटर के लिए रीजनल सेंटर बिल्डिंग का निर्माण	लखनऊ	ऊअं-II	2829
12.	आई°आई°टी° इलाहाबाद में आंतरिक विद्युत संस्थापन तथा पंखों सहित 48 आवासीय क्वार्टर टा° II/16,टा° III/20,टा° IV/12 क्वार्टरों का निर्माण	इलाहाबाद	ऊअं-II	1184
13.	जे°एन°बी° अंबेडकर नगर (उ°प्र°) में फेज-ए का निर्माण	अंबेडकर नगर	ऊअं-II	814
14.	के°वी° देवरिया (उ°प्र°)के लिए ए टाइप की स्कूल बिल्डिंग, 9 यूनिट स्टॉफ क्वार्टर तथा चारदिवारी का निर्माण	देवरिया	ऊअं-II	1022

1	2	3	4	5
15.	सिविल विकास कार्य एवं बल्क सेवाओं सहित मुख्य भवन (सिविल एवं आंतरिक विद्युत कार्य)	देवरिया	उ॰अं–II	961
16.	अहमद स्कूल, ए॰एम॰यू॰ अलीगढ़ में विभिन्न प्रकार के विक्लांग विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण	अलीगढ़	उ॰अं–II	600
17.	वाइल्ड लाइफ रोड, ए॰एम॰यू॰ अलीगढ़ लॉ फैकल्टी के साथ लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	अलीगढ़	उ॰अं–II	800
18.	से॰–2, विद्याधर नगर, जयपुर में विजिटर आफिसर्स होस्टल का निर्माण	जयपुर	उ॰अं–III	922
19.	आई॰आई॰एम॰, उदयपुर में चारदिवारी का निर्माण	उदयपुर	उ॰अं–III	669
20.	(सी॰एफ॰एम॰टी॰/एम॰पी॰/2009/5) सी॰एफ॰एम॰टी॰ एंड टी॰आई॰ बुधनी में ड्रॉ पावर तथा ट्रैक टैस्ट ट्रेक्टर के लिए नए ट्रैक टैस्ट का निर्माण	बुधनी	सीईसीएनजेड	535
21.	ग्वालियर में ए॰बी॰वी॰आई॰आई॰टी॰ एंड एम॰ कैम्पस (फेज–IV (1) उपशीर्ष: लर्निंग रिसोर्स सेंटर (लाइब्रेरी)(2) कंप्यूटेशनल हब का निर्माण (3) लेक्चर थिएटर कांप्लेक्स का निर्माण	ग्वालियर	सीईसीएनजेड	4100
22.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, (तांबारम, चेन्नई में आई पी डी ब्लॉक का निर्माण तथा ओपीडी ब्लॉक का विस्तार)	तांबारम	द॰अं॰–I	1839
23.	तिरूवरूर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू के लिए लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण, उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जलनिकासी, विद्युत संस्थापन सहित बिल्डिंग पोर्शन का निर्माण	तिरूवरूर	द॰अं॰–III	1165
24.	भारत बांग्ला देश सीमा (आईबीबी) तथा भारत पाकिस्तान सीमा (आई॰पी॰बी॰) के साथ सी॰ सु॰ब॰ के लिए 509 आउटपोस्ट (बी॰ओ॰पी॰)का निर्माण, उपशीर्ष: प॰बं॰ क्षेत्र के उत्तर दीनाजपुर में बी॰पी॰ नं॰ 360/2 एस के पास बी॰ओ॰पी॰ कोचाबारी का निर्माण	उत्तर दीनाजपुर	आईबीबीजेड	6213

अनुबंध 9 VII

वर्ष 2011-12 (अवधि 1°04°2011 से 31°12°2011 तक) के दौरान पूरे किए गए 5 करोड़ रुपयों तथा इससे अधिक लागत के कार्यों की सूची

क्र°सं°	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	सी°बी°डी° शाहदरा में जी°पी°ओ°ए°	दिल्ली	न दि अं-IV	4314
2.	एस°पी°जी काम्पलेकस, द्वारका में 2 पी°यू°एफ° जिम का निर्माण	द्वारका	नदिअं°-IV	707
3.	जी°सी°सी°आर°पी°एफ° कैम्प झरोदा कलां नई दिल्ली में एथलीट आवास के लिए स्थायी बैरक उपलब्ध कराने और सिंथेटिक एथलिट ट्रैक परत बिछाने के लिए 5 स्थायी बैरकों का निर्माण	प्रगति मैदान	नदिअं°-IV	777
4.	आई°ओ°डी°/डब्ल्यू बी/2008/2/ हिमाचल विहार, माटीगारा, सिलीगुडी में आयकर विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के लिए आवासीय क्वार्टरों और अतिथि गृह का निर्माण I उपशीर्ष: 4 टा-I/4, टाइप II/16, टाइप III/ 16, टाइप IV 8, टाइप V/3, टाइप VI/2 का निर्माण जलापूर्ति, स्वच्छता संथापन व चारदीवारी सहित क्वार्टर	माटीगारा सिलीगुडी	पूअं°-I	797
5.	सैक्टर- 38 ए और बी (चरण-1), चंडीगढ़ में सी°जी°ई° के लिए जी°पी°आर°ए° का निर्माण उपशीर्ष टाइप-V/41 क्वार्टर, जल/आपूर्ति, स्वच्छता/संस्थान, कार्यो का विकास तथा आंतरिक वैद्युत संस्थान सहित 5 पार्किग	चंडीगढ़	पूअं°-I	1422
6.	पी°जी°आई° चंडीगढ़ में एडवांस्ड ट्रामा सेंटर का निर्माण	चंडीगढ़	पूअं°-I	1130
7.	सी°आर°पी°एफ° कैम्पस हल्लोमाजरा, चंडीगढ़ में 528 फैमली क्वाटरों (टाइप-II/512 और टाइप III/ 16 का निर्माण- उपशीर्ष: टाइप-II/120 व टाइप-III/16 इत्यादि का निर्माण	चंडीगढ़	उ°अं°-I	1037
8.	सी°आर°पी°एफ° कैम्पस हल्लोमाजरा चंडीगढ़ में 528 फैमली क्वार्टरों टाइप-II 512 व टाइप-III /16 का निर्माण उपशीर्ष: आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता/संस्थापन जलनिकास व आंतरिक विद्युत संस्थापन संहित टाइप-II /192 क्वार्टरों का निर्माण (पैकेज ए)	चंडीगढ़	उ°अं°-I	1342
9.	सी°आर°पी°एफ° कैम्पस हल्लोमाजरा चंडीगढ़ में 528 फैमली क्वार्टरो टाइप-II 512 व टाइप-III /16 का निर्माण/ उपशीर्ष: आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन जलनिकास व आंतरिक विद्युत संस्थापन सहित टाइप-II/192 क्वार्टरों का निर्माण (पैकेज बी)	चंडीगढ़	उ°अं°-I	1342
10.	टाइप II/126 का निर्माण जी°सी°सी°आर°पी°एफ° जालंधर में जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जल निकास और आंतरिक विद्युत संस्थापन सहित फैमिली क्वार्टर (तिमंजिला)	जालंधर	उ°अं°-I	1157
11.	एन°आई°टी° हमीर पुर (हिमाचल प्रदेश) में छात्रा छात्रावास का विस्तार	हमीर पुर	उ°अं°-I	1072
12.	(एच ए एफ डब्ल्यू/जे के/2007/1) पी एम एस एस वाई के अंतर्गत राजकीय मैडीकल कॉलेज, जम्मू के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उन्नयन और निर्माण (भवन कार्य)	जम्मू	उ°अं° I	5800

1	2	3	4	5
13.	बंटालब, जम्मू में सी डब्ल्यू सी के लिए आवासीय और गैर आवासीय, काम्पलैक्स का निर्माण	बंटालब	उ॰अं॰–I	684
14.	कैट कार्यालय भवन का निर्माण – शेष कार्य	इलाहाबाद	उ॰अं॰–II	659
15.	अकबर पुर, कानपुर देहात में के वि माटी का निर्माण	कानपुर	उ॰अं॰–II	810
16.	केन्द्रीय विद्यालय, बदायूँ का निर्माण	बदायूँ	उ॰अं॰–II	985
17.	बरेली में आयकर विभाग के वर्तमान भवन का विस्तार	बरेली	उ॰अं॰–II	609
18.	एच एन बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर (गढ़वाल) के लिए छात्रा छात्रावास का निर्माण (चरण – 1)	श्रीनगर (गढ़वाल)	उ॰अं॰–II	550
19.	चौरास, श्रीनगर (गढवाल) में एच एन बी, गढवाल यूनिवर्सिटी के लिए संकाय भवन का निर्माण	श्रीनगर (गढ़वाल)	उ॰अं॰–II	532
20.	मसूरी में एल बी॰ एस॰ एन॰ ए॰ ए॰ के लिए अकेदमिक ब्लॉक का निर्माण	मूंसरी	उ॰अं॰ II	1582
21.	इलाहाबाद में सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के लिए 250 फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	फफामाउ इलाहाबाद	उ॰अं॰–II	1809
22.	जी॰सी॰सी॰आर॰पी॰एफ॰ में इलाहाबाद में 200 फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	फफामाड इलाहाबाद	उ॰अं॰–II	1495
23.	आई॰ आई॰ आई॰ टी॰ इलाहाबाद में कम्प्यूटर सेंटर– III का निर्माण	इलाहाबाद	उ॰अं॰–II	4793
24.	हेंगरावरी गुवाहाटी (असम) में आई एच एम का निर्माण (उपशीर्ष: जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापन सहित थ्योरी क्लास रूम का निर्माण	गुवाहाटी	उ॰पू॰अं॰	719
25.	तन्हरील, आईजोल में एम जेड यू के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण	आइजोल मिजोरम	उ॰पू॰अं॰	526
26.	शिलांग में एन ई आर ई बी (नवीन) एन ई आर पी सी के लिए कार्यालय – सह – स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण उपशीर्ष: जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन तथा प्रतिधारक दीवार सहित कार्यालय भवन और टाइप II/6 टाइप III/12, टाइप – IV/12, टाइप–V/3 और टाइप–VI/1 का निर्माण)	शिलांग	उ॰पू॰अं॰	1089
27.	बड़ा पानी में एन ई आर आई ई के लिए भवन का निर्माण	शिलांग	उ॰प॰अं॰	1562
28.	बी नं॰ 12, सेमीनारों हिल्स, नागपुर में आयकर के लिए 140 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	नागपुर	प॰अं॰–II	1380
29.	वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के लिए तीन और स्कूल भवनों का निर्माण	वर्धा	प॰अं॰–II	550
30.	बाबुलगांव, जिला अकोला, चरण 'ए'' में जे॰ एन॰ बी॰ का निर्माण	अकोला	प॰अं॰–II	534
31.	(ए जी /सी एच / 2004/1 महालेखाकार (ए॰जी॰) रायपुर छत्तीसगढ़) के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	रायपुर	सी ई सी एन जेड	3585
32.	(एन वी एस / सी एच / 2009 / 4) जे एन बी (छत्तीसगढ़) कवर्धार में चरण ''क'' का निर्माण	कवर्धा	सी ई सी	689 एन जेड
33.	(एन बी एस / सी एच / 2009 / 4) जे एन वी कवर्धा में चरण ''ए'' का निर्माण	चरुवा	सी ई सी	6098 एन जेड

1	2	3	4	5
34.	गुविंडी चेन्नै में स्टेट, ट्रेडिंग कारपोरेशन के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (1०5 में एफ एस आई सहित)	चेन्नै	द०अ०–I	1007
35.	मुत्तु काडु, चेन्नै में अनेक प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संस्थान के लिए भवनों का निर्माण। उपशीर्ष : भवन भाग, स्वच्छता संस्थापन, जल आपूर्ति, सड़क, जल निकास और आंतरिक विद्युत संस्थापन	मुत्तुकाडु	द०अ०–I	3880
36.	सथानागाडू चेन्नै में आर आई एन एल (विशाखापत्तनम) स्टील प्लांट का नवीकरण। उपशीर्ष: सिविल कार्यों का भुगतान, पुलिया, मुख्य द्वार तथा वेट ब्रिज (शेष कार्य)	चेन्नै	द०अ०–I	566
37.	आई आई टी मद्रास, चेन्नै में बनावनी विद्यालय के लिए प्राथमिक खंड का निर्माण उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, जल निकास	चेन्नै	द०अ०–I	1036
38.	थिरुवरूवर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के लिए 200 विद्यार्थियों हेतु छात्र छात्रावास तथा मैस ब्लॉक का निर्माण	थिरुवरूर	द०अ०–I	1108
39.	थिरूवरूर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के लिए 200 विद्यार्थियों हेतु छात्र छात्रावास तथा मैस ब्लॉक का निर्माण	थिरुवरूर	द०अ०–I	1008
40.	कोयम्बटूर में एस वी पी आई टी एम के लिए अकेदमिक ब्लॉक और प्रेक्षागृह का निर्माण	कोयम्बटूर	द०अ०–I	1265
41.	एन आई टी, त्रिची के लिए सिविल इंजीनियरिंग एम एम ई विभाग के लिए स्टाफ रूम 24 सहायक प्रोफेसर क्वार्टरों और स्टुडेंट एक्टिविटी सेंटर का निर्माण। उप शीर्ष: आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन तथा जलनिकास सहित भवन भाग	त्रिची	द०अ०–I	1072
42.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर के लिए ए एन यू इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज के लिए द्वितीय तल से उपर सिविल इंजीनियरिंग ब्लॉक का निर्माण	गुंटूर	द०अ०–II	526
43.	केन्द्रीय विद्यालय नं० 2, एक्कुर मंगलौर के लिए ''ए'' 8 टाइप स्कूल भवन और 9 क्वार्टरों का निर्माण	मंगलौर	सी ई एस जेड – 3	910
44.	बंगलौर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् बंगलौर के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	बंगलौर	सी ई एस जेड – 3	633
45.	आकुलम, त्रिवेन्द्रम में नेटपेक के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	त्रिवेन्द्रम	सी ई एस जेड – 3	548
46.	आइसेट, आई सेक कैम्पस फार नाल, बंगलौर में रिवेब्रेशन चैम्बर का निर्माण	बंगलौर	सी ई एस856 जेड – 3	
47.	निट, कालीकट के लिए 100 क्वार्टरों का निर्माण 30 सहायक प्रोफेसर्स क्वार्टर, 20 लेक्चरर्स क्वार्टर, 10 सहायक अधिकारी एवं 20 प्रशासनिक स्टाफ क्वार्टर	कालीकट	सी ई एस जेड – 3	3006
48.	भा० खे० प्रा० त्रिवेन्द्रम के लिए 100 बैड वाल हॉस्टल का निर्माण	त्रिवेन्द्रम	सी ई एस जेड–3	835

1	2	3	4	5
49.	आइने, पला, कोट्टायम के लिए एम जी यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण	कोट्टायम	सी ई एस जेड–3	567
50.	आइने, नेदुमकंदम, कोट्टायम के लिए एम जी यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण	कोट्टायम	सी ई एस जेड–3	537
51.	जी॰सी, सी आर पी एफ, पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम के लिए 192 टाइप II फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	पल्लीपुरम	सी ई एस जेड– 3	1149

अनुबंध 9॰ VIIक

वर्ष 2011-12 (01॰01॰2012 से 31॰03॰2012 तक की अवधि) के दौरान 5 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के लागत के कार्यों की सूची

(लाख रुपये में)

क्रसं॰	कार्य का नाम	स्थान	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रमंडल खेलों के आरंभ होने से पूर्व सेन्ट्रल विस्टा तथा उसके साथ के क्षेत्र पर कार्य	नई दिल्ली	नदिअं॰-I	1615॰00	16॰06॰10
2	सेना भवन का आधुनिकीकरण (उपशीर्ष: बाह्य सिविल कार्य)	नई दिल्ली	नदिअं॰-II	4635॰00	14॰01॰08
3	नोएडा (उप्र) में न वि सं॰ के लिए मुख्यालय भवन और प्रशिक्षण संस्थान	नोएडा	नदिअं॰-IT	1491॰00	02॰02॰07
4	गाजियाबाद में एन सी ओ एफ भवन में उपशीर्ष: भवन, प्रशासनिक भवन, होस्टल भवन, आडिटोरियम भवन, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ईएसएस और जेनरेटर कक्ष, गैराज ब्लॉक, खाद्य भंडारण, कृमि खाद शेड, खाद गर्त, बी जी एस आयोलिया गर्त और रिहाइशी क्वार्टर	गाजियाबाद	नदिअं॰-IT	1371॰00	16॰01॰05
5	एसपीजी कॉम्पलेक्स, द्वारका, नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय	द्वारका	नदिअं॰-IT	573॰03	13॰10॰02
6	सेक्टर 38 ए और बी, चण्डीगढ़ मे सीजीई के लिए सा पू रि आ। (चरण-I) उपशीर्ष: जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन, विकास कार्य और आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित टा ट /41 क्वार्टर. 5 पार्किंग टा॰ VI/3 क्वार्टर. 1 पार्किंग	चण्डीगढ़	उ॰अं॰-I	1421॰74	16॰05॰08
7	करनाल में केन्द्रीय विद्यालय। (उप-शीर्ष: ए टाइप विद्यालय भवन टा-II/4, टा॰III /4॰ टा॰ IV/1 साईकिल/स्कूटर शेड, विद्युत सब स्टेशन, भवन और विकास कार्य) तथा विद्युत संस्थापन और पंखे उपलब्ध कराना)	करनाल	उ॰अं॰-I	674॰26	22॰02॰08
8॰	भा॰खे॰प्रा॰ सोनीपत में 200 बिस्तरों वाला हॉस्टल	सोनीपत	उ॰अं॰-I	944॰72	20॰02॰08
9॰	इन आई टी, कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक ब्लॉक	कुरुक्षेत्र	उ॰अं॰- I	658॰06	24॰07॰08
10॰	बनतालाब, जम्मू में केन्द्रीय जल आयोग के लिए रिहायशी और गैर रिहायशी भवन	बनतालाब	उ॰अं॰- I	613॰00	31॰03॰09
11॰	पीएमएसएसवाई के अन्तर्गत गवर्नमेंट, मेडिकल, कालेज, जम्मू के लिए अतिविशेषज्ञता ब्लॉक का उन्नयन और निर्माण	जम्मू	उ॰अं॰-I	5800॰00	05॰04॰07
12॰	कपूरथला रोड, जिला-कपूरथला में एसएसएस-एनआईआरई परियोजना	कपूरथला	उ॰अं॰-I	1989॰00	25॰02॰08
13॰	केरिपुब (जीसी), जालंघर में टा-II के 126 तीन मंजिला क्वार्टर्स	जालंधर	उ॰अं॰-I	1157॰46	05॰06॰09

1	2	3	4	5	6
14.	के॰वि॰ हीरानगर (जम्मू और कश्मीर) में विद्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	जम्मू और कश्मीर	उ॰अं॰ I	594.72	06.10.08
15	मोहाली में आई आई एस ई आर के लिए 2 हॉस्टल ब्लॉक	मोहाली	उ॰अं॰ I	1924.21	17.06.09
16	आईआईएसईआर, मोहाली के रिहाइशी आवास, I (उपशीर्ष: निदेशक आवास और 8 डूप्लैक्स)	मोहाली	उ॰अं॰ I	2487.50	26.05.09
17.	मेनगेट, गार्ड कक्ष, संतरी चौकी, एटीएम आदि सहित लबाना, जयपुर स्थित सीसुब कैम्पस की चारदीवारी	जयपुर	उ॰अं॰ III	576.85	07.11.09
18.	कांत कलवर, जयपुर में आईसीईडी, सीएजी के लिए गेट हाउस युक्त चारदीवारी	जयपुर	उ॰अं॰ III	8741.45	06.08.10
19.	केऔसुब, क्षे॰प्र॰के॰ अनंतपुर, जिला अलवर के लिए गैर रिहाइशी भवन (प्रशासनिक ब्लाक)	बहरोड	उ॰अं॰ III	2407.77	01.05.09
20	केऔसुब, अनंतपुर, बहरोड, जिला अलवर के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में 118 रिहाइशी क्वार्टरों का निर्माण	बहरोड	उ॰अं॰ III	1130.17	18.03.09
21	के॰वि॰, सी॰सु॰ब॰ पोखरन के लिए 9 स्टाफ क्वार्टरों सहित ए–1 टाइप विद्यालय भवन	जैसलमेर	उ.अं III	835.32	27.03.09
22	साल्ट लेक, कोलकाता में एनआईएच के लिए जी ई ब्लॉक स्थित ओल्ड कैम्पस में अस्पताल भवन और रिहाइशी भवन	साल्ट लेक	पू॰अं॰ II	729.53	09.03.06
23.	धनबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन	धनबाद	पू॰अं॰ II	723.36	28.08.06
24	धनबाद में आईएसएमयू के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और जल निकास सहित टाइप–IV के 144 क्वार्टर (चार मंजिला) (30 रिहायशी यूनिट और 2 पार्किंग यूनिट) पेकेज– III)	धनबाद	पू॰अं॰ II	2443.92	11.06.08
25	धनबाद में आईएसएमयू के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और जल निकास सहित टाइप–IV के 144 क्वार्टर (चार मंजिला) (30 रिहाइशी यूनिट और 2 पार्किंग यूनिट) पैकेज–IV	धनबाद	पू॰अं॰ II	2443.92	11.06.08
26	धनबाद में आईएसएमयू के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और जल निकास सहित टाइप–IV के 144 क्वार्टर (चार मंजिला) (24 रिहाइशी यूनिट और 2 पार्किंग यूनिट) (पैकेज–V)	धनबाद	पू॰अं॰ II	2443.92	11.06.08
27	आईएसएम, धनबाद में 60 कमरों का निर्माण (120 लड़कियों की क्षमता वाला होस्टल)	धनबाद	पू॰अं॰ II	543.00	16.06.08
28	धनबाद में आईएसएमयू के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता संस्थापन और जल निकास सहित टाइप–IV के 144 क्वार्टर (चार मंजिला) (3 रिहाइशी यूनिट और 2 पार्किंग यूनिट)	धनबाद	पू॰अं॰ II	847.96	16.06.08
29.	भुवनेश्वर में आई आई टी टी एम	भुवनेश्वर	पू॰अं॰ II	1154.00	30.04.06
30.	नवरंगपुर में ज॰न॰वि॰ का निर्माण (चरण–क)	नवरंगपुर	पू॰अं॰ II	627.65	05.01.07
31.	जजपुर में ज॰न॰वि॰ का निर्माण (चरण–क)	जजपुर	पू॰अं॰ II	738.19	24.07.07

1	2	3	4	5	6
32.	आई॰आई॰टी॰ भुवनेश्वर के होस्टल आवास हेतु सत्यनगर में आई आई टी के लिए तोशाली प्लाजा ब्लॉक सं॰ ए1 और ए 2 का नवीकरण कार्य	भवुनेश्वर	पू॰अं॰ II	606.47	05.02.10
33.	फेक, नागालैण्ड में ज न वि (चरण–I)	जुकेत्सा, फेक, नागालैण्ड	उ॰पू॰अं॰	766.85	03.04.05 04.07.03
34.	कोहिमा, नागालैण्ड में महालेखाकार स्टाफ के लिए टा. I के 6, टा॰ II के 48 टा॰ III के 36. टा॰ IV के 12 क्वार्टर	काहिमा नागालैण्ड	उ॰पू॰अं॰	935.50	14.12.09
35.	खानापाडा, गुवाहाटी में सी एस बी के लिए बिल्डिंग फॉर कोकून टेक्नालॉजी रिसर्च (पीसीटीआरसी)	गुवाहाटी, असम	उ॰पू॰अं॰	518.05	14.12.09
36	25 बटालियन भा॰ ति॰ सी॰ पु॰, तेजू (अरूणाचल प्रदेश) मे टा॰ II के 36 और टा॰ II के 12 क्वार्टर	तेजू, अरूणाचल प्रदेश	उ॰पू॰अं॰	785.72	04.02.09
37.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 02 पर पांडू, गुवाहाटी के लिए हाई लेवल	गुवाहाटी असम	उ॰पू॰अं॰	3342.00	14.01.09
38.	जी सी, केरिपुब, दयापुर, सिलचर, असम के लिए सीआईएटी विद्यालय में 2 मेन गेट युक्त चारदीवारी, 13 वाच टॉवर, 22 संतरी चौकियां तथा 04 गार्ड कक्ष	दयापुर सिलचर, असम	उ॰पू॰अं॰	994.79	12.05.09
39.	शिलांग में एन ई आर पी सी के लिए आवास सह रिहायशी परिसर	शिलांग मेघालय	उ॰पू॰अं॰	1089.06	28.01.08
40.	उमसॉ, जिला रिभोई, मेघालय में एन ई आर आई ई के लिए प्रशासनिक ब्लॉक	अमियम, उमसॉ, मेघालय	उ॰पू॰अं॰	751.72	13.05.05
41.	उमसॉ, जिला रिभोई, मेघालय में एन ई आर आर ई। (उप शीर्ष: प्रधानाचार्य आवास, होस्टल, टा॰ I-12, टा॰ II-12, टा॰ III-12, टा॰–IV-16, टा॰–V-5 क्वार्टर	उमियम, उमसॉ, मेघालय	उ॰पू॰अं॰	562.07	13.05.05
42.	माओफ्लांग, जिला–ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय में ज॰ न॰ वि॰ के लिए विद्यालय भवन का निर्माण	माओफ्लांग मेघालय	उ॰पू॰अं॰	738.63	08.06.05
43.	नांगस्टोइन जिला–वेस्ट खासी हिल्स, मेघालय में ज न वि के लिए 2 वार्डन आवासों सहित 48 बिस्तरों की क्षमता वाली (दो मंजिला) (1 लड़के और 3 लड़कियों के लिए) 4 शयनशालाओं का निर्माण	नांगस्टोइन, मेघालय	उ॰पू॰अं॰	512.00	02.11.09
44.	एस ए जी, एन ई एच यू, शिलांग के लिए बहुउद्देशीय आंतरिक हाल	शिलांग, मेघालय	उ॰पू॰अं॰	855.00	15.09.09
45.	बान्द्रा कुर्ला काम्प्लैक्स में आई डी बी आई बैंक के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	मुंबई	प॰अं॰–I	18130.00	26.07.08
46.	अम्बावाडी में आयकर विभाग के लिए कार्यालय	अहमदाबाद	प॰अं॰–I	2243.66	18.10.04
47.	सपुतारा में ज न वि के लिए भवन	डांग	प॰अं॰–I	548.81	15.02.05

1	2	3	4	5	6
48.	वादनगर में ज न वि (चरण-क)	मेहसाना	प°अं°-I	656.28	18.10.05
49.	सूरत में आयकर विभाग के लिए 12 रिहाइशी क्वार्टर	सूरत	प°अं°-I	689.58	28.07.08
50.	ब्लाक नं. 12 सेमीनरी हिल्स, नागपुर में आयकर विभाग के लिए 140 रिहाइशी क्वार्टरों का निर्माण	नागपुर	प°अं°-II	1380.22	15.06.04
51.	जीरो प्वांइट, रायपुर में महालेखाकार के लिए टा. I/11, टा. II/30, टा. III/60, क्वार्टर	रायपुर	के°अं°	1987.00	24.01.05
52.	जीरो प्वांइट, रायपुर में महालेखाकार के लिए कार्यालय भवन	रायपुर	के°अं°	6253.00	09.10.09
53.	एमएएनआईटी कैम्पस में टेलीफोन पावन वायरिंग सहित आंतरिक विद्युत संस्थापन और पंखे, जल निकासी, स्वच्छता संस्थापन और जल आपूर्ति सहित लड़कियों का होस्टल	भोपाल	के°अं°	2589.00	04.05.09
54.	नीमच में जीसी, केरिपुब के लिए 501 रिहाइशी क्वार्टर	नीमच	के°अं°	4179.49	3.08
55.	ग्वालियर में एबीवीआईआईआईटीएम कार्य (प्राथमिकता-II निर्माण कार्य)	ग्वालियर	के°अं°	2205.56	2.07
56.	सथानगडू, चेन्नै में आरआईएनएल (विशाखापत्तनम) स्टील प्लांट स्टॉक यार्ड का नवीकरण। उपशीर्ष: पेवमेंट, पुलिया, मेन गेट और वेट ब्रिज का सिविल निर्माण कार्य	चेन्नै	द°अं°-I	565.63	15.07.09
57.	तारामनी, चेन्नै में आईएचएमसीटी के लिए लड़कों के होस्टल और नए शैक्षणिक ब्लॉक के ऊपर दूसरे तल का निर्माण। उपशीर्ष: आंतरिक स्वच्छता संस्थापन, जल-आपूर्ति और जल निकासी सहित भवन खण्ड	चेन्नै	द°अं°-I	545.17	06.03.08
58.	तिरूपरनकुन्द्रम, मदुरै में केन्द्रीय विद्यालय के लिए बी टाइप विद्यालय भवन और 9 क्वार्टर	तिरूपरनकुन्द्रम	द°अं°-I	932.28	20.02.08
59.	मइलादुथुराई में भारतीय खेल प्राधिकरण, एसएजी केन्द्र के लिए लड़के और लड़कियों के लिए होस्टल। उपशीर्ष: जल निकासी, स्वच्छता संस्थापन, आंतरिक जल आपूर्ति सहित भवन खण्ड	मइलादुथुराई	द°अं°-I	585.43	03.02.09
60.	त्रिच्ची में एनआईटी के लिए 328 लड़कियों की क्षमता वाले 1 होस्टल और 334 लड़कों (प्रत्येक) की क्षमता वाले 3 होस्टलों का निर्माण। उपशीर्ष: जल निकासी, स्वच्छता संस्थापन, आंतरिक जल आपूर्ति सहित भवन खण्ड	एनआईटी	द°अं°-I	4131.86	08.06.08
61.	सीबीई में सरदार बल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सटाइल मैनेजमैंट के लिए शैक्षणिक ब्लॉक और आडिटोरियम (चरण-I) का निर्माण। उपशीर्ष: जल निकासी, स्वच्छता संस्थापन, आंतरिक जल आपूर्ति सहित भवन भाग	सीबीई	द°अं°-I	1264.82	24.12.08
62.	नालगौंडा, आंध्र प्रदेश में एमजी वि वि के लिए पुरुष होस्टल ब्लॉक और डाइनिंग क्षेत्र	नालगोंडा	द°अं°-II	1088.00	02.08.09
63.	नालगौंडा, आंध्र प्रदेश में एमजी वि वि के लिए शैक्षणिक ब्लॉक (विज्ञान)	नालगौंडा	द°अं°-II	1400.00	02.08.09
64.	नागौंडा, आंध्र प्रदेश में एमजी वि वि के लिए शैक्षणिक ब्लॉक (सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन)	नालगौंडा	द°अं°-II	1384.00	02.08.09

1	2	3	4	5	6
65.	हैदराबाद में एनसीसीबीएम के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक	हैदराबाद	द॰अं॰–II	734.00	30.09.09
66.	एमएएनएनयू, गाचीबावली, हैदराबाद में स्कूल ऑफ एजुकेशन और प्रशिक्षण केन्द्र	गांचीबावली, हैदराबाद	द॰अं॰–II	698.21	20.09.08
67.	एमएएनएनयू, गाचीबावली, हैदराबाद में स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंगुइस्टिक्स एंड इंडोलॉजी	गाचीबावली, हैदराबाद	द॰अं॰–II	732.10	5.9.08
68.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के नाडिया में सीमा चौकी सं. 96/7–एस से 107/एमपी तक भा.ब. सीमा के साथ–साथ चरण–III के अंतर्गत बंगलादेश हदबन्दी (लम्बाई–15.55 किमी)	नाडिया	भा॰ब॰सी॰अं॰	1052.34	20.04.07
69.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के कूच बिहार जिले में सीमा चौकी सं. 860/7–एस से 865/7–एस तक भा.ब. सीमा के साथ–साथ चरण–II के अंतर्गत हदबन्दी (लम्बाई–5.59 कि.मी.)। उपशीर्ष: सीमा चौकी सं. 862 से 863/6एस तक शेष हदबंदी कार्य (लं. 815 मी.)	कूच बिहार	भा॰ब॰सी॰अं॰	5358.87	26.06.03
70.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी जिले में सीमा चौकी सं. 772/एमपी से 774/2–एस तक भा.ब. सीमा सड़क और हदबंदी। (लंबाई– 5.752 किमी) उपशीर्ष: मिट्टी कार्य, डब्ल्यू बीएम, पूर्व मिश्रित कारपेट क्रास ड्रेनेज कार्य, सी सी पेवमेंट कार्य और हदबंदी कार्य	जलपाईगुड़ी	भा॰ब॰सी॰अं॰	2403.53	19.10.05
71.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी जिले में सीमा चौकी सं. 766/23–एस से 767/23–एस तक भा.ब.सीमा सड़क और हदबंदी। (लंबाई–3.00 किमी) उपशीर्ष: मिट्टी कार्य, डब्ल्यू बीएम, पूर्व मिश्रित कारपेट क्रास ड्रेनेज कार्य, सी सी पेवमेंट कार्य और हदबंदी कार्य	जलपाईगुड़ी	भा॰ब॰सी॰अं॰	2403.53	19.10.05
72.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी जिले में सीमा चौकी सं. 764/29–एस से 765/7–एस तक पांगा नदी से जमुना तक भा॰ब॰ सीमा सड़क और हदबंदी। (लंबाई–2.035 किमी) उपशीर्ष: मिट्टी कार्य, डब्ल्यूबीएम, पूर्व मिश्रित कारपेट क्रास ड्रेनेज कार्य, सी सी पेवमेंट कार्य और हदबंदी कार्य	जलपाईगुड़ी	भा॰ब॰सी॰अं॰	2403.53	19.10.05
73.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी जिले में सीमा चौकी सं. 766/23–एस से 769/एमपी तक भा.ब.सीमा सड़क और हदबंदी। (लंबाई–2.90 किमी) उपशीर्ष: मिट्टी कार्य, डब्ल्यू बीएम, पूर्व मिश्रित कारपेट क्रास ड्रेनेज कार्य, सी सी पेवमेंट कार्य और हदबंदी कार्य	जलपाईगुड़ी	भा॰ब॰सी॰अं॰	2403.53	19.10.05
74.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के मुर्शिदाबाद जिले में सीमा चौकी सं. 34/1–एस से 44/2–एस तक भा.ब.सीमा के साथ–साथ चरण–II के अंतर्गत सीमा हदबंदी। उपशीर्ष: सीमा चौकी सं. 41/5एस (निकट) से 45/6एस (निकट) तक सड़क के साथ–साथ हदबंदी करना। (लंबाई–2.771 किमी)	मुर्शिदाबाद	भा॰ब॰सी॰अं॰	1632.00	11.12.03

1	2	3	4	5	6
75.	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के मुर्शिदाबाद जिले में सीमा चौकी सं. 34/1–एस से 44/2–एस तक भा.ब.सीमा के साथ–साथ चरण–II के अंतर्गत सीमा हदबंदी। उपशीर्ष: सीमा चौकी सं. 45/6एस से 44/2 एस (निकट)(लंबाई–3.026 किमी)	मुर्शिदाबाद	भा॰ब॰सी॰अं॰	1632.00	11.12.03
76	पश्चिम बंगाल क्षेत्र के मुर्शिदाबाद जिले में भा.ब. सीमा साथ–साथ चरण–II के अंतर्गत सीमा हदबंदी। उपशीर्ष: सीमा चौकी सं. 61/2एस (हारूडंगा) से 65/11एस (खारपाड़ा) तक विद्यमान भा॰ब॰सी॰ सड़क को चौड़ा करना और हदबंदी (लंबाई–4.40 किमी)	मुर्शिदाबाद	भा॰ब॰सी॰अं॰	508.00	16.03.09

अनुबंध 9.VIII

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त हुई नई संस्वीकृतियां (5 करोड़ रु. से अधिक लागत वाले निर्माण कार्य)

क्र.	कार्य का नाम	स्थिति	कार्यार्थी	अंचल	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के राशि	प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	शेड्यूल-बी प्रेसीडेंट एस्टेट में ऑडीटोरियम के पास सेरेमोनियल हॉल का निर्माण	शेड्यूल-बी	प्रे॰/सचि॰	पीसीडब्ल्यूजैड	2359	02.09.2011
2.	शैड्यूल-बी प्रेसीडेंट में ब्लॉक 10 में टाइप-2 के 22 तथा ब्लॉक 11 मे टाइप-2 के 28 क्वाटर्स का निर्माण	शेड्यूल-बी	प्रे॰/सचि॰	पीसीडब्ल्यूजैड	561	06.06.2011
3.	2011-12 के दौरान के.जी. मार्ग नई दिल्ली में एन एस अपार्टमेंट तथा हॉस्टल का उन्नयन एवं असाधारण विशेष मरम्मत	केजी मार्ग	श॰वि॰ मंत्रालय	न॰दि॰अं॰-2	696	04.04.2011
4.	आई एन ए, नई दिल्ली मे सापूकाआ का ब्लॉक ई (भूतल+4) का इंटीरियर कार्य	दिल्ली	एनसीडी आरसी	न॰दि॰अं॰-4	516	20.12.2011
5.	आई आई एस ई आर मोहाली में सीनियर फैकल्टी मेम्बर तथा नॉन फैकल्टी स्टाफ के लिए 24 क्वार्टरों का निर्माण (एम के ब्लॉक)	मोहाली	आईआईएसईआर	उ॰अं॰ I	1294	22.11.2011
6.	जी सी के रि पु बल लेथपोरा, श्रीनगर में विकास कार्य/बल्क सेवाएं उपलब्ध कराना	लेथपोरा	सीआरपीएफ	उ॰अं॰ I	2059	02.06.2011
7.	दमदम हवाई अड्डे पर होलीडे होम	कोलकाता	श॰वि॰ मंत्रालय	पू॰अं॰ I	2300	6.6.2011
8.	ग्राम परमार लखनऊ में सी सु बल के लिए जलापूर्ति स्वच्छता संस्थापन तथा विकास कार्य एवं आंतरिक वैद्युत संस्थापन सहित गार्ड क्वार्टर, एस.ओ. मैस (4 सुइट) तथा जी ओ मैस का निर्माण	लखनऊ	बीएसएफ	उ॰अं॰ III	612	11.08.11
9.	इग्नू, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ के लिए क्षेत्रीय सेंटर बिल्डिंग का निर्माण	लखनऊ	इग्नू	उ॰अं॰ II	2829	17.10.11
10.	अहमद स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्व., अलीगढ़ में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	अलीगढ़	एएमयू	उ॰अं॰ II	600	21.09.11
11.	वाइल्ड लाइफ रोड, ए॰एम॰यू॰, अलीगढ़ में लॉ फैकल्टी के बगल में लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	अलीगढ़	एएमयू	उ॰अं॰ II	800	21.09.11
12.	हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून में मौसम कार्यालय भवन का निर्माण	देहरादून	मौसम कार्यालय	उ॰अं॰ II	577	12.07.11
13.	बंदेर सिंदरी, किशनगंढ़, अजमेर-03 बिल्डिंग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अकादमिक स्कूल (दो मंजिला) का निर्माण	अजमेर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान	उ॰अं॰ III	4351	03.10.2011

1	2	3	4	5	6	7
14.	बंदेर सिंदरी, किशनगढ़ अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान के लिए चारदीवारी का निर्माण	अजमेर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान	उ॰अं॰ III	1525	03.10.2011
15.	बंदेर सिंदरी, किशनगढ़ अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान के लिए चारदीवारी का निर्माण	अजमेर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान	उ॰अं॰ III	2679	03.10.2011
16.	बंदेर सिंदरी, किशनगढ़ अजमेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान के लिए लाइब्रेरी का निर्माण	अजमेर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान	उ॰अं॰ III	5772	03.10.2011
17.	आई.आई.टी. (राज.) कैम्पस, नागौर रोड, जोधपुर के लिए चार दीवारी के साथ स्थायी चारदीवारी तथा बाह्य सड़क का निर्माण	जोधपुर	आईआईटीआरजे	उ॰अं॰ III	1065	02.08.2011
18.	एफटीआर. हैडक्वाटर, सी. सु. बल, जोधपुर में 50 बिस्तर वाले कम्पोजिट हॉस्टल का निर्माण	जोधपुर	बीएसएफ	उ॰अं॰ III	1364	21.11.11
19.	आई आई एम उदयपुर में चारदीवारी का निर्माण	उदयपुर	आईआईएम	उ॰अं॰ III	669	15.11.11
20.	के.अ.ब्यूरो गुवाहटी के लिए स्थल के विकास सहित कार्यालय भवन एवं आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	गुवाहाटी	के॰अ॰ ब्यूरो	उ॰पू॰अं॰	2343	26.11.2011
21.	के.अ.ब्यूरो गुवाहटी के लिए स्थल के विकास सहित सी.सु.बल कैम्पस सरचिप (मिजोरम) के कार्यालय भवन तथा रिहाइशी क्वार्टर, 22 अस्थायी संरचना का निर्माण	आईजोल मिजोरम	बीएसएफ	उ॰पू॰अं॰	562	3.5.2011
22.	उमसॉ, उमीअम, मेघावाल में एनईपीए प्रशिक्षण ब्लॉक/क्लास रूम का निर्माण	उमसॉ बारापानी	एनईपीए	उ॰पू॰अं॰	1384	04.04.11
23.	उमसॉ, उमीअम, एनईपीए में 50 बिस्तर वाले कॉस्टेबल डारमिटी का निर्माण	उमसॉ बारापानी	एनईपीए	उ॰पू॰अं॰	550	04.04.11
24.	एनईपीए शिलांग इंडोर स्पोर्टस, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण	उमसॉ बारापानी	एनईपीए	उ॰पू॰अं॰	597	26.04.10
25.	उमसॉ उमीअम, एनईपीए के लिए जलापूर्ति तथा स्वच्छता संस्थान, विकास एवं वैद्युत संस्थापना सहित ऑडीटोरियम का निर्माण	उमसॉ बारापानी	एनईपीए	उ॰पू॰अं॰	745	04.04.11

1	2	3	4	5	6	7
26.	घोडोड रोड, सूरत में सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए 89 (टाइप-4 के 82, टाइप-5 के तथा टाइप-6 के 3) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	सूरत	सीसीई	फ॰अं॰-I	2407	8.8.11
27.	आर सी सी कंपाउंड वापी के सर्वे नं. 556 स्थित भूखंड पर मौजूदा पुरानी संरचना को गिराकर के. उत्पाद शुल्क विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	वापी	सीसीई	फ॰अं॰-I	3985	9.8.11
28.	आई टी बी पी/सी एच/2009/6) खरोरा रायपुर छत्तीसगढ़ में आई टी बी पी के लिए भवन प्रशासनिक भवन का निर्माण	रायपुर	आईटीबीपी	सीईसीएनजैड	740	21.06.11
29.	आई आई आई टी डी एम/एमपी/2010/11), आई आई आई टी डी एवं एम, जबलपुर के लिए लाइब्रेरी सह कंप्युटर सेंटर का निर्माण	जबलपुर	आई आई आई टी डी एम	सीईसीएनजैड	2290	19.08.11
30.	आई आई आई टी डी एम/एमपी/2010/9), जबलपुर (म.प्र.) में आई आई आई टी डी एम, के लिए पी जी हॉस्टल का निर्माण	जबलपुर	आई आई आई टी डी एम	सीईसीएनजैड	1237	19.08.2011
31.	यू एन आई वी/सी एच/2011/1 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (सी जी) में जलापूर्ति स्वच्छता संस्थापन, जल निकासी तथा आंतरिक व्यवस्था सहित गैसटहाउस बिल्डिंग का निर्माण	बिलासपुर	यूएनआईवी	सीईसीएनजैड	982	10.7.2011
32.	आई टी बी पी करेरा में आर टी सी के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवन का निर्माण	करेरा	आइटीबीपी	सीईसीएनजैड	2383	16.11.11
	120 पुरुषों के लिए बैरक	करेरा	आईटीबीपी	सीईसीएनजैड	1185	
33.	आवासीय भवन (उपशीर्ष: टाइप-2 के 24, टाइप-3 के 12, टाइप-4 के 4, टाइप-5 के 2)	करेरा	आईटीबीपी	सीईसीएनजैड	574	16.11.11
34.	निफ्ट, नया कैम्पस, तारामणी, चेन्नई के लिए भवन, लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास, निदेशकों के लिए क्वार्टर तथा छात्रों के लिए विविध गतिविधियों के लिए सेंटर का निर्माण (एस एम ए सी)	तारामणी	निफ्ट	द॰अं॰ I	3601	04.10.2011
35.	उथांडी, चेन्नई में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के लिए प्रशासनिक भवन हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण	उथांडी	आई एम यू	द॰अं॰ I	1837	10.09.11
36.	मेलाकोटियार, जिला कांचीपुरम में आई आई टी डी एंड एम के लिए नए स्थायी कैम्पस का निर्माण, उपशीर्ष: आई आई टी डी एंड एम के लिए लेबाटरी साउथ ब्लॉक का निर्माण	मेलाकोटियार	आई आई आई टी डी एंड एम	द॰अं॰ I	6993	30.08.11

1	2	3	4	5	6	
37.	मेलाकोटियार, जिला कांचीपुरम में आई आई आई टी डी एंड एम के लिए नए स्थायी कैम्पस का निर्माण, उपशीर्ष: लड़कियों के लिए छात्रावास फेज-1 (भूतल+2)	मेलाकोटियार	आई आई आई टी डी एंड एम	द॰अं॰ I	931	30.08.11
38.	मेलाकोटियार, जिला कांचीपुरम में आई आई आई टी डी एंड एम के लिए नए स्थायी कैम्पस का निर्माण, उपशीर्ष: लड़कों के लिए छात्रावास ब्लॉक-II का निर्माण	मेलाकोटियार	आई आई आई टी डी एंड एम	द॰अं॰ I	2987	30.08.11
39.	जे आई पी एम ई आर, पांडिचेरी में केन्द्रीय विद्यालय के लिए अतिरिक्त क्लास रूम उपशीर्ष: आंतरिक जलापूर्ति, स्वच्छता संस्थापन तथा आंतरिक वैद्युत संस्थापना सहित बिल्डिंग पोर्शन	जे आई पी एमईआर, पांडिचेरी	जे आई पी एम ई आर	द॰अं॰ I	593	22.06.2011
40.	तिरूवरूर मै. सी यू टी एन के कैम्पस में वाइस चांसलर, रजिस्टार एफ ओ तथा कंटोलर ऑफ एग्जाम के लिए आवास का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	549	7 जन. 11
41.	तिरूवरूर में सी यू टी एन के लिए गैस्ट हाऊस का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	1907	वास्तुक कार्यालय द्वारा संशोधित वास्तुकीय आरेख जारी किए जाने हैं
42.	सी यू टी एन के लिए मैरिड रिसर्च स्कालर आवास का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	1263	03.10.2011
43.	सी यू टी एन के लिए नॉन- मैरिड रिसर्च स्कालर आवास का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	870	03.10.2011
44.	सी यू टी एन (ब्लॉक-II) के लिए सेंटर लेक्चर हॉल कम्पलैक्स का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	1555	28.08.2011
45.	सी यू टी एन, तिरूवरूर के स्थायी कैम्पस में प्रयोगशाला आधारित स्कूल नं. 2 का निर्माण	तिरूवरूर	सी यू टी एन	द॰अं॰ I	1983	6.7.2011
46.	ए आई आई एस एच, मैसूर के लिए सेमिनार हॉल तथा क्लास रूम का निर्माण	मैसूर	एमएचएफडब्ल्यू-3	सीईएसजैड-3	1150	2.5.2011
47.	डोमलूर, बंगलौर में सा.पु.का.आ का निर्माण	बंगलौर	श.वि. मंत्रालय	सीईएसजैड-3	7536	17.10.2011
48.	फंटीयर हैडक्वार्टर बंगलौर के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	बंगलौर	बीएसएफ	सीईएसजैड-3	1086	31.0511
49.	ए आई आई एस एच, मैसूर के लिए सेमिनार हॉल एवं क्लास रूप का निर्माण	मैसूर	एमएचएफ डब्ल्यू	सीईएसजैड-3	1150	2.5.11

अनुबंध 9.IX

31.12.2011 तक सीमा सड़क, हदबंदी तथा पूर प्रकाश कार्य

मद	दिसम्बर, 2011 तक पूरे किए गए कार्य
क. भारत–पाक सीमा	
(1) पंजाब तथा राजस्थान क्षेत्र	
(i) हदबंदी	**1564 किमी॰**
(ii) पूर प्रकाश	**1504 किमी॰**
(2) गुजरात क्षेत्र	
(i) हदबंदी	**193 किमी॰**
(ii) सड़क	**213 किमी॰**
(iii) पूर प्रकाश	**202 किमी॰**
(iv) सीमा चौकियां	**27**
ख. भारत–बंगलादेश सीमा	
(1) पश्चिम बंगाल क्षेत्र	
(i) सड़क	**1673 किमी॰**
(ii) पुल	**14275 किमी॰**
(iii) हदबंदी (फेज–I तथा II)	**1201 किमी॰**
(iv) हदबंदी (फेज–III)	**454 किमी॰**
(v) पूर प्रकाश	**602 किमी॰**
(2) त्रिपुरा क्षेत्र	
(i) हदबंदी (फेज–II)	**25 किमी॰**
कुल योग	
हदबंदी	**3447 किमी॰**
सड़क	**1886 किमी॰**
पूर प्रकाश	**2309 किमी॰**
पुल	**14275 मी॰**
सीमा चौकियां	**27**

अनुबंध 9.X

वर्ष 2011-12 के दौरान शिकायतों/मामलों की जांच शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही पर की-गई-कार्रवाई के अनुसार सतर्कता एकक का कार्य निष्पादन

क्र॰ सं॰	अवस्था	31.12.11 तक वास्तविक प्रगति/उपलब्धियां	31.03.12 तक निर्धारित लक्ष्य/प्रस्ताव
1.	बेनामी/मिथ्यानाम होने के कारण बंद	15	240
2.	प्रारंभिक जांच के बाद बंद	186	
3.	गहन जांच शुरू की गई	22	
	अन्वेषण संबंध मामले		
1.	अंतरिम रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया	51	80
2.	शहरी विकास मंत्रालय को भेजी	40	
3.	अनुमोदन के लिए प्रारूप प्रस्तुत किया	7	
4.	गहन जांच के बाद सतर्कता एकक में बंद किया	5	
5.	प्रारंभिक जांच के बाद सतर्कता एकक में बंद किया	शून्य	
6.	बड़ी शास्ति संबंधी आरोप पत्र जारी किया	8	3
7.	छोटी शास्ति संबंधी आरोप पत्र जारी किया	5	
8.	सावधानी संबंधी ज्ञापन जारी किया	5	
	अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी मामले		
1.	जांच की गई और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई संक्षिप्ती प्रस्तुत की गई	10	7
2.	जांच अधिकारी की रिपोर्ट के सी॰ओ॰ के अभ्यावेदन पर टिप्पणियां	20	17
3.	सी॰ओ॰ (नियम 14 और 16) के अभ्यावेदन पर टिप्पणियां	18	6
4.	महानिदेशक (निर्माण) द्वारा जारी अंतिम आदेश	17	14
5.	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम आदेश	16	
6.	अंतिम रूप दिए गए अपीलीय मामले	शून्य	5
7.	अंतिम रूप दिए गए समीक्षा मामले	1	
8.	कैट/न्यायालय के मामले में तैयार प्रति विवरण	22	10
9.	राजपत्रित अधिकारियों के लिए जारी सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र (वीसीसी)	2100	800
10.	अराजपत्रित अधिकारियों के लिए जारी सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र	4137	1500

10

मुद्रण निदेशालय

मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। कार्य नियमों के आवंटन के अनुसार मुद्रण निदेशालय भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों के मुद्रण कार्यों के निष्पादन के लिए एक सरकारी मुद्रक है जिसमें असैन्य व रक्षा विभागों के फार्म भी शामिल हैं। यह मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकतानुसार विभिन्न फार्मों का भण्डारण तथा वितरण करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह निदेशालय विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों को समय-समय पर मुद्रण से संबंधित तकनीकी मामलों तथा संबद्ध विषयों में परामर्श भी देता है।

10.2 मुद्रण निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में देश में कुल 18 इकाईयां हैं अर्थात 13 भारत सरकार मुद्रणालय, तीन पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, एक बाह्य मुद्रण शाखा तथा एक फार्म भण्डार हैं जो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए विभिन्न मानक फार्मों की मांग का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।

10.3 यह निदेशालय शिमला मुद्रणालय परिसर में उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र विकसित कर रहा है तथा अपेक्षित मशीनें तथा उपकरण खरीद लिए गए हैं।

10.4 इस निदेशालय द्वारा निष्पादित किए जा रहे मुद्रण कार्यों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा लोक सभा एवं राज्य सभा की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे कि बुलेटिन कोड, मैनुअल, रिपोड, प्रचार सामग्री तथा वैज्ञानिक प्रकाशन आदि शामिल हैं जिनका निष्पादन निर्धारित समय अवधि में किया जाता है। बहुरंगे मुद्रण कार्यों के लिए विभागों की विशिष्ट मांगों को भी पूरा किया जा रहा है।

संगठनात्मक संरचना

10.5 मुद्रण निदेशक मुद्रण निदेशालय के प्रमुख हैं जो निदेशालय के प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रमुख हैं। मुद्रण निदेशालय के अधीन 17 फील्ड इकाईयां निम्नानुसार हैं:-

1. भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार मुद्रणालय, सांत्रागाछी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।
3. भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक, महाराष्ट्र।
4. भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, दिल्ली।
6. भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, हरियाणा।
7. भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी, हरियाणा।
8. भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
9. भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
10. भारत सरकार मुद्रणालय, टेम्पत स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
11. भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर, तमिलनाडु।
12. भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी, केरल।
13. भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़।
14. भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
15. भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, मैसूर, कर्नाटक।
16. बाह्य मुद्रण शाखा, कोलकता, पश्चिम बंगाल।
17. भारत सरकार फार्म भण्डार, कोलकता, पश्चिम बंगाल।

भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस

10.5 वर्ष 2010–11 के लिए भारत सरकार मुद्रणालयों एवं शाखाओं में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) तथा समूह 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों को 14 दिन का उत्पादकता सम्बद्ध बोनस प्रदान किया गया है।

भारत सरकार मुद्रणालयों की पुन: संरचना/आधुनिकीकरण

10.6 भारत सरकार ने 16.08.2002 का भारत सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण को स्वीकृति प्रदान की। 12 भारत सरकार मुद्रणालयों को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बाजार में उपलब्ध मशीनों को खरीद कर स्थापित कर दिया गया है। स्टॉफ को पुन: तैनात करने का कार्य प्रक्रियाधीन तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

व्यवसाय प्रशिक्षुता योजना

10.7 भारत सरकार मुद्रणालयों को उद्योग के रुप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए यह फैक्टरी अधिनियम, 1948 के परिधि में आता है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालयों के विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वर्ष 2011–12 के लिए अनुमानित व्यय 65 लाख रुपए होगा। वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार मुद्रणालय में विभिन्न व्यवसायों जैसे कि ऑफसेट मशीन मैन, कैमरा मैन, आर्टिस्ट रीटचर, बाइन्डर आदि में लगभाग 400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किए जाने की आशा है तथा वर्ष 2012–13 में मुद्रणालयों में कार्यरत व्यवसाय प्रशिक्षुओं को वजीफे के रूप में देने के लिए 85 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

10.8 पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित/प्रशिक्षित किए जा रहे प्रशिक्षुओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण:

क्रम सं॰	वर्ष	मुद्रणालयों में प्रशिक्षित/प्रशिक्षण पर रहे प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल व्यय (करोड़ रु॰ में)
1.	2007–08	360	0.40
2.	2008–09	286	0.40
3.	2009–10	300	0.32
4.	2010–11	280	0.26
5.	2011–12	400	0.65#

#नवम्बर, 2011 तक का व्यय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

10.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निदेशालय पारदर्शिता तथा सूचना के सक्रिय प्रकटन के सिद्धान्त का अनुसरण करता है। जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है निदेशालय से संबंधित आवश्यक सूचना वेबसाइट अर्थात् **एचटीटीपी:/डीओपी.एनआईसी.आईएन** में डाली गई है। विभाग में प्राप्त सभी आवेदनों का उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है।

10.10 सूचना का अधिकार के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसम्बर 2011 तक) कुल 73 आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत संसाधित किया गया।

10.11 लोक शिकायत कक्ष समग्र रूप से श्री पी॰के॰ कैलासा बाबू, अपर निदेशक (प्र॰) के नियन्त्रण में है जो लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी है। इनका सम्पर्क पता निम्न प्रकार से है:–

कमरा संख्या 105, 'बी' खण्ड
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
दूरभाष संख्या – 23062475 (कार्यालय)

10.12 इसके अलावा प्रत्येक भारत सरकार मुद्रणालय का प्रबंधक/प्रमुख इकाई/मुद्रणालय स्तर पर शिकायत सुधार तंत्र का प्रभारी होता है।

11

संपदा निदेशालय

संपदा निदेशालय मुख्यत: निम्नलिखित के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है :—

(क) दिल्ली के अलावा 8 शहरों अर्थात् मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, शिमला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नागपुर में सरकारी संपदा (रिहायशी/कार्यालय आवास) का प्रशासन। इन स्थानों के अलावा अन्य स्टेशनों अर्थात् आगरा, पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, इम्फाल, कोहिमा, भोपाल, कानपुर, बंगलौर, लखनऊ, कोची, शिलांग, इंदौर, अगरतला, इलाहाबाद, जयपुर, राजकोट, देहरादून, मैसूर, बीकानेर, गुवाहाटी, पुणे, जोधपुर, गोवा, वाराणसी, तिरुअनन्तपुरम, गंगटोक और श्रीनगर में भी सामान्य पूल रिहायशी आवास उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय इन रिहायशी/कार्यालय आवासों का प्रशासन देखते हैं।

(ख) अचल संपत्ति का अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 का प्रशासन।

(ग) सरकारी स्थानों की बेदखली (पी॰पी॰ई॰) अधिनियम, 1971 का प्रशासन।

(घ) होंलीडे होम तथा दौरे पर आने वाले अधिकारियों के लिए अतिथि गृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन।

(ङ) दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मुम्बई तथा नागपुर में सरकारी कालोनियों में स्थित बाजारों/दुकानों का प्रशासन।

(च) विज्ञान भवन और विज्ञान भवन सौध में आवास का आबंटन।

(छ) सभी आबंटियों से लाइसेंस फीस की वसूली।

रिहायशी आवास :

11.2 दिल्ली में आवासों की कुल संख्या 63,921 है तथा अन्य प्रादेशिक स्टेशनों पर 34895 है। तथापि, यह स्टाक बहुत अपर्याप्त है जैसाकि दिल्ली और अन्य प्रादेशिक स्टेशनों में सामान्य पूल रिहायशी आवास की मांग और उपलब्धता अनुबंध-11.I और अनुबंध-11.II पर दर्शायी गयी है।

पात्रता का निर्धारण:

11.3 आवास आदि की पात्रता को ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारित करने हेतु छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप सामान्य पूल रिहायशी आवास के आबंटन हेतु केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों की पात्रता को परिशोधित किया गया है। वेतन/ग्रेड वेतन के आधार पर परिशोधित मानकों को दिनांक 10.02.2009 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना सं॰ जी एस आर-20 से अधिसूचित किया गया है। यह इस निदेशालय की वेब साइट पर www.estates.nic.in पर उपलब्ध है।

आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण :

11.4 आबंटन नियमों में संशोधन किया गया है तथा प्रथम नियुक्ति पर/किसी स्टेशन पर स्थानान्तरण पर माह की अंतिम तारीख तक आवेदन जमा कराने का प्रावधान रखा गया है, जिन्हें अगले माह की प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिया जाता है। जहां तक बदली में आवास के आबंटन का संबंध है, पिछले आवास को 8 दिन के बदले 15 दिन में खाली करने का प्रावधान किया गया है।

सेवा अधिकारियों हेतु पृथक पदावधि पूल:

11.5 केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए गैर-अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में एक पृथक पदावधि पूल का सृजन किया गया है। वर्ष 2011 के दौरान संबंधित अधिकारियों ने टाइप-V एक (डी - II) के 23 फ्लैट स्वीकार किए।

विवेकाधीन आबंटन:

11.6 सेवारत सरकारी कर्मचारियों को विवेकाधीन आबंटन की अनुमति चिकित्सा तथा कार्यात्मक आधारों पर दी जाती है। दो समितियां गठित की गई हैं जो विवेकाधीन आबंटनों पर विचार करती है तथा प्रत्येक मामले में सिफारिश करती है। स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकताओं, प्राइवेट व्यक्तियों एवं संगठनों इत्यादि को मंत्रिमंडल की आवास समिति (सी सी ए) के अनुमोदन से निर्धारित अवधि हेतु आबंटन भी किए जाते हैं। 1.1.2011 से 31.12.2011 के दौरान कुल 153 विवेकाधीन आबंटन किए गए है।

आबंटन में आरक्षण:

11.7 टाइप I तथा II में 10% रिक्तियां तथा टाइप III व IV में 5% रिक्तियां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को 2:1 के अनुपात में आबंटन किया जाता है।

कार्यालय आवास:

11.8 कार्यालय आवास की स्थिति अथात् विभिन्न पात्र कार्यालयों की इंगित मांग तथा उपलब्धता इस प्रकार है:—

स्टेशन	मांग (वर्ग फुट में)	उपलब्धता (वर्ग फुट में)	कमी (वर्ग फुट में)
दिल्ली	107.30 लाख	83.61 लाख	23.79 लाख

बाजार/दुकानें:

11.9 इस निदेशालय के अधीन 47 बाजार थे। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, 45 बाजार स्थानीय निकायों अर्थात् एमसीडी व एनडीएमसी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। रिकार्ड भी हस्तांतरित कर दिए गए हैं। दो बाजारों (आई एन ए - सब्जी मार्केट तथा आई एन ए -मोहन सिंह मार्केट) को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा क्योंकि मंत्रालय द्वारा आई एन ए बाज़ार कॉम्पलैक्स के पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञान भवन और विज्ञान भवन सौध में सम्मेलन सुविधाएं:

11.10 विज्ञान भवन का निर्माण 1956 में किया गया था। यह भवन भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों तथा प्राइवेट संगठनों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों का मुख्य स्थल है। संपदा निदेशालय 2.12.1993 से विज्ञान भवन का अभिरक्षक है। दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 के दौरान विज्ञान भवन में सरकारी संगठनों द्वारा 173 सम्मेलन आयोजित किए गए थे और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और प्राइवेट पार्टियों द्वारा 50 सम्मेलन आयोजित किये गए। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और प्राइवेट पार्टियों द्वारा 125 सम्मेलन/कार्यक्रम आयोजित किए गए।

11.11 विज्ञान भवन और विज्ञान भवन सौध में दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2011 तक 348 सम्मेलन हुए जिससे रु॰ 2.34 करोड़ लाइसेंस फीस प्राप्त हुई।

विटठ्ल भाई पटेल (वी पी) हाउस में अतिथि आवास:

11.12 वी॰पी॰ हाउस में सामान्य पूल के 45 स्यूट हैं। ये स्यूट संसदीय राजनीतिक दलों को सरकारी रिहायश हेतु, कार्यालय हेतु, के॰स॰स्वा॰यो॰ औषधालय, संसदीय अध्ययन संस्थान और केन्द्रीय मंत्रियों को उनके कार्यालय/रिहायशी प्रयोजन हेतु अतिरिक्त आवास के रूप में आबंटित किय गए हैं।

हॉलिडे होम और टूरिंग आफिसर्स हॉस्टल:

11.13 विभिन्न स्टेशनों पर हॉलिडे होम और टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल है। हॉलिडे होम और टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल के संबंध में कमरे की बुकिगं हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा संपदा निदेशालय की वेबसाइट www.estates.nic.in के माध्यम से कार्य कर रही है तथा हॉलिडे होम और टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टलों में कमरे की बुकिंग की शर्तों का विवरण तथा अन्य उपयोगी सूचना को संपदा

निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। हॉलिडे होम्स/टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल, अतिथि आवासों की स्थिति की सूची निम्नानुसार है:-

(क) शहरी विकास मंत्रालय के तहत हॉलिडे होम्स की सूची:

1. आगरा, 2. अमरकंटक, 3. गोवा, 4. कन्याकुमारी, 5. मैसूर, 6. मसूरी, 7. नैनीताल, 8. ऊटी, 9. शिमला, 10. उदयपुर और 11. दिल्ली।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय के टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टलों/गेस्ट हॉऊसों की सूची:

क्र॰सं॰	नाम	क्रसं॰	नाम
1.	आगरा	23.	जम्मू
2.	अजमेर	24.	जोधपुर
3.	इलाहाबाद	25.	कोलकाता
4.	अमृतसर	26.	कोझीकोड (कालीकट)
5.	बरेली	27.	कुल्लू
6.	बंगलौर	28.	लखनऊ
7.	भोपाल	29.	माधोपुर
8.	चेन्नई	30.	मदुरै
9.	चंडीगढ़	31.	माऊंट आबू
10.	कोचीन	32.	मुम्बई
11.	देहरादून	33.	नागपुर
12.	दिल्ली	34.	नासिक
13.	गांधीनगर	35.	नीमच
14.	गंगटोक	36.	पुणे
15.	गुवाहाटी	37.	तिरूवनन्तपुरम
16.	ग्वालियर	38.	शिलांग
17.	गोवा	39.	सिलिगुड़ी
18.	हैदराबाद	40.	उदयपुर
19.	इन्दौर	41.	वाराणसी
20.	जैसलमेर	42.	विजयवाड़ा
21.	जयपुर	43.	ऊधमपुर
22.	मसूरी		

वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में अतिथि आवास गृह:

11.14 वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में 74 स्यूट हैं जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:—

क्र॰ सं॰	पूल का नाम	स्यूट की संख्या
1	सामान्य पूल	21
2	लोक सभा पूल	33
3	राज्य सभा पूल	20

11.15 संपदा निदेशालय का केवल सामान्य पूल के 21 स्यूटों से प्रशासनिक संबंध है। इन स्यूटों का आबंटन दिल्ली आने वाले केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिथियों को अल्पावधि के लिए किया जाता है। रिनावेटेड सिंगल स्यूट (गैर वातानूकूलित) की लाइसेंस फीस रु॰ 350/- प्रतिदिन और डबल स्यूट (गैर वातानुकूलित) की लाइसेंस फीस रु 450/- प्रतिदिन है। रिनोवेटेड वातानुकूलित सिंगल स्यूट

की लाइसेंस फीस रु॰ 800/– प्रतिदिन और डबल स्यूट की लाइसेंस फीस रु॰ 900/– प्रतिदिन है। ये दरें सामान्य पूल के सभी स्यूटों पर और लोक सभा व राज्य सभा पूल पर भी लागू हैं।

उपकिरायेदारी निरीक्षण:

11.16 1.1.2011से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्वार्टरों में उपकिरायेदारी का पता लगाने के लिए कुल 1079 मकानों का निरीक्षण किया गया था और 519 क्वार्टरों के आबंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आबंटियों की उचित सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 367 क्वार्टरों का आबंटन मंसूख किया गया।

उपकिरायेदारी हेतु दंड:

11.17 आबंटन नियमों के प्रावधानों को उपकिरायेदारी की समस्या से निपटने के लिए ज्यादा सशक्त बनाया गया है। इसके तहत उपकिरायेदारी के सिद्ध हुए मामलों में आबंटियों को उनकी शेष सेवा अवधि के लिए आबंटन से वारित कर दिया जाएगा। आबंटी से हर्जाना (बाजार किराया) प्रभारित किया जाएगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा आबंटी के विरुद्ध संगत नियमों के तहत बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

सरकारी स्थान बेदखली (अधिनियम), 1971 का प्रशासन:

11.18 वर्ष 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011) तक की अवधि के दौरान सरकारी स्थान (अप्राधिकारी अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के तहत संपदा निदेशालय द्वारा अप्राधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध संपदा अधिकारी के सम्मुख बेदखली के 903 मामले दायर किये गए। परिसर की बेदखली/खाली करा कर 464 मामलों का निपटान किया गया।

सूचना सुविधा केन्द्र:

11.19 दिनांक 14.7.1997 से संपदा निदेशालय में एक सूचना सुविधा केन्द्र (आई एफ सी) कार्य कर रहा है। निदेशालय आने वाले सरकारी पदाधिकारियों तथा पब्लिक के लिए यह केन्द्र फ्रंट ऑफिस के रूप में कार्य करता है। सूचना सुविधा केन्द्र सरकारी कर्मचारियों से विभिन्न आवेदन स्वीकार करता है, पावती की पर्ची जारी करता है तथा तत्पश्चात् कम्प्यूटर में विवरण दर्ज करता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त होने वाली रिक्ति रिपोर्ट भी यहां दर्ज होती हैं। सूचना सुविधा केन्द्र सामान्य पूल आवास से संबंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है। प्रतिदिन औसतन 200 लोग इस केन्द्र पर आते हैं।

सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जीएएमएस):

11.20 **जीएएमएस की स्थिति इस प्रकार है:**

(i) वर्ष 2003 से संपदा निदेशालय तथा बाद में चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में स्थित उसके पांच प्रादेशिक कार्यालयों में सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली जीएएमएस प्रारम्भ होने से सरकारी रिहायशी आवास से संबंधित पंजीकरणों, सभी प्रकार के आबंटन, स्वीकृतियां, रिटेंशन, नियमितीकरण, मंसूखी, उपकिराएदारी की जांच, इत्यादि की सारी प्रक्रियाएं कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप इनसे संबंधित सारे क्रिया–कलाप अत्यधिक तीव्र, कुशल एवं पारदर्शी हो गए हैं।

(ii) जीएएमएस आधारित प्रकार्यों के कार्यान्वयन की तैयारी में चंडीगढ़ और शिमला के संबंध में डाटा प्रविष्टी कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(iii) 2007 में सफलतापूर्वक कार्यान्वित ऑनलाइन कंप्यूटीकृत फीस संग्रहण और मॉनीटरिंग पद्धति को चैन्नई और कोलकाता स्थित प्रादेशिक कार्यालयों के अतिरिक्त दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में डीडीओ के अन्य कार्यालयों में शुरू किया गया है।

(iv) संपदा निदेशालय से जीएएसएस के जरिये कंप्यूटीकृत प्रकार्य चैन्नई, कोलकाता, नागपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद में शुरू हो गया है। हमारी वैबसाइट इन शहरों के आवेदकों को भी यही सुविधाएं मुहैया करती है। जब शेष प्रादेशिक कार्यालय कंप्यूटीकृत प्रकार्य करने लगेंगे, यही सुविधाएं इन शहरों के आवेदकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगी।

(v) के॰ लो॰ नि॰ वि॰ (cpwdsewa), के साथ जीएएमएस में निवर्तमान संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित हाऊसिंग स्टॉक के डाटाबेस के एकीकरण के परिणामस्वरूप, जीएएमएस के जरिए आवासों की ऑनलाइन रिक्ति चालू है और के॰ लो॰ नि॰ वि॰ के अधिकांश सेवा केंद्रों से प्राप्त होने वाली रिक्ति रिपोर्टें GAMS पर भी उसी समय उपलब्ध हैं।

(vi) संपदा निदेशालय की वैबसाइट (http://estates.nic.in) में सुधार किया गया है, ताकि निम्नलिखित विषयों के संबंध में जनता को नवीनतम जानकारी दी जा सके:—

स्वचालित आबंटन प्रणाली (ए एस ए) की शुरुआत:

11.21 संपूर्ण पारदर्शिता, तीव्र आबंटन, आवासों के अधिक दखल एवं आवेदकों को उनकी पसंद के आवास पाने में समर्थ बनाने के मद्देनजर, संपदा निदेशालय द्वारा जीएएमएस के तहत स्वचालित आबंटन प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली में सभी खाली आवासों की सूची और साथ ही प्रतीक्षा सूची इस निदेशालय की वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है और आवेदकों को अपनी वरिष्ठता को द्रष्टिगत रखते हुए अपनी पसंद के एक अथवा अधिक आवासों की पूर्विकता क्रम में अपने विकल्प देने होते हैं। आवेदक को उसकी पंसद का आवास आबंटित कर दिया जाता है यदि उससे वरिष्ठ कोई भी कार्मिक उस आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में नहीं है। यह प्रणाली मई, 2010 से निम्नलिखित टाइप के आवासों में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है:—

i	टाइप 6ए (सी II)	मई, 2010 से
ii	टाइप 5बी (डी I)	जून, 2010 से
iii	टाइप 5ए (डी II) एवं टाइप 4 स्पेशल	जुलाई, 2010 से
iv	हॉस्टल टाइप आवास	दिसम्बर, 2010 से
v	टाइप 4	जनवरी, 2011 से
vi	टाइप 3	फरवरी, 2011 से
vii	टाइप 2	अप्रैल, 2011 से
viii	टाइप 6बी (सी I)	सितम्बर, 2011 से
ix	टाइप 1	जनवरी, 2011 से

11.22 प्रादेशिक कार्यालयों में स्वचालित आबंटन प्रणाली (ए एस ए) शुरू करना:—

i	मुम्बई	(टाइप 6, 5, 4एस, डीएस, एवं एसके)	01.01.2.12
		(टाइप 4 एवं 3)	01.02.2012
		(टाइप 2 एवं 2एल)	01.03.2012
ii	कोलकाता	(टाइप 5 एवं 6)	01.01.2.12
		(टाइप 1 से 4 डीएस एवं एसके)	01.03.2012
iii	चेन्नई	(टाइप 6, 5, डीएस, एवं एसके)	01.01.2.12

प्रमुख उपलब्धियां:

11.23 संपदा निदेशालय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ''सरकारी प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता'' श्रेणी के तहत अपनी परियोजना अर्थात् ई-आवास-सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जीएएमएस) के लिए कांस्य पदक प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के आईआईटी सम्मेलन केन्द्र, भुवनेश्वर में 9-10 फरवरी, 2012 को ई-गवर्ननेंस 2011-12 विषय पर आयोजित 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया था।

लोक शिकायत प्रणाली निवारण:

11.24 शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए संपदा निदेशालय प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शनों का अनुसरण कर रहा है। उक्त प्रयोजन हेतु संपदा निदेशक को जन शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। आगन्तुकों की शिकायतों के निवारण हेतु निदेशालय के समस्त अधिकारी शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन कार्य दिवसों को

उपलब्ध होते हैं। शिकायत मिलने पर उसे दूर करने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाती है। शिकायतों की पावती तत्काल दी जाती है और उनका निपटान शीघ्रता से किया जाता है।

11.25 कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु जन शिकायत अधिकारी प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं।

11.26 शिकायतों के निवारण एवं उनके समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक (आरटीआई/लोक शिकायत) को नामित किया गया है। डीएआरपीजी की साइट रोज ब्राउज की जाती है और उच्चतर अधिकारियों को आगे भेजने एवं शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हेतु शिकायतों की प्रति डाउनलोड की जाती है। सभी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि उसकी पावती दें तथा उसे शीघ्रातिशीघ्र छ: सप्ताह की निर्धारित अवधि तथा अधिकतम तीन माह के भीतर दूर करें तथा आपवादिक मामलों में, जहां शिकायत को निर्धारित अवधि के भीतर दूर करना सम्भव न हो, वहां संबंधित आवेदक को अंतरिम उत्तर भेजें।

11.27 संपदा निदेशालय में कर्मचारियों की शिकायत का समाधान करने के लिए, संपदा निदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) की स्थापना की गई है। बैठक की अवधि तिमाही है। कर्मचारियों की शिकायत पर परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) द्वारा विचार किया जाता है जो इन्हें संपदा निदेशालय के समक्ष रखता है। कर्मचारियों की कोई शिकायत सीधे संपदा निदेशक को भी दी जा सकती है, जो इसका अविलंब समाधान करने का प्रयास करते हैं।

11.28 एन॰आई॰सी॰ द्वारा इंटरनेट आधारित लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (पी॰जी॰आर॰ए॰एम॰एस॰) का विकास किया जा रहा है जिसके शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

11.29 संपदा निदेशालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक पृथक सेल खोला गया है जिसने अक्टूबर, 2005 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त संपदा निदेशालय ने आबंटन नियमों का सार संग्रह तथा आबंटन नियमावली पर पुस्तिका भी प्रकाशित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन में संपदा निदेशालय की पुस्तिका के प्रकाशन से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सूचना को व्यापकता तथा अधिक सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

राजभाषा:

11.30 संपदा निदेशालय ने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपने प्रयास जारी रखे हैं। संपदा निदेशालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी हेतु प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत यथासम्भव अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए संपदा निदेशालय के सभी अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु निदेशालय के कर्मचारियों को नियमित रूप से भेजा गया था। कम्प्यूटरों में हिंदी टंकण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 1 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2011 तक निदेशालय में **''हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास''** का आयोजन किया गया जिसके दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टंकण, अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी व्यवहार (हिंदी टिप्पण व आलेखन) जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। राजभाषा में काम करने को सरल बनाने के लिए प्रत्येक तिमाही में कर्मचारियों हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई थी और प्रशिक्षणार्थियों को शब्दकोष वितरित किए गए थे।

अनुबंध- 11.I

दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में सामान्य पूल रिहायशी आवास (टाइप-वार) की मांग व उपलब्धता:—

टाइप	आवास सं॰	आबंटन हेतु प्रतीक्षारत आवेदक	दखल में
I	16721	366	14522
II	23615	14452	22559
III	11755	10654	11411
IV	5347	5195	5089
IV स्पै॰	792	3109	764
5	2300	5170	2118
6 ए	793	1270	698
VII	210	177	172
VIII	158	144	112
हॉस्टल इकाइयां	2030	1315	2091
कुल	**63921**	**41852**	**59536**

अनुबंध- 11. II

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार प्रादेशिक केन्द्रों पर सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) की मांग व उपलब्धता

केन्द्र	मांग	उपलब्धता	तुष्टि % मे
मुम्बई	11856	8752	73
कोलकाता	4906	6635	>100
चेन्नई	4121	2671	65
नागपुर	1379	1913	>100
शिमला	1259	1242	98
चंडीगढ़	2214	2427	>100
फरीदाबाद	1671	1839	>100
गाजियाबाद	794	820	>100
इन्दौर	300	402	>100
भोपाल	191	166	83
शिलांग	139	90	64
कानपुर	–	1026	>100
बंगलौर	2647	1486	60
लखनऊ	1273	1137	89
हैदराबाद	966	924	>100
कोचीन	226	244	>100
इलाहाबाद	02	178	>100
अगरतला	180	154	78
कोहिमा	75	64	85
इम्फाल	98	80	81
जयपुर	515	547	>100
मैसूर	149	136	91
देहरादून	476	89	18
तिरुवंतपुरम	255	230	90
गंगटोक	143	106	74
वाराणसी	96	198	>100
गुवाहाटी	169	144	85
आगरा	80	124	>100
पोर्ट ब्लेअर	261	219	84
बीकानेर	21	21	100
श्रीनगर	93	250	>100
पुणे	197	280	>100
जोधपुर		328	>100
		34895	

अनुबंध– 11. III

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केन्द्रों पर सामान्य पूल कार्यालय आवास (जीपीओए) की मांग व उपलब्धता

कार्यालय का नाम	मांग	उपलब्धता
मुम्बई	16,28,938 वर्ग फीट	865462 वर्ग फीट
कोलकाता	37,25,933	16,51,280वर्ग फीट
चेन्नई	8,91,551 वर्ग फीट	6,77,185 वर्ग फीट
शिमला	1,82,556 वर्ग फीट	1,79,358 वर्ग फीट
चंडीगढ़	1,86,064 वर्ग फीट	1,10,032 वर्ग फीट
नागपुर	3,16,068 वर्ग फीट	3,25,035 वर्ग फीट
फरीदाबाद	1,80,466 वर्ग फीट	1,82,126 वर्ग फीट
गाजियाबाद	1,32,483 वर्ग फीट	1,20,330 वर्ग फीट
हैदराबाद	7,77,706 वर्ग फीट	2,96,530 वर्ग फीट
बंगलौर	90,186 वर्ग मीटर	25,936 वर्ग फीट
त्रिवेन्द्रम	18,975 वर्ग मीटर	7975 वर्ग मीटर
आगरा	28763.95	36920.53
लखनऊ	2,17,367 वर्ग फीट	1,30,474 वर्ग फीट
भोपाल	1,89,240 वर्ग फीट	43,040 वर्ग फीट
इंदौर	2,64,564 वर्ग फीट	1,93,551 वर्ग फीट
कोचीन	95393 वर्ग फीट	97,819 वर्ग फीट
विजयवाड़ा	42,050 वर्ग फीट	35,368 वर्ग फीट
जयपुर	5495.64 वर्ग मीटर	5495.64 वर्ग मीटर
पुणे	15,910 वर्ग फीट	15,910 वर्ग फीट
बरेली	9239 वर्ग फीट	9685 वर्ग फीट
कालीकट		
पोर्ट ब्लेयर	25363 वर्ग फीट	5861 वर्ग मीटर

अनुबंध- 11. IV

नई दिल्ली में सरकारी होस्टल

क्र॰ सं॰	होस्टल का नाम	इकाइयों की संख्या
1	कर्जन रोड होस्टल	484
2	मिंटो रोड होस्टल (पुराना)	96
3	टैगोर रोड होस्टल (पुराना)	96
4	प्रगति विहार होस्टल	792
5	एशिया हाउस होस्टल	131
6	मिंटो रोड होस्टल (नया)	184
7	आर॰ के॰ पुरम	105
8	अलीगंज	06
9	हुडको प्लेस एक्सटेंशन	319

आकस्मिक आगन्तुकों के लिए आवास

दिल्ली में सरकारी दौरे पर आने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्जन रोड हॉस्टल के आबंटियों के अतिथियों के प्रयोग के लिए कर्जन रोड के एफ ब्लॉक में अलग से 96 सिंगल स्यूट (बिना रसोई) और 20 डबल स्यूट (रिनोवेटेड) स्थापित किए गए हैं। इन स्यूटों को उन्हें सामान्यत: अस्थायी तौर पर ठहराने के लिए 10 दिन से अधिक समय हेतु, विनिर्धारित लाइसेंस फीस के प्रभारित करने पर आबंटित किया जाता है।

किदवई नगर (पश्चिम) में केन्द्रीय सरकारी आफिसर्स होली डे होम्स में 40 लोगों के लिए 20 कमरे हैं। इन्हें लाइसेंस फीस के भुगतान पर दैनिक आधार पर दौरे या अवकाश पर आए उप सचिव और उच्चतर स्तर के अधिकारियों एवं उनके अतिथियों को आबंटित किया जाता है।

12

भूमि तथा विकास कार्यालय

भूमि तथा विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जो दिल्ली में केन्द्र सरकार के लगभग 60,526 पट्टों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसमें 57,389 रिहायशी, 1597 वाणिज्यिक, 1430 संस्थानिक तथा 110 औद्योगिक सम्पत्तियां हैं, जिसमें से 30,945 सम्पत्तियां फ्रीहोल्ड हो गई हैं। उपर्युक्त के अलावा, भूमि तथा विकास कार्यालय में निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं:—

(i) विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों तथा विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, खैराती, शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थानों को भारत सरकार के निर्देशों के तहत भूमि का आबंटन।

(ii) भूमि तथा विकास कार्यालय, अधिसूचित क्षेत्र समिति, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा क्षेत्रीय बंदोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली आदि द्वारा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों तथा पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार प्रदत्त विभिन्न पट्टों का प्रबंधन तथा प्रशासन।

(iii) सरकारी भूमि से दखलकारों को हटना तथा अपने नियंत्रणाधीन भूमि के संबंध में सार्वजनिक परिसर (अवैध दखलकारों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत उनसे क्षतिपूर्ति की वसूली।

(iv) रिहायशी/वाणिज्यिक सम्पत्तियां का पट्टे से फ्रीहोल्ड में अंतरण तथा हस्तांतरण विलेख का निष्पादन।

पट्टा प्रशासन

12.2 भूमि तथा विकास कार्यालय पट्टा शर्तों के तहत पट्टाधारी सम्पत्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रकार के मामलों को निपटाता है:—

(i) आवासीय और वाणिज्यिक सम्पत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करना।

(ii) स्वामित्व का प्रतिस्थापन/नामांतरण।

(iii) बिक्री/गिरवी रखने की अनुमति देना/उपहार की अनुमति देना।

(iv) पट्टा सम्पत्तियों का निरीक्षण ।

(v) पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर अनुवर्ती कार्रवाई।

लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में अंतरण

12.3 निर्मित आवासीय सम्पत्तियों को लीजहोल्ड से फ्री होल्ड में कराने की योजना अब औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि प्रयोग परिसर पर भी लागू होगी। रिपोर्ट की अवधि के दौरान लीजहोल्ड सम्पत्ति से फ्रीहोल्ड में करने के लिए प्राप्त आवेदन तथा निपटान किए गए आवेदनों के विवरण निम्न प्रकार हैं:—

(i)	आवेदनों की संख्या (पहले से चले आ रहे)	1054
(ii)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	806
(iii)	संसाधित/निपटाए गए आवेदनों की संख्या	351
(iv)	31.12.2011 को लंबित मामलों की संख्या	1509

(v)	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में करने हेतु आवेदनों के साथ प्राप्त कुल रकम (01.04.2010 से 31.12.2010)	9,52,19,490 रुपए
(vi)	01.04.2011 से 31.12.2011 तक वापस की गई रकम	1,38,08,472 रुपए
	शेष रकम (v)-(vi)	**8,14,11,018 रुपए**

12.4 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान (01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा निपटाए गए अन्य मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं:—

(i)	दी गई बिक्री अनुमति	3
(ii)	स्वामित्व परिवर्तन कार्यान्वित करना	41
(iii)	लीज हकों का प्रतिस्थापन कार्यान्वित करना	301
(iv)	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्वीकृति	351
(v)	उपहार में देने की अनुमति देना	शून्य

6. निष्पादित किए गए पट्टा विलेख

(i)	पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु पिछले वर्ष से आगे लाए गए लंबित मामले	16
(ii)	पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	14
(iii)	उन मामलों की संख्या जिनमें पट्टा विलेख निष्पादित किया गया	28
(iv)	आबंटनों की संख्या (अस्थाई आबंटन सहित)	10

12.5 पट्टा विलेख के निष्पादन में देरी का मुख्य कारण आबंटियों द्वारा दस्तावेजों/भुगतान का न देना है।

तेजी से प्रतिस्थापन करने के लिए नीति का संशोधित किया जाना

12.6 नेमी प्रकार के निरीक्षणों के अलावा प्रतिस्थापन, नामांतरण और परिवर्तन के समय सम्पत्तियों का निरीक्षण हर हालत में किया जाता है। प्रतिस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्पत्ति का स्वामित्व परिवार के भीतर कानूनी वारिस को स्थानांतरित होता है। वर्तमान प्रक्रिया में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई दुरुपयोग अप्राधिकृत निर्माण आदि हुआ है, सम्पत्ति का निरीक्षण आवश्यक है। इस पद्धति में प्रतिस्थापन की अनुमति देने में देरी हो जाती है। अत: प्रतिस्थापन के लिए कार्रवाई करते समय निरीक्षण प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ताकि देरी को कम किया जा सके और पारदर्शी तरीके से पट्टेधारी सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

भूमि किराया में संशोधन

12.7 बीते समय के लिए गुणजों (मल्टिपल) को अपनाकर भूमि किराया संशोधित किया जा रहा है ताकि भूमि किराए की संशोधित दर प्राप्त की जा सके। नजूल सम्पत्तियों के बारे में भूमि किराया को संशोधित करने के लिए एक अलग सेल का गठन किया गया है ताकि समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा किया जा सके। इस अवधि के दौरान 28 मामलों में भूमि किराया संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन के सभी मामलों में संशोधित भूमि किराया सहित भूमि किराया को बकाया राशियों की वसूली कर ली गई है।

राजस्व प्राप्तियां

12.8 भूमि तथा विकास कार्यालय भूमि आबंटन, बिक्री अनुमति देते समय अनार्जित बढ़त, पट्टाधारियों द्वारा किए गए उल्लंघन हेतु दुरुपयोग/क्षति प्रभार वसूलने, भूमि किराया, संशोधित भूमि किराया तथा प्रयोग में परिवर्तन हेतु प्रभार तथा अन्तरण प्रभार के अधिशुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करता है।

12.9 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा प्राप्त कुल राजस्व निम्नानुसार है:—

क्र॰सं॰	प्राप्त राजस्व	राशि (लगभग)
1.	01.04.2011 से 31.12.2011 तक शीर्ष-0059 के तहत प्राप्त राजस्व	52.99 करोड़ रुपए
2.	01.04.2011 से 31.12.2011 तक शीर्ष-0216 के तहत प्राप्त राजस्व	29.86 करोड़ रुपए
3.	01.04.2011 से 31.12.2011 तक प्राप्त अंतरण आवेदनों की संख्या	459
4.	01.04.2011 से 31.12.2011 तक प्राप्त समस्व	9.52 करोड़ रुपए
5.	01.04.2011 से 31.12.2011 तक वापस की गई रकम	1.38 करोड़ रुपए
	कुल प्राप्त राजस्व [1+2+4]	**92.37 करोड़ रुपए**

फाइल तथा लेआऊट योजना तालिका प्रणाली

12.10 भूमि तथा विकास कार्यालय ने फाइलों को आसानी से ढूंढने के लिए फाइलों की एक सूची तैयार की है। रिकार्ड के लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। कार्यालय के तहत क्षेत्र के ले-आऊट प्लान का कम्प्यूटरीकरण (स्केनिंग तथा इंडेक्सिंग) का कार्य भी पूरा हो गया है।

कोर्ट मामले

12.11 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कुल 513 कोर्ट मामले निपटाए गए। जिनमें से 9 मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के थे, 273 मामले माननीय उच्च न्यायालय के, 213 मामले निचली अदालतों के थे। इसके अतिरिक्त, भूमि तथा विकास कार्यालय में एक ईएसओ कोर्ट है जिसमें जन परिसर (अवैध कब्जा) निष्कासन अधिनियम, 1971 के तहत कार्यालय द्वारा दायर मामलों की सुनवाई होती है। 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान ईएसओ कोर्ट में कुल 271 मामले लंबित थे जिनमें से 6 मामलों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया था।

कम्प्यूटरीकरण

12.12 भूमि तथा विकास कार्यालय ने अपनी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को प्रारंभ कर दिया है। लोक सेवाओं जैसे कि प्रतिस्थापन, नामांतरण, परिवर्तन, गिरवी अनुमति, बिक्री अनुमति, उपहार की अनुमति देने आदि के शीघ्र निपटान के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर ई-धरती नाम का पहल ही लागू कर दिया गया है। इससे सेवा प्रदान करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है। एक सूचना तथा सुविधा केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है। जहां जनता सूचना प्राप्त कर सकती है। भूमि तथा विकास कार्यालय की वेबसाइट लोगों के लिए उपलब्ध है जहां वे अपने मामलों की स्थिति जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि निम्नलिखित के लिए भी सुविधाएं/प्रोग्राम स्थापित किए जाएंगे:—

(i) आवेदनों से परिवर्तन, प्रतिस्थापन, नामांतरण, बिक्री, गिरवी और उपहार की अनुमति देने आदि के बारे में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना। पट्टेधारी को संगत दस्तावेजों की हार्ड प्रति डाक आदि द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।

(i) आवेदन तथा कमियां, यदि कोई हैं, की स्थिति की ऑनलाइन इंडिकेशन ताकि आवेदक अपने मामलों प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सके तथा कमियों को दूर कर सकें।

सूचना तथा सुविधा केन्द्र

12.13 भूमि तथा विकास कार्यालय में एक सूचना तथा सुविधा केन्द्र कार्य कर रहा है। पट्टाधारी सम्पत्तियों के नामांतरण, प्रतिस्थापन, विक्रय अनुमति आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए विस्तार से प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। सूचना सुविधा केन्द्र पूर्णतया कार्य कर रहा है और पट्टाधारियों को सभी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी निर्धारित फार्म, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में अंतरण संबंधी फार्म को छोड़कर बाकी सभी फार्म पट्टाधारियों को नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं।

12.14 पट्टाधारी/आवेदन सूचना तथा सुविधा केन्द्र में लगे टच स्क्रिन कियोस्क या कार्यालय की वेबसाइट के द्वारा अपने आवेदनों की स्थिति का पता कर सकते हैं।

नागरिक चार्टर

12.15 'पट्टाधारकों के लिए नागरिक चार्टर' अपनाया गया है। यह चार्टर विक्रय/अंतरण/नामांतरण/प्रतिस्थापन/गिरवी तथा फ्रीहोल्ड की अनुमति बाबत दिल्ली में भूमि में नजूल पट्टों तथा पुनर्वास पट्टों के प्रशासन हेतु भूमि तथा विकास कार्यालय का अपने पट्टाधारकों के प्रति वचनबद्धता का परिचायक है। इनमें से एक वचनबद्धता यह है अंतरण/नामांतरण आदि के आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के अंदर निपटा दिए जाएंगे, बशर्ते पट्टाधारक द्वारा जमा किए गए कागजात तथा अन्य सूचना क्रम में और सही हो। पट्टाधारी को सर्वोत्तम संतोषजनक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न आवेदनों का संसाधन कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और आवेदनों की वास्तविक स्थिति का पता वेबसाइट से और सूचना सुविधा केन्द्र में लगे टच स्क्रिन किओस्क से लगाया जा सकता है।

शिकायतों का निपटान

12.16 पट्टाधारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए, सभी पट्टाधारी जनसंपर्क अधिकारी तथा भूमि तथा विकास अधिकारी सहित शेष अन्य अधिकारियों से सभी कार्य बुधवार को पहले से समय लेकर या बिना समय लिए भी दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे के बीच मिल सकते हैं। जन शिकायत संबंधी सभी मामलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

12.17 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भूमि तथा विकास कार्यालय में निर्धारित समय के अंदर कार्यान्वित किए जाते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भूमि तथा विकास कार्यालय से संबंधित आवश्यक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है और एक सूचना सार संग्रह भी तैयार किया गया है और जो बिक्री हेतु सूचना सुविधा केन्द्र में उपलब्ध है। भूमि तथा विकास कार्यालय के 6 अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदनों को प्राप्त करने के लिए चौदह अधिकारी नामित किए गए हैं। विभिन्न सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

12.18 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 967 आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

राजभाषा

12.19 भूमि तथा विकास कार्यालय अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। स्थिति को मजबूत करने तथा ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने जहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के तहत विनिर्दिष्ट सभी अनुभागों का व्यापक राजभाषा निरीक्षण किया जाता है ताकि अधिकतम संभव कार्य हिन्दी में किया जा सके। सितम्बर में हिन्दी दिवस और हिन्दी माह मनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 4 हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

13

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ), मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन, विकास नीतियों, अनुसंधान, केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अनुवीक्षण एवं मूल्यनिर्धारण इत्यादि से संबंधित मामलों पर शहरी विकास मंत्रालय का एक तकनीकी विंग है। यह अन्य बातों के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दोनों को इसे भेजे गए मामलों पर सहयोग एवं सलाह देता है तथा शहरीकरण, नगर नियोजन, शहरी परिवहन, महानगरीय नियोजन, मानव बस्तियां, शहरी एवं क्षेत्रीय सूचना प्रणाली तथा प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों को सहयोग एवं सलाह देता है। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड की परियोजना अनुवीक्षण एवं संस्वीकृतिदाता समिति के सदस्य हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एवं राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) योजना और सात मेगा शहरों के सेटेलाइट नगरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंग के रूप में लघु एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अनुवीक्षण हेतु एक नॉडल एजेन्सी है।

13.2 वर्ष 2011 के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन लघु एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी), राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) योजना जैसी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के मूल्य निर्धारण एवं अनुवीक्षण संबंधी कार्यों में शामिल रहा और पूर्ववर्ती लघु एवं मध्यम नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी), जिसे वर्ष 2005-06 से लघु एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना में शामिल कर दिया गया है, एवं सात मेगा नगरों के चारों ओर सेटेलाइट नगरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना के शेष कार्यों की देखरेख की।

13.3 नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ने निम्नलिखित मुद्दों पर तकनीकी आदान(इनपुट) उपलब्ध कराए:—

- जेएनएनयूआरएम-II के लिए नीति निर्धारण; महिलाओं के शौचालयों के लिए संशोधित मापदण्ड; जीआईएस आधारित नियोजन; जल योग्य जुड़नार के लेबल लगे उपकरण तैयार किए गए।
- भारत में नगर नियोजकों के व्यवसाय के लिए विनियामक ढांचों के विषय में मसौदा।
- एशिया के लिए शहर विकास की पहल में सदस्यता के संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव।
- शहरी पुनर्निमाण एवं विकास पर इंग्लैण्ड व्यापार एवं निवेश तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच सहयोग का मसौदा ज्ञापन।
- पुदुचेरी तथा तमिलनाडु के विल्लूपुरम एवं कुड्डालोर जिलों में विशिष्ट क्षेत्रों की जैविक-क्षेत्रीय योजना तैयार करने संबंधी परियोजना।
- पर्यटन में धरोहर संरक्षण एवं स्थायी (सस्टेनेबल) विकास के संबंध में मानक निर्धारण उपकरणों की स्थापना।
- कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या के प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत, शहरों और नगरों की संख्या तथा जिलों की संख्या पर अखिल भारतीय परिदृश्य (2001-2011 जनगणना पर आधारित)।
- भारतीय जनगणना, 2011 (अनंतिम) पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सूचना उपलब्ध कराना।
- दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के आवागमन के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने में बदलाव।

- बैंगलुरू शहर के चारों ओर ''समूह (क्लस्टर) विकास''।
- हरित विशाल क्षेत्र विकास के लिए दिशा निर्देश एवं मानक (बेंचमार्क) बनाने के लिए एडीएआरएसएच/एमएनआरई द्वारा बनाए अंतरिम दिशा निर्देशों पर तकनीकी टिप्पणियां।
- नियोजन कानून के संबंध में भारतीय शहरी अंतरिक्ष संस्थान को 12वीं पंचवर्षीय योजना इनपुट के लिए महत्वपूर्ण शहरी नियोजन पर कार्यसमूह की रिपोर्ट पर टिप्पणी।
- उत्तराखण्ड शहरी सैक्टर विकास निवेश कार्यक्रम –प्रस्तावित श्रृंखला–2 के लिए संपर्क मिशन का करार ज्ञापन।
- मैसर्स एवीईओ रियल एस्टेट होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड से प्राप्त एफआईपीबी के विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाने वाला प्रस्ताव।
- चण्डीगढ़ की वास्तुकला धरोहर के संरक्षण एवं परिरक्षण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।
- राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों में आपदा प्रबंधन उपबंधों को शामिल करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- जलवायु नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन।
- एकीकृत शहरी परिवहन नियोजन एवं स्थानिक नियोजन तथा शहरों में भीड़ कम करने के उपायों की रणनीति पर रिपोर्ट तैयार करना।
- भूकंप और अग्नि सुरक्षा से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय।
- मसौदा मास्टर विकास योजना – 2025 – जयपुर क्षेत्र।
- आपदा प्रबंधन के उपबंधों को शामिल करने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन के विकास में 6 कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव।
- जोत के विखंडन एवं समेकन का मुम्बई निवारण (गुजरात संशोधन) बिल, 2011
- **तैयार किए गए कागजात/नोट**
- ''एलएपी और शहर योजनाओं के लिए परामर्शदाताओं का पैनल बनाने'' पर नोट।
- ईओआई आवेदकों के लिए मूल्यांकन मापदंड।
- संसदीय सलाहकार समिति बैठक हेतु नोट।
- जेएनएनयूआरएम कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए यूआईडीएसटी क्षेत्रीय सम्मेलन पर नोट।

प्रस्तुतियां

- प्रेक्षक अनुसंधान संस्थान में शहर स्थिरता (सस्टेनेबलिटी) विषयों पर प्रस्तुति दी।
- यूएनडीपी जीईएफ समर्थित स्थायी (सस्टेनेबल) शहरी परिवहन परियोजना पर प्रस्तुतिकरण तैयार किया।
- औरोविली में हरित पहल पर पैनल के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुतीकरण।
- आवास एवं शहरी विकास उड़ीसा के माननीय मंत्री से भुवनेश्वर में बैठक के लिए बहरामपुर पर प्रस्तुतीकरण।
- स्थायी आवास (हेबीटेट) के संबंध में राष्ट्रीय मिशन पर प्रस्तुतीकरण।
- चण्डीगढ़ एवं इससे लगे क्षेत्र के विकास के लिए समन्वय समिति की 22वीं बैठक के लिए प्रस्तुतीकरण।

14

भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय तथा प्रकाशन विभाग

(क) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय

150 वर्ष से अधिक पुराना (3 चर्च लेन, कोलकाता-700 001 में मुख्यालय) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा इसके 3 क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो (मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में) हैं।

14.2 लेखन सामग्री कार्यालय केन्द्र सरकार के कुछ उपक्रमों/संगठनों सहित पूरे भारत में फैले केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से संबंधित प्राधिकृत मांगकर्ताओं को अपने सभी स्टॉक लाइन लेखन सामग्री मदों की आपूर्ति की व्यवस्था कराने के लिए उत्तरदायी है। नियंत्रक लेखन सामग्री न केवल मांगकर्ताओं को उनकी संबंधित वार्षिक मांग के अनुरूप सामग्री भण्डार की उचित समय पर आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है बल्कि इस संगठन से आपूर्ति की अनुपलब्धता अथवा अन्यथा की वजह से की जा रही स्थानीय खरीदों आदि सहित बहुत मितव्यता से सामग्री भंडार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है। जीआईएसओ, सरकारी संगठनों को सभी प्रकार के कागज और अन्य लेखन सामग्री भण्डार के लिए तकनीकी सहायता भी मुहैया कराता है।

कार्य

14.3 इसके निम्नलिखित कार्य हैं:—

1. लेखन सामग्री भण्डार के लिए स्टॉक की खरीद करना ताकि इसके मांग कर्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर संगत बीआईएस/जीआईएसओ के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. संगठन के करोबार में वृद्धि करना।
3. भुगतान करने वाले मांगकर्ता को की गई सामग्री भण्डार की पूर्ति के बदले भुगतानों की वसूली करना।
4. परीक्षण प्रयोगशालाओं का सक्षम प्रबंधन करना।
5. कोलकाता मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय सामग्री भण्डार डिपो में लेखन सामग्री भण्डार का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करना।

संगठनात्मक ढांचा

14.4 भारत सरकार लेखन सामग्री का कार्यालय जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, का अध्यक्ष लेखन सामग्री नियंत्रक होता है। नियंत्रक के अधीन तीन क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो हैं। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई स्थित लेखन सामग्री डिपो में प्रमुख, सहायक नियंत्रक, लेखन सामग्री का होता है जो कार्यालय प्रमुख उप नियंत्रक लेखन सामग्री का (प्रशासन) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

14.5 भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता तथा इसके 3 (तीन) क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो, लेखन सामग्री स्टोर, विभिन्न प्रकार के कागजातों तथा खुले टेंडरों के माध्यम से खरीदी गई पेपर से बनी सामग्रियों के लिए लगभग 14,437 मांगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। मंत्रालय को मांगकर्ताओं से प्राप्त लेखन सामग्री मदों की मांग के आधार पर बजट अनुदान के आबंटन के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाता है। ''सामग्री और आपूर्ति'' उप शीर्ष के तहत उपलब्ध धनराशि के आधार पर उपलब्ध मौजूदा स्टॉक लाइन लेखन सामग्री मदों हेतु खुले सामान्य टेंडर के साथ डीजीएसएंडडी की दरों की ठेका प्रक्रिया के द्वारा भी स्टॉक लाइन लेखन सामग्री की खरीद की जा रही है।

14.6 इस विभाग में उप-नियंत्रक निरीक्षक, निरीक्षण विंग का प्रमुख होता है। यह विभाग परीक्षण सुविधाओं से अच्छी तरह लैस है। अगले वित्तीय वर्ष राजस्व सृजन करने के लिए खाली क्षमता (कमोवेश 8 प्रतिशत) का वाणिज्यिक उपयोग किया जाएगा। इस कार्यालय से

प्राधिकृत मांगकर्ताओं जिसमें इसके आरएसडी शामिल हैं, को उनकी वार्षिक मांग के अनुरूप संगत बीआईएस/जीआईएसओ मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त लेखन सामग्री की आपूर्ति की जाती हैं। कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए ठेके पर खरीदे जाने वाले स्टोर की गुणवत्ता आश्वस्त करने का दायित्व इस कार्यालय की निरीक्षण विंग का है और डीजीएसएंडडी के गुणवता आश्वासन विंग द्वारा आश्वस्त की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ठेके

14.7 कागजों सहित स्टाक-लाइन लेखन सामग्री मदों के लिए उप शीर्ष 'सामग्री और आपूर्ति' के अंतर्गत बजट अनुमान के तहत 8 करोड़ रु॰ की राशि आबंटित की गई है। खरीद कार्यकलापों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

(i)	अग्रेनीति राशि	:	3.01 करोड़ रु॰ (लगभग)
(ii)	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार अंतिम रूप दिए गए ठेके।	:	शून्य
(iii)	नवंबर 2011 तक किया गया व्यय	:	3.01 करोड़ रु॰ (लगभग)

14.8 यह अनुमान है कि पूर्ण आबंटित धनराशि वित्तीय वर्ष के भीतर प्रयुक्त कर ली जाएगी और वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु ठेकों के लिए आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

बकाया देय राशि की वसूली

14.9 वर्ष 1980 से शुरू होकर मार्च, 2011 तक भुगतानकर्ता मांगकर्ता से कुल बकाया राशि 53.93 करोड़ रुपए है। भुगतानकर्ता मांग कर्ता-मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय जिन्होंने अब बकाया राशि के भुगतान से छूट के लिए शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क किया है, से कुल जमा देय राशि (37.52 करोड़ रुपए तक की कुल देय राशि) की वसूली के लिए सभी संभावित कदम उठाए गए। बकाया देय राशि के निपटान संबंधी मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, डाक और तार विभाग आदि सहित चूककर्ता मांगकर्ताओं के साथ पूरी गंभीरता से उठाया जा रहा है।

(ख) प्रकाशन विभाग

14.10 प्रकाशन विभाग 264 कर्मचारियों का एक सेवा प्रभाग है जिसके प्रमुख नियंत्रक प्रकाशन है। अब यह भारत सरकार की पुस्तकों का विशालतम कोष है जिसमें लगभग 21,000 शीर्षकों की पुस्तकें शामिल हैं और इसे इन प्रकाशनों का कापीराइट प्राप्त है। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 28 करोड़ रु॰ मूल्य की लगभग 21000 पुस्तकें समाविष्ट हैं।

14.11 इस विभाग के, राज्यों की राजधानियों समेत देश भर में 348 बिक्री एजेंट हैं। विभाग के मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में अपने बिक्री डिपो भी हैं। विभाग इंडियन ट्रेड जनरल और गजट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्ययम से राजस्व अर्जित कर रहा है।

संगठनात्मक ढांचा

14.12 प्रकाशन विभाग शहरी विभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक अधीनस्थ कार्यालय है। विभाग के प्रमुख प्रकाशन नियंत्रक हैं। प्रकाशन नियंत्रक का मुख्य कार्यालय सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में है। इसके सेल डिपो किताब महल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली, भारत सरकार बुक डिपो, 8 के.एस. राय रोड, कोलकाता तथा सेल काउंटर न्यू सीजीओ कॉम्पलेक्स, न्यू मैरीन लाइंस, मुंबई और मेन ऑफिस सिविल लाइंस दिल्ली तथा हाई कोर्ट, नई दिल्ली में है।

14.13 बुक डिपो/बिक्री केन्द्रों के अलावा, इसके प्रकाशन राज्यों की राजधानियों समेत देश भर में 348 एजेंटों के जरिए बेचे जाते हैं।

लक्ष्य

14.14 प्रकाशन विभाग के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:—

- मांगकर्ता/ग्राहकों के शीघ्र और समय पर सेवाएं मुहैया करना।
- बिक्री और वितरण कार्य की सक्षमता बढ़ाना।

- मंत्रालय/विभागों से देय राशि की वसूली सुनिश्चित करना।
- सरकारी प्रकाशनों का दक्षतापूर्वक मुद्रण हेतु भारत सरकार के संबंधित मुद्रणालयों को चिह्न संख्या आबंटित करना।
- भारत के संचित कोष हेतु टेंडर नोटिसों के प्रकाशन और प्रकाशनों की बिक्री से अर्जित राजस्व में वृद्धि करना।

मुख्य कार्य

14.15 विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं:—

- भारत सरकार के सभी विभागों मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं तथा सरकारी प्रकाशनों का भंडारण, बिक्री और विपणन।
- भारत सरकार के राजपत्र और दिल्ली सरकार के राजपत्र को प्रकाशित करना।
- प्रकाशनों/पत्रिकाओं का सूचीपत्र तैयार करना, संकेत संख्या जारी करना, कीमत निर्धारण तथा बिक्री संवर्धन संबंधी कार्य।
- सरकारी प्रकाशनों और पत्रिकाओं में शामिल करने के लिए विज्ञापन प्राप्त करना।
- रक्षा प्रकाशनों का भंडारण तथा बिक्रय।
- निजी एजेंसियों, बिक्री तथा रिटन एजेंटों तथा विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वयं के बिक्री डिपो/केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले प्रकाशनों तथा लेखों का रख-रखाव करना।
- समय पर बिल तैयार करके वसूली प्राप्त करना।

स्थिति एवं उपलब्धियां

14.16 वर्ष 2011 के दौरान विभाग की निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं:—

(i) दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, लगभग 21000 पुस्तकों का संचालन किया गया है।

(ii) संचालित पत्रिकाओं की संख्या: दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, इस विभाग द्वारा देखी जा रही पत्रिकाओं की कुल संख्या 13 थी तथा मुफ्त विवरण सूची पत्रिका ग्राहकों की संख्या 1218 तथा भारत के राजपत्र (सभी भागों) के लिए ग्राहकों की कुल संख्या 193 है।

(iii) दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 96.68 लाख रु॰ मूल्य के प्रकाशनों की बिक्री/वितरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.3 करोड़ रु॰ मूल्य तक की कुल बिक्री होने की संभावना है।

(iv) प्रकाशन विभाग ने दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान सरकारी प्रकाशनों को जोड़ने के लिए 12.59 करोड़ रुपये मूल्य के विज्ञापन प्राप्त किए।

(v) अपेक्षा है कि 31.12.2011 की अवधि तक प्राप्त विज्ञापनों और क्रेडिट बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल वसूली लगभग 11.22 करोड़ रु॰ है और 31.03.2012 तक 3.74 करोड़ रु॰ की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।

(vi) दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 तक जारी प्रकाशनों की संख्या 104 है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

14.14 प्रकाशन विभाग की <http://deptpub.gov.in> rFkk <http:/./egazette.gov.in> वेबसाईटें हैं। पहली वेबसाइट विभाग से संबंधित मूल सूचना जैसे कि कार्य, नए प्रकाशनों की सूची, भंडार में उपलब्ध पुस्तकें, नाम बदलने के लिए दिशा-निर्देश, एजेंसियों को अनुदान के लिए दिशा-निर्देश आदि उपलब्ध कराती है और दूसरी वेबसाइट पर भारत सरकार की अधिसूचनाएं उपलोड की जाती है। इस विभाग तथा भारत सरकार के संबंधित मुद्रणालयों जहां भारत के राजपत्र अधिसूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं, द्वारा वर्ष 2003 से आज तक की तारीख की अधिसूचनाओं पर कार्रवाई की जा रही है।

14.18 वर्ष 1950 से लेकर अब तक की राजपत्र अधिसूचनाएं आम जनता के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व की है। यह विभाग संस्कृति मंत्रालय जिसके पास वर्ष 1950 से वर्ष 2002 तक की अधिसूचनाएं डिजिटल फार्म में हैं, की मदद से सभी अधिसूचनाओं को नि:शुल्क खोज टेक्स्ट रूप में अपलोड करने की कार्रवाई कर रहा है। इस कार्य को नेशनल सूचना केन्द्र के तकनीकी सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से वास्तविक रूप देने की संभावना हो।

15

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

नेशल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी)

15.2 एनबीसीसी की स्थापना नवंबर 1960 में शहरी विकास मंत्रालय के तत्ववधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में हुई। एनबीसीसी ने 15 नवंबर, 2011 को स्वर्णिम 51 वर्ष पूर्ण किए हैं। एनबीसीसी एक अनुसूची 'ए' तथा आईएसओ 9001 कंपनी है जोकि निर्माण क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बन गई है। इसका मुख्य कार्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का निष्पादन करना, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी सेवाएं देना तथा रीयल एस्टेट परियोजनाओं का विकास करना है। इसका कार्यक्षेत्र पूरे भारत वर्ष तथा विदेशों में विस्तारित है। एनबीसीसी अत्यधिक विशेषज्ञता वाले कार्यों जैसे ऊर्जा संयंत्रों, चिमनियों तथा कूलिंग टावरों, सीवेज शोधन संयंत्रों, जल शोधन संयंत्रों, जलापूर्ति पाइप लाइन कार्यों, रनवे तथा सड़कों, अस्पतालों, पुलों व फ्लाई ओवरों, बहु-आवास परियोजनाओं, संस्थानिक भवनों तथा मैरीन संरचनाओं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट तथा कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) परियोजनाओं सहित निर्माण उद्योग के प्राय: सभी क्षेत्रों में विविधीकृत किया है एवं जेएनएनयूआरएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा ठोस कचरा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य कर रही है।

15.3 पिछले कुछ वर्षों में एनबीसीसी ने अपने पूर्व इतिहास को बदलकर देश के अग्रणी निर्माण संगठन के रूप में अपने आपको स्थापित किया है। एनबीसीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान टर्नओवर 3100 करोड़ रुपये (अनंतिम) तथा कर के बाद शुद्ध लाभ 119 करोड़ रुपये (अनंतिम) दर्ज करने की संभावना है। एनबीसीसी की इमेज मार्केट में लगातार बेहतर हुई है जिसके कारण ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है। परिणामस्वरूप अधिकाधिक ग्राहक संगठनों से एनबीसीसी को कार्य आदेशों की पुनरावृत्ति हो रही है।

15.4 अपनी स्थापना के बाद से एनबीसीसी ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है तथा अपने शानदार निष्पादन को लगातार बनाए रखा है जिसके फलस्वरूप एनबीसीसी ने भारत सरकार को सर्वप्रथम वर्ष 2006-07 में लाभांश का भुगतान किया है। एनबीसीसी ने लगातार पांचवें वर्ष में भारत सरकार को वर्ष 2010-2011 के लिए 28.07 करोड़ रुपये लाभांश का भुगतान किया है।

15.5 पिछले कई वर्षों से एनबीसीसी के लगातार उत्कृष्ट निष्पादन के कारण इसने कई मील के पत्थरों को पार किया है तथा सरकार एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से मान्यता प्राप्त हुई है **''टॉप-टेन सीपीएसयू''** में से एक, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से **''स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड फॉर कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एन्ड रिस्पांसिवनेस''** भारत के माननीय प्रधानमंत्री से स्कोप आवार्ड फॉर एक्सीलेंस एण्ड आउट स्टैंडिंग कन्ट्रीब्यूशन **(टर्न अराउण्ड)** एण्ड **(मीडियम पीएसयू) कैटेगरी** तथा थर्ड प्राफिटेबल कन्स्ट्रशन कंपनी पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं।

15.6 एनबीसीसी एम ओ यू हस्ताक्षर करने वाली कंपनी है तथा पिछले आठ वर्षों से इसके सतत् कार्य निष्पादन को देखते हुए, एमओयू मानदंडों के अनुसार लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा इसे वर्ष 2010-11 के लिए ''उत्कृष्ट'' दर्जा मिलने की संभावना है।

15.7 एनबीसीसी को आईआईटी रुड़की में व्याख्यानशाला के निर्माण हेतु उत्तराखंड का उल्लेखनीय **कंक्रीट संरचना** पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया।

15.8 एनबीसीसी को, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) तमिलनाडु राज्य सेंटर फॉर इम्पलीमेंटिंग इनोवेटिव सेफ्टी एण्ड क्वालिटी प्रोसीजर्स एण्ड प्रैकिटसेज द्वारा संरक्षा एवं गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान किया गया है।

15.9 एनबीसीसी को परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए विभिन्न ग्राहक संगठनों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा सरकारी विभागों से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं।

15.10 देश एवं विदेशों में कार्य क्षेत्र (पोर्टफालियो) को बढ़ाने के लिए निगम, प्रतिष्ठित भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए अपने प्रयासों में और तेजी ला रहा है। इनके साथ संयुक्त/उद्यम समझौता ज्ञापन किए गए हैं:—

- महावीर हनुमान समूह के साथ संयुक्त उद्यम।
- अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम।
- अगरतला नगर निगम (एएमसी) के साथ संयुक्त उद्यम।

कार्यों के निष्पादन हेतु एनबीसीसी ने विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों तथा सीपीएसयू आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

एनबीसीसी का कार्य निष्पादन:—

15.11 समझौता ज्ञापन तथा सामान्य वित्तीय पैरामीटरों के आधार पर एनबीसीसी का कार्य निष्पादन निम्न प्रकार से है:—

(क) समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

वर्ष 2010-11 के लिए तैयार किए गए समझौता ज्ञापन में रखे गए लक्ष्यों के संदर्भ में एनबीसीसी का कार्य निष्पादन इस प्रकार से है:—

(रुपये करोड़ में)

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
31.03.2011 कार्य आदेश	2420.00	3055.82
व्यापारवर्त (टर्नओवर)	2540.00	3126.77
सकल लाभ	143.11	217.16
कर के बाद शुद्ध लाभ	92.34	140.34

(ख) 2011-2012 के दौरान उपलब्धियाँ (31.12.2011 तक)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	लक्ष्य (2011-12)	वर्ष 2011-2012 के दौरान उपलब्धि (31.12.2011 तक)
कार्य आदेश	3400.00	2810.48
व्यापारावर्त (टर्न ओवर)	3400.00	2200.83
सकल लाभ	204.00	159.87
शुद्ध लाभ	132.40	100.54

पिछले कुछ वर्षों में टर्नओवर उपलब्धि का रूझान नीचे दर्शाया गया है।

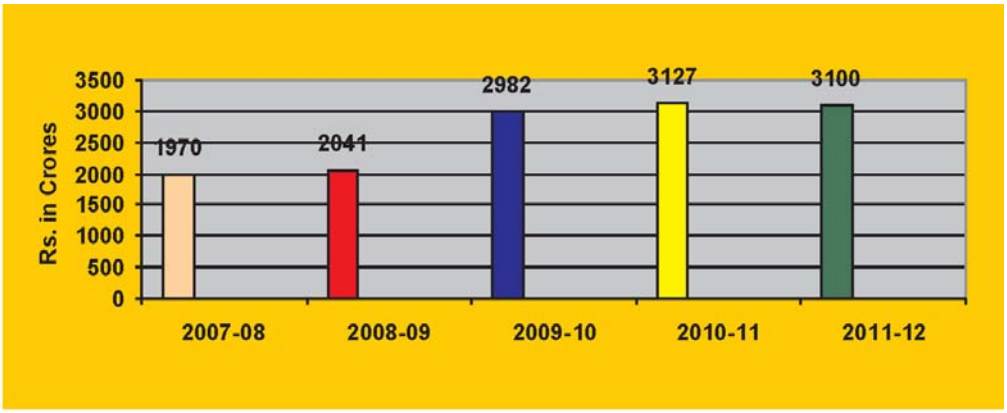

आदेश बही

15.12 31.12.2011 को एनबीसी लगभग 7637.44 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है जो कि पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। निगम की आदेश बही की स्थिति पर्याप्त सुखद है।

15.13 वर्ष 2011-2012 (31.12.2011 तक) के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं:—

(करोड़ रुपये में)

क्र॰ सं॰	कार्य का नाम	ग्राहक	मूल्य
1	2	3	4
1.	सिवागनगई (तमिलनाडु) में सीआईएसएफ की चौथी बटालियन हेतु प्रशासनिक/प्रशिक्षण/कम्यूनिकेशन ब्लॉक, मेस एवं क्वार्टर गार्ड का कार्य।	गृह मंत्रालय	29.00
2.	ग्रेटर नोएडा में सीपीएमएफ हेतु 200 बिस्तर वाले रेफरल हॉस्पिटल का कार्य।	इंडो-तिब्बत बोर्डर पुलिस	121.00
3.	महीपालपुर, नई दिल्ली में, बीपीआर एण्ड डी और एनसीआरबी क्वार्टर्स हेतु वाउन्ड्री वॉल का कार्य।	गृह मंत्रालय	28.21
4.	द्वारका नई दिल्ली में, नेशनल इंटेलीजेंस एकेडमी-कम-रीजन ट्रेनिंग कार्य।	गृह मंत्रालय	76.10
5.	सोनामूरा टाउन हाल, त्रिपुरा।	शहरी विकास मंत्रालय	23.00
6.	शिलाँग, मेघालय में पोलो मार्केट का पुनर्वास।	शहरी विकास मंत्रालय	21.00
7.	जॉयनगर, अगरतला में आवासीय परियोजना।	शहरी विकास मंत्रालय	23.00
8.	राधानगर, अगरतला में आवासीय परियोजना।	शहरी विकास मंत्रालय	23.00
9.	हनथिल टाउन, मिजोरम में विकास योजना कार्य।	शहरी विकास मंत्रालय	7.00
10.	जोरेथंग, सिक्किम में बस टर्मिनल।	शहरी विकास मंत्रालय	30.00
11.	विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का नवीकरण।	विक्टोरिया मेमोरियल	70.00
12.	कोलकाता में एकेडमी काम्प्लेक्स।	ललित कला अकादमी	25.00
13.	एसडीएफ बिल्डिंग का निर्माण कार्य, गांधीनगर (गुजरात)।	कांडला स्पेशल इकोनोमिक जोन	25.00
14.	मिनी ऑडिटोरियम एमडीयू, रोहतक।	महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू)	6.57
15.	मैथमेटिक्स, साइकलोजी बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एम.डी.यू., रोहतक।	महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी	30.00

1	2	3	4
16.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान एकेडमी का निर्माण, वी.वी. गिरि इंस्टीट्यूट, सेक्टर 24, नोएडा।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)	82.62
17.	स्पेशल टेक्टिक्स विंग बिल्डिंग कार्य, एसवीपीएनपीए, हैदराबाद।	सरकार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस	7.66
18.	लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य, एसवीपीएनपीए, हैदराबाद।	सरकार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस	14.75
19.	वरिष्ठ अधिकारी मैस फेस-II हेतु 140 कमरे एसवीपीएनपीए, हैदराबाद।	सरकार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस	11.00
20.	डेंटल कालेज, रोहिणी, नई दिल्ली।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)	8.97
21.	ईएसआईसी रीजनल ऑफिस का फेस लिफ्टिंग एवं नवीकरण कार्य, जयपुर।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)	16.30
22.	एनसीडीसी के कोटिउन्नयन हेतु मौजूदा संरचना को गिराकर नए भवन का निर्माण कार्य, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54।	नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (ईएसआईसी)	326.19
23.	तालाब का विकास कार्य, आईएसबीटी, चंद्रापुर, अगरतला (वेस्ट त्रिपुरा)।	परिवहन विभाग, त्रिपुरा सरकार	0.46
24.	टीआरसी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एवं स्थायी आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन हेतु अर्ध-स्थायी एवं प्री-फेब संरचना का निर्माण कार्य, शिवगंगा (तमिलनाडु)।	गृह मंत्रालय	59.44
25.	100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण कार्य, अंकलेश्वर, गुजरात	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)	100.00
26.	आरआईईएलआईटी के स्थायी कैम्पस का विकास कार्य, अगरतला।	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ई-लर्निंग एण्ड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आरआईईएलआईटी)	27.86
27.	प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं स्टेट आर्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य, श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु)।	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट	25.00
28.	पार्किंग प्लाजा-कम-एलाइट फेसिलिटीज, जोरथंग, सिक्किम।	शहरी विकास मंत्रालय	23.59
29.	अधिकारियों के लिए 02 डोर्मिटरीज का निर्माण कार्य, रघुनाथपुरा (वेस्ट बंगाल)।	दामोदर वैली निगम	14.67
30.	02 स्टॉफ डोर्मिटरीज का निर्माण कार्य, रघुनाथपुरा (वेस्ट बंगाल)।	दामोदर वैली निगम	9.93
31.	सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन की स्थापना हेतु कार्य, शिवागंगई (तमिलनाडु)।	गृह मंत्रालय	11.66
32.	100 कमरे का न्यू आईपीएस मैस/हॉस्टल कार्य, हैदराबाद।	गृह मंत्रालय	16.87
33.	टर्बाइन टेस्ट लेबोरेटरी का कार्य, आईआईटी, रुड़की।	आईआईटी, रुड़की	5.90
34.	सहारनपुर कैम्पस हेतु आईआईटी, रुड़की में ए वर्ग के (231) आवासों का कार्य।	आईआईटी, रुड़की	10.70
35.	पुरुष छात्रावास का कार्य, एमडीयू, रोहतक।	महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक	17.92
36.	प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य, एमडीयू, रोहतक।	महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक	25.53
37.	एग्जामिनेशन विंग का निर्माण कार्य, एमडीयू, रोहतक।	एमडीयू, रोहतक में प्रशासनिक ब्लॉक निर्माण	27.50
38.	कार्यालय परिसर एवं डाटा केन्द्र की प्लानिंग, डिजाइनिंग एण्ड निर्माण, दिल्ली तथा डाटा रिकवरी सेंटर, बेंगलूरू।	नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड, गृह मंत्रालय	200.00

1	2	3	4
39.	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट के विभिन्न भवनों की प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं निर्माण कार्य और बाह्य विकास का निर्माण कार्य, श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु)।	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट	150.00
40.	ऑफिस बिल्डिंग, रेजीडेंशियल एकोमोडेंशन, गेस्ट हाउस, कोलकाता।	आयकर विभाग (वित्त मंत्रालय)	125.00
41.	500 बिस्तरों वाले अस्पताल का कार्य, रांची, झारखंड।	स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड	136.00
42.	एसवीएनआईटी के लिए विभिन्न भवनों और अवसंरचना का निर्माण कार्य, सूरत।	सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	200.00
43.	सेंट्रल एविएशन मेट्रोलोजीकल डिवीजन बिल्डिंग आया नगर, दिल्ली।	इंडियन मेट्रोलोजीकल डिपार्टमेंट	10.00
44.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर हेतु, रेजीडेंशियल एकोमोडेशन, भोपाल।	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर	20.00
45.	भोपाल में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के लिए एसएपी भौरी, भोपाल में अवसंरचना कार्य।	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर	25.00
46.	ऑफिस कॉम्लेक्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, देहरादून।	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	10.00
47.	ऑफिस कॉम्लेक्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नोएडा।	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	10.00
48.	ऑफिस कॉम्लेक्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।	सॉफ्टवयेर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	40.00
49.	मरम्मत/नवीकरण एवं फर्निसिंग का कार्य, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा।	नेशनल सेंटर फॉर मिडियम रेंज वैदर फोरकास्टिंग (भू-विज्ञान मंत्रालय)	25.00
50.	जेएनयू एवं तालकटोरा स्टेडियम की मैंटिनेंस का कार्य, नई दिल्ली।	स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया	15.00
51.	माले, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में अस्पताल का नवीकरण कार्य।	विदेश मंत्रालय	37.00
52.	आयकर विभाग के लिए सभी आधुनिक सुख-सुविधाओं सहित टाइप-VI रो हाउस (02) टाइप-V बहुमंजिला क्वार्टर्स (05) तथा आयन क्लब हाउस का निर्माण कार्य, जम्मू, (जे एंड के)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	11.37
53.	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अगरतला वाटर सप्लाई योजना के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एण्ड राइजिंग मेन्स।	शहरी विकास मंत्रालय	14.65
54.	जॉयनगर, अगरतला में शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजना।	शहरी विकास मंत्रालय	23.80
55.	राधानगर, अगरतला में शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजना का कार्य।	शहरी विकास मंत्रालय	23.77
56.	टाउन हाल का कार्य, सोनामुरा, अगरतला।	शहरी विकास मंत्रालय	23.06
57.	इंडो-बंगलादेश बोर्डर सिंगल रॉ फेंसिंग कार्य।	गृह मंत्रालय	15.00
58.	श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखंड) में एचएनबीजीयू हेतु चौरस कैम्पस में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कार्यशाला एवं यूसीआईसी, योगिक विज्ञान तथा विभिन्न केन्द्रों के लिए मुख्य ब्लॉक का निर्माण कार्य।	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी (एचएनबीजीयू)	74.00
59.	आईआईटी हेतु कैम्पस का विकास कार्य, पटना।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	300.00
60.	साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) रंगरथ, श्रीनगर (जे एंड के) में डाटा सेंटर इन्क्यूवेशन फैंसेलिटी एंड नेटवर्क सेंटर आपरेशन, सेंटर कार्य।	साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	10.00
	कुल		**2810.48**

पिछले पांच वर्षों के कारोबार विकास का रुझान नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार है

चार्ट

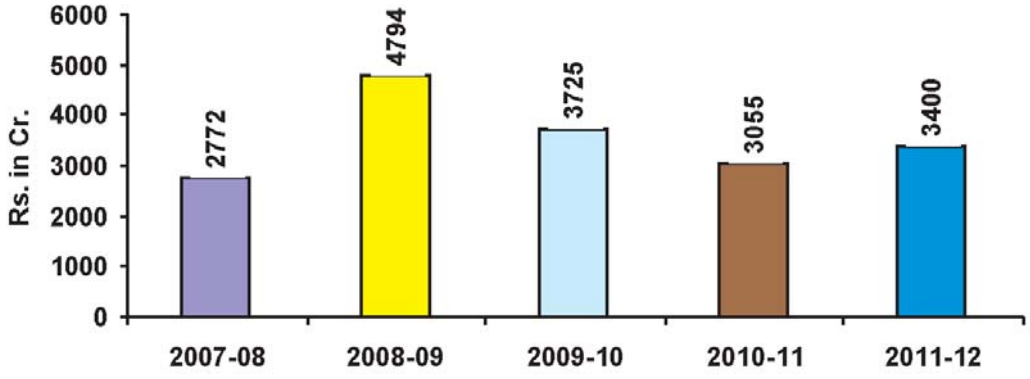

स्थावर सम्पदा (रियल एस्टेट)

15.14 भवन निर्माण के क्षेत्र में 51 वर्षों की विशेषज्ञता रखने वाली एनबीसीसी ने वाणिज्यिक आधार पर रियल एस्टेट परियोजनाएं प्राप्त की हैं। रियल एस्टेट निगम के लिए राजस्व पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र है। निम्नलिखित रीयल एस्टेट परियोजनाएं विभिन्न सोपानों में कार्यान्वित की जा रही हैं:—

- **एनबीसीसी विबग्योर टावर्स, कोलकाता:**

  ''एनबीसीसी विबग्योर टावर्स'' एक रियल एस्टेट आवासीय परियोजना है। न्यू टाउन के एक्शन एरिया-I, राजरहाट, कोलकाता में 10 एकड़ भूमि पर स्टिल्ट + 14 मंजिलें टावरों वाले, एनबीसीसी विबग्योर टावर्स में बेहतरीन डिजाइनयुक्त दो, तीन तथा चार बेडरूम वाले 794 अपार्टमेंटों की आयोजना की गई है। काम्पलेक्स की डिजाइन इस प्रकार तैयार की गई है कि चौड़ी सड़कों, पैदल मार्गों, पार्कों, पार्किंग इत्यादि के लिए लगभग 70 प्रतिशत खुली जगह है। निवासियों के उपयोग हेतु काम्पलेक्स के भीतर स्विमिंग पूल युक्त क्लब हाउस तथा सामुदायिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 448 अपार्टमेंट वाले 'ए' 'बी' 'सी' एंड 'डी' टावर सौंपे जा चुके हैं। 346 अपार्टमेंटों वाले बाकी बचे 'ई' 'एफ' 'जी' तथा 'एच' टावरों के पूर्ण होने का कार्य अंतिम चरण में है तथा आबंटियों को शीघ्र ही मार्च-अप्रैल, 2012 में चरणबद्ध तरीके से सौंपे जाने की संभावना है।

- **घिटोरनी, नई दिल्ली में भूमि:**

  माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्देशानुसार एनबीसीसी द्वारा एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुसार लगभग 32.46 एकड़ शेष भूमि विकसित की जानी थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 2008 में लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जाने थे। तथापि, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया अब दिल्ली प्रशासन के साथ बातचीत करके, हल निकालने के प्रयास जारी हैं। कुल बाकी बची 42.46 एकड़ भूमि को दिल्ली प्रशासन के साथ समान लाभ बंटवारे के आधार पर विकसित करने के प्रस्ताव को कई दौर की आपसी बातचीत के बाद मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार को जमा किया गया है।

  वर्तमान प्रस्ताव की आर्थिक रूपरेखा इस प्रकार है कि लगभग 12.46 एकड़ पर सम्पूर्ण आवासीय कॉम्पलेक्स के साथ 2.50 एकड़ संस्थानिक प्लाट दिल्ली प्रशासन के पास होंगे तथा उन्हें निर्माण लागत भी नहीं देनी होगी। एनबीसीसी, समान आकार 2.50 एकड़ का संस्थानिक प्लाट के साथ व्यावसायिक जगह को (प्रस्तावित 21.20 एकड़ व्यावसायिक भूमि) अपने पास रखेगी। परियोजना के

वित्त पोषण हेतु व्यावसायिक जगह का कुछ बेचा जाएगा। यह प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

- **इंडियन टेक्सटाइल प्लाजा, अहमदाबाद:**

  एनबीसीसी ने अहमदाबाद में इंडियन टेक्सटाइल प्लाजा के निर्माण के लिए नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एनटीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनबीसीसी ने परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने, विकसित करने तथा बिक्री के लिए एक सहयोगी (एसोशिएट) के रूप में मै॰ क्षिप्रा एस्टेट्स को नियुक्त किया है। भूमि एनबीसीसी के नाम पंजीकृत की गई है। भूमि का एक हिस्सा अब भी एनटीसी कर्मचरियों अथवा उनके नामिती के कब्जे में है। इसके कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी है। न्यायालय के अलावा निपटारे के द्वारा कब्जा खाली कराने के प्रयास किए गए हैं। भूमि खाली कराने के बाद परियोजना शुरू की जाएगी।

- **वैली व्यू अपार्टमेंट, कोच्चि:**

  एनबीसीसी ने अम्बालामेडु कोचीन में 3.1813 एकड़ लैण्ड पार्सल पर 2 बीएचके तथा 3 बीएचके अपार्टमेंटों की आयोजना की है। प्रस्तावित परियोजना के लिए वैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अपार्टमेंटों की बिक्री प्रारंभ की जाएगी। अप्रैल 2012 में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

- **किदवई नगर (पूर्व) नई दिल्ली का पुनर्विकास:**

  86 एकड़ भूमि पर पूर्वी किदवई नगर के पुनर्विकास की परियोजना को मंत्रिमंडल की दिनांक 12.10.2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था। कुल 4447 बहुमंजिला अपार्टमेंट की आयोजना की गई है। 46 मीटर अधिकतम ऊंचाई (न्यूनतम ऊंचाई 22.5 मीटर) निर्माण करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अब शहरी विकास मंत्रालय की सलाह पर ऊंचाई 66-67 मीटर चाही गई है ताकि अधिकतम अनुमत फर्शी क्षेत्रफल का उपयोग किया जा सके। परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। कुछ प्रस्तावित बदलावों के साथ यूनिट आयोजनाओं इत्यादि को अंतिम रूप दिया गया है। परियोजना का वित्त पोषण, वाणिज्यिक घटक की लघु अवधि लीज बिक्री (30 वर्षों) अर्थात् लगभग 11 लाख वर्गफुट से प्रस्तावित किया गया है।

- **एनबीसीसी सेंटर, प्लाट नं॰ 2 ओखला फेज-1, नई दिल्ली:**

  कुल बिल्ट-अप क्षेत्रफल 36500 वर्ग मीटर में पार्किंग हेतु 3 स्तरीय भूमिगत तल तथा जी+8 मंजिला संरचना में भूतल पहली तथा दूसरी मंजिल तक खुदरा बाजार तथा तीसरे से आठवें तल तक कार्यालयों के लिए स्थान है। परियोजना निर्माणाधीन है तथा प्रथम तल की छत पड़ गई है। फरवरी, 2012 में परियोजना के लिए जगह की बिक्री की योजना है। बिक्री योग्य क्षेत्रफल लगभग 2,15,000 वर्गफुट है। बिक्री मूल्य/आरक्षित मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय प्रापर्टी परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

- **मैंगोलेन, कोलकाता:**

  2543.44 वर्गमीटर भूमि एल एंड डी ओ द्वारा 103 लाख रुपये के प्रीमियम पर आबंटित की गई थी। मै॰ मैकेंतोष बर्न लिमिटेड परियोजना के वित्तीय साझेदार सह विकासकर्ता हैं। संरचना का कार्य पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। एनबीसीसी फारवर्ड नीलामी तथा निविदा इत्यादि के माध्यम से बिल्ट-अप क्षेत्रफल अर्थात् चतुर्थ तल पर 858 वर्गमीटर तथा पांचवें तल पर 110 वर्गमीटर जगह की बिक्री फरवरी, 2012 में प्रारंभ करने की इच्छुक है।

- **केएमआरसीएल परियोजना:**

  एनबीसीसी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड की भूमि पर साझा आधार पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। संरचना कार्य समाप्ति पर है। एनबीसीसी मार्च, 2012 तक अपना हिस्सा बेचने को इच्छुक है। निर्माण की लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है।

- **वाणिज्यिक परिसर, कटक:**

  ब्लाक 'ए' (एक वाणिज्यिक परिसर) भवन का कार्य पूरा हो गया है। एनबीसीसी ने परिसर में बिल्ट-अप स्टाल के अपने हिस्से का कब्जा ले लिया है। मार्च, 2012 के महीने में दुकानों/कार्यालयों की बिक्री का प्रस्ताव है।

■ **जैक्सन गेट, अगरतला (त्रिपुरा):**

एनबीसीसी तथा अगरतला नगर निगम (ए एम सी) ने संयुक्त रूप से जैक्सन गेट, अगरतला में 2680 वर्गमीटर का प्लाट विकसित किया है। भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। एनबीसीसी तथा एएमसी ने सभी जगहों जैसे कार्यालय, वाणिज्यिक तथा होटल के पृथक प्लाटों को स्थायी लीज आधार पर बेचने के विकल्प का निर्णय लिया है। तथापि दो प्रयासों के बाद भी जगह की बिक्री नहीं हो पाई है।

■ **एनबीसीसी टावर, पटना:**

सेक्टर-7 बहादुरपुर एवं पटना में आवास-सह-शॉपिंग काम्पलेक्स वाली रीयल एस्टेट परियोजना के विकास हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (बीआरएबी) से लगभग 1.30 एकड़ भूमि खरीदी गई है। परियोजना में दो ब्लॉक अर्थात ब्लॉक-I तथा ब्लॉक-II हैं। ब्लॉक-I का उपयोग आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु तथा ब्लॉक II का उपयोग आवासीय प्रयोग हेतु किया जाएगा जिसमें 98 फ्लैट होंगे। परियोजना के मार्च, 2013 में पूर्ण होने की संभावना है। बीआरएबी के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर होने के पश्चात बिक्री आरंभ की जाएगी। उनके द्वारा अभी लीज डीड निष्पादित किया जाना शेष है।

■ **रीजेन्सी टावर, पटना:**

पटना में 2.622 एकड़ भूमि पर, रीजेन्सी टावर नाम से एक आवासीय परिसर की आयोजना की जा रही है। ड्राइंगों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद लगभग 170 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। अप्रैल, 2012 में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बिहार राज्य आवास बोर्ड (बीआरएबी) द्वारा लीज डीड पर हस्ताक्षर होने के बाद बिक्री प्रारंभ की जाएगी।

*** एनबीसीसी टाउन (फेज-1) परियोजना, खेकड़ा उ॰प्र॰:**

एनबीसीसी, मै॰ महावीर हनुमान समूह के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 'एनबीसीसी टाउन' नाम से समूह रिहायशी आवास परियोजना विकसित कर रहा है। दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग, खेकड़ा, बागपत में 16.28 एकड़ क्षेत्रफल पर इसमें विभिन्न प्रकार के अपार्टमेंट जैसे लोटस (जी+3) लिली (जी+3), ट्यूलिप (जी+3) तथा मेरीगोल्ड (एस+7) तथा (एस+8) हैं। आयोजना की गई इकाइयों की संख्या 1316 है। एनबीसीसी को जनता से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तथा लगभग 900 अपार्टमेंट बेचे जा चुके हैं। इसके अलावा फेज II अपार्टमेंट के आबंटन के लिए लगभग 700 आवेदक प्रतीक्षा में रखे गए हैं। परियोजना (फेज I) अप्रैल, 2013 में पूर्ण होगी।

■ **एनबीसीसी टाउन (फेज-II):**

एनबीसीसी, मै॰ महावीर हनुमान समूह के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मसूरी गांव, बागपत में 24.60 एकड़ क्षेत्रफल के प्लाट में ''एनबीसीसी टाउन'' (फेज-II) नाम से समूह रिहायशी आवास परियोजना विकसित कर रही है। इन अधिक ऊंचाई वाले अपार्टमेंटों में 2 बीएचके, 3 बीएचके, तथा 4 बीएचके वाले 2392 आवास हैं। अप्रैल, 2012 में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। स्थानीय वैधानिक प्राधिकरणों से ड्राइंगों का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

■ **एनबीसीसी टाउन (फेज -III):**

मै॰ अहिंशा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मै॰ बीसीसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के द्वारा खेकड़ा में 8 एकड़ भूमि को विकसित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा ड्राइंगें डीबीडीए के पास अनुमोदन हेतु जमा की गई हैं। ड्रांइगों के अनुमोदन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जाएगा। फेज-I तथा फेज-II की तुलना में बेहतर विशिष्टियों वाले 2 बीएचके तथा 3 बीएचके की 612 इकाइयों की आयोजना की गई है।

■ **समूह आवास परियोजना, सेक्टर-89, गुड़गांव:**

एनबीसीसी बाजार से खरीदी गई लगभग 11.312 एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रकार के अर्थात 2 बीएचके, 3 बीएचके, तथा 4 बीएचके इत्यादि 492 इकाइयां तथा 90 ईडब्ल्यूएस इकाइयों का निर्माण कर रही है निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है तथा परियोजना के सितंबर, 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है। एनबीसीसी द्वारा मई, 2011 में 169 इकाइयां बेची गई हैं। बाकी बची इकाइयों के

फरवरी–मार्च, 2012 में बेचे जाने की योजना है।

- **समूह आवास परियोजना, सेक्टर 37 डी, गुडगांव:**

  18.031 एकड़ भूमि पर एक समूह आवासीय परियोजना की आयोजना की गई है। भूमि एनबीसीसी के नाम से पंजीकृत की गई है। डीजीटीसीपी से ड्राइंगों का अनुमोदन प्रतीक्षित है। ईडब्ल्यूएस इकाइयों के अलावा प्राथमिक रूप से 3 बीएचके वर्ग की कुल 786 इकाइयों की आयोजना की गई है। एनबीसीसी मार्च, 2012 में परियोजना शुरू करेगी। निर्माण एजेंसी का चयन किया जा चुका है। वैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आरंभिक रूप से अपार्टमेंट केवल उन आवेदकों को दिए जाएंगे जिन्होंने आवेदन राशि फरवरी–मार्च, 2011 में जमा कराई है। ड्राइंगों का अनुमोदन प्राप्त होने पर फरवरी–मार्च, 2012 में लॉट्स का ड्रा निकाले जाने की संभावना है।

- **वाणिज्यिक परिसर, लखनऊ:**

  एनबीसीसी ने दिसंबर, 2011 में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से गोमती नगर एक्सटेंशन में लगभग 9000 वर्गमीटर भूमि खरीदी है। एनबीसीसी द्वारा परामर्शदाता आर्किटेक्ट को लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्थानीय वैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन के पश्चात् वित्त वर्ष 2012–13 के लिए निर्माण की आयोजना की गई है। भूतल स्तर तक निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् ही परियोजना को मार्केट में लांच किया जाएगा।

- **आवासीय परिसर, अलवर:**

  एनबीसीसी ने दिसंबर, 2011 में 20,600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अलवर, राजस्थान में लगभग 6000 वर्गमीटर भूमि खरीदी है आर्किटेक्ट के चयन हेतु टेंडर जारी किया गया है। स्थानीय वैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मई, 2012 में निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

आईएसओ प्रमाणन:

15.15 एनबीसीसी के परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श प्रभाग को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्रदान किया गया है। निगम का मिशन, आईएसओ 9001:2008 सीरेज के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना तथा उच्च स्तरीय ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना है। गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस मार्च, 2014 तक वैध है।

सुरक्षा प्रबंधन:

15.16 एनबीसीसी सभी कार्य साइटों पर सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नैगम कार्यालय में एक पूर्ण रूपेण एवं कर्त्तव्यनिष्ठ 'सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ' कार्यरत है जो सभी क्षेत्रों में 'सुरक्षा' की जानकारी प्रसारित करता है। निर्माण स्थल पर सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं की जानकारी सभी एनबीसीसी कर्मचारियों में प्रसारित की जाती है।

15.17 03 जनवरी, 2011 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी द्वारा निगमित संरक्षा नीति जारी की गई। संरक्षा नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

निगमित संरक्षा नीति

15.18 नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:—

- अपने कर्मचारियों तथा कार्यस्थल पर उसके निर्माण क्रियाकलापों से जुड़े हुए लोगों की संरक्षा।
- कार्य स्थलों पर संरक्षा के सहयोजित तथा सतत् प्रयास।
- संरक्षा उद्देश्यों को स्थापित करना, उनके कार्यान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना तथा संरक्षा निष्पादन की जवाबदेही।

मार्गदर्शी सिद्धांत

- आवश्यक रूप से सभी दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा निवारण।
- सभी संरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही।
- संरक्षा जागरुकता के लिए प्रशिक्षण तथा संरक्षा कार्यक्रमों पर खास जोर देने के लिए संरक्षा का वातावरण बनाना।

- संरक्षा पहलू की सतत् समीक्षा तथा संरक्षा समितियों एवं अन्य माध्यमों की भागीदारी से बढ़ावा देना।
- नियमित अंतराल से संरक्षा निष्पादन की सघन जांच।
- सभी क्रिया-कलाप तथा प्रक्रियाएं, संरक्षा के सांविधिक नियमों तथा विनियमों एवं सर्वोत्तम औद्योगिक मान्यताओं के अनुरूप हों।
- कार्य स्थलों पर पर्यावरण हितैषी विधियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग एवं संबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए संरक्षण संबंधी जागरुकता को बढ़ाना।

15.19 इस अवसर पर **''संरक्षा पोस्टर''** जारी किए गए जोकि साइटों/यूनिटों तथा कार्यालय के कार्य स्थलों पर प्रदर्शित किए गए हैं तथा हमारे सम्मानीय ग्राहकों को भी प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा पर व्याख्यान तथा प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए जिनमें जोनल प्रमुखों तथा स्ट्रेटेजिक बिजनिस ग्रुप के प्रमुखों और रीजनल बिजनिस समूहों के प्रमुखों ने भाग लिया।

वर्ष 2012-13 हेतु कार्यनीति

15.20 टर्नएराउंड परवर्ती अवधि के दौरान कंपनी की मौजूदा वृद्धि को बनाए रखने तथा आर्थिक खुलेपन और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों की अनेक नई कंपनियों के आने से कठिन प्रतिस्पर्धा के इस समय में अपने वर्तमान अस्तित्व को भी बनाए रखने हेतु एनबीसीसी निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाएगी:—

- रियल एस्टेट, ऊर्जा क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली परियोजनाएं, सड़कों, ईपीसी ठेकों आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तथा ऊर्जा दक्ष पर्यावरण हितैषी ग्रीन बिल्डिंग के नए क्षेत्र (सेगमेंट) में प्रवेश करना।
- आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों को स्थापित करने तथा चलाने के सेगमेंट में प्रवेश करने के इरादे से ऊर्जा क्षेत्रीय बाजार की सघन संवीक्षा करना तथा सही समय पर इस बाजार में प्रवेश करने हेतु अपेक्षित सक्षमता विकसित करना।
- परम्परागत कार्य पद्धति पर निर्भरता को कम करके समय-सीमा में गुणवत्ता निर्माण सुनिश्चित करने तथा निर्माण गतिविधियों में और अधिक मशीनीकरण करना।
- परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं (पीएमसी सेवाओं) के क्षेत्र में प्रवेश करके अस्तित्व को बढ़ाना।
- विशिष्ट प्रकृति की उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एवं रियल एस्टेट के क्षेत्र में भूमिधारक एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाना।
- निगम के मौजूदा जनशक्ति संसाधनों का दक्ष उपभोग करने के लिए संस्थानिक तथा आवासीय परिसरों हेतु निर्माण के बाद सेवाओं में बाजार हिस्सेदारी (शेयर) में बढ़ोतरी करना।
- सुनिश्चित लाभ के साथ कारोबार अवसरों को भुनाने तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों हेतु सुदूरवर्ती (रिमोट) तथा कठिन क्षेत्रों में और अधिक कार्य लेना।
- उत्पादकता को बढ़ाने हेतु नए उपस्करों को इस्तेमाल में लाना।
- अतिरिक्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभ और सुविधाएं देकर कर्मचारियों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- समय तथा लागत को बढ़ने से रोकने के लिए उच्च मूल्य वाली/कठिन परियोजनाओं की सघन मानीटरिंग हेतु लेन तथा वेब आधारित आन-लाइन मानीटरिंग सिस्टम के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग करना।
- सदभावनापूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखना ताकि हड़ताल या श्रमिक असंतोष के कारण जनदिनों की हानि न हो।
- ग्राहकों के साथ अग्रसक्रिय (प्रो-एक्टिव) तथा व्यावसायिक संबंध बनाना।
- निगम की पिछले वर्षों की सतत वृद्धि पर 10 प्रतिशत से अधिक और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन कार्यनीतियों को अपनाना।

कार्य-नीतिक प्रमुख क्षेत्र:

15.21 बदलते समय के साथ-साथ, एनबीसीसी समय-समय पर अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाता रहा है तथा इसके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में रीयल एस्टेट परियोजनाएं, ऊर्जा परियोजनाएं, परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं कार्य, ''यूएएसबी'' प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण इंजीनियरिंग संयंत्रों का निर्माण, स्लिपफार्म प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए टाल स्टेक एंड कूलिंग टावरों का निर्माण कार्य, इंजीनियरी प्रोक्योरमेंट तथा निर्माण (ईपीसी) ठेके, ठोस कचरा प्रबंधन तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ('जेएनएनयूआरएम') शामिल हैं।

15.22 31.12.2011 तक धारित क्षेत्रवार कार्यभार नीचे दिए गए चार्ट में सूचित है:—

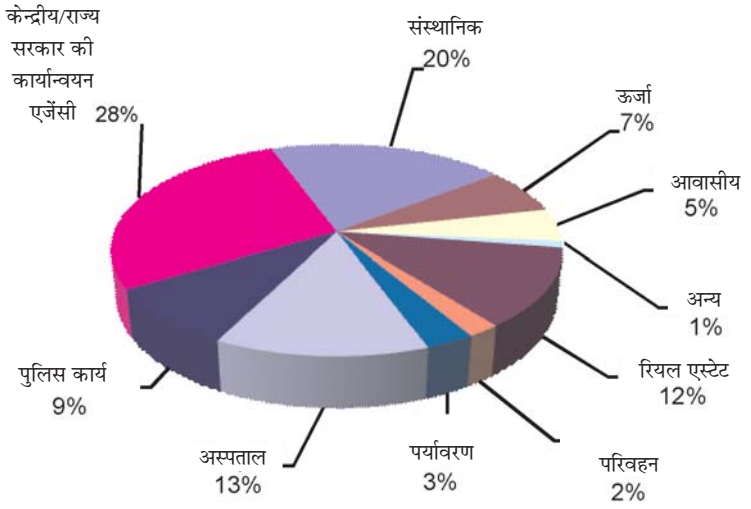

कुछेक चल रही बड़ी परियोजनाएं

15.23 एनबीसीसी की चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं इस प्रकार से हैं:—

(i) ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कार्य, मंडी (हिमाचल प्रदेश)

एनबीसीसी द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पातल तथा संबद्ध अवसंरचना सहित निर्माण कार्य परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता आधार पर किया गया है, आंतरिक कार्य तथा चिकित्सा उपकरण एवं सेवाओं सहित परियोजना की स्वीकृति लागत 730.00 करोड़ रुपये है। लगभग 31.70 एकड़ कवर्ड क्षेत्रफल वाला यह परिसर हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में स्थित है। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा इसकी दूरी 200 कि.मी. तथा कुल्लू से 71 कि.मी. है तथा नजदीकी विमान तल भुंटर-कुल्लू है। इस कैम्पस में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है जिसमें 500 छात्रों वाला चिकित्सा महाविद्यालय, 120 छात्रों वाला नर्सिंग कालेज, छात्रों इंटर्न चिकित्सकों, नर्सों एवं स्टाफ के लिए संबद्ध सेवाओं से युक्त स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र तथा बीमित व्यक्तियों विशेषकर बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। निर्माण कार्य जारी है तथा मार्च, 2013 में इसके पूरा होने की संभावना है।

(ii) 220 मीटर ऊंची ट्विन स्टील फ्लू चिमनी एवं चिमनी एलीवेटर, हरदुआगंज (उत्तर प्रदेश)

एनबीसीसी द्वारा मेसर्स यूपीआरवीएनयूएल के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) टर्नकी संविदा आधार पर 220 मीटर ऊंची ट्विन स्टील फ्लू चिमनी की बुनियाद एवं स्टेक एलीवेटर का इंस्टॉलेशन तथा कमीशनिंग, एविएशन लाइटिंग प्रणाली के साथ विद्युत कार्यों को लिया गया है जिसकी लागत 32.96 करोड़ रुपये है। टावर तथा स्टील मल्टी फ्लू लाइनर की ऊंचाई भूतल से 220 मीटर है। आरसीसी शेल का निर्माण इंटरफॉर्म प्रोद्योगिकी का उपयोग करके किया गया है। कोल्ड ज्वाइंट से बचने के लिए चौबीसो घंटे बिना रूके कंक्रीटिंग बिछाई गई है। कंक्रीट बिछाने/आवश्यकता के अनुसार वर्किंग प्लेटफार्म के साथ शटरिंग को हाइड्रॉलिक जैकों के द्वारा उठाया गया है।

जैकों, डाइफॉर्म रस्सियों इत्यादि का उपयोग करके चिमनी के ऊपरी हिस्से में उठाने का प्रबंध करके स्ट्रक्चरल स्टील फ्लू कैन्स को सही स्थिति में खड़ा किया गया है। कंस्ट्रक्शन मैथोडोलॉजी कार्य अनुभवी तकनीकी एवं अभियंताओं द्वारा किया गया है।

(iii) प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली

एनबीसीसी द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता आधार पर 91 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाला प्रवासी भारतीय केन्द्र निर्माण का कार्य लिया गया है। यह डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली से लगी हुई 9800 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली भूमि पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के लिए निष्पादित की जा रही है।

यह केन्द्र एक ऊर्जा दक्ष हरित भवन होगा जोकि ग्लोबल सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्रों में फैले भारतीयों के योगदान को याद करने और उन्हें सराहने का केन्द्र होगा। समय के साथ यह विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ और उनके बीच सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विषयों पर विचार-विमर्श का प्रमुख केन्द्र बन जाएगा। यह केन्द्र अनुसंधान एवं प्रलेख केन्द्र तथा स्थायी प्रदर्शनी की तरह भी कार्य करेगा। निर्माण कार्य जारी है तथा इसके अप्रैल, 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

पूरी हो चुकी परियोजनाएं:—

15.24 निम्नलिखित परियोजनाएं विगत कुछ वर्षों में पूर्ण की गई:—

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), चेन्नई

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आतंक से निपटने के लिए मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत वाले क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिष्ठित कार्य को एनबीसीसी को सौंपा गया है। केन्द्रों को प्रचालन में लाने के लिए एनबीसीसी द्वारा प्री-फैब्रीकेटेड भवन वाली फेज-1 संरचना को 90 दिनों की रिकार्ड अवधि में पूर्ण कर लिया है। मूलभूत सुविधाओं सहित प्री. फैब्रीकेटेड संरचनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। हैदराबाद एवं चैन्नई स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा क्रमश: 5 तथा 17 दिसंबर, 2011 को किया गया तथा कोलकाता एवं मुम्बई का उद्घाटन किया जाना शेष है।

(ii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स, मानेसर

इडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स का निर्माण एक विश्वस्तरीय संस्थान के रूप में किया गया है। कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा इस विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना सामर्थ्य निर्माण एवं निगमित नियमन एवं अभिशासन संबंधी मामलों जैसे निगमित एवं प्रतिस्पर्धी लॉ, लेखा एवं लेखा परीक्षा मामले, अनुपालन प्रबंधन, पर्यावरण हितैषी एवं सामाजिक दायित्व के साथ कारोबारी दूर-दृष्टि एवं ई-अभिशासन तथा एन्फोर्समेंट इत्यादि विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। एनबीसीसी द्वारा इस संस्थान को 145 करोड़ रुपये की लागत के साथ 18 महीनों की रिकार्ड अवधि में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

इस परिसर में शैक्षिक भवन, छात्रावास, रिहायशी आवास एवं रिट्रीट हाउस हैं। आईएमटी मानेसर से लगभग 1.5 मि.मी. की दूरी पर स्थित यह सम्पूर्ण परिसर लगभग 14 एकड़ भूमि में फैला हुआ है तथा एनएच-8 से जुड़ा है। इस परिसर की संरचना हरित भवन के रूप में पर्यावरण हितैषी तरीके से की गई है तथा यह आईजीबीसी हैदराबाद में हरित प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत है। एनबीसीसी के लिए यह पहला प्रमाणित हरित भवन होगा। भवन पूर्णरूप से केन्द्रीयकृत वातानुकूलित है तथा आईटी एवं ऑडियो-विडियो सुविधाओं, प्रेस कॉफ्रेंस सुविधाओं से युक्त है। परिसर के भीतर 300 दर्शकों की क्षमता वाला प्रेक्षागृह तथा कैफेटेरिया भी है। 300 केडब्ल्यूपी क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री कार्पोरेट अफेयर्स, श्री वीरप्पा मोइली ने संस्थान भ्रमण के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए कि ''यह विश्वस्तरीय उत्कृष्ट भवन है तथा इस संस्थान का निर्माण करके एनबीसीसी ने सर्वोत्तम कार्य किया है। मैं इस कार्य को कराने वाले एनबीसीसी के सभी अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस सुंदर कार्य को करने में अपनी श्रेष्ठ कार्य क्षमता दिखाई है।''

(iii) नवीन सीबीआई मुख्यालय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में नवीन सीबीआई मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया गया, इस भवन का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। 186.10 करोड़ रुपये की लागत वाला यह लैण्डमार्क गुणवत्ता एवं सौंदर्य का उत्कृष्ट नमूना है जिसे एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया है तथा यह निर्माण के क्षेत्र में एनबीसीसी

की उच्च सामर्थ्य का प्रतीक भी है। 14 मंजिला इस भवन में 12 मंजिलों का कुल बिल्ट-अप क्षेत्रफल 57320 वर्गमीटर है 14000 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले 2 भूमिगत तलों का निर्माण 7025 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर किया गया है। इस विशाल अत्याधुनिक अनुपम भवन में मुख्य रूप से ऊर्जा दक्ष, हरित भवन संकल्पना रिफ्लेक्टिव एवं मजबूत शीशों से बना है जिसमें सीबीआई की विशेष आवश्यकताओं सहित सभी आधुनिक कार्यालय सुविधाएं मौजूद हैं। सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित यह लैण्डमार्क भवन केन्द्रीय वातानुकूलन के साथ इसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) लगा है जोकि सम्पूर्ण भवन की सुरक्षा करेगा। जल हानि को रोकने के लिए अपशिष्ट जल निपटान हेतु एसटीपी भी लगाया गया है।

(iv) ईएसआईसी अस्पताल कार्य, भिवाड़ी (राजस्थान)

माननीय मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लायमेंट, भारत सरकार, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2011 को भिवाड़ी राजस्थान में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया गया। एनबीसीसी द्वारा निर्मित इस कार्य में 18 स्टाफ क्वार्टर्स शामिल हैं। 51 करोड़ लागत वाले इस निर्माण के प्लॉट का क्षेत्रफल 246672 वर्गमीटर है जिसमें अस्पताल के लिए कवर्ड क्षेत्रफल 5458 वर्गमीटर तथा स्टाफ क्वार्टर्स के लिए 1202 वर्गमीटर (कुल 6660 वर्गमीटर) है। अस्पताल भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं एवं विशेषतायें प्रदान की गई हैं। स्टीम बॉयलर्स, सोलर हीटिंग प्रणाली, आरबोरिकल्चर, एफ्लुएंट उपचार संयंत्र एवं वर्षा जल संचय इत्यादि जैसी विशेषताओं द्वारा इस परियोजना का मूल्य संवर्धन किया गया है।

(v) नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर (एनसीडीटी), रायचूर (कर्नाटक)

मेसर्स कर्नाटक पावर कार्पोरेशन (केपीसीएल) द्वारा एनबीसीसी को रायचूर कर्नाटक में रायचूर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 8 (1X250) मेगावाट के लिए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य सौंपा गया है। कूलिंग टावर का मूल्य 26.75 करोड़ रुपये क्षमता 37500 सीयूएम/एचआर, ऊंचाई 126.50 मीटर, तल का डाया मीटर 101 थ्रोट डायामीटर 55.49 तथा टॉप डायामीटर 58.90 मीटर है।

नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) संविदा आधार पर किया गया है। कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जम्प फॉर्म प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है जोकि अनुपम प्रकृति का है। निष्पादन परीक्षण के बाद कूलिंग टावर को चालू किया गया है तथा यह प्रचालन में है।

(vi) आईआईटी, रुड़की हेतु डीपीटी परिसर में प्रौद्योगिकी भवन एवं विविध कार्यकलाप केन्द्र

आईआईटी, रुड़की के डीपीटी, सहारनपुर परिसर में प्रौद्योगिकी भवन का कार्य एनबीसीसी द्वारा लिया गया है जिसकी लागत 26.19 करोड़ रुपये है। प्रौद्योगिकी भवन का बिल्ट-अप क्षेत्रफल 8700 वर्गमीटर तथा भवन की मंजिलों की ऊंचाई (जी+7) तथा प्रत्येक फ्लोर की उंचाई 3.75 मीटर (भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर) है। 10,000 एलपीडी हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी गरम करने के तंत्र का प्रावधान है। कॉरिडोरों तथा कॉमन एरिया लाइट हेतु सोलर फोटो वोल्टिक लाइट प्रदान की गई है। भवन में, भाषण कक्ष, कक्षाएं डीन का कार्यालय, समिति कक्ष, कॉफ्रेंस कक्ष, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, ओडियो विजुअल प्रयोगशाला तथा अनुसंधान प्रयोगशाला इत्यादि शामिल हैं। रैम्पों, प्रवेश द्वार पर लिफ्ट एवं प्रत्येक तल पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शौचालय प्रदान किए गए हैं।

मल्टी एक्टिविटी केन्द्र: भवन में कैंटीन, क्लब कक्ष, संगीत कक्ष, नृत्य कक्ष, मीडिया एवं पब्लिशिंग कक्ष तथा मल्टी एक्टिविटी कक्ष है।

एनबीसीसी द्वारा आईआईटी, रुड़की हेतु विभिन्न कार्य निष्पादित किए गए हैं तथा आईआईटी रुड़की लेक्चर हॉल कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु वर्ष 2010 के लिए उत्तराखंड का उत्कृष्ट **कंक्रीट स्ट्रक्चर** पुरस्कार प्रदान किया गया है।

मानव संसाधन विकास

15.25 नियमित प्रशिक्षण तथा आंतरिक/बाह्य संकाय (फैकल्टी) व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कौशल, सक्षमता तथा ज्ञान में निरंतर सुधार पर जोर देते हुए मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। सक्षमता में खालीपन को दूर करने के अनुक्रम में निगम में बहुस्तरीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पहचानने की स्पष्ट पद्धति मौजूद है। वर्ष के दौरान ए तथा बी ग्रुप के लिए कुल 360 आंतरिक प्रशिक्षण तथा 385 बाह्य प्रशिक्षण एवं 107 सी, डी ग्रुप के लिए क्रमश: 745 और 107 श्रम दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

15.26 प्रशिक्षण जरूरतों संबंधी सूचना, कार्यात्मक प्रचालन प्रमुखों की सलाह से निष्पादन निरूपण इंस्ट्रूमेंटों से ली जाती है। प्रशिक्षण अपेक्षा विश्लेषण के आधार पर मानव संसाधन क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से प्रबंधकों को परिचित कराने के लिए आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। नैगम लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परामर्श तथा प्रतिभागिता प्रबंधन शैली को कार्यान्वित किया गया है। कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा हुआ है जिससे निगम की प्रगति में सकारात्मक योगदान मिला है। स्टाफ तथा वर्करों के सामान्य कल्याण से संबंधित मामलों पर प्रबंधन और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किए गए।

15.27 एनबीसीसी का प्रशिक्षण संस्थान, कर्मचारी विकास केन्द्र (ईडीसी) ग तथा घ केटेगरी के कामगारों को उत्पादकता, गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने तथा वर्क-साइटों पर सुरक्षा उपायों को अपनानें के उद्देश्य से प्रशिक्षण देने में लगा हुआ है। 31.12.2011 को वर्गवार मानव संसाधन कि स्थिति नीचे दर्शायी गई है:—

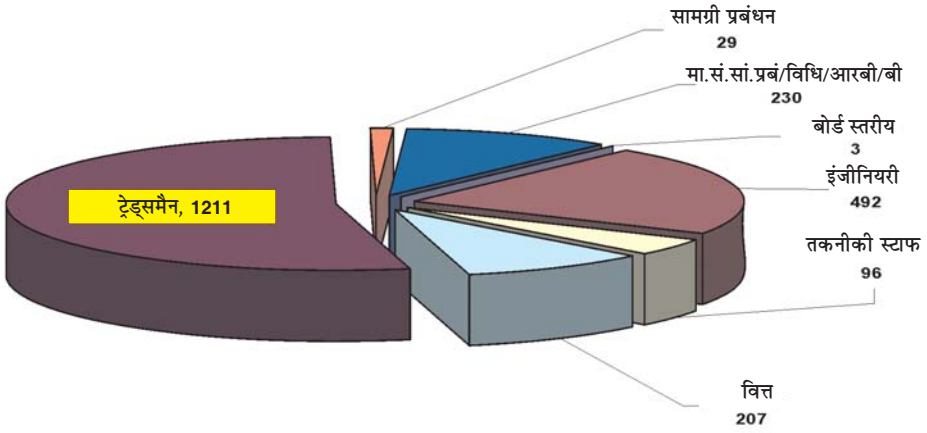

15.28 एनबीसीसी ने संविदाकारों/वेडरों के लिए ई-भुगतान सुविधा तथा रियल स्टेट क्षेत्र में ई-नीलामी सुविधा भी प्रारंभ की है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) तंत्र के माध्यम से ई-प्रशासन तंत्र भी कार्यान्वित किया गया है। एनबीसीसी वाइड एरिया नेटवर्क (डबल्यूएएन) को प्राथमिकता से स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई)

15.29 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रचालन हेतु अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। एनबीसीसी ने केन्द्रीय पब्लिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की नियुक्ति की है जिसका कार्यालय नैगम मुख्यालय में है। निगम के फील्ड आपरेशन रीजनल बिजनेस ग्रुपों के प्रमुखों (आरबीजी)/स्ट्रेटेजिक बिजनेस ग्रुपों के प्रमुखों (एसबीजी) में किए जाते हैं। प्रत्येक आरबीजी/एसबीजी अपने संबंधित ग्रुप के पब्लिक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिनियम की धारा की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई हैं। निर्धारित तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों को समय से भेजी जाती है।

15.30 अब तक संविदा/कार्य संबंधी मामलों एवं वैयक्तिक मामलों पर प्राथमिक रूप से 1065 आरटीआई आवेदन निगम को प्राप्त हुए हैं। कुछ विशेष मामलों में आवेदकों द्वारा सीआईसी को द्वितीय अपील की गई है। जिसका सफलतापूर्वक सामना किया है तथा न कोई दंड और न कोई जांच किए जाने का कोई मामला नहीं बना है। आरटीआई, लोक प्राधिकारियों से सृजानात्मक सूचना प्राप्त करने की एक प्रभावशाली प्रक्रिया साबित हुई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्य

15.31 निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यकारी निदेशक (मा.संसा.प्रबं.) श्री एस.के.गंभीर के नियंत्रण में एक विशेष कक्ष कार्य कर रहा है। जिन्हें अनु.जा./अनु.ज.जाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा श्री ए.के.सिंह, कम्पनी सचिव/वरिष्ठ महाप्रबंधक को अन्य पिछड़ा वर्ग का सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कक्ष सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के

अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इन कर्मचारियों की शिकायतों को तत्परता से दूर किया जाता है। निगम मुख्यालय में रोस्टर रखे गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी नामित किए गए हैं। शारीरिक विकलांग (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सह-भागिता) अधिनियम, 1995 के तहत, आरक्षण, रियायत, छूट तथा लाभों के संबंध में सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों का पालन किया जाता है।

15.32 निगम में रीजनल बिजनेस ग्रुप (आरबीजी) के हैड, कार्यकारी निदेशक/मुख्य/वरिष्ठ/महाप्रबंधक हैं तथा स्ट्रेटेजिक बिजनस ग्रुप (एसबीजी) के नियंत्रण में सभी जोन इंचार्ज अपने संबंधित ग्रुप के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ऊर्जा परिरक्षण

15.33 हालांकि, एनबीसीसी सेवा के क्षेत्र में जुटा है अत: ऊर्जा के क्षेत्र में परिरक्षण की बहुत कम गुजांइश है। फिर भी, यहां उन तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जाता है ताकि ऊर्जा का परिरक्षण हो, जैसे भवनों में सौर ऊर्जा साधनों का इस्तेमाल करना। कार्य स्थल पर कम ऊर्जा उपयोग करने वाली लाइट को लगाने एवं प्राकृतिक प्रकाश के अत्यधिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। एनबीसीसी द्वारा निष्पादित चलित भाग रहित ट्रीटमेंट संयंत्रों में यूएएस बी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विद्युत के परिरक्षण में काफी हद तक मदद मिली है।

नैगम अभिशासन

15.34 एक अच्छे अभिशासन के लिए निगम में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा उचित प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग करने पर अधिक बल दिया जा रहा है जिससे विधि, विनियम तथा दिशा-निर्देशों का सुनिश्चय होता है। उद्देश्य यह है कि एक जिम्मेदार नैगम नागरिक के रूप में स्टेकहोल्डरों को महत्व दिया जाए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है। परियोजना प्रभारियों तथा निगम में अन्य अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्क्स मैनुअल में किए गए प्रावधानों का अनुपालन करें। संगठन में परिवर्तन को देखते हुए शक्तियों का प्रत्यायोजना समय-समय पर समुचित रूप से परिवर्धित किया जाता है। परियोजना स्थल पर सुचारू कार्य निष्पादन हेतु सतर्कता प्रभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

15.35 लोक उद्यम विभाग द्वारा नैगम अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए एनबीसीसी गंभीर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2012-2013 के लिए भारत सरकार के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में पैरामीटर दिए गए हैं तथा संगठन में नैगम अभिशासन के अनुपालन के निर्णय को विशेष वेटेज दिया गया है। एनबीसीसी द्वारा निगम के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के तिमाही रिटर्न निर्धारित प्रपत्र में समय से जमा किए जाते हैं।

15.36 निदेशक मंडल ने बेहतर नैगम अभिशासन हेतु निदेशक मंडल के सदस्यों एव वरिष्ठ एग्जीक्यूटिवों के लिए 'जोखिम प्रबंधन नीति' तथा 'आचार संहिता एवं बिजनिस एथिक्स' को अनुमोदित किया है। निगम के बोर्ड स्तरीय एग्जीक्यूटिवों को, बोर्ड के व्यवसायिक कौशलों के विकास के लिए, प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित भी किया जाता है।

गुणवत्ता नीति

15.37 ग्राहकों की निर्धारित जरूरतों को व्यापकता के साथ पूरा करके तथा अंतर्निहित तत्वों को अग्र सक्रियता से ग्राहक संतुष्टि के उच्च स्तर को बनाए रखने के क्रम में परियोजना प्रबंधन तथा इंजीनियरी परामर्श सेवाओं में गुणवत्ता मानकों को ऊँचा करना तथा उन्हें बनाए रखना है। गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना निर्धारित समय एवं लागत पर परियोजनाओं को पूरा करके अपनी अग्रणी (लीडरशिप) स्थिति को बनाए रखना तथा अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ-साथ निगम के लिए भी वास्तव में विश्वसनीय परियोजना निष्पादन में अग्रणी बनना। आई एस ओ 9001-2000 अधिकृत संगठन होने के नाते, गुणवत्ता बनाने की धुन तथा गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति की प्रभावशालिता में लगातार सुधार करने की प्रतिबद्धता को बनाए रखना।

ग्राहक सन्तुष्टि

15.38 एनबीसीसी की यह प्राथमिकता है कि गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखकर निर्धारित समय तथा लागत के अंदर परियोजनाओं का निष्पादन कर अपने ग्राहकों के बीच अपने महत्व को बढ़ाया जाए। प्रत्येक परियोजना में एक विशेष ग्राहक प्रतिपुष्टि फार्मेट भरवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक ग्राहक संगठनों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों/विभागों ने एनबीसीसी को दुबारा कार्य आदेश देकर हममें अपना विश्वास प्रकट किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

15.39 एनबीसीसी एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाता है और ग्लोबल काम्पेक्ट सोसाइटी का सदस्य भी है। इस मामले में एनबीसीसी द्वारा किए गए प्रयासों को स्कोप द्वारा मान्यता दी गई है तथा एनबीसीसी ने वर्ष 2007-2008 का **''कार्पोरेट सोशियल रेस्पोंसिबिलिटी एंड रेस्पोंसिवनेस अवार्ड ''** प्राप्त किया है।

15.40 आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दीर्घीकृत से प्रचालन के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व, एनबीसीसी की प्रतिबद्धता है, इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। एनबीसीसी ने दीर्घावधि, मध्यम अवधि तथा लधु अवधि योजना वाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार की है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में एनबीसीसी द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रिया-कलाप करने की आयोजना की गई है:—

क. घिटोरनी, दिल्ली में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधन कौशल निर्माण एवं बिल्डिंग प्रशिक्षण सह निर्माण केन्द्र अधिग्रहण/स्थापन में सहयोग:

ख. ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों (तमिलनाडु एवं त्रिपुरा) के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के अधिग्रहण/स्थापना में सहयोग;

ग. ग्रामीण विद्यालयों की प्रतिभावान छात्राओं के लिए मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100% वित्तीय सहायता);

घ. वांकानेर, राजकोट में विद्यालय का मरम्मत कार्य तथा विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण;

ङ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन;

च. सिक्किम राज्य में भूकम्प प्रभावित लोगों के लिए आवास निर्माण करके उनका पुनर्वास;

छ. नि:शक्त लोगों के लिए मोटराइज्ड वाहन वितरण के लिए राजीव गाँधी फाउंडेशन को वित्तीय सहायता तथा

ज. खायरपुर, वेस्ट त्रिपुरा में गीताबतन नाम से सांस्कृतिक केन्द्र को पूर्ण करने हेतु वित्तीय सहायता।

15.41 एनबीसीसी दूरदराज के क्षेत्रों में भी काम कर रहा है जहाँ स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए अन्य निर्माण एजेंसियां साहस नहीं करती हैं। आपदा की स्थिति में, जरूरतमंदों को पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनबीसीसी देश के किसी भी प्रभावित भाग में जाने को तत्पर रहता है।

सतर्कता गतिविधियां

15.42 निगम कार्यालय में सतर्कता प्रभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी की देख-रेख में कार्य करता है। निगम के सतर्कता प्रभाग में, कर्मचारियों, जनता के प्रतिनिधि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, ग्राहकों तथा शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त शिकायतों की जाँच की जाती है। प्राप्त शिकायतों की जाँच के पश्चात् जहाँ कमियाँ/अनियमितताएँ पाई जाती हैं, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से निगम में नीचे लिखे अनुसार चार तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं जोकि भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलाप की वार्षिक योजना में भी शामिल की गई हैं:

- निवारक सतर्कता।
- खोजी सतर्कता तथा निगरानी।
- दंडात्मक सतर्कता।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आई टी नव प्रवर्तनों का उपयोग।

(i) निवारक सतर्कता

15.43 सतर्कता प्रभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य क्षेत्र के लोगों अथवा एजेंसियों जैसे वित्तीय लेखा परीक्षा तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक-सीवीसी (सीटीई) के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समय-समय पर संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है।

(ii) खोजी सतर्कता

15.44 जनता के प्रतिनिधियों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों, निरीक्षणों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर घटिया स्तर के कार्य तथा कदाचार की गहराई से जाँच की जाती है तथा इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाये जाते हैं।

(iii) दंडात्मक सतर्कता

15.45 केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं/अथवा सतर्कता प्रभाग द्वारा अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जहाँ कहीं कदाचार अथवा भ्रष्ट आचरण पाया जाता है ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तथा दण्ड दिया जाता है।

(iv) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आई टी नव प्रर्वतनों का उपयोग

15.46 पारदर्शिता तथा प्रभावी सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों को सक्रिय रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। मुख्य प्रणोदी क्षेत्र के विभिन्न क्रिया-कलाप जैसे वेतन बनाने, बिल तैयार करने में उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) को कार्यान्वित किया गया है। डीपीई दिशा-निर्देश के अनुसार, लघु अवधि अस्थायी अतिरिक्त निधि में निवेश अपनाकर ई-इन्वेस्टमेन्ट प्रणाली को लागू किया है। एनबीसीसी ने केन्द्रीयकृत डाक प्राप्ति डेस्क संकल्पना को अपनाकर बिल वाच सिस्टम और भुगतान प्रणाली को अपनाना शुरू किया है। पी॰ क्यू॰/ई ओ आई आमंत्रण हेतु, वेडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को वेबसाइट पर डाला गया है। सभी निविदाएं वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं तथा अधिक पारदर्शिता हेतु निविदा के पश्चविवरण भी वेवसाइट पर डाले जाते हैं।

15.47 सतर्कता प्रभाग में तंत्र सुधार शुरू किया गया है जिससे प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र तथा शिकायतों की प्रभावी रूप से निगरानी के लिए शिकायतों का डाटाबेस रखा जा रहा है। ताकि उनके लंबित होने में कमी की जा सके। हमारी एनबीसीसी की वेबसाइट पर सतर्कता खंड में परिवर्तन किए गए हैं। सीवीसी के परिपत्रों को सीधे देखा जा सकता है तथा इसमें सतर्कता समाचार का उप खंड जोड़ा गया है।

(v) सतर्कता जागरूकता अवधि

15.48 निगम में 31 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाने के साथ सतर्कता जागरूकता का प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने श्री अरविन्द कुमार का हार्दिक स्वागत किया जिन्होंने कुछ दिन पहले ही निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने अपने प्रथम संबोधन में बेहतर फाइलिंग प्रणाली तथा रिकॉर्ड कीपिंग के महत्व पर जोर दिया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में निवारक सतर्कता उपायों तथा पारदर्शिता उत्तरदायित्व तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखने पर बल दिया। इस अवसर पर सतर्कता जागरूकता संबंधी पोस्टर जारी किए गए। सप्ताह के दौरान विभिन्न सतर्कता मामलों पर प्रस्तुतीकरण भी दिए गए।

15.49 इसके अलावा सभी डिसिप्लिन जैसे इंजीनियरी, विधि, सिस्टम, एचआरएम आदि के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इन सभी क्रिया-कलापों का उद्देश्य निगम के कर्मचारियों में निवारक सतर्कता पर जोर देना था।

(vi) सत्यनिष्ठा समझौता

15.50 सत्यनिष्ठा समझौता को निगम में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौता तथा अन्य संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा वर्क्स मैनुअल और संविदा की सामान्य शर्तें तैयार की गई है। श्री एम॰ के॰ सरदाना तथा श्री एस॰ बी॰ घोष दस्तीदार नाम के दो स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक, आयोग की अनुमति के नियुक्त किए गए हैं। 50 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक की सभी निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौता की परिधि में आती हैं। इसके कार्यान्वयन तथा स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा तथा निगम में नियमित बैठकों के आयोजन के लिए नोडल अफसर नामित किए गए हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना

15.51 निगम राजभाषा नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रहा है। कर्मचारियों को अपना दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन योजनाएं जैसे नोटिंग/ड्राफ्टिग प्रोत्साहन, योजना, हिंदी डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना, आशुलिपिकों तथा टंककों को हिंदी में कार्य करने पर हिंदी प्रोत्साहन भत्ता आदि निगम में लागू की गई हैं तथा कर्मचारी इनमें भाग ले रहे हैं। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। निगम में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

15.52 इसे वर्ष 1 से 30 सितम्बर, 2011 को **''हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास''** के रूप में मनाया गया। हिंदी मास के दौरान अनेक गतिविधियाँ तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें निगम के अनेक कर्मचारियों ने सक्रियता से भाग लिया। सितम्बर, 2011 मास में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। निगम मुख्यालय के हिन्दी कक्ष द्वारा मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों तथा निगम के विभिन्न आरबीजी/एसबीजी/जोनल कार्यालयों में दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग की जांच करने के लिए राजभाषायी निरीक्षण किए गये। महाप्रबंधकों के तिमाही सम्मेलन में भी राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

अनुलग्नक-15.1

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार जेएनएनयूआरएम के तहत एनबीसीसी द्वारा निष्पादित परियोजनाएं

(रुपये लाख में)

क्र सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
त्रिपुरा					
1.	कुंजबन, अगरतला में 256 डीयूएस का निर्माण कार्य	1,673.00	31.12.2009	1606.77	पूर्ण
2.	बैलोनिया में सड़क सुधार एवं एसडब्ल्यूडी का कार्य	2471.00 (डब्ल्यू/ओ भूमि का मूल्य)	31.03.12	1880	76%
3.	अगरतला में वाटर सप्लाई कार्य फेज-1	7,826,00	31.10.2012	1543.5	20%
4.	कैलासहर में सड़क सुधार एवं एसडब्ल्यूडी का कार्य	1,511.00	06.05.2012	574.05	35%
5.	कमलपुर में सड़क सुधार एवं एसडब्ल्यूडी का कार्य	777.00	05.05.2012	409.12	53%
6.	रनीर बाजार में नाली कार्य	1,217.00	31.03.2012	805.00	66%
7.	अगरतला में मल-निकास योजना	10,221.00	26.01.2013	2074.22	21%
मेघालय					
1.	तूरा शहर, जिला-वेस्ट गारो हिल्स के लिए एकीकृत आवास तथा मलिन बस्ती विकास परियोजना	2,182.00	31.03.2012	253	12%
2.	तूरा शहर, जिला-वेस्ट गारो हिल्स के लिए एकीकृत आवास तथा मलिन बस्ती विकास परियोजना	1,035.00	15.06.2011	110	11%
जम्मू तथा कश्मीर					
क	जम्मू में बृहत मल-निकास योजना				
1.	27 एमएलडी क्षमता वाला मल-शोधन संयंत्र	1,215.00	31.03.2012	1015.06	83%
2.	30 किमी ट्रंक लाइन	1,849.96	31.12.2012	796.77	43%
3.	सेक्टर-1 में 90 किमी, लेटरल्स तथा राइडर मेन्स	8006.14	31.12.2012	209.1	
	सेक्टर-2		31.12.2012	66.00	
	सेक्टर-3		31.03.2012	481.73	
	सेक्टर-4		31.03.2012	130.00	
	कुल			886.83	11%
4.	30,400 आवास कनेक्शन	1,475.51	कार्य दिया जाना है।	--	0%

(रुपये लाख में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
ख	**श्रीनगर में बृहत मल-निकास योजना**				
1.	60 एमएलडी क्षमता वाला मल-शोधन संयंत्र	2,880.00	31,12,2012	1383.75	48%
2.	36.60 किमी ट्रंक लाइन	3,424.22	31.12.2012	2027	59%
3.	सेक्टर-1 में लेटरल्स तथा राइडर मेन्स (39 किमी)	1,820.00	31.03.2012	903	49%
	सेक्टर-2 (22.6 किमी)	708.80	31.03.2011	637.7	90%
	सेक्टर-3 (35 किमी)	1,743.79	31.03.2012	954	54%
4.	48220 आवास कनेक्शन	2,328.70	कार्य दिया जाना है।	–	0%
	हरियाणा				
1.	1968 आवास इकाइयों का निर्माण डबुआ कालोनी, फरीदाबाद	3,896.12	31.03.2012	3770	97%
2.	1280 आवास इकाइयों का निर्माण बापूनगर, फरीदाबाद	2,527.56	31.03.2011	1948	पूर्ण
3.	ओल्ड फरीदाबाद में मल-निकास तंत्र बिछाना तथा नवीकरण कार्य	10,383.00	31.03.2012	9570	92%
4.	ओल्ड फरीदाबाद में नाली तंत्र बिछाना	3,064.00	31.07.2012	1,475.00	48%
5.	फरीदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन	7,654.00	31.07.2012	5015	65%
6.	फरीदाबाद में जल-आपूर्ति संवर्धन कार्य	49,348.00	31.12.2012	1890.00	38%
7.	एसडब्ल्यूएम, रोहतक	1988.00	31.12.2012	438.00	22%
8.	एसडब्ल्यूएम, करनाल तथा इंदरी	1658.00	31.12.2012	1244.00	75%
9.	एसडब्ल्यूएम, यमुनानगर तथा जगाधरी	1874.00	31.12.2012	1030.00	55%

अनुलग्नक-15.II

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एनबीसीसी को दिए गए कार्य

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक/ संभावित तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
क.	**वर्ष 2001-2002 में दिए गए कार्य**				
	मिजोरम				
1.	आईजोल, मिजोरम में राज्य सरकार कर्मचारी हाउसिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण	1,496.15	03.07.04	1,448.65	पूर्ण
2.	आईजोल में ऑल इण्डिया सर्विस ऑफिसर्स ट्रांजिट आवास का निर्माण	186.00	25.12.03	178.46	पूर्ण

(रुपये लाख में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
	मेघालय				
3.	पुलिस बाजार, शिलॉग में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	1,086.00	–	5.77	राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण वापस सौंप दिया गया।
4.	पुलिस बाजार, शिलॉग में पार्किंग सह शॉपिंग कॉम्प्लैक्स का निर्माण	753.05	30.09.03	677.51	पूर्ण
	त्रिपुरा				
5.	अगरतला में सिटी रोड का सुधार	1,305.61	25.10.04	1,247.28	पूर्ण
6.	अगरतला ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, अगरतला	1,311.37	31.05.04	1,246.55	पूर्ण
7.	अगरतला सिटी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	761.82	30.04.04	731.94	पूर्ण
	अरुणाचल प्रदेश				
8.	ईटानगर, हेलीपैड क्षेत्र पर आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन निर्माण कार्य	1,421.56	30.11.04	1,245.00	पूर्ण
9.	ईटानगर में हाऊसिंग कॉम्प्लैक्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य	1,492.93	30.04.07	1,448.93	पूर्ण
	सिक्किम				
10.	लाल बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विकास गंगटोक (फेस-I)	1,447.22	24.05.04	1,439.68	पूर्ण
11.	लाल बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विकास गंगटोक (फेस-II)	154.08	24.05.04	147.04	पूर्ण
	कुल (क)	**11,415.79**		**9,816.81**	
ख.	**वर्ष 2002-2003 में दिए गए कार्य**				
	मेघालय				
1.	बड़ा बाजार, शिलॉग में भारी वाहनों के लिए पार्किंग लॉट का निर्माण	1,195.00	31.12.04	1,165.69	पूर्ण
	असम				
2.	गुवाहाटी, असम के नगर निगम के रोड/बाय लेनों का एकीकृत विकास	2,426.54	30.12.04	2,333.26	पूर्ण
3.	नूनमती क्षेत्र, गुवाहाटी के लिए स्टोर्म जल निपटान योजना	2,468.59	31.01.06	2,442.74	पूर्ण
	मिजोरम				
4.	सिटी सेन्टर का निर्माण, आईजोल	1,236.90	31.07.09	1,166.33	पूर्ण
	मणिपुर				
5.	इम्फाल, फ्लाईओवर का निर्माण	2,492.95	12.01.07	2,272.84	पूर्ण
	नागालैण्ड				
6.	दीमापुर के लिए स्टोर्म जल ड्रेनेज योजना	2,094.25	31.03.05	1,904.07	पूर्ण
	कुल (ख)	**11,914.23**	**11,284.93**		

(रुपये लाख में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
ग.	**वर्ष 2003-2004 में दिए गए कार्य**				
	मिजोरम				
1.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण, आईजोल	890.77	30.06.06	880.48	पूर्ण
2.	बस टर्मिनल का निर्माण, आईजोल	1,836.55	28.2.07	1,784.78	पूर्ण
	मणिपुर				
3.	100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण, थोबल, मणिपुर	2,479.58	30.06.10	2,400.66	पूर्ण
4.	थोबल नदी पर रिटेनिंग दीवा निर्माण, मणिपुर	290.43	30.09.09	279.62	पूर्ण
	असम				
5.	स्टोर्म जल ड्रेनेज, सिलापत्थर धिमाजी	2,238.31	21.11.09	367.55	कार्य बंद कर दिया गया तथा राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया।
	त्रिपुरा				
6.	कालापानिया खाल के बाकी भाग का निर्माण	1,095.70	31.12.10	1,087.30	पूर्ण
7.	अखुरा ड्रेन की कवरिंग, सेन्ट्रल जोन, अगरतला सिटी	509.85	28.02.06	507.63	पूर्ण
	कुल (ग)	**9,341.39**		**7,308.02**	
घ.	**वर्ष 2004-2005 में दिए गए कार्य**				
	मणिपुर				
1.	शापिंग सेन्टर ब्लॉक-ए का निर्माण, थोबल, मणिपुर	2,214.90		3.03	मुख्यमंत्री के अनुरोध पर परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित।
2.	शापिंग सेन्टर ब्लॉक-बी का निर्माण, थोबल, मणिपुर	1,217.62		0.66	मुख्यमंत्री के अनुरोध पर परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित।
3.	सामुदायिक शौचालय परिसर	176.75		0.00	मुख्यमंत्री के अनुरोध पर परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित।
4.	एल ई डी आधारित ट्रैफिक सिग्नल	193.75		0.83	मुख्यमंत्री के अनुरोध पर परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित।
	नागालैंड				
5.	सुपर मार्केट परिसर का पुनर्निर्माण, कोहिमा, नागालैण्ड	885.50		3.59	राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें परियोजना हस्तांतरित करने के लिए दिनांक 26.10.10 को एसएफसी आयोजित की गई। हस्तांतरण की औपचारिकताएं चल रही हैं।

(रुपये लाख में)

क्र सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक/ संभावित तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
सिक्किम					
6.	पार्किंग सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, बलवाखानी, सिक्किम	1,489.00	30.04.07	1,433.96	पूर्ण
7.	वाइट हॉल से रानीपूल गंगटोक तक एनएच 31 ए के बाजू में पैदलपथ का निर्माण	1,248.41	31.03.07	1,211.58	पूर्ण
मेघालय					
8.	विद्युत शवदाह गृह निर्माण, शिलांग	409.00	31.08.06	380.49	पूर्ण
9.	अंजली सिनेमा, शिलांग के सामने बस/एल एम वी पार्किंग सह मार्किट परिसर का निर्माण	1,220.00	30.04.07	1,192.18	पूर्ण
त्रिपुरा					
10.	अगरतला सिटी रोड, फेज-II का सुधार कार्य	2,317.07	30.04.07	2,212.56	पूर्ण
11.	सिटी सेन्टर का निर्माण, अगरतला	2,126.91	30.06.08	2,126.91	पूर्ण
	कुल (घ)	**13,500.91**		**8,565.79**	
ङ	**वर्ष 2005-2006 में दिए गए कार्य**				
असम					
1.	**गुवाहाटी फेज**-II (भाग-I) की लेन एवं बाईलेनों का सुधार कार्य	2,416.45	30.06.09		पूर्ण
	मिजोरम				
2.	ट्रक टर्मिनस का निर्माण, आईजोल	2,403.27	30.06.08		पूर्ण
3.	सड़क सुधार कार्य, आईजोल	2,399.09	28.02.09		पूर्ण
4.	सरकारी आवास फेज-II, आईजोल	2,111.50	30.04.10		पूर्ण
	अरूणाचल प्रदेश				
5.	मॉडल जिला मुख्यालय का विकास कार्य, यूपिया	2,431.73	30.11.07		पूर्ण
	मणिपुर				
6.	सिटी कन्वेंशन सेंटर, इम्फाल, मणिपुर	2,348.01			परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित।
	त्रिपुरा				
7.	सुपर मार्केट परिसर, लिचुबागान, अगरतला	1,387.18	30.04.10		पूर्ण
8.	राधानगर बस स्टेशन, अगरतला	1,071.22	31.08.09		पूर्ण
	मेघालय				
9.	बस/एल एम वी पार्किंग सह मार्किट परिसर, मावलौंग हाट, शिलांग, मेघालय	1,011.62	15.03.09		पूर्ण
	सिक्किम				
10.	खेल परिसर, गंगटोक	2,278.83	31.03.11		पूर्ण
	कुल (ङ)	**19,858.90**			
च	वर्ष 2006-2007 में दिए गए कार्य				
	त्रिपुरा				
1.	मर्किट परिसर कुमारघाट, त्रिपुरा	946.23	30.11.08	805.96	पूर्ण

(रुपये लाख में)

क्र सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
2.	सुपर मार्किट तेलियामुरा वेस्ट त्रिपुरा	701.85	30.06.08	623.99	पूर्ण
	असम				
3.	स्टोर्म वॉटर ड्रेनेज, सिल्चर फेस-I, असम	1,700.70	21.11.09	329.34	कार्य बंद कर दिया गया तथा राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया।
	सिक्किम				
4.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सह शॉपिंग प्लाजा, नामची, सिक्किम	2,313.54	31.10.09	1,949.65	पूर्ण
5.	जिला पुस्तकालय सह संग्रहालय, नामची, सिक्किम	1,449.05	31.03.09	1,253.72	पूर्ण
6.	पार्किंग प्लाजा सह सहयोगी, सुविधा, जोरथांग, सिक्किम	2,358.90	31.07.10	2,033.01	पूर्ण
	कुल (च)	**9,470.27**		**6,995.67**	
छ.	**वर्ष 2007-2008 में दिए गए कार्य**				
	मिजोरम				
1.	सिटी रोड सुधार कार्य, कोलासिब, मिजोरम	2,459.88	31.05.12	1188.92	48%
2.	चम्फाई शहर, मिजोरम हेतु विकास योजना	2,362.52	29.12.12	1789.48	76%
	मेघालय				
3.	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम-पार्किंग, नोंगपाह	1,956.31	30.06.11	1,590.50	पूर्ण
	त्रिपुरा				
4.	सुपर मार्किट एवं आफिस कॉम्प्लेक्स, अमरपुर	1,375.04	30.06.12	799.77	58%
5.	टाउन हॉल, अमरपुर	1,878.00	31.03.12	1502.80	80%
6.	बस टर्मिनल एवं शॉपिंग सेंटर कम-मैरिज हॉल, कमालपुर	2,168.00	11.02.13	1644.09	76%
7.	टाउन हॉल, धरमनगर	1,604.00	31.03.12	1330.00	83%
	असम				
8.	बाईलेनों का विकास, गुवाहाटी (फेज-II, पार्ट-2)	2,470.66		8.20	परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित की गई।
	अरुणाचल प्रदेश				
9.	संरचना विकास कार्य, कोलोरियांग टाउन	2,414.00	29.08.12	306.70	13%
	सिक्किम				
10.	पार्किंग प्लाजा के साथ अन्य सह-सुविधाएं, रावंगल, सिक्किम	1,916.00	31.12.11	1651.57	86%
	कुल (छ)	**20,604.41**		**11,811.33**	
ज.	**वर्ष 2008-2009 में दिए गए कार्य**				
	मेघालय				
1.	तुरा, मेघालय में रिकमान होटल के सामने के छोर तथा बाजू में पार्किंग लॉट का निर्माण कार्य	1,884.81	30.09.12	252.00	13%

(रुपये लाख में)

क्र सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	प्राप्त संचयी टर्नओवर	पूर्णता का %
	त्रिपुरा				
2.	त्रिपुरा में समेकित सब-रूम टाउन का विकास कार्य	2,279.42	26.03.13	1176.77	52%
	मिजोरम				
3.	सरचिप, मिजोरम में ऑडिटोरियम एवं स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का कार्य	3,651.23	04.08.13	818.80	22%
	सिक्किम				
4.	मगन, नार्थ सिक्किम में बहु-स्तरीय कार पार्किंग एवं सम्बद्ध सुविधाओं का निर्माण कार्य	3,192.16	23.01.13	1749.17	55%
	कुल (ज)	**11,007.62**		**3,996.74**	
झ.	**वर्ष 2009-2010 में दिए गए कार्य**				
	त्रिपुरा				
1.	उदयपुर, दक्षिणी त्रिपुरा में टाउन हॉल का कार्य	2,267.64	31.12.12	910.00	40%
	मिजोरम				
2.	सरछिप, मिजोरम में विकास योजना	2,322.43	13.01.14	644.00	28%
3.	लुंगलेई, मिजोरम में कन्वेंशन केन्द्र	1,877.40	30.09.12	2.35	
	मेघालय				
4.	अखोंग्रे, मेघालय में पार्किंग का पुनर्विकास कार्य	481.44	23.02.13	0.00	
	योग (झ)	6,948.91		1,556.35	
ट.	**वर्ष 2010-2011 में दिए गए कार्य**				
	त्रिपुरा				
1.	टाउन हाल, सोनामुरा	2,306.34		0.00	
	योग (ट)	2,306.34		0.00	
ठ.	**वर्ष 2011-2012 में दिए गए कार्य**				
	सिक्किम				
1.	बस एवं ट्रक टर्मिनस तथा संबद्ध सुविधाएं, जोरेथांग, दक्षिणी सिक्किम	3,022.63		0.00	
	योग (ठ)	3,022.63		0.00	
	कुल योग	**119,391.40**		**76,877.90**	

अनुलग्नक-15. **III**

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय के लिए एन॰बी॰सी॰सी॰ द्वारा निष्पादित की जा रही ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	कुल लागत	कार्य पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणियाँ
1.	एसडब्ल्यूएम, सिरसा (हरियाणा)	811.51	जून, 2006	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
2.	एसडब्ल्यूएम, जोधपुर (राजस्थान)	1850.74	अक्टूबर, 2006	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
3.	एसडब्ल्यूएम, पुणे (महाराष्ट्र)	2554.00	जून, 2010	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
4.	एसडब्ल्यूएम, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	1280.17	जुलाई, 2008	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
5.	एसडब्ल्यूएम, आदमपुर (पंजाब)	212.68	जनवरी, 2008	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
6.	एसडब्ल्यूएम, अम्बाला (हरियाणा)	981.70	मार्च, 2008	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
7.	एसडब्ल्यूएम, डुंडीगल (आंध्रप्रदेश)	215.24	दिसंबर, 2007	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।
8.	एसडब्ल्यूएम, तेजपुर (असम)	750.19	सितंबर, 2011	प्रचालन में है तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।

16

स्वायत्त और सांविधिक निकाय

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰डी॰ए॰)

योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करने से संबंधित मामलों और उससे संबंधित सहायक मामलों हेतु, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 बना और तद्नुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) स्थापित किया गया। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली का विकास सुनिश्चित करना और उसे आगे बढ़ाना है, और उस प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण को भूमि का अर्जन/अधिग्रहण करने, उसे अपने पास रखने, प्रबंधन करने, भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को बेचने/निपटान करने की शक्ति प्राप्त है, ताकि भवन निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन कार्य और अन्य कार्यकलाप किए जा सकें तथा बिजली और पानी की आपूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य सेवाओं/सुविधाओं से संबंधित कार्य निष्पादित किए जा सकें तथा ऐसे विकास एवं आकस्मिक उद्देश्यों हेतु आवश्यक सामयिक कदम उठाए जा सकें।

16.2 दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7/2/2007 को अधिसूचित की गई थी। इसके पश्चात्, दि॰मा॰ प्लान-2021 में अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने समाज के विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान की है और विशेष क्षेत्र के निवासियों, गांव आबादी तथा अनधिकृत नियमित कॉलोनियों, औद्योगिक इकाइयों, दुरुपयोग किए गए परिसरों, कार्यकलापों, छोटी दुकानों गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों आदि को लाभान्वित किया है।

16.3 वर्ष 2011-12 के दौरान दि॰वि॰प्रा॰ के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:—

दिल्ली मास्टर प्लान-2021

16.4 1 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक वास्तविक प्रगति

(क) पूर्व-विद्यमान संस्थानों का नियमन (भू-स्वामी):

1.1.2006 से पूर्व-विद्यमान सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित) स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान। विद्यमान भू-स्वामी संस्थानों के नियमन पर विचार करने और 1.1.2006 से पूर्व-विद्यमान संस्थान, जो सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित) स्वास्थ्य सेवा तथा शैक्षणिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, के नियमन हेतु 1.5.2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। दिनांक 1.5.2008 की सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में, विभिन्न संस्थानों के 774 मामले प्राप्त किए गए। ये मामले नियमन हेतु प्रक्रिया के अन्तिम चरण में हैं।

(ख) नीति बनाना:

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में विभिन्न योजना मुद्दों पर विस्तृत नीतियां बनाने के संबंध में प्रावधान दिया हुआ है। इस संबंध में निम्नलिखित नीतियों को अधिसूचित किया गया है:

- विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और गांव आबादी-2010 के लिए भवन विनियम।
- नियोजित औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास हेतु विनियम।
- विद्यमान पेट्रोल पम्प में व्यावसायिक क्षेत्र का प्रावधान।

(ग) विभिन्न स्तरों पर अनुमोदनार्थ नीतियां:

- अनियोजित औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास करना।
- मोटल के एफ॰ए॰आर॰ में वृद्धि करना।
- अस्थाई सिनेमाओं का नियमन करना।
- मिश्रित भूमि उपयोग में पार्किंग प्रावधानों में संशोधन।
- विद्यमान शहरी क्षेत्रों का पुनर्विकास, कम सघनता वाले क्षेत्र का पुनर्संघनीकरण करना, प्रभाव जोन में पड़ने वाले अन्य विकास क्षेत्रों का एमआरटीएस सहित पुनर्विकास करना तथा प्रमुख परिवहन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
- लैंड पूलिंग पर आधारित भूमि संग्रह/एकत्रीकरण की नीति।
- दिल्ली में फार्म हाउसों पर नीति।
- रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली के शहरी क्षेत्र में गोदामों के नियमन हेतु नीति बनाना।
- बैंकेट हॉलों पर नीति बनाना।

(घ) क्षेत्रीय (जोनल) विकास योजनाएं:

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी क्षेत्रीय विकास योजनाएं (जोन 'डी' को छोड़कर) दि॰वि॰प्रा॰ द्वारा अधिसूचित की गई। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना रा॰रा॰क्षे॰, दिल्ली सरकार की परियोजना डीएसएसडीआई द्वारा निर्मित जीएसआई डाटा बेस पर तैयार की जानी है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार प्रारंभिक प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना डीएसएसडीआई परियोजना एवं जीआईएस नक्शों के आधार पर तैयार की गई है। तद्नुसार प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना रिपोर्ट तैयार की गई है और 31 मार्च, 2012 तक उस पर विचार किया जाएगा।

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारित संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी)

16.5 अवधि के दौरान, यूटीटीआईपीईसी द्वारा निम्नलिखित स्कीमें/दिशा-निर्देश अनुमोदित किए गए:

- चांदनी चौक का स्ट्रीट डिजाइन/योजना
- एस॰पी॰ मुखर्जी मार्ग का पुनर्विकास प्रस्ताव
- अरविन्दो मार्ग मेट्रो सम्पर्क (कनैक्टिविटी)
- व्यापक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क प्लानिंग
- करावल नगर/शास्त्री पार्क और दिलशाद गार्डन, मोरी गेट, बीआरटी
- करोल बाग पैदल पथ परियोजना (पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट)
- फुटओवर ब्रिज (एफओबी) आवश्यकता मानदंड और डिजाइन गाइडलाइन
- यात्रा मांग प्रबंधन नीति (टीडीएमएस) के रूप में पार्किंग नीति हेतु खाका तैयार करना।
- एमआरटीएस प्रभाव जोन में अन-अनुमेय/अवांछनीय उपयोग

दि॰वि॰प्रा॰ द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण

16.6 दि॰वि॰प्रा॰ द्वारा दिनांक 1.4.2011 तक बनाए जा रहे आवासों, नए आरंभ किए गए आवासों एवं वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे किए गए आवासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम सं॰	विवरण	एचआईजी	एमआईजी	एलआईजी	ईडब्ल्यूएस/जनता	कुल
1.	1.4.2011 को प्रगति अधीन आवास	3877	1035	3641	7622	16175
2.	2011–12 के दौरान आरंभ किए जाने वाले नए आवासों का लक्ष्य	3008	248	24710	5155	33121
3.	31–12–2011 तक बनाए गए नए आवास	शून्य	1082	शून्य	2988	4070
4.	2011–12 के दौरान पूरे किए जाने वाले आवासों का लक्ष्य	480	40	2032	1220	3772
5.	2011–12 के दौरान पूरे किए गए आवास	800	40	2382	1830	5052
6.	1–1–2012 को बनाए जा रहे आवास	1584	995	699	शून्य	3278

भूमि के विकास हेतु प्रमुख स्कीमें

16.8 दि॰वि॰प्रा॰ निरन्तर अपने विकास कार्यकलाप कर रहा है और मुख्य योजना के अनुसार नए उप–नगरों को विकसित करके शहर की सीमाओं का विस्तार कर रहा है। साथ ही द्वारका, नरेला, रोहिणी जैसे शहरी विस्तारों में सड़कों, सीवर, जल निकासी, जल आपूर्ति, विद्युत लाइनों और मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि की व्यवस्था हेतु भौतिक आधारित संरचना का सृजन कर रहा है।

उपर्युक्त विस्तृत प्रमुख विकास स्कीमों की प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

(क) स्कीम में प्रदान की गई सेवा की कुल लम्बाई।

(ख) 31.12.2011 तक प्रदान की गई सेवाएं।

(ग) 31.3.2012 तक प्रदान की गई सेवाएं।

(घ) सेवाएं जिन्हें 31.3.2012 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

स्कीमों का नाम	स्कीम का क्षेत्रफल (हैक्ट॰ में)		सड़कें कि॰मी॰ में	सीवरेज कि॰मी॰ में	जल आपूर्ति कि॰मी॰ में	बरसाती नाले कि॰मी॰ में
द्वारका फेज–I	1862	बी	101.35	59.30	79.93	160.10
द्वारका फेज–II	2098	बी	79.40	57.76	59.82	111.89
नरेला	7282/450	ए	96.90	49.00	33.00	79.00
		बी	78.26	32.00	28.00	60.00
रोहिणी फेज–IV एवं V	4000/788+100 हैक्टे॰ हाल में अर्जित	ए	52.84	20.358	57.35	115.77
		बी	34.19	16.06	54.05	36.89
		सी	–	–	–	–
		डी	40.00	20.358	57.35	40.00

दि॰वि॰प्रा॰ आवास :

16.9 जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- अवधि के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं : 25 नवम्बर, 2010 से 24 दिसम्बर, 2010 तक 1–शयन कक्ष, 2–शयन कक्ष और 3–शयन कक्ष वाले 16118 फ्लैटों के लिए दि॰वि॰प्रा॰ आवास योजना–2010 आरंभ की गई थी। 755075 पात्र आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

- आवेदक द्वारा सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी करने पर लीज़ होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई।
- अद्यतन सभी निर्धारित प्रक्रियाएं, परिपत्र, नीतियां, प्रारूप आदि को डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
- जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2011 तक लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लगभग 5800 मामले निपटाए गए।
- वीआईपी के सभी संदर्भों को प्रभावी तरीके से देखा गया और उनका प्रत्युत्तर दिया गया।
- सभी डीपीजी संदर्भों का निपटान किया गया।
- दिनांक 18.04.2011 को एक ड्रा निकाला गया और 'दि॰वि॰प्रा॰ आवास योजना-2010'' के अर्न्तत 16118 फ्लैटों का आवंटन किया गया। मांग पत्र और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया चालू है।

ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाएं

16.10 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (गंदी बस्तियों में रहने वालों) के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, 46,360 आवासीय इकाइयों के लिए स्थलों की पहचान की गई। इनमें से 18600 आवासीय इकाइयों के लिए कार्य सौंपा (अवार्ड) जा चुका है। शेष आवास वर्ष 2011-12 में शुरू किए जाएंगे।

भवन निर्माण कार्यकलाप

भवन निर्माण परमिट

16.12 भवन निर्माण परमिट का विवरण निम्नानुसार है

(i)	संस्वीकृत भवन निर्माण परमिट	—	657
(ii)	जारी किए गए बी-1 परमिट	—	39
(iii)	जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र/कार्य-समापन प्रमाण-पत्र	—	322

राजस्व

16.13 भवन-निर्माण परमिट, संयुक्त शुल्क, परिधीय प्रभार एवं अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) प्रभारों के रूप में नीलामी द्वारा क्रेताओं/आवंटितियों से 2,20,43,013 रुपए की राशि प्राप्त की गई।

बजट प्रावधान

16.14 यह प्राधिकरण के वार्षिक बजट के संकलन एवं क्षेत्रीय केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालयों को निधि जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय निर्धारण के संदर्भ में विभिन्न शीर्षों/परियोजनाओं पर व्यय पर नियंत्रण की निगरानी करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न विभागों को जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं॰	विवरण	राशि (लाख रुपए में)
1.	केन्द्रीय लेखा इकाइयों/स्टोर डिवीजनों/फ्लाई ओवर लॉट I एवं II को जारी की गई निधि	
	(क) भंडार गृहों सहित निर्माण-कार्य	54,733.35
	(ख) (विकसित किए जा रहे फ्लाइओवरों (यूडीएफ)) में से	2710.00
	फ्लाईओवर	3959.00

क्रम सं॰	विवरण	राशि (लाख रुपए में)
	(ग) राष्ट्रमंडल खेल 2010	35416.01
	(घ) वेतन/अनुग्रह-राशि इत्यादि	
2.	अन्य विभागों को जारी की गई निधि दि॰न॰नि॰	1157.00
	कुल	**98015.56**

भूमि

16.15 सचिव, भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति/बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के लिए दिनांक 30.9.2011 तक 68.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली

- दि॰वि॰प्रा॰ अधिकारियों द्वारा डीएसएसडीआई पोर्टल क माध्यम से डीएसएसडीआई आवेदन समंकों (डाटा) तक पहुंच के लिए विकास सदन में एक लैब स्थापित की गई है। यह लैब रा॰रा॰ क्षेत्र दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 10 एमबीपीएस की लाइन से जुड़ी हुई है।
- भूमि संबंधी मामलों/विवादों के समाधान के लिए राजस्व स्टाफ एवं योजना विभाग के उपयोग हेतु डीएसएसडीआई पोर्टल पर सिजरा नक्शे एवं योजना विभाग की क्षेत्रीय योजनाएं डाली जाएंगी।
- यह भूमि संबंधी रिकॉर्डों के स्वचलन (ऑटोमेशन) के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर है। यह अधिग्रहित भूमि संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है।

भू-दृश्यांकन

16.16 दिल्ली, देश के सबसे हरित महानगर में से एक, ने हाल ही में अत्यधिक विकास किया है दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि॰वि॰प्रा॰), भारत के प्रथम शहरी विकास प्राधिकरण, ने हरित क्षेत्रों, जो शहर को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, के निरंतर विकास, उन्नयन एवं रख-रखाव पर जोर के साथ-साथ शहर के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लगभग 3800 छोटे एवं बड़े पार्कों के साथ क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों एवं समीपस्थ हरित क्षेत्रों के रूप में खुले स्थानों के विकास एवं नदी और रिज की प्राकृतिक विशेषताओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया है।

16.17 दिल्ली विकास प्राधिकरण, दि॰वि॰प्रा॰की भूदृश्यांकन इकाई द्वारा डिजाइन किए जा रहे हरित पट्टियों, थीम पार्कों, शहरी वन्य क्षेत्र, स्मारकों के चारों ओर हरित क्षेत्रों, जैव वैविध्य क्षेत्रों इत्यादि को विकसित किया है। इनमें मुख्य योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिजाइनिंग एवं नीति निर्माण, आस-पास के पार्कों, क्रीड़ा क्षेत्र, चिल्ड्रन पार्क और आवासीय क्षेत्रों में अन्य छोटे पार्कों, विशेष परियोजनाओं जैसे जैव वैविध्य पार्कों, नदी मुहानों का विकास, गोल्फकोर्स, डलाव स्थलों (सेनेटरी लैण्डफिल) का सुधार-इन्द्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज, यमुना जैव-वैविध्य पार्क, अरावली जैव-वैविध्य पार्क, यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना-जोन 'ओ' (सार्वजनिक मनोरंजन एवं जैव वैविध्य जोनों के एकीकृत विकास) तथा भूदृश्यांकन इकाई ने तुगलताबाद जैसी विरासतीय परियोजनाओं के साथ-साथ दि॰वि॰प्रा॰ के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला पार्क शामिल हैं। जल संग्रहण एवं बरसाती जल का संग्रहण, भूजल शोधन पुनर्चक्रण की अवधारणा की विभिन्न हरित क्षेत्रों के नियोजन का एकीकृत भाग है।

भूमि निपटान

- भूमि निपटान विभाग में भूमि नामक सॉफ्टवेयर लगाया गया है।
- समूह आवास फ्लैटों के फ्री होल्ड/परिवर्तन के संबंध में समूह आवास विभाग हेतु आईएसओ : 9001 प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिसके शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है।

- समूह आवास फ्लैटों की फ्री होल्ड/परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इस प्रक्रिया के पूरा होने की समय-सीमा को 90 दिनों से घटा कर 45 दिन कर दिया गया है।
- समूह आवास फ्लैटों के मामले में फ्री होल्ड/परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्र की स्थिति को दि॰वि॰प्रा॰ की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
- वर्ष के दौरान 49 आवासीय प्लॉटों की नीलामी की गई। इनसे 365 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतीक्षा सूची के आबंटियों को आवंटन हेतु रोहिणी क्षेत्र में 21000 प्लॉट काटे गए हैं। सीमांकन कार्य चल रहा है।

भूमि प्रबंधन

16.18 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की विशाल भूमि है। दि॰वि॰ प्रा॰ नजूल-I भूमि जो तत्कालीन विकास सुधार न्यास से प्राप्त हुई थी, की देखभाल के अलावा वर्ष 1957 के पश्चात्, दि॰वि॰ प्रा॰ द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल-II भूमि की भी देखभाल करता है। दि॰वि॰ प्रा॰ के पास कुछ अन्य भूमि भी है जो एकमुश्त समझौते (पैकेज डील) के अंतर्गत तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, दि॰वि॰ प्रा॰ के पास देखभाल एवं रखरखाव के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय की भी कुछ भूमि है।

16.19 भूमि प्रबंधन विभाग ने दि॰वि॰ प्रा॰ भूमि को वापिस प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ बड़ी तोड़-फोड़ की कार्रवाईयां की। अप्रैल 2011 से 31.12.2011 तक दि॰वि॰ प्रा॰ ने 206 तोड़-फोड़ की कार्रवाईं की एवं 33.84 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इनमें 2146 कच्चे, पक्के, आधे पक्के ढ़ांचे हटाए गए।

16.20 वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं:

क्र .सं.	कार्य	2010-2011
1.	एलएसी द्वारा दि.वि.प्रा. को सुपुर्द की गई भूमि	321.58 एकड़
2.	निर्धारित तोड़फोड़ कार्यक्रम (संख्या)	272
3.	की गई तोड़-फोड़ कार्रवाई (संख्या)	206
4.	हटाए गए ढांचे (संख्या)	2146
5.	वापिस प्राप्त की गई भूमि	33.84 एकड़
6.	क्षतिपूर्ति की वसूली	28.32.849/-
7.	निर्णीत क्षतिपूर्ति के मामले	20
8.	निर्णीत बेदखली के मामले	748

प्रशिक्षण-विभाग

16.21 इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने विभागीय एवं अन्य पेशेवर संस्थाओं/अभिकरणों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों इन-हाउस विभिन्न पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं सेमिनारों, सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेने के लिए नामित दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।

खेल-कूद

16.22 दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित की गई खेल-कूद संबंधी आधारित संस्थानों जिनकी देखरेख एवं संचालन खेल विभाग करता है, वे निम्न हैं:—

खेल परिसर	–	15 (दक्षिण में 5, उत्तर एवं पश्चिम प्रत्येक में 3, एवं पूर्व में 4)
छोटे खेल परिसर	–	3 (मुनिरका, प्रताप नगर, कांतिनगर)
स्वीमिंग पूल	–	17
खेल परिसरों में फिटनेस सेंटर	–	18 (1 महिला जिम सहित)
हरित क्षेत्रों में बहु व्यायामशालाएं	–	23 (1 महिला जिम सहित)
छोटे फुटबॉल मैदान	–	11 (7 हरित क्षेत्रों में एवं 4 खेल परिसरों में)
गोल्फ कोर्स	–	2 (लाडो सराय एवं भलस्वा)
छोटे गोल्फ कोर्स	-	1 (सीरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	–	3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

ई-एस.एल.ए.:

16.23 यह जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-गवर्नेंस से आगे का एक उपाय है। ई-एसएलए के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दि.वि.प्रा. को एन.आई.सी.एल. सर्वर से जोड़ा गया है। आरम्भ में ई-एसएलए के अन्तर्गत डी.डी.ए. के फ्लैटों को फ्री-होल्ड करना और समूह आवास के फ्लैटों को फ्री होल्ड करना शामिल किया गया है। भूमि निपटान और आवास विभाग दोनों विभागों के परिवर्तन संबंधी आवेदन-पत्र दि.वि.प्रा. के स्वागत कक्ष पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

आवास:

16.24 आवास विभाग में 'आवास' सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित किया गया है और यह सहजता से कार्य कर रहा है।

सूचना कियोस्क

16.25 केन्द्रीय लेखा इकाइयों, विकास सदन और विकास मीनार स्थित स्वागत कक्षों में टच स्क्रीन तकनीक वाले चौदह सूचना कियोस्क लगाए गए हैं। इन कियोस्कों के माध्यम से आम जनता को आवास और भूमि विभाग से संबंधित सूचना विशेष रूप से दि.वि.प्रा. की विभिन्न स्कीमों एवं कार्य पद्धतियों से संबंधित जानकारी दी जाती है।

सूचना अधिकार (आर.टी.आई.) एवं समन्वय

16.26 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कार्यालयों में सूचना अधिकार के लिए 14 पृथक काउंटर खोले हैं, जहां फार्म/आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाते हैं और शुल्क भी प्राप्त किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं, जो आर.टी.आई. से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए जनता की सहायता करते हैं। आर.टी.आई. संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन-पत्र तैयार किया गया है, जो अनिवार्य नहीं है और नि:शुल्क है। दि.वि.प्रा. डाक, इलैक्ट्रानिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर आवेदन-पत्र भी प्राप्त करता है।

16.27 12 अक्तूबर, 2006 से 31 दिसम्बर, 2011 तक दि.वि.प्रा. ने अधिनियम के अन्तर्गत 72806 आवेदन-पत्र प्राप्त किये, जिनमें से 71807 आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा चुकी है और 1719 आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है, जो 30 दिन से कम समय पहले प्राप्त हुए हैं। 30 दिन से अधिक समय वाले 310 ऐसे आवेदन-पत्र हैं, जो दस्तावेजों की कमी, आवेदक की ओर से भुगतान और आवेदक की ओर से स्पष्टीकरण के कारण लम्बित हैं।

सतर्कता:

16.28 सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और शहरी कार्य एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार-विरुद्ध उपायों के क्रियान्वयन और सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है।

16.29 दिल्ली विकास प्राधिकरण में सतर्कता विभाग शिकायतों को प्राप्त करने एवं उन पर कार्रवाई करने, गहराई से मामले की जांच करने और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से आरोप-पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग जांच रिपोर्टों का विश्लेषण भी करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को सोच-विचार हेतु अपनी टिप्पणियां भी देता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपील, पुनरीक्षण याचिका (रिव्यू पेटिशन), निलम्बन एवं उसकी समीक्षा और नियमन का कार्य भी किया जाता है।

(I) 1.4.2011 से 31.12.2011 के दौरान शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	जारी किए गए आरोप-पत्र	भारी दंड	मामूली दंड
2010-11 (1.4.11 से 31.12.11 तक)	61	46	15

(II) 1.4.2011 से 31.12.2011 के दौरान निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	जिनमें दंड लगाया गया	निर्दोष ठहराया गया
2010-11 (1.4.11 से 31.12.11 तक)	76	63	13

(III) प्राप्त की गई एवं जांच की गई सामान्य शिकायतें

वर्ष	आरम्भ में सामान्य शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटायी गई शिकायतें	शेष
2010-11 (1.4.11 से 31.12.11 तक)	2136	714	718	2132

(IV) पंजीकृत एवं जांच की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल

वर्ष	आरम्भ में प्रारम्भिक जांच-पड़ताल	वर्ष के दौरान पंजीकृत	जांच की गई	शेष
2010-11 (1.4.11 से 31.12.11 तक)	446	32	66	412

वेबसाइट

16.30 दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.dda.org.in सक्रिय है और द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) रूप में है। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट में दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों जैसे आवास, भूमि निपटान, योजना, कार्मिक, खेल एवं पर्यावरण आदि के पेज़ निहित है। वेबसाइट पर जनता के लिए जानकारी जैसे दि.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित मार्गनिर्देश एवं कार्य-पद्धतियां, डाउनलोड किए जा सकने वाले प्रारूप में आवास एवं भूमि स्कीमों के लिए आवेदन किए जाने वाले आवेदन-पत्र, सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं समुचित रूप से उपलब्ध हैं। ड्रॉ आदि के माध्यम से प्लॉटों और निर्मित इकाइयों दोनों सम्पत्तियों के आबंटन के परिणाम भी लॉटरी द्वारा ड्रॉ के तुरन्त बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यह वेबसाइट नागरिकों की आवश्यकता के प्रति क्रियाशील है। जनता किसी भी समय फाइल नम्बर/पंजीकरण संख्या की प्रविष्टि करके आवास और भूमि सम्पत्तियों के संबंध में अपने आबंटनों से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं तथा पंजीकरण विवरण/प्राथमिकता की स्थिति/आबंटन की स्थिति/भुगतानों के विवरण देख सकते हैं।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी)

16.31 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत किया गया था। सन् 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गठित करने का मूलाधार राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के क्षेत्रों

को दिल्ली सहित विश्व स्तर के उत्कृष्ट क्षेत्र के रूप में इस बात पर जोर देते हुए विकसित करना था कि राष्ट्रीय राजधानी की आधारित संरचना पर दबाव को दूर/कम किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उक्त कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड मुख्य रूप से केन्द्रीय अनुदानों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अनुदानों पर निर्भर है।

16.32 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अन्तर्गत 33,578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है और इसमें हरियाणा के आठ जिले, उत्तर प्रदेश के पांच जिले, राजस्थान का एक जिला और समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है सन् 2001 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 371 लाख थी, जिसके 2021 तक 641 लाख होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्र से बाहर अन्य आकर्षक क्षेत्र (काउन्टर मैग्नेट एरिया) अर्थात् हिसार और अम्बाला (हरियाणा), बरेली और कानपुर (उत्तर प्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड), कोटा (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) भी हैं।

16.33 एनसीआरपीबी द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय योजना 2021 की कल्पना सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विश्व स्तर के उत्कृष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित करने की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाना और क्षेत्र का संतुलित विकास करना है और इस उद्देश्य को (क) क्षेत्रीय बस्तियों का निर्धारण और विकास करके भावी वृद्धि के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार की व्यवस्था करके, जो दिल्ली के आर्थिक विकास संबंधी आवेग को समाहित करने में समर्थ हों;

(ख) इन निर्धारित बस्तियों में संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहयोग करने के लिए भूमि उपयोग पद्धतियों के साथ अच्छी तरह एकीकृत अच्छी एवं सस्ती रेल तथा मार्ग आधारित परिवहन नेटवर्क (जन परिवहन प्रणालियों सहित) की व्यवस्था करके; (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावणात्मक प्रभाव को कम से कम करके; (घ) दिल्ली जैसी शहरी आधारित संरचनात्मक सुविधाओं जैस परिवहन, विद्युत, संचार, पीने के पानी, सीवरेज और नालों सहित चुनी हुई शहरी बस्तियों को विकसित करके; (ङ) युक्तियुक्त भूमि उपयोग पद्धति की व्यवस्था करके; और (च) जीवन स्तर में सुधार करने के लिए क्षेत्र में धारणीय विकास को बढ़ावा देकर प्राप्त करना है।

16.34 वर्ष 2010-11 के दौरान शुरू किये गए मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

16.35 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विकास के लिए एक योजना तैयार करने और भूमि उपयोग के नियंत्रण के लिए तथा क्षेत्र में किसी भी तरह के अव्यवस्थित विकास से बचने के लिए रा.रा. क्षेत्र में आधारित संरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां तैयार करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंगभूत राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी से बोर्ड द्वारा रा.रा. क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की गई थी, जो 17.09.2005 से लागू हुई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजना बनाना

16.36 बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार की थी और दिनांक 9.7.2005 को हुई इसकी 28वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुमोदन से इसे दिनांक 17.9.2005 को यथाविधि अधिसूचित किया गया था।

16.37 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के अंदर उपक्षेत्र के लिए उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र के अंदर उपक्षेत्र के लिए उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा।

प्रकार्यात्मक योजनाओं को बनाना

16.38 बोर्ड ने भूमि जल रिचार्ज और परिवहन पर प्रकार्यात्मक योजनाएं तैयार की गई है। जल निकासी और विद्युत पर प्रकार्यात्मक योजनाओं को तैयार करने के लिए अध्ययन समूह बनाए गए और प्रत्येक अध्ययन-समूह की चार बैठकें हुई थीं। जल के लिए प्रकार्यात्मक योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे योजना समिति की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। अन्य प्रकार्यात्मक योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्य योजना जांच

16.39 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी बस्तियों की संख्या 1981 में 94 से बढ़कर 2001 में 108 हो गई है। 2001 में इनमें से 17श्रेणी–I नगर (दिल्ली महानगर सहित), 9 श्रेणी–II कस्बे, 27 श्रेणी III, 38 श्रेणी IV, 15 श्रेणी V एवं 2 श्रेणी VI के कस्बे हैं। हरियाणा उपक्षेत्र में 35 शहरी बस्तियां, राजस्थान उपक्षेत्र में 9 और उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र में 63 शहरी बस्तियां हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर, हरियाणा उपक्षेत्र में 8 श्रेणी–I शहरी केन्द्र, राजस्थान उपक्षेत्र में 1 श्रेणी–I शहरी केन्द्र और उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र में 7 श्रेणी–I शहरी केन्द्र हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्पर्कता

राष्ट्रीय क्षेत्र में मैट्रो रेल का विस्तार

16.40 क्षेत्रीय योजना 2021 का दबाव वाला क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, बहुयात्री प्रणाली के द्वारा सम्पर्कता है। हरियाणा उपक्षेत्र के गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ और उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के नोएडा और गाजियाबाद सीएनसीआर शहरों को दिल्ली मेट्रो की सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए मामला प्रस्तुत किया गया और उसे दिल्ली मेट्रो के साथ आगे बढ़ाया गया और दिल्ली मेट्रो को फरीदाबाद तक बढ़ाने के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों को बहुयात्री प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जा चुका है। दिल्ली–नोएडा और दिल्ली–गुड़गांव कोरिडोर बनाए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए रेल सम्पर्क

16.41 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल सम्पर्क में सुधार लाने के लिए मामला रेलवे के साथ आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न रेल परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना दी है।

बाहरी एक्सप्रेस वे

16.42 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पांच राष्ट्रीय राजमार्ग यथा रा.रा.–1, रा.रा.–2, रा.रा.–8, रा.रा.–10 और रा.रा.–24 रिंग रोड की ओर हैं और परिणामस्वरूप न केवल रिंग रोड़ पर बल्कि दिल्ली के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर भीड़–भाड़ होती है।

16.43 उपर्युक्त सभी दर्शाए गए पांचों राष्ट्रीय राजमार्गों को दिल्ली के बाहर उपमार्ग/सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय योजना में एक बाहरी एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव रखा गया था। इस उपमार्ग का आधा पश्चिमी हिस्सा जो कि रा.रा.–1 को कुंडली से, उत्तर में रा.रा.–2 को पलवल, दक्षिण में रा.रा.–10 और रा.रा.–8 से होते हुए दिल्ली की पश्चिमी परिधि से बाहर के मार्ग को पश्चिमी बाहरी एक्सप्रेस वे निर्दिष्ट किया गया है। इस उपमार्ग का आधा पूर्वी रोड रा.रा.–1 को कुंडली से उत्तर में रा.रा.–2 को पलवल से दक्षिण में रा.रा.–24 से होते हुए दिल्ली की पूर्वी दिशा से जोड़ते हुए मार्ग को पूर्वी बाहरी एक्सप्रेस वे निर्दिष्ट किया गया है।

16.44 हरियाणा सरकार द्वारा पश्चिमी बाहरी एक्सप्रेस वे का कार्य दिनांक 31.1.2006 को 23 वर्ष और 9 महीने की रियायत अवधि (तीन वर्ष की निर्माण अवधि सहित) के लिए ग्राही को दिया गया। इस एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई 135.65 किमी॰ है। यह हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

16.45 पूर्वी बाहरी एक्सप्रेस वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। पूर्वी बाहरी एक्सप्रेस वे का कार्यान्वयन एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

16.46 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, रा.रा. 1, 2, 8, 10, 24, 58, 71, 71–ए और 91 का भाग राज्य राजमार्ग और अन्य मार्गों के अतिरिक्त रोड नेटवर्क बनाते हैं। क्षेत्रीय योजना–2021 ने इन राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करना प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना–2021 के प्रावधानों के अनुसार इन राजमार्गों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 6 लेन तक या अधिक बनाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एकीकृत परिवहन योजना पर अध्ययन

16.47 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एकीकृत परिवहन योजना का अध्ययन पूरा कर लिया गया है और इस अध्ययन ने दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में से बृहद् यातायात की आवश्यकता वाले कारिडोर (सड़क के साथ-साथ रेल) की प्रस्तावित नीतियों/प्रगति कार्यक्रम, बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक और यात्रा विशेषताओं और पर्यावरण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पहचान की है। इस अध्ययन के परिणामों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परिवहन पर प्रकार्यात्मक योजना को तैयार करने में प्रयोग किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल आपूर्ति और उसके प्रबंध पर अध्ययन

16.48 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल आपूर्ति और उसके प्रबंध पर अध्ययन पूरा कर लिया गया है और दिनांक 25.11.2010 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस अध्ययन ने जल संरक्षण, झीलों का पुनरुद्धार,भूमि जल का पुन: उपयोग (रिचार्ज) आदि और ड्रिप/स्प्रिन्कलिंग सिस्टम को अपनाने आदि के लिए विविध उपायों का पता लगाया है। जल पर प्रकार्यात्मक योजना का प्रारूप अध्ययन की अनुशंसाओं और निष्कर्षों के आधार पर तैयार किया गया है जो कि योजना-समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर अध्ययन

16.49 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सूक्ष्म और घरेलू उद्यम पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों का फोकस समूहों के उन्नयन द्वारा जीविका के सृजन, सूक्ष्म और घरेलू उद्यमों के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना इत्यादि के प्रावधान पर होगा। यह न केवल बड़े नगरों में होगा बल्कि छोटे कस्बों और रा.रा. क्षेत्र की शेष अन्य बस्तियों में भी होगा।

रा.रा. क्षेत्र शैक्षिक आधारभूत संरचना पर अध्ययन

16.50 रा.रा. क्षेत्र में शैक्षिक आधारभूत संरचना पर किए गए अध्ययन को भी प्रेषित किया गया। यह अध्ययन कोटि, मात्रा और भौगोलिक वितरण की कमियां निर्धारित करेगा और संभव परियोजना निर्माण के लिए उपचारी उपाय सुझाएगा।

रा.रा. क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा

16.51 रा.रा. क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा के संबंध में एक और अध्ययन, संवृद्धि के रूझान का स्टीक डेटाबेस उपलब्ध कराने, रा.रा. क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की व्याख्या उपलब्ध कराने, संभावित परियोजनाएं निर्धारित करने और क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा हेतु आंकड़े उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया।

रा.रा. क्षेत्र में स्वास्थ्य-आधारभूत संरचना

16.52 रा.रा. क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना पर अध्ययन आरम्भ किया गया। यह अध्ययन रा.रा. क्षेत्र में स्वास्थ्य-आधारभूत संरचना की स्थिति पर कमियों के निर्धारण पर और परियोजनाएं तैयार करने पर और अपेक्षित हस्तक्षेप आदि पर ध्यान देगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर संचालन समिति का गठन

16.53 सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 24.10.2007 की शक्ति प्रदत्त समिति के निर्णय के अनुपालन में हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान के भाग लेने वाले राज्य और रा.रा. क्षेत्र-दिल्ली संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक संचालन समिति का गठन करेंगे और विभिन्न संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और रा. रा. क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रतिनिधि रा.रा. क्षेत्र नीतियों और प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन का समन्वय करेंगे और निरीक्षण करेंगे।

16.54 हरियाणा, राजस्थान, उ.प्र. और रा.रा. क्षेत्र-दिल्ली की सरकारों ने अपने संबंधित उप क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु संचालन समिति गठित की है।

समान पारस्परिक परिवहन करारों/द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर

16.55 रा.रा. क्षेत्र में आम जनता की सुविधा के लिए 'कॉन्ट्रेक्ट कैरेज' और 'स्टेज एण्ड गुड्स केरेज' के अप्रतिबंधित/अवरोधहीन यात्रा के लिए बोर्ड ने अपने संघटक राज्यों के साथ ''समान पारस्परिक परिवहन करार' पर हस्ताक्षर हेतु कार्यवाही की। कॉनटेंक्ट केरेज से

संबंधित समान पारस्परिक परिवहन करार पर दिनांक 14.10.2008 को हस्ताक्षर किए गए और रा.रा. क्षेत्र के संघटक राज्यों द्वारा उसे अधिसूचित किया गया। जिसके द्वारा ऑटो रिक्शा और टैक्सी का रा.रा. क्षेत्र में बिना कोई अन्य अतिरिक्त यात्री-कर दिए आवागमन हो सकेगा। इस करार के परिणामस्वरूप उ.प्र., दिल्ली और हरियाणा के बीच बिना किसी बाधा के टैक्सी चलनी आरम्भ हो गई है।

रा.रा. क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का संग्रहण

16.56 एन.सी.आर.पी.बी. को बजट संबंधी सहायता प्राप्त होती है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय निधियों और पूंजी बाजार तक पहुंचने की योजना है।

(क) बजट संबंधी सहायता

16.57 वर्ष 2011-12 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बजट संबंधी विनिर्धारण के रूप में 50 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की थी, जिसके विरुद्ध 37.50 करोड़ रु. एन.सी.आर.पी.बी. निधि के अंशदान के रूप में जारी किए गए।

(ख) 11वीं योजना के दौरान अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधन

16.58 ए.डी.बी. ने आधारभूत परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए मल्टी ट्रांस फाइनेन्सिंग फैसिलिटी के रूप में एन.सी.आर.पी.बी. को यू.एस. डालर 150 मिलियन का ऋण अनुमोदित किया। के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन बाइलेट्रल कारपोरेशन) ने भी यूरो 100 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमति दिखाई, जिसे 4 वर्षों की अवधि में जारी किया जाएगा और जिसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

16.59 11वीं योजना अवधि (2007—12) के दौरान, एन॰सी॰आर॰पी॰बी॰ ने 10 वर्ष की अवधि के प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉण्ड जिन्हें 7 वर्ष के बाद भुनाया जा सकता है, के द्वारा घरेलू पूंजी बाजार से 1100 करोड़ रु॰ प्राप्त किए। इन बॉण्ड को स्टेबल आऊट ऑफ लुक के साथ 'ए॰ए॰ए॰' की रेटिंग सी॰आर॰आई॰एस॰आई॰एल॰ ने और आई॰सी॰आर॰ए॰ द्वारा इसे 'एल॰ए॰ए॰ए॰' की रेटिंग प्रदान की गई जो उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम रेटिंग है।

(सी) एन॰सी॰आर॰पी॰बी॰ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

16.60 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भाग लेने वाले राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को आधारभूत विकास के लिए परियोजना की अनुमानित लागत का 75% तक के ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 (दिसम्बर 2011 तक) के दौरान 12 नई आधारभूत पयिोजनाओं के लिए 723.46 करोड़ रु॰ के कुल परिव्यय के सहित 542.60 करोड़ रु॰ की ऋण की राशि स्वीकृत की गई। नई और चल रही परियोजनाओं के लिए 477.38 करोड़ रु॰ की कुल ऋण की राशि दिसम्बर, 2011 तक संवितरित की गई। एन॰सी॰आर॰पी॰बी॰ द्वारा 2011-12 की शेष अवधि के दौरान 225 करोड़ रु॰ की राशि और जारी करने की योजना है।

3. दिल्ली नगर कला आयोग (दि॰न॰क॰आ॰)

16.61 दिल्ली नगर कला आयोग का गठन, दिल्ली के अन्दर ही नगर और पर्यावरणीय डिज़ाइन की सौन्दर्यपरक कोटि के संरक्षण, विकास और रखरखाव के मामले में सरकार को परामर्श देने में और भवन-कार्य अथवा इंजीनियरिंग कार्य अथवा किन्हीं विकास प्रस्तावों की किसी परियोजना के संबंध में किसी स्थानीय निकाय को सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, जो उसमें उपलब्ध किसी सार्वजनिक सुविधा अथवा आस-पास के क्षेत्रों की सौन्दर्यपरक कोटि अथवा स्काई लाइन को प्रभावित करे अथवा प्रभावित कर सके, के लिए संसद के अधिनियम द्वारा किया गया।

16.62 स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श हेतु आयोग को प्रस्ताव भेजे गए और जिन पर आयोग की नियमित बैठकों में विधिवत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। हालांकि प्रत्येक माह में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं, इन दो बैठकों के बीच में 20 दिन से अधिक का अंतराल नहीं होना आवश्यक है। अप्रैल-दिसंबर 10 की अवधि के दौरान आयोग ने औसतन 20 बैठकें आयोजित कीं। स्थानीय निकायों को लिए गए निर्णय आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

16.63 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 151 प्रस्ताव प्राप्त किए गए। जिनमें से आयोग द्वारा 136 पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग द्वारा उनकी बैठकों में प्रस्तावों की विधिवत संवीक्षा करने के बाद इनमें से 80 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, 48 मामलों में

समापन प्रमाण–पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए गए और 7 मामलों में टिप्पणी की गई, एक प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। शेष 15 प्रस्ताव लंबित थे। पिछले रूझान को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्याशित है कि अन्य 45 प्रस्ताव जो आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेज और सामग्री के संबंध में पूरे हैं, पर जनवरी–मार्च, 12 के दौरान विचार–विमर्श किया जाएगा। आयोग ने दि॰न॰क॰आ॰ अधिनियम में निर्धारित अधिदेश को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श दिया।

16.64 आयोग का पुनर्गठन जून 2011 में किया गया। आयोग की अद्यतन तिथि तक प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

16.65 पुनर्गठित आयोग द्वारा किया गया एक प्राथमिक कार्य, सार्वजनिक भवन के सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली मानदण्ड की सूची को तैयार करना था। आयोग ने सार्वजनिक भवन के मालिक एवं वास्तुकार से, जब वे आयोग के पास प्रस्ताव भेजें, वचनबंध लेने का निर्णय लिया है। ऐसा वचनबंध एक बार प्राप्त करने पर आयोग के द्वारा न्यूनतम जांच की आवश्यकता होगी और उसके द्वारा डीयूएसी द्वारा भवनों को अनुमोदन देने में शीघ्रता आएगी। आयोग ने परियोजना प्रस्तावों के साथ लगाने वाले प्रपत्र में इन मानकों को शामिल किया है। संशोधित प्रक्रिया के विषय में संबंधित निकायों को भी सूचित कर दिया गया है।

16.66 आयोग को भेजे गए प्रस्तावों के सन्दर्भ में लगने वाले समय को कम करने में कार्यपद्धति का सरलीकरण मदद करता है।

16.67 वर्तमान समय में भवन प्रस्तावों को लेना विभिन्न प्राधिकरणों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राधिकरण प्रस्तावों के निपटान एवं जांच में अपने अनुसार समय लेता है। इस सारी प्रक्रिया का यह प्रभाव पड़ता है कि भवन प्रस्तावों को अनापत्ति देने में काफी समय लग जाता है। कई बार प्राधिकरणों की संस्तुति एक–दूसरे के साथ गलतफहमी पर होती है जिसके कारण आगे देरी होती है। इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से निर्णय लिया है कि दिल्ली भवन उप विधि के सरलीकरण की संभावनाओं को, इस उद्देश्य के साथ कि भवन प्रस्तावों पर कॉमन स्थान पर विचार करें, खोजा जाए। एक सिंगल विंडो क्लीयरैंस सिस्टम स्थापित करने की संभावनाओं को खोजा जाए। तदनुसार सभी प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने भवन उप विधि डीयूएसी को भेजें ताकि सभी सामान्य अनुमोदनों में आवश्यक जांच सूची को बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। जांच सूची के आधार पर, अगले चरण में एक साफ्टवेयर का निर्माण प्रस्तावित है जो एक परियोजना प्रस्तावक को, विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन जानने के लिए, जो उनकी परियोजना के लिए अपेक्षित होगा, और मानदण्ड जो उनकी परियोजना हेतु अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा, समर्थ बनाएगा।

16.68 इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कमेटी अपने कार्य को पूरा करने के अग्रिम स्तर पर है। आगे की कार्यवाही को शुरू करने के लिए कमेटी की सिफारिशों को भेजने का प्रस्ताव है।

16.69 सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों का रखरखाव, उनके वास्तुकार जिन्होंने उसे डिजाइन किया है, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार आयोग ने सभी संबंधितों के साथ निर्णय लिया है कि यदि स्वामी द्वारा बाहरी अग्रभाग पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है और वास्तुकार जीवित है तो ये परिवर्तन उनकी सहमति और अनुमोदन से होने चाहिए। यदि वास्तुकार जीवित नहीं है तो संवेदनशील तरीके से मूल डिजाइन का ध्यान रखते हुए परिवर्तन किया जाना चाहिए।

16.70 सार्वजनिक भवनों में पेशेवरों के योगदान के प्रति आभार मानने हेतु यह निर्णय भी लिया गया है कि सभी मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं में उचित स्थान पर एक पट्टिका (प्लाक) पर वास्तुकार, इंजीनियर, मालिक, बिल्डर इत्यादि का नाम लिखवाकर लगाया जाए। इसके निर्णय के आधार पर आयोग ने दिल्ली में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों के प्राधिकारियों को उपरोक्त पहलु के अनुपालन के लिए लिखा है।

16.71 भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार वास्तुकारों का चयन बोली के आधार पर किया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में वास्तुकारों की प्रतिभा की अनदेखी करने और वित्तीय मानदण्ड को प्रधानता देने की संभावना है। आयोग ने प्रतिभा को किसी परियोजना के लिए सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सार्वजनिक भवन के सम्बन्ध में वास्तुकला संबंधी प्रतियोगिताओं के लिए वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता की जूरी का चयन कर उसे पहले से घोषित किया जाए और जूरी में प्रतिष्ठित वास्तुकार होने चाहिए। पैनल में वास्तुकारों का चयन वार्षिक टर्नओवर और उनकी व्यावसायिक आय के आधार पर न होकर पेशे में उनकी विशेषता के आधार पर होना चाहिए। प्रतियोगिता में चयनित वास्तुकारों की फीस

एवं भुगतान के स्तर का आधार वास्तुकार संघ (काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार होना चाहिए।

16.72 दिल्ली में बड़ी संख्या में उद्यान हैं, तथापि कुछ को छोड़कर जैसे कि लोदी गार्डन, इन उद्यानों में भूदृश्यांकन तत्व एवं सुविधाएं उम्मीद से कम हैं। अत: इस प्रकार के उद्यानों को समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जीवन्त और रोचक बनाने की आवश्यकता है। गार्डन रेस्तरां, म्यूजियम, एम्फीथियेटर, जन सुविधाओं इत्यादि को उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। जबकि दि.मु.यो. 2021 में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। प्रत्येक उद्यान की अपेक्षाओं/आवश्यकताओं की पृथक मामले के रूप में समीक्षा होनी है।

16.73 आयोग ने दिल्ली के 50 महत्वपूर्ण उद्यानों के अध्ययन को प्रस्तावित किया है। इस दिशा में अगली कार्यवाही हेतु आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है।

16.74 आयोग ने मौजूदा जिला केन्द्रों जैसे भीकाजी कामा प्लेस जिला केन्द्र, राजेन्द्र नगर जिला केन्द्र, प्रगति मैदान में हॉल ऑफ नेशंस को दयनीय स्थिति में पाया है। आयोग ने इस मामले में तदनुसार संबंधित प्राधिकरणों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण को लिखा है।

16.75 डीयूएसी का सिटिजन चार्टर www.duac.org नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रदर्शित की जाने वाली अपेक्षित सूचना निहित है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी संगठनों में सुशासन लागू करने के लिए आयोग ने स्व-मूल्यांकन किया।

शहरी विकास मंत्रालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया स्व-मूल्यांकन के परिणाम आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे हैं जो संसद के समक्ष है।

16.76 दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) एक गैर-व्यावसायिक, अनर्जक निकाय है जो जनहित में बिना किसी कीमत के कार्य करता है। आयोग के पास स्वयं से प्राप्त कोई राजस्व नहीं है। संपूर्ण वित्तीय आवश्यकता अनियोजित प्रकृति की है और इसे केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान द्वारा पूरा किया गया। डीयूएसी का वर्ष 2011-12 में बजट परिव्यय (बीई) 2.30 करोड़ रुपये था। आयोग ने आर ई स्तर पर 2.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए। सरकार से वर्ष के दौरान (दिसंबर 2011 तक) 2.23 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके विपरीत, अप्रैल-दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान व्यय 1.83 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

4. राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए)

16.77 शहरी स्थानीय निकायों के कार्य, प्रबंधन, वित्त, विकास कार्यक्रमों एवं कार्मिक प्रशिक्षण के संबंध में सूचनाओं के संग्रहण, तैयार करने संकलन, प्रसार के लिए शहरी विकास एवं प्रशासन में अनुसंधान के लिए 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की स्थापना 1976 में एक स्वायत्त निकाय संगठन के रूप में की गयी।

16.78 यह मंत्रालय इस संस्थान को मुख्य स्टाफ के वेतन और भत्तों सहित संस्थापना और सामान्य रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान (गैर-नियोजित) देता है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस मंत्रालय ने एन॰आई॰यू॰ए॰ के लिए 308.00 लाख रुपये के एक गैर-नियोजित सहायता अनुदान की संस्वीकृति दी है।

16.79 अप्रैल-दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान संस्थान ने चुनिंदा राज्यों एवं शहरों में जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ सुधार उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलाप किए हैं। (चल रहे), जो इस प्रकार हैं:—

पीयर एक्सपीरिएन्स एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग (पर्ल); एक्टिविटीज एंड टैक्निकल एडवाइज़री ग्रुप (टैग), हाई पावर्ड एम्पावर्ड कमेटी, एम॰आई॰एस॰ सपोर्ट टू॰जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम; नेशनल अर्बन सेनिटेशन पोलिसी (एन॰यू॰एस॰पी॰) को आर्डिनेशन सैल आदि। 4 अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त एन॰आई॰यू॰ए॰ ने भारत में शहरी आधारिक संरचना, स्लम सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) अतिरिक्त सार्वजनिक भूमि के मुद्रीकरण (मोनेटाइजिंग) हेतु सार्वजनिक नीति निर्माण, भारत में लचीली शहरी विकास नीति पर सम्मेलन, भारतीय शहरों की पुन: कल्पना और भारतीय शहरों में जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन पर प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर 7 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां इत्यादि आयोजित की।

16.80 एन॰आई॰यू॰ए॰ ने शहरी भारत–द्विवार्षिक जर्नल, अर्बन फाइल शहरी मामले पर द्विवार्षिक ग्रंथ सूची (बिबलियोग्राफी), —शहरी वित्त–समाचार पत्र (फायर–डी कार्यक्रम के अंतर्गत)–त्रैमासिक; शहरी समाचार सर्चेबल सीत्रडीत्ररोम डाटाबेस पर समाचार पत्र कतरनों का मासिक संकलन; और पर्ल अपडेट–एक जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ पहल आदि से पत्रिकाओं (जर्नल)/सूचना पत्रों (न्यूज लेटर्स) को भी प्रकाशित किया। इसे संस्थान की वेबसाइट www.niua.org पर देखा जा सकता है।

5. राजघाट समाधि समिति

16.81 संसद के एक अधिनियम जिसे ''राजघाट समाधि अधिनियम, 1951'' और ''राजघाट समाधि (संशोधन) अधिनियम, 1958'' कहा जाता है, के द्वारा राजघाट समाधि बनायी गयी। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसके निम्नलिखित दायित्व हैं:—

- समाधि के मामलों की देख–रेख करना और इसे उचित स्थिति में रखना एवं अच्छी तरह से मरम्मत कराना;
- समाधि पर आवधिक कार्यों का आयोजन और नियंत्रण।
- समाधि संबंधी कार्यों को प्रभावी देख–रेख के लिए ऐसे अन्य आकस्मिक एवं प्रेरक कार्य करें।

समिति का संगठन

16.82 वर्ष 2011–12 के दौरान माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार ने अध्यक्ष के रूप में समिति की अध्यक्षता की और इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

16.83 डॉ॰ (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन, सांसद (राज्य सभा); श्री संदीप दीक्षित, सांसद (लोक–सभा); डॉ॰ किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी, सांसद (लोकसभा); श्री राजमोहन गांधी; श्री दीपक नययर, पूर्व कुलपति; दिल्ली के मेयर, श्री बी॰ जी॰ वर्गीज, वरिष्ठ पत्रकार; अपर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय; मुख्य सचिव, रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार; संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय।

मरम्मत और रख–रखाव

16.84 बगीचे और पार्कों, वैद्युत स्थापन और पंपों एवं अन्य ढांचों की मरम्मत और रख–रखाव, का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान, विद्युत और सिविल अभियांत्रिकी विभाग को दिया गया।

कार्य

16.85 पिछले वर्ष की तरह, 2 अक्तूबर और 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जन्म दिवस एवं मृत्यु दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दोनों अवसरों पर सर्व–धर्म प्रार्थना, फोटो प्रदर्शनी, गांधी साहित्य की बिक्री और सामूहिक कताई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

16.86 15 अगस्त को प्रधानमंत्री समाधि स्थल पर गए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

16.87 इन वार्षिक कार्यक्रमों के अलावा पूरे साल प्रत्येक शुक्रवार की शाम नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले सर्व–धर्म प्रार्थना और कताई कार्यक्रमों को जारी रखा गया।

आगंतुक

16.88 गांधी समाधि ने प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों एवं अन्य आगंतुकों को आकृष्ट किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने अपने बाह्य क्रिया–कलाप एवं शैक्षिक भ्रमण के रूप में गांधी समाधि का भ्रमण किया।

16.89 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में महानुभावों–महामहिम श्री मिलान स्टेच, चेक गणराज्य के सीनेट राष्ट्रपति, महामहिम श्री बोरत पहोर, प्रधान मंत्री स्लोवेनिया गणराज्य, महामहिम श्री जॉन की प्रधान मंत्री न्यूजीलैंड, महामहिम श्री ट्रवोंग तेन सेंग, राष्ट्रपति, समाजवादी गणराज्य वियतनाम; महामहिम यू थीन, गणराज्य म्यांमार के संघ के प्रधान मंत्री; महामहिम डॉ॰ बाबूराम भट्टाराई, प्रधान मंत्री नेपाल; महामहिम, जिग्मे खेसर नाम्यल वांगचुक, भूटान के राजा; माननीय न्यायाधीश श्री रोबर्ट एस॰ फ्रेंच एसी, आस्ट्रेलिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; महामहिम श्रीमति मारिया द लूज गुए, मोजांबिक गणराज्य की प्रथम महिला; महामहिम श्री योशीहिको नोडा, जापान

के प्रधानमंत्री; त्रिनिदाद एवं टोबेगो गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय कमला प्रसाद बिस्सेसर; माली गणराज्य के राष्ट्रपति माननीय श्री अमादो तोमानी तोर थाइलैंड राज्य की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री यिंगलक शिनावत्ता आदि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने गए।

16.90 विशेष अतिथियों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की एवं आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। इन अतिथियों को समाधि के दर्शन के समय गांधी जी की पुस्तकों का एक सेट, बापू की अर्ध-प्रतिमा एवं ''सात सामाजिक बुराइयों'' की सूची उपहार में दी गई।

सहायता अनुदान

16.91 वर्ष 2011-12 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने 3,97,00,000.00 रु॰ (तीन करोड़ सत्तानवे लाख रु॰ मात्र) का सहायता अनुदान स्वीकृत किया।

लेखे एवं लेखा परीक्षा

16.92 रख-रखाव एवं देखभाल, संस्थापन, कार्यक्रमों के आयोजन इत्यादि एवं कुछ निर्माण परियोजनाओं पर किए गए सभी व्यय को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया गया।

16.93 प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय के लेखे राजघाट समाधि समिति कार्यालय रखता है एवं ये प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा की शर्त के अधीन है।

17

शहरी विकास मंत्रालय के प्रकाशनों की कुछ झलक

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार मूल बुनियादी ढॉचे और नागरिक सुविधाओं के निर्माण, विकास और रख-रखाव के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और कार्यनीतियों के प्रयोग के जरिए अपने नागरिकों को पर्याप्त और गुणवत्ता युक्त मूल शहरी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर प्रकाशनों को प्रकाशित करता है।

1. जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

परियोजनाओं का प्रभाव

17.2 जेएनएनयूआरएम के तहत शहरों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव को रेखांकित करता है। इन प्रभावों का मूल्यांकन चुनिंदा परियोजनाओं द्वारा किया जाता है जो शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती नालों, ठोस कचरा प्रबंधन और परिवहन जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 11 शहरों में पूर्ण हो गई हैं या पूर्ण होने वाली हैं।

सुधारों का प्रभाव

17.3 राज्य और मिशन शहरों जिन्होंने चयनित सुधारों के कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, की प्रगति का सिंहावलोकन 2 श्रेणियों - वित्तीय उन्नयन सुधारों तथा प्रक्रिया उन्मुखी/नागरिक केन्द्रित सुधार - के तहत किया जाता है।

वार्षिक अद्यतन स्थिति

17.4 वार्षिक अद्यतन स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत शुरू किए गए सभी कार्यों की नवीनतम विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कार्यान्वित परियोजनाएं, प्राप्त सुधार, स्थापित पीआईयू/पीएमयू की संख्या, 'पर्ल' के तहत किए गए कार्य, आईआरएमए, मध्यवर्ती मूल्यांकन तथा टीएजी के कार्य जैसी परियोजना निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली संबंधी प्रमुख सूचना शामिल है।

ठोस कचरा प्रबंधन

17.5 म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और परियोजना कार्यान्वयन उपाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए किए जाते हैं। इसमें जेएनएनयूआरएम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन क्षेत्र में ''परियोजनाओं की झलक'' भी दी जाती है।

ठोस कचरा प्रबंधन में निजी भागीदारी

17.6 ठोस कचरा प्रबंधन में निजी-सार्वजनिक भागीदारी के प्रयोग, उसके चरण तथा परियोजना संबंधी दक्षता और वांछित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ठेका प्रलेखन द्वारा परियोजना कार्यान्वयन।

ई-शासन में राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी)

17.7 इस पुस्तिका में एनएमएमपी के तहत नगरपालिकाओं में ई-शासन परियोजना के कार्यान्वयन का सिंहावलोकन दिया जाता है।

2. शहरी परिवहन

17.8 शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की गई है। एनयूटीपी संबंधी पुस्तिका में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मूल नीति दी हुई है।

शहरी परिवहन के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्कों पर पुस्तिकाएं

17.9 शहरी परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए किए जा रहे प्रयास के एक भाग के रूप में शहरी विकास मंत्रालय ने अब शहरी परिवहन में राष्ट्रीय सेवा स्तरीय बेंचमार्क अपनाएं हैं। इस पुस्तिका में 10 सेवा स्तरीय बेंचमार्क जैसे कि सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं; पैदल पथ संबंधी बुनियादी सुविधाएं; गैर मोटरीकृत परिवहन सुविधाएं; दक्ष परिवहन प्रणाली सुविधाओं के प्रयोग का स्तर; प्रमुख कॉरीडोरों पर यात्रा की गति; पार्किंग स्थल की उपलब्धता; सड़क सुरक्षा; प्रदूषण के स्तर; समेकित भू-उपयोग परिवहन प्रणाली तथा बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन की वित्तीय सतत्ता की पहचान की गई है।

भारत में द्रुत बस परिवहन विकास

17.10 यह भारत के 10 शहरों में द्रुत बस परिवहन (बीआरटी) परियोजनाओं की स्थिति का व्यापक प्रलेखन है। इस पुस्तिका में बीआरटीएस की विशेषताओं तथा भारत के 10 शहरों में कार्यान्वित किए जा रहे बीआरटीएस के विभिन्न घटकों के ब्यौरों का संक्षेप में उल्लेख है। यह पुस्तिका उन शहरों के लिए जो बीआरटीएस परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, के साथ-साथ उन शहरों के लिए भी उपयोगी है जो बीआरटीएस शुरू करना चाहते हैं।

शहरी परिवहन से जुड़े मामलों पर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर जारी नीति परिपत्र/परामर्शी पत्र (2006-08)

17.11 शहरी परिवहन स्कंध, शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 से लेकर अब तक अनेक नीति परिपत्र/परामर्शी पत्र जारी किए हैं। वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान जारी इन सभी नीति पत्र/परामर्शी पत्रों का एक सार संग्रह प्रकाशित किया गया है ताकि ये सुलभ संदर्भ और दिशा-निर्देश एक स्थान पर उपलब्ध हों। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के इच्छुक सभी शहरी परिवहनों द्वारा इन नीति परिपत्रों/परामर्शीपत्रों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है।

(क) विश्व बैंक-डीएफआईडी सहायता प्राप्त सतत् शहरी परिवहन योजना-टूल किटें तैयार करना

17.12 मेसर्स विलबर स्मिथ एसोसिएट ने सीआरआईएसआईएल के सहयोग से, इस मंत्रालय के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर टूल किटें/दिशा-निर्देश तैयार किए हैं:

(i) **वैकल्पिक विश्लेषण टूल किट:** इस टूल किट से किसी कॉरीडोर या उप क्षेत्र विशेष में परिवहन और उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने के सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जा सकता है।

(ii) **बस प्रणाली टूल किट:** यह टूल किट नीति निर्माताओं, निगम कार्मिकों और ऑपरेटरों के लिए है।

(iii) **शहरी परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के लिए टूल किट:** इस टूल किट का खास उद्देश्य मेट्रो पालिटन परिवहन योजना संबंधी प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश स्थापित करना तथा शहरी परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का चिह्नन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना है।

(iv) **संस्थागत दिशा-निर्देश:** इस रिपोर्ट में भारत में शहरी परिवहन क्षेत्र में संस्थागत गठन को मजबूत करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना है। शहरी परिवहन क्षेत्र में मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए इसमें विश्व के अनेक केस अध्ययनों को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) शहरी परिवहन कार्य नीति के लिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता

17.13 उपर्युक्त तकनीति सहायता के तहत निम्नलिखित टूलकिटें तैयार की गई हैं:—

(i) बस सेवा उन्नयन तथा द्रुतगामी बस परिवहन (बीआरटी)

(ii) पार्किंग तथा गैर मोटरचालित परिवहन (एनएमटी)

(iii) व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी)

3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रकाशन

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कारगर ढंग से कार्य करने के लिए निम्नलिखित संहिताएं, नियम पुस्तिकाएं, दर-अनुसूचियां, विनिर्दिष्टियां, डिजाइन नियम पुस्तिकाएं और अन्य आवश्यक तकनीकी प्रकाशन तैयार किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित अनुसार हैं:—

संहिताएं

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संहिता।

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेख संहिता।

नियम पुस्तिका

(i) नियम पुस्तिका खंड 1

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य नियम पुस्तिका, 2012

(iii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तिका खंड 3

(iv) रख-रखाव नियम पुस्तिका।

दर अनुसूची

(i) कुर्सी क्षेत्र दरें।

(ii) दिल्ली दर विश्लेषण खंड 1 और 2

(iii) दिल्ली दर अनुसूची: 2012

(iv) वैद्युत दर अनुसूची: 2012

विशिष्टियां (सिविल)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विनिर्दिष्टयां 2009 खंड 1 और 2

विशिष्टियां (वैद्युत)

(i) वैद्युत कार्यों के लिए सामान्य विनिर्दिष्टयां - आंतरिक

(ii) वैद्युत कार्यों के लिए सामान्य विनिर्दिष्टयां - (खंड 3 - लिफ्ट और एस्केलेटर)

(iii) हीटिंग, वेन्टीलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए सामान्य विनिर्दिष्टयां।

अन्य प्रकाशन

(i) भवन, एकीकृत विश्लेषण और डिजाइन पुस्तिका।

(ii) वर्षा जल संचयन पुस्तिका।

(iii) गुणवत्ता आश्वासन संबंधी परिपत्रों का संकलन।

(iv) एकीकृत योजना निर्माण तथा विश्लेषण।

(v) ढॉचों की मरम्मत और पुनर्वास संबंधी पुस्तिका।

(vi) भवनों की भूकंपरोधी रेट्रोफिटिंग संबंधी पुस्तिका।

(vii) रेनफोर्सड कंक्रीट बहुमंजिली इमारतों के योजना निर्माण और डिजाइन संबंधी पुस्तिका-खंड 1 और खंड 2

(viii) वृद्धों और विकलागों के लिए भवनों के डिजाइन संबंधी मानक।

(ix) भवनों में वैद्युत और यांत्रिकी सेवाओं के लिए स्थान।

(x) कंक्रीट-ढाँचों (पुल और फ्लाई ओवर) के निर्माण के लिए गुणवत्ता आश्वासन संबंधी पुस्तिका।

4. दिल्ली विकास प्राधिकरण

खेल संबंधी समाचार पुस्तिका

17.14 खंड IX संख्या 5, 6 और 7: इनमें अक्टूबर-दिसंबर, 2010, जनवरी-मार्च, 2011 और अप्रैल-जून, 2011 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण खेल परिसरों में खेल संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

दिल्ली विकास यात्रा

17.15 जनवरी-मार्च, 2011 और अप्रैल-जून, 2011 के लिए खंड 1 और खंड 2। इनमें विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों के अलावा उक्त अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्य कलाप शामिल हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2009-10
खेलो दिल्ली खेलो—खेलों को प्रोत्साहित करना तथा सहायता देना—दिल्ली विकास प्राधिकरण

17.16 कॉमन वेल्थ खेलों के दौरान (दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खेल सुविधाओं संबंधी स्पोर्ट्स कॉफी टेबल बुक) प्रकाशित की गई।

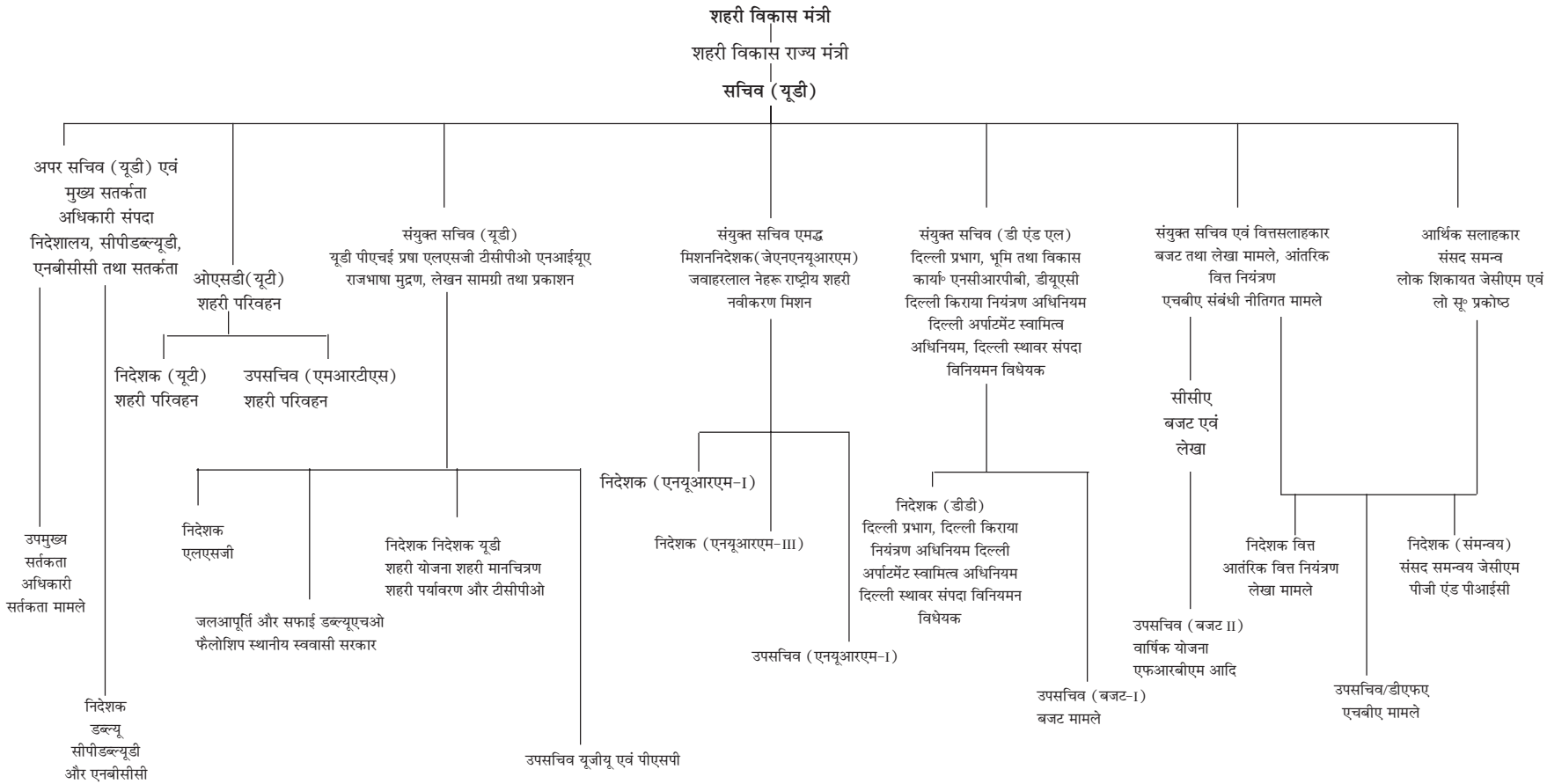

1.प्रशा.-प्रशासन
2. सम.-समन्वय
3. सीसीए-मुख्य लेखा नियंत्रक
4.सीवीओ-मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. डिप्टी सीवीओ-उपमुख्य सतर्कता अधिकारी
6. डीडी-दिल्ली डिवीजन
7. डीएण्डएल-दिल्ली एवं भूमि
8. निदे.-निदेशक
9. डीएस-उप सचिव
10. डीएफए-उप वित्त सलाहकार
11. एफए-वित्तीय सलाहकार
12. वित्त
13. एचबीए-गृह निर्माण अग्रिम
14. आईटी-सूचना प्रौद्योगिकी
15. एलएसजी-स्थानीय स्वशासन
16. एमआरटीएस-द्रुतजन परिवहन प्रणाली
17. एनसीआर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
18. एनयूआरएम-राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
19. ओएसडी (एमआरटीएस) विशेष कार्य अधिकारी (एमआरटीएस)
20. रा.भा.-राजभाषा
21. पीएसपी-मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाशन
22. पीएचई-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
23. यूटी-शहरी परिवहन
24.यूडी-शहरी विकास
25. यूसीयू-अर्बन सीलिंग यूनिट
26. डब्ल्यू-निर्माण
27. डब्ल्यूएस-जल आपूर्ति एवं सफाई

परिशिष्ट

परिशिष्ट–II

शहरी विकास मंत्रालय को आबंटित विषय

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हो अथवा भवन, अर्थात्,—

   (i) जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अतरिक्ष विभाग के हों,

   (ii) भवन अथवा भूमि, जिनके संनिर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल संकर्म बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटायी गयी हो,

   (iii) भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण,उनके संनिर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया है।

2. सभी सरकारी सिविल कार्य और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य और भवन तो हैं, किन्तु सड़कें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित कार्य या उनके भवन नहीं हैं।

3. उद्यान संबंधी कार्यकलाप।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन।

5 इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन। महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापना या वहां से उनका विसर्जन।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन।

7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन।

8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नयी दिल्ली में सरकार निर्मित संपत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का परिवर्तन करना तथा ऐसी संपत्तियों से लगी भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन।

9. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण,जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी है।

10. भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य मद 22 और 23 के अध्यधीन तकनीकी आयोजना एवं सड़क आधारित प्रणाली सहित शहरी परिवहन प्रणाली की आयोजना एवं समन्वय तथा रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड के अध्यधीन कार्य मद 1 और 2 के अध्यधीन रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी आयोजना।

11. भारतीय रेल द्वारा वित्तपोषित प्रणालियों को छोड़कर रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा किराया भाड़ों का निर्धारण।

12. ट्राम्वे जिसके अंतर्गत नगर पालिका सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर भूमोपरि द्रुतगामी ट्राम भी शामिल है।

13. नगर और ग्राम नियोजन, महानगरीय क्षेत्रों की आयोजना और विकास, इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता से संबंधित मामले।

14. दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की स्कीम।

15. दिल्ली विकास प्राधिकरण।

16. दिल्ली मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा स्लम स्वीकृति विषयक काम का समन्वय।

17. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों की स्थापना।

18. सरकारी कॉलोनियों का विकास।

19. स्थानीय शासन, अर्थात नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है) और स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों, जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं नहीं आती हैं, का गठन और उनकी शक्तियां।

20. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम।

21. शहरी क्षेत्रों से संबंधित जल प्रदाय, (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गये जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) सीवेज जल निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से संपर्क। इस क्षेत्र में अंतरार्ष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।

22. केन्द्रीय स्थानीय स्व शासन परिषद।

23. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन।

24. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन।

25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी मामले।

26. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित मामले।

27. शहरी अवस्थापना से संबंधित आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) के मामले।

28. अचल संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन।

29. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन।

30. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) प्रशासन।

31. दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 (1957 का 61) का प्रशासन।

32. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59)।

33. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33)।

34. दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1)।

परिशिष्ट-III

(अध्याय-2 पैरा 1)

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं सांविधिक और स्वायत्त निकाय

शहरी विकास मंत्रालय

सम्बद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
2. मुद्रण निदेशालय
3. सम्पदा निदेशालय
4. भूमि तथा विकास कार्यालय

अधीनस्थ कार्यालय

1. भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय
2. प्रकाशन विभाग
3. नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि॰

सांविधिक और स्वायत्त निकाय

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण
2. दिल्ली नगर कला आयोग
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
4. राजघाट समाधि समिति
5. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

परिशिष्ट-IV

(देखिए अध्याय-2 पैरा 1-7)

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या का विवरण

क्रम सं॰	कार्यालय का नाम	समूह क (राजपत्रित)	समूह ख (राजपत्रित)	समूह ख (अराजपत्रित)	समूह ग	समूह घ	वर्कचार्ज	कुल स्टाफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क.) सचिवालय (सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय शामिल)								
1	शहरी विकास मंत्रालय (सचिवालय)*	97*	75*	92*	103*	75*	–	442
2	के॰ लो॰ नि॰ वि॰	1215	2995	2532	7300	3694	15396	33132
3	मुद्रण निदेशालय	31	60	72	3457	511	–	4131
4	संपदा निदेशालय	8	47	81	222	153	–	511
5	भूमि व विकास कार्यालय	11	11	2	152	40	–	216
6	लेखन सामग्री नियंत्रक	2	6	6	265	241	–	520
7	प्रकाशन नियंत्रक	1	2	23	124	114	–	264
8	टी॰ सी॰ पी॰ ओ॰	23	2	38	44		–	107
9	प्रधान लेखा कार्यालय	6	102		347	55	–	512
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम								
1	एनबीसीसी लि॰	778	65	1298	127	2268	–	2268

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में कार्यरत स्टाफ एवं मंत्रियों (अर्थात् शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री) के साथ तैनात सहविस्तारी स्टाफ शामिल है।

परिशिष्ट-V

(देखिए अध्याय-2 पैरा VII)

वर्ष 2011 के दौरान मंत्रालय, इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की स्थिति।

वर्ग	आरक्षित रिक्त पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अनारक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय			
ग	19	1	शून्य
घ	26	शून्य	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
क	शून्य	शून्य	शून्य
ख	शून्य	शून्य	शून्य
ग	08	शून्य	शून्य
घ	शून्य	शून्य	शून्य

परिशिष्ट-VI

(देखिए अध्याय 2 पैरा VII)

शहरी विकास मंत्रालय में इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित वर्ष 2011 के दौरान कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वर्ष के दौरान नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				प्रोन्नति द्वारा			अन्य तरीकों द्वारा		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ॰पि॰व॰	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ॰पि॰व॰	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	1380	331	81	29	35	5	2	15	21	5	1	4	1	0
समूह ख	5041	830	327	274	32	4	2	10	194	43	17	5	0	1
समूह ग	15660	3345	890	653	62	5	18	14	272	92	21	4	2	0
समूह ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	9753	2921	788	383	113	7	99	3	1	0	0	291	121	1
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	543	405	32	2	39	0	39	0	1	1	0	0	0	0
कुल	32377	7832	2118	1341	281	21	160	41	489	141	39	304	124	2

परिशिष्ट-VII

(देखिए अध्याय 2 पैरा VIII)

नेशनल बिल्डिंस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों को दर्शाने वाला विवरण।

समूह	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की संख्या (दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष 2011 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				प्रोन्नति द्वारा				अन्य तरीकों द्वारा	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनूसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	778	169	27	23	9	–	2	1	108	24	3	2	–	–
समूह ख	65	13	1	3	–	–	–	–	8	3	–	–	–	–
सफाई कर्मचारियों को छोड़कर समूह ग	1286	186	11	75	8	2	–	5	179	27	3	–	–	–
समूह ग (सफाई कर्मचारी)	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह घ	127	21	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**2268**	**401**	**41**	**105**	**17**	**2**	**2**	**6**	**295**	**54**	**6**	**2***	_	_

परिशिष्ट–VIII

(देखिए अध्याय 2 पैरा VII)

शहरी विकास मंत्रालय में इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित अशक्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							प्रोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृष्टिगत विकलांग	श्रवण वि॰	शारीरिक वि॰	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शारीरिक वि॰	कुल	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शा॰ वि॰	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शा॰ वि॰	कुल	दृष्टिगत वि॰	श्र॰ वि॰	शा॰ वि॰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	1380	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	5041	4	4	20	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	011	0	0	0
समूह ग	15660	23	49	79	25	33	17	14	0	0	3	2	2	5	69	3	0	0
समूह घ	10296	8	8	30	13	16	11	9	0	0	9	0	0	1	1	0	0	0
कुल	32377	33	62	129	38	49	28	52	0	0	12	2	2	6	181	3	0	0

नोट (i) दृष्टिगत विकलांग के लिए दृ॰वि॰ (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) श्रवण विकलांग के लिए श्र॰वि॰ (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति)

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग के लिए शा॰वि॰ (चलने फिरने में असमर्थता अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

परिशिष्ट–IX
(देखिए अध्याय 2 पैरा VIII)

नेशनल बिल्डिंस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में वर्ष 2010 के दौरान अशक्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							प्रोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृष्टिगत विकलांग	श्रवण वि॰	शारीरिक वि॰	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शारीरिक वि॰	कुल	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शा॰ वि॰	दृष्टिगत वि॰	श्रवण वि॰	शा॰ वि॰	कुल	दृष्टिगत वि॰	श्र॰ वि॰	शा॰ वि॰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	1380	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	5041	4	4	20	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
समूह ग	15660	23	49	79	25	33	17	14	0	0	3	2	2	5	69	3	0	0
समूह घ	10296	6	8	30	13	16	11	9	0	0	9	0	0	1	1	0	0	0
कुल	32377	33	62	129	38	49	28	52	0	0	12	2	2	6	81	3	0	0

नोट
(i) दृष्टिगत विकलांग के लिए दृ॰वि॰ (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) श्रवण विकलांग के लिए श्र॰वि॰ (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति)
(iii) शारीरिक रूप से विकलांग के लिए शा॰वि॰ (चलने फिरने में असमर्थता अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

परिशिष्ट–X

शहरी विकास मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में 3/2011 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विवरण

क्र॰सं॰	कार्यालय/विभाग	निरीक्षण रिपोर्ट	आडिट आपत्तियां/पैरा (सं॰)
1	शहरी विकास मंत्रालय (सचिवालय)	7	46
2	के॰लो॰नि॰वि॰	290	1877
3	संपदा निदेशालय	7	96
4	भूमि तथा विकास कार्यालय	3	55
5	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	3	7
6	प्रकाशन विभाग	1	4
7	मुद्रण विभाग	3	16
8	भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय	2	13
	कुल	**316**	**2114**

परिशिष्ट–XI

12/2010 तक सीएंडएजी की रिपोर्टों के लेखा पैरों की लंबित स्थिति को दर्शाते हुए विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम: शहरी विकास

क्रम सं॰	वर्ष	मंत्रालय द्वारा जांच हेतु लेखा परीक्षा को कार्रवाई नोट प्रस्तुत किए गए हैं	उन पैरों/लोक लेखा समिति की रिपार्टों का ब्यौरा जिनके कार्रवाई नोट लंबित हैं।		
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजे गए कार्रवाई नोट की संख्या	भेजे गए कार्रवाई नोटों की संख्या लेकिन टिप्पणियों के साथ वापस किए गए और इस मंत्रालय द्वारा उनकी पुन:प्रस्तुति लेखा परीक्षा के लिए प्रतीक्षित हैं।	किए गए कार्रवाई नोटों की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा पूर्णत: जांच कर ली गई है, लेकिन मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
1	1991	1		2	
2	1992	1		1	
3	1993		1	1	
4	1994			1	
5	2005	1			
6	2006	1			
7	2008	1		2	
8	2009	3	1	2	